

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

१२४७

क्रम संख्या

२८०-३१ दोमरा

काल न०

खण्ड

बं १]

उत्ती साहित्य मण्डल

[पुस्तक ७]

क्या करें ?

(प्रथम भाग)



महात्मा टाण्डेराय

वर्ष १]

सस्ती-साहित्य-माला

[प्रसक ७.

क्या करें !

(प्रथम भाग)



महात्मा टाल्स्टाय की 'What shall we do then'
का हिन्दी अनुवाद.



अनुवादक—

शेमानन्द 'रोहब'



प्रकाशक—

सस्ती-साहित्य प्रकाशक मण्डल

अजमेर



प्रथम बार]

१९२६.

[मूल्य ॥३]

समिन्ध प्रति का मूल्य १)

प्रकाशक—
जीतमल लूखिया, मंत्री
सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मंडल, अजमेर

हिंदी प्रेमियों से अनुरोध

इस सस्ता-मंडल की पुस्तकों का विषय,
उनकी पृष्ठ-संख्या और मूल्य पर ज़रा
विचार कीजिये। कितनी उत्तम और साथ
ही कितनी सस्ती हैं। मण्डल से निकली
हुई पुस्तकों के नाम तथा स्थायी ग्राहक
होने के नियम पुस्तक के अंत में दिये हुए
हैं, उन्हें एकबार आप अवश्य पढ़ लीजिये।

* ग्राहक नम्बर

* यदि आप इस मंडल के ग्राहक हैं तो अपना नम्बर यहाँ लिख
रखिये ताकि आपका नाम पत्र होते समय यह नंबर ज़रूर लिखा करे।

मुद्रक
गणपति कृष्ण गुर्जर,
श्रीकृष्णीनारायण प्रेस, काशी।

समर्पण

बहिन गोपी !

प्रेम-पूर्वक मैं यह पुस्तक तुम्हारे उन हाथों में समर्पित करता हूँ कि जिनमें, तुमने, एक बार तलवार पकड़ने की बात कह कर मेरी आँखों में ज्योति और हृदय में गुदर दी पैदा कर दी थी ! तुम्हारी वह बात मुझे कभी नहीं भूली ।

उस दिन मैंने सोचा—कौन कहता है कि स्त्री असहाय है ? मैं मानता हूँ, प्यारी बहिन, कि तुम लोग शक्ति की खान हो, यदि बहिनें उठें तो तुम्हारी जैसी पवित्र बहिनों के भाई क्या कभी गिरे हुए रह सकते हैं ?

ऐ मेरी प्यारी प्यारी बहिन ! तुम्हें नमस्कार है । तुम जगो और जगा दो, अपने सोते हुए भाइयों को । आओ, हम सब भाई और बहिन मिलकर, माता के चरणों की पूजा करें और उसके दुःखों को दूर करने के लिये हँसते हँसते अपने को उसके ऊपर निसार कर दें ।

तुम्हारा एक भाई—

खेमनन्द 'राहत'

लागत का व्योरा

कागज़				४२०) रु०
छपाई	३५०) "
बार्डिंग	६८) "
किस्तार्ड, व्यवस्था, विज्ञापन भादि खर्च	...			४७२) "
				<u>१३१०) रु०</u>

कुल प्रतियों ३०००

लागत मूल्य प्रति संख्या (₹)

मनोव्यथा

(श्री इत्तात्रेय ब्राह्मकृष्ण कालेत्तर)

Who touches this book, touches a man.

वास्ट विटमन

यह किताब नहीं, मनुष्य का हृदय है ।

प्रस्तावना का सामान्य उद्देश्य तो पुस्तक और उसमें वर्णित विषय का परिचय कराना ही होता है; परन्तु 'इम क्या करें?' यह पुस्तक नहीं बल्कि एक अत्यन्त समभावी हृदय का मन्थन है, जीवन-शुद्धि की रहस्य-मेधी शोध है और महावीर को भी झोना दे ऐसा एक आर्थ-सङ्ग्रह है । थोड़े में कहिये तो कारुण्य, औदार्य, गाम्भीर्य, और माधुर्य की एक ओजस्वी रसायन है । इसका परिचय नहीं दिया जा सकता, इसकी उपासना होती है, इसका सेवन होता है ।

टास्टराय शक्तिशाली कला-विज्ञ थे । इनकी प्रत्येक कृति में औचित्य और प्रसाद-गुण तो होता ही है, पर हृदय को अस्वस्थ बना देने वाली समवेदना ही इनकी कला की विशेषता है । 'इम क्या करें'—यह टास्टराय की सर्वोच्च कोटि की कृति समझी जाती है । जैसा शब्द-चित्रण, भाव-प्रदर्शन और लोक-जीवन का अवगाहन उपन्यासों में होता है वह सब इसमें है । फिर भी कला की दृष्टि से देखने पर इसमें औचित्य भङ्ग है, इसमें हीनता है, इसमें धर्म-जीवन का अपमान है । सीता का विकास, द्रौपदी की भीड़, सती का चितारोहण यह प्रसङ्ग काम्य कला के किये नहीं होते । ये तो जीवन को दीक्षा देने के किये होते हैं । धर्म-पूत हृदय से ही हमें इनका दर्शन करना चाहिये । केवल कला की ही भाँसें हों तो ऐसे प्रसङ्ग पर उन्हें मींच केना चाहिये ।

टास्टराय के वर्णित प्रसङ्ग कार्पनिक नहीं हैं, इनके द्वारा की हुई मीमांसा केवल 'तात्त्विक' नहीं है और इन्होंने जो जीवन में परिवर्तन

किया था वह भी क्षणिक न था। पुस्तक का प्रारम्भ तो मार्ग में भटकते हुए मिथ्याचारियों के सुख दुःख से होता है पर इसका मुख्य विषय तो समस्त मानव-समाज का कल्याण है।

पुराणों में हम लोग पृथ्वी का भार बढ़ने की बातें सुनते हैं। क्या कोक-सँक्या बढ़ने से पृथ्वी का भार बढ़ता होगा? या जंगलों की वृद्धि से अथवा हिमालय जैसा पहाड़ पानी में से उठर जाने से? ऐसी बातों से तो पृथ्वी का भार बढ़ने का कोई कारण नहीं। पृथ्वी पर भार होता है जाऊँस का, काहिकी का, पाप का, अनाचार का, प्रोह का। टास्टराय ने देखा कि आजकल पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ रहा है, और वह असह्य हो रहा है; अब कोई न कोई उत्पात होगा। ज्वालामुखी फूट पड़ेगा अथवा दावानल प्रवृत्त होगा। यह दुःख किस प्रकार टले, इस महान विनाश से समाज कैसे बचे—इसी की विवेचना इसमें है।

इन्होंने देखा कि रूसमें, युरोपमें, सारे संसार में प्रतिष्ठित अकर्मण्य लोगों की संख्या बेहद बढ़ गई है—बढ़ती जाती है और किसी तरह भी रोके नहीं सकती। इनका आनन्द प्रमोद, इनकी वासनायें, इनके भोग भोगने के साधन बढ़ते ही जाते हैं। ये मस्तराम प्रजा का खून चूसते जा रहे हैं और बढ़ते में समाज को कुछ देते नहीं। इतना ही नहीं, सरकारी जबरदस्ती और पैसों के जाक से प्रसिद्ध लोगों को खिर उठाने में भी असमर्थ बनाये दे रहे हैं, अपने मन को फुसकाने के लिये और दुनिया को बहकाने के लिये तरह तरह की फिजासफियों की रचना करते हैं, हमारी विधिति जैसी होनी चाहिये वैसी हो है, इसी में सब का कल्याण है ऐसा सिद्ध करने के लिये कृत्रिम धार्मिक सिद्धान्तों का आविष्कार करते हैं, समाज-शाक गढ़ते हैं और विज्ञान तथा कला को अड़ करते हैं। इन बातों को उखाड़ कर फेंक देना, कुछ सह्य बात नहीं है। विचारों को अन्त देने तथा उनका प्रचार करने का विषय हमारा है ऐसे समस्त मनुष्य-समूह से—जिसमें हम लोग भी सम्मिलित हैं—यह अभिप्रेत्य

वैद्या भ-समान युद्ध—एककी युद्ध है। परन्तु टास्टराय की खेदान-शक्ति और हरिषचन्द्र के समान भटक भट्टा इस नाम की कल्प तक पहुँचाने के योग्य ही निकली। वह जानते थे दुनियादार अक्कमन्द कौन चाहे कितने ही क्यों न हों फिर भी उनका बल अपर्याप्त है और हम खुद मुँके ही हों तब भी सत्य स्वरूप जगदीश के साथ होने से हमारा बल पर्याप्त है।

और टास्टराय ने पृथ्वी का भार हलका करने का उपाय भी वैद्या बताया। सनातन काल से जो उपाय बताया गया है, वही—‘तन्मतेन भुञ्जीयाः। माकृषः कस्यस्त्विद्धनम्’ टास्टराय ने यह उपाय केवल किताब लिख कर ही बताया हो सो बात नहीं बर स्वयं सब कुछ त्याग कर अकिञ्चन बन कर यथा-शक्ति अपरिग्रह म्भन का पालन करके और अन्त में महा-भनिनिष्क्रमण करके लोगों को रास्ता दिखाया।

टास्टराय की कीर्ति योरप में खूब बढ़ी चढ़ी थी। इनकी साम्प्रतिक कला के ऊपर योरप न्योठावर हो रहा था। पर जब टास्टराय ने निष्ठाप जीवन प्यतोष करने के लिये सर्वस्व छोड़ तब योरप में हाहाकार मच गया। नट, विदूषक और गणिका के रूप में प्रसिद्ध बने बैठे लोगों को तो ऐसा लगा कि कला की हत्या हो गई ! टास्टराय ने कला की मर्दादा छोड़ दी ! सत्य में प्रवेश किया ! ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’—कला का यह सर्वोच्च नियम मङ्ग किया। कला ही जीवन सर्वस्व है, ऐसा मज्जने वाले लोगों को भास हुआ कि टास्टराय जीवन के प्रति बेवफ़ा निकला। पशु के साथ जो अपनी समानता है उसे छोड़ने से हम संकुचित ही तो हो जायेंगे ? पर सच्चे जीवन-कलाविदों ने देखा कि टास्टराय के हाथ से कला कृतार्थ ही हुई है।

कितनों ही ने तो यह निदान निकाला कि टास्टराय ने जब से मांसाहार छोड़ा तभी से उसकी कला का भावेश भीमा पड़ गया और प्रतिभा क्षीण हो गई। संसार-सुखार का मार्ग छोड़ कर उद्यने जंगली पन को ही भावार्थ मान लिया। इस प्रकार के अनेक भावार्थों का टास्टराय

ने इस पुस्तक में ज़बरदस्त निराकरण किया है। किन्तु—'छोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति?' तटस्थ रह कर विचार करने वाला टास्टाय का चरित्र-लेखक मॉड ठीक ही कहता है कि टास्टाय के सिद्धान्तों के विरुद्ध लिखना और कहना तो अभी तक किसी को सूझा ही नहीं। जो निकलता है सो यही कहता है कि टास्टाय का कथन लोक-विचक्षण है—इनका उपदेश भाषण में टालने योग्य नहीं है, टास्टाय जो चाहते हैं वैसा करने से तो बड़ी अभ्यवस्था मच जायेगी!" पर इसका प्रतिवाद करने वाले जो असंख्य पवित्र जीवनप्रद लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उनका विचार ही नहीं करते। मनुष्य ऐसा समझ बैठता है कि जो सुधार हम से नहीं हो सकता वह सभी मनुष्यों के लिये अज्ञेय होगा। टास्टाय का हृदयविद्वान्वाद है कि जिस प्रकार लोगों ने गुलामी की प्रथा को उड़ा दिया है उसी प्रकार धन और सत्ता की यह प्रथा भी अवश्य ही उड़ जायेगी। सरकार, जायदाद, पैसा, भाकसी लोग और इनका दौरेदौरे कायम रखने तथा गरीबों को कुचक ढालने के लिये कड़ी की हुई सेनायें—यह सब मनुष्य की ही निर्माण की हुई आपत्तियाँ हैं। निष्पाप तथा समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिये इनमें से एक संस्था की भी जरूरत नहीं। बुद्धिमान मनुष्य को सादगी से रहते हुए समाज की अधिक सेवा करनी चाहिये। अधिक पेशो भाराम में रहना और जॉक की तरह समाज का छोहू पीना बुद्धिमान के लिये योग्य नहीं है—इसी एक मुख्य तत्व को टास्टाय ने इस पुस्तक में समझाने का उद्योग किया है। चिन्तन और कला से उनका कहना है कि जिनका नमक खाकर तुम जीते हो उनका ही तिरस्कार करके तुम जीवित नहीं रह सकते। प्रथा की कुछ तो सेवा करो। भरे कुछ नहीं तो असेवा करते तो लज्जाओ !

टास्टाय का यह धर्म प्रबोध लोगों को पसन्द न आया और परिणाम यह हुआ कि इसी पुस्तक में टास्टाय ने स्पष्ट शब्दों में जो चेतावनी दी थी वह भाग तीस वर्ष के अन्दर विशुद्ध सत्य निकली। मज़हूर दक

का पैर्य छूटा, प्रजासभोम छूटा और प्रजा के ही कंधे पर बैठकर प्रजा को कपट मारने वाला वर्ग सुरकुस हो गया ।

फिर भी गरीबों का दुःख दूर नहीं हुआ । हिंसा का दुःख क्या हिंसा से मिटेगा ? कोहू से सना हुआ हाथ क्या कोहू से धोने से साफ़ हो सकेगा ?

टास्त्वाय का उपदेश रूस की बनिस्वत हिन्दुस्तान को अधिक लागू होता है । जब तक प्रजा का बोझ हल्का नहीं होता और जबरदस्ती का दौरदौरा मिटता नहीं तब तक देश की राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति हो ही नहीं सकती । यह बात, देश का क्याकर करने वाले मनुष्यों के हृदय में, यह पुस्तक पढ़ते समय, आये बिना रहती नहीं । पैसा यह अज्ञात जबरदस्ती का बंदे से बड़ा वाहन है, यह मान लेने के पश्चात् हिन्दुस्तान का प्रश्न अधिक स्पष्ट हो जायेगा ।

यदि कोई ऐसा समझता हो कि हिन्दोस्तान में रूस की तरह उत्पात् होही नहीं सकता तो यह उसकी भूल है । साथ ही यह भी ठीक है कि रूस जैसा विस्फोट हिन्दुस्तान में भी होगा ही ऐसी बात भी नहीं है । हिन्दुस्तान में संत-फकीरों का राज्य अन्य देशों की अपेक्षा अधिक फैला हुआ है । हमारी बुद्धि कितनी ही अष्ट क्यों न हो गई हो वर आज भी अपने हाक में ग़ोह नहीं है, हिंसा नहीं है । अपने आज आचार्यों ने धारीरिक श्रम का महत्व समझाया है । परिश्रम छोड़ने से स्वत्व की हानि होती है । मनुष्य अथवा पशु के कंधे पर बैठ कर की हुई जीवन-यात्रा निष्फल है, पातक है, यह हम जानते हैं ।

यत्नसे निज कर्मोपासं विभं तेन विनोप्य चित्तं ।

अर्थमनर्थं भावय नित्यं, मूढ जहीहि अनागमत्पणां ॥

यह उपदेश अभी केवल पोथी का बन्द कीदा ही नहीं है । रुपया पैसा यह खराब मैठी चीज़ है यह बात भी टास्त्वाय ने नई नहीं कही है ।

द्रव्यं तु मुद्रितं स्पृष्ट्वा त्रिरात्रेण शुचिर्भवेत् ।

ऐसे ऐसे वचन अपने बर्हो पढ़े हुए हैं । पर हम लोगों ने वह सब

धर्म-तत्व साधु सम्प्रासिधियों के सुपुर्व कर दिये और धर्म को अपने से दूर रक्खा। पर धर्म टाकने से क्या टकने वाला था ? मछली के लिये जैसा जक है वैसा ही मनुष्य के लिये धर्म है। राजी चुप्पी न समझेंगे तो मजबूर हो कर तो समझना पड़ेगा। पाप कुछ सिक्कों में—सकैद बा पीकी कमकती हुई मिट्टी के गोक टुकड़ों में नहीं बरिफ समाज के इक्षय में होता है, यह ठीक है। फिर भी आज यह सिक्के छोभी निर्दय और ज़बरदस्त लोगों के हाथ के अख-दास्याख बन गये हैं, यह बात कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। टाक्स्टाय का कहना है कि नीरोग मनुष्य को र्था की जितनी आवश्यकता होती है बख उतनी ही निष्पाप जीवन ज्यतीत करने वाले समाज को अपने की जरूरत हो सकती है।

पर टाक्स्टाय की यह पुस्तक ? यह बहुत ही खराब किताब है। यह अपने को आगृत करती है, अस्वस्थ करती है, धर्म-भीरु बनाती है। यह पुस्तक पढ़ने के बाद भोगबिछास तथा आनन्दोछास में पचचात्ताप का कढ़ना कंकड़ पड़ जाता है। अपना जीवन सुधारने पर ही यह मनोब्यथा कुछ कम होती है। और जो इन्सानियत का ही गळा घोंद दिया जाये तब तो कोई बात ही नहीं।

इस पुस्तक का पढ़ना सरक नहीं है। यह संस्कारी अथवा स्रातिक वृत्ति वाले मनुष्य को अन्त तक न छोड़े देसी है। योरोपीय समाज को कव्य में रख कर लिखे जाने के कारण इंसार्हों की तीरत तथा इन्जीक में से खूब कदाहरण दिये गये हैं। कॉन्ट, हेगक, वॅगनर आदि पाश्चात्य दार्शनिकों और कळा-कोबिदों की भीमांसा जाती है, इन सब बातों को समझना जरा मुश्किल तो जरूर है पर भाषान्तरकार योग्य * मिलने से बहुत सी मुश्किलें दूर हो गईं हैं। गुजरात आज अपने साधु-सन्तों की अपेक्षा अपनी इन्ध्याजैव शक्ति पर घमण्ड करती हो तो गुजरात को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। कुछ तो बिचार करना ही पड़ेगा।

* गुजराती भाषान्तरकार के लिये यह लिखा गया है।

“क्या करें ?”

[लेखक—महात्मा टाल्स्टाय]

‘क्या करें’ ?



और लोग उनसे पूछने लगे कि फिर हम करें क्या ?

उन्होंने उत्तर दिया—जिसके पास दो कोट हैं वह एक कोट उसे दे दे कि जिसके पास एक भी नहीं है और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे ।

❀ ❀ ❀ ❀

इस पृथ्वी पर अपने लिये धन जमा मत करो क्योंकि काई और कीड़े उसे नष्ट कर देते हैं अथवा चोर उसे चुरा ले जाते हैं ।

किन्तु तुम अपने लिये स्वर्ग में धन जमा करो कि जहाँ न काई लगती है और न कीड़े खाते हैं और न चोर ही दरवाजा तोड़ कर उसे चुरा ले जा सकते हैं ।

फिर, जहाँ तुम्हारा धन होगा, वहीं तुम्हारा दिल भी रहेगा ।

❀ ❀ ❀ ❀

आँख शरीर का क्षीपक है; इसलिये यदि तुम्हारी आँख स्थिर है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से पूर्ण होगा ।

किन्तु यदि तुम्हारी आँख में नुराई है तो तुम्हारे शरीर भर में अन्धकार का साम्राज्य होगा और यदि तुम्हारी अन्तरव्योति

ही तिमिरावृत्त है तब तो फिर तुम्हारे अन्दर कितना गहरा अन्व-
कार होगा ?

❀ ❀ ❀ ❀

कोई भी दो मालिकों की नौकरी कर नहीं सकता क्योंकि या तो वह एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम या वह एक की सेवा करेगा और दूसरे की उपेक्षा । तुम ईश्वर और माया दोनों के होकर नहीं रह सकते !

❀ ❀ ❀ ❀

इसीलिये मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने जीवन में यह चिन्ता मत करो कि मैं क्या खाऊँगा और क्या पिऊँगा और न शरीर के लिये यह सोचो कि इसे क्या पहिनाऊँगा ! क्या जीवन स्वयं ही भोजन से बढ़कर और काया कपड़ों से अधिक मूल्यवान् नहीं है ?

❀ ❀ ❀ ❀

वस तुम ईश्वर के राज्य और उसके धर्म-मार्ग की ही खोज करो और बाकी ये सब चीजें तुम्हें स्वयं ही मिल जायेंगी ।

❀ ❀ ❀ ❀

सुई के नक़ुए में से उँट का निकल जाना तो सम्भव है किन्तु अमीर आदमी के लिये स्वर्ग में प्रवेश करना असम्भव है ।



जीवन का अधिकांश भाग देहात में व्यतीत करने के बाद आखिरकार सन् १८८१ में मास्को में निवास करने के लिये मैं आया और उस नगर की हृद से बढ़ी हुई परित्रता को देख कर मैं दुःखित और चकित हुआ। वैसे तो देहात के गरीब आदिमियों के कष्टों से मैं भली भाँति परिचित था किन्तु मुझे इसका पुरा भी ख्याल न था कि नगरों में उनकी कैसी दुर्दशा है।

मास्को की किसी भी सड़क से कोई मनुष्य गुजरने, उसे एक विचित्र प्रकार के भिखारी मिलेंगे जो उन भिखारियों से बिलकुल भिन्न होंगे कि जो मोली लेकर क्राइस्ट के नाम पर देहातों में भीख माँगते हैं। मास्को के भिखारी न तो मोली लेकर चलते हैं और न भीख माँगते हैं। प्रायः जब वे किसी से मिलते हैं तो उसकी आँख से आँख मिलाने की कोशिश करते हैं और उसके मुख का भाव देख कर उसके अनुसार व्यवहार करते हैं।

मैं इस प्रकार के एक भिखारी को जानता हूँ—वह एक दिवालिया सद्गृहस्थ है। वह बृद्ध है, धीरे-धीरे चलता है और दोनों पैरों से लँगड़ाता है। जब कोई पास से निकलता है तो वह लँगड़ा कर चलता है और सलाम करता है। यदि जाने वाला ठहर जाता है तो वह अपनी टोपी उतार लेता है फिर मुक कर सलाम करता है और माँगता है। यदि वह आदमी नहीं ठहरता है तब कुछ नहीं वह केवल लँगड़ाने का बहाना करता है और उसी तरह लँगड़ाता हुआ

चलता रहता है। यह मात्को के एक असली और अनुभवी भिक्षुक का नमूना है।

पहिले तो मैं यह समझ ही नहीं सका कि ऐसे भिक्षुक खुले तौर पर क्यों नहीं माँगते। किन्तु पीछे मुझे यह मालूम हुआ हालां कि उसका कारण नहीं समझ पाया। एक दिन मैंने देखा कि एक पुलिस का सिपाही एक फटे कपड़े वाले आदमी को जिसका बदन सूजा हुआ है तांगे में बिठाये लिये जा रहा है। मैंने जब पूछा कि इसने क्या किया है तब पुलिस वाले ने कहा—

‘भीख माँगता था।’

मैंने पूछा—‘तो क्या भीख माँगना मना है?’

उसने उत्तर में कहा—‘ऐसा ही मालूम होता है।’ पुलिसवाला उसको लिये जा रहा था। मैं भी एक किराये की गाड़ी करके उसके पीछे हो लिया। मैं यह मालूम करना चाहता था कि क्या भीख माँगना वास्तव में मना है और यदि है तो क्यों? मेरी तो यह समझ ही में नहीं आता था कि यह किस तरह सम्भव हो सकता है कि किसी आदमी से कुछ माँगना वर्जित करा दिया जाय और खास कर एक यह सन्देह मेरे मन में था कि जिस नगर में इतने भीख माँगने वाले हैं वहाँ भीख माँगना नियम-विरुद्ध कैसे हो सकता है?

मैं कोतवाली के अन्दर गया कि जहाँ उस भिक्षुक को सिपाही ले गया था। मेज के पास बैठे हुए एक कर्मचारी से जो तलवार और तमंचे से सज्जित था, मैंने पूछा कि यह क्यों गिरफ्तार किया गया है। उस कर्मचारी ने तेजी से मेरी ओर देख कर कहा— ‘तुम्हें इससे क्या मतलब?’ किन्तु शायद यह समझ कर कि कुछ

जवाब देना जरूरी है उसने कहा—‘सरकार का हुक्म है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाय। इसीलिये मैं समझता हूँ कि ऐसा करना जरूरी है।’

मैं चला आया। पुलिस वाला जो उस आदमी को पकड़ कर लाया था एक कोठरी की खिड़की में बैठा हुआ अपनी नोट बुक देख रहा था। मैंने उससे कहा—

‘क्या वास्तव में यह सच है कि गरीब आदमियों को ईसामसीह के नाम पर मॉगने की इजाजत नहीं है?’

वह आदमी चौंका, मानों नींद से जगा हो, उसने एक बार घूर कर मेरी ओर देखा और फिर गहरी लापरवाही के साथ खिड़की की चौखट पर जमकर कहा—

‘सरकार की ऐसी ही आज्ञा है और इसलिये ऐसा करना जरूरी है।’

चूँकि वह फिर अपनी नोट बुक पढ़ने में मग्न हो गया, मैं नीचे उतर कर अपनी गाड़ी के पास चला आया।

गाड़ी वाले ने पूछा—‘क्यों, क्या उसे बन्द कर दिया?’ मालूम होता था उसे भी कुछ दिलचस्पी थी।

मैंने कहा—‘हाँ, उन्होंने बन्द कर दिया है।’ सुन कर गाड़ी वान ने सिर हिलाया।

मैंने पूछा—‘तो क्या मास्को में भीख मॉगना वर्जित है?’

‘नहीं, मैं बता नहीं सकता’—उत्तर में उसने सिरक इतना ही कहा।

मैंने फिर कहा—‘किन्तु ईसामसीह के नाम पर भीख मॉगने से किसी को कैद कैसे किया जा सकता है?’

उसने उत्तर दिया—‘आजकल स्थिति बदल गई है, बस मतलब यह है कि वह मना है।’

तब से मैंने अक्सर पुलिस वालों को भिखारियों को पकड़ कर कोतवाली और वहाँ से कारखाने ले जाते हुए देखा। एक दिन तो मैंने इन दोन जीवों की टोली की टोली देखी, कुल मिला कर लगभग ३० आदमी थे और उनके आगे और पीछे सिपाही थे। मैंने पूछा—‘क्या बात है?’

जवाब मिला—‘भीख माँगते थे।’

ऐसा प्रतीत होता है कि नियम के अनुसार मास्को में भीख माँगना वर्जित है यद्यपि सड़कों पर भिखारियों की बड़ी संख्या दिखाई पड़ती है और पूजा के समय, गिरजाघरों के सामने, उनकी क्रतार की क्रतार होती है, खास कर श्मशान यात्रा के अवसर पर। लेकिन यह क्या बात है कि कुछ तो पकड़ कर कैद कर दिये जाते हैं और बाकी आजाद फिरते रहते हैं? मैं इस बात का पता न लगा सका। या तो कानूनी और गैरकानूनी दो तरह के भिखारी होते हैं या उनकी संख्या इतनी बड़ी हुई है कि सबको गिरफ्तार करना असम्भव है या शायद यह बात है कि कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो दूसरे उनकी जगह पैदा हो जाते हैं।

मास्को में भिखारियों की कई श्रेणियाँ हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि जिनका पेशा ही भीख माँगना है। कुछ ऐसी भी हैं कि जो सच-मुच ही नितान्त कंगाल हैं, किसी तरह मास्को में आ पड़ी हैं और वास्तव में बड़ी मुसीबत में हैं।

पिछली श्रेणी में वह स्त्री और पुरुष हैं कि जो गाँवों से आये हुए दीखते हैं। मैं कई बार इनसे मिला हूँ। कुछ लोग ऐसे थे कि

जो बीमार पड़ गये थे और अच्छे हो जाने पर अस्पताल छोड़ने के बाद उनके पास न तो खाने को कुछ था और न मास्को से चले जाने का साधन और उनमें से कुछ को तो शराब पीने की भी चाट पड़ गई थी। कुछ तन्दुरुस्त थे पर घर से निकाल दिये गये थे या अति वृद्ध थे या बच्चों वाली विधवा अथवा परित्यक्ता स्त्रियों थीं और कुछ तो खूब हृष्ट पुष्ट और हर तरह से काम करने लायक थे।

इन हृष्ट-पुष्ट लोगों से मुझे खास दिलचस्पी पैदा हो गई थी। इसलिये और भी अधिक कि मास्को में आने के बाद व्यायाम के लिये स्पैरो पहाड़ी पर जाने को मेरी आदत सी पड़ गई थी और मैं वहाँ लकड़ी चोरने वाले कृषकों के साथ काम भी करता था। यह लोग ठीक उन भिखारियों की तरह थे कि जो प्रायः मुझे सड़कों पर मिलते थे। एक का नाम पीटर था, वह कालूंगा का रहने वाला था और सैनिक रह चुका था। दूसरे का नाम साइमन था और वह लादिमीर प्रान्त का था। पहिले हुए कपड़ों के सिवा उनके पास कुछ न था, खूब मेहनत करने पर प्रतिदिन उन्हें चालीस पैंतालीस कोपक अर्थात् ८ या ९ शिलिंग मिलते थे। इसमें से वे कुछ बचत कर लेते थे—कालूंगा का सिपाही तो गरम कोट खरीदना चाहता था और लादिमीर का कृषक गाँव को वापिस जाने का इरादा करता था।

इसी तरह के ग्रामवासियों को सड़क पर भीख माँगते देख कर मेरा ध्यान इनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ और मेरे मन में यह कौतूहल हुआ कि ये लोग भीख क्यों माँगते हैं जब कि ये दोनों काम करते हैं ?

जब कभी मैं इस प्रकार के भिक्षुक से मिलता तो मैं पूछता कि उसकी यह दशा कैसे हुई ? एक बार मैं एक बलिष्ठ और स्वस्थ कृषक से मिला जो भीख माँगता था। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो और कहाँ से आये हो ?

उसने बताया कि काम की तलाश में वह कालूंगा से आया था। पहिले तो उसे ईंधन खीरने का कुछ काम मिल गया, लेकिन जब काम खत्म हो गया तो उसने और उसके साथी ने बहुत ढूँडा पर दूसरा कोई काम न मिला। उसका साथी उसे छोड़कर चला गया और उसके पास जो कुछ था वह चदर-पूति के लिये बेच डाला। यहाँ तक कि अब उसके पास लकड़ी खीरने का सामान खरीदने तक के लिये कुछ न था।

आरा खरीदने के लिये मैंने उसे रुपया दिया और काम के लिये स्थान भी बता दिया। पीटर और साइमन से मैंने पहिले ही कह रक्खा था कि एक आदमी को वह रख लें और उसके लिये एक साथी तलाश कर लें।

चलते समय मैंने उससे कहा—‘देखो आना जरूर ! करने के लिये वहाँ काम बहुत है’।

‘विश्वास रखिये, मैं अवश्य आऊँगा। क्या आप समझते हैं कि इस तरह दर दर भीख माँगते फिरने में मुझे कोई आनन्द आता है जब कि मैं काम कर सकता हूँ ?’

उस आदमी ने आने का पक्का वादा किया था; वह ईमानदार मालूम पड़ता था और सबमुच ही काम करने के लिये तैयार था।

दूसरे दिन जब मैं अपने मित्र पीटर और साइमन के पास गया, तो उनसे पूछा कि क्या वह आदमी आया था। उन्होंने

कहा, नहीं आया और सचमुच वह नहीं आया था। इस तरह मैंने कई बार धोखा खाया।

मुझे कुछ ऐसे लोगों ने भी ठगा कि जिन्होंने मुझ से कहा कि घर जाने के लिये टिकट खरीदने भर के लिये रुपये की जरूरत है। मैंने उन्हें रुपया दिया किन्तु कुछ दिनों बाद फिर मुझे वे सड़कों पर मिले। उनमें से बहुतों को तो मैं अच्छी तरह जान गया था और वे भी मुझे पहचानते थे। लेकिन कभी भूल से वे मेरे पास आते और फिर वही झूठा किस्सा दुहराते, लेकिन मुझे पहचान कर उलटे पाँव चले जाते।

इस तरह मैंने देखा कि इस श्रेणी के लोगों में भी बहुत से धूर्त हैं। किन्तु ये कंगाल धूर्त भी बहुत ही दयनीय अवस्था में थे। वे सब भूखे और फटे चीथड़े पहने थे और उन्हीं तरह लोगों में से थे कि जो सर्दी से ठिठुर कर सड़क पर मरे हुए मिलते हैं, या जीवन की इस दुर्दशा से बचने के लिये फौंसी लगा कर मर जाते हैं जैसा कि बहुधा समाचारपत्रों में हम पढ़ते हैं।

जब कमी मैं नगर के लोगों से इस बीमत्स दरिद्रता का जिक्र करता कि जो उनके चारों ओर फैली हुई थी, तो वे सदा यही उत्तर देते—ओह तुमने अभी देखा ही क्या है ? यदि तुम असली भिखारियों के ' सुनहले मण्डल ' को देखना चाहते हो तो पारा खिन्नोफ मार्केट में जाकर वहाँ की स्थिति को देखो ।

मेरे एक मसखरे मित्रने संशोधन पेश करते हुए कहा कि इन भिखारियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उसे 'सुनहला मण्डल' न कह कर 'सुनहला दल' कहा जा सकता है ।

मेरे हास्यप्रिय मित्र का कथन सत्य था । पर उनका कथन सत्य के प्रौर भी निकट होता यदि वे कहते कि मार्कों में इन लोगों का मण्डल नहीं, दल भी नहीं बल्कि एक पूरी सेना की सेना है—प्रौर यह सेना, मेरा ख्याल है, लगभग पचास हजार लोगों की है ।

नगर निवासी जब मुझ से शहर की गरीबी का जिक्र करते तो उन्हें कुछ हर्षया अभिमान सा होता हुआ दिखाई देता था । और वह शायद इसलिये कि उनके मन में यह भावना पैदा होती कि वे वस्तु-स्थिति से इतने अधिक परिचित हैं । मुझे याद है, जब मैं लंडन गया था तो वहाँ के नागरिक भी अपने नगर की दरिद्रता का बर्णन करते समय एक प्रकार का सन्तोष सा अनुभव करते थे मानो वह कोई गर्व की बात हो ।

जिस दरिद्रता के सम्बन्ध में, मैंने इसनी बातें सुनी थीं उसे

ऑल से देखने की मेरी इच्छा थी। कई बार मैं खित्रीफ हाट की ओर चला भी, किन्तु हर दफा लज्जा और पीड़ा की ही अनुभूति का मुझे अनुभव हुआ। मेरे अन्तर में किसी ने कहा—‘जिन्हें तुम सहायता नहीं पहुँचा सकते उनके कष्टों को देखने क्यों जाते हो?’ इसके उत्तर में आवाज आई—‘जब तुम यहाँ रहते हो और नागरिक जीवन की सभी सुन्दर और आनन्दप्रद बातों को देखते हो तो जाकर उन बातों को भी देखो कि जो दुःख-प्रद हैं।’

बस एक दिन दिसम्बर मास में जब कि खूब सर्दी थी और तेज हवा चल रही थी मैं नगर की दरिद्रता के केंद्र—खित्रीफ मार्केट की ओर गया। वह छुट्टी का नहीं, काम काज का दिन था और शाम के चार बजे थे। मैंने दूर से ही देखा कि अनेकों आदमी विचित्र कपड़े पहने हुए हैं—स्पष्ट ही मालूम होता था कि वे कपड़े उनके जिये नहीं बनाये गये थे—और उनके जूते तो और भी विचित्रतापूर्ण थे। उनके चेहरे कान्तिहीन और रोग की छाया से ग्रसित थे और सभी की मुखाकृति से ऐसा मालूम होता था कि उनके चारों ओर जो कुछ हो रहा है उससे वे बिल कुल उदासीन हैं—उससे मानो उन्हें कुछ मतलब ही नहीं।

इनकी वेश-भूषा इतनी विचित्र और नितान्त बेढंगी होने पर भी वह सब के सब निश्चिन्त भाव से एक ही ओर को चले जा रहे थे। उन्हें इस बात का तो खरा भी खयाल होता दिखाई न देता था कि उनके विचित्र वेश को देख कर लोग अपने मन में क्या कहेंगे। मुझे रास्ता मालूम न था, फिर भी मैंने पूछा नहीं। बस, इन लोगों के पीछे चलता रहा और खित्रीफ बाजार में जा पहुँचा। वहाँ पहुँच कर मैंने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ भी बैठी ही

बेहूदी पोशाकें पहिने हुए हैं। उनकी टोपी, लबादे, बगडी, और बूट आदि फटे हुए हैं लेकिन फिर भी वे निसङ्कोच भाव से बैठी हुई थीं, इधर उधर घूमती थीं, सौदा करती थीं और एक दूसरे को गालियाँ देती थीं—इनमें तरुणी और वृद्धा सभी तरह की स्त्रियाँ थीं।

मालूम होता था कि बाज़ार का समय खत्म हो गया था; क्योंकि वहाँ अधिक लोग न थे और जो थे उनमें से अधिकांश बाज़ार में से हो कर पहाड़ी पर जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे हो लिया। मैं ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था उसी एक सड़क पर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती थी। बाज़ार से निकल कर मैं एक गली में आया तो मुझे दो स्त्रियाँ मिलीं। उनमें एक जवान थी और दूसरी वृद्धी। दोनों भूरे रंग के कुछ फटे कपड़े पहने हुए थीं। वे चलती जाती थीं और किसी काम के सम्बन्ध में बात-चीत करती जाती थीं।

प्रत्येक बात के साथ एक न एक वाहि्यात शब्द भी वे अवश्य बोलती थीं। नशे में कोई भी न थी पर दोनों को अपने र काम की धुन थी। आने जाने वाले लोग तथा आगे पीछे चलने वाले उनकी बातों पर ज़रा भी ध्यान न देते; पर मेरे कानों को तो वह बड़ी ही विचित्र और कटु मालूम होती थीं। मालूम होता है, उस तरफ के लोगों की बातचीत का ढङ्ग ही यही था। भीड़ के कुछ लोग तो बाईं तरफ के मकानों में घुस गये और बाकी लोग पहाड़ी पर बढ़ कर एक बड़े मकान की ओर जा रहे थे। मेरे साथ जो लोग चल रहे थे उनमें से अधिकांश तो इस मकान में चले गये। इस मकान के आगे तरह तरह के आदमी थे, कुछ

खड़े थे कुछ बैठे थे। कुछ तो फुट-पाथ पर थे और कुछ खुली हुई जगह में जहाँ बर्फ पड़ रही थी।

द्वार के दाहिनी तरफ खियौं थीं और बाईं ओर थे पुरुष। मैं कभी तो आदमियों के पास से होकर निकला और कभी औरतों के पास से कि जो सैकड़ों की संख्या में थीं और जहाँ पर यह भीड़ समाप्त होती थी वहीं जाकर मैं ठहर गया। जिस मकान के पास हम लोग खड़े थे वह 'ल्यापिन अनाथावास' था। भीड़ उन लोगों की थी जो रात्रि में सोने के लिये अन्दर जाना चाहते थे। शाम को पाँच बजे मकान का द्वार खुलता है और भीड़ को अन्दर जाने दिया जाता है। मैं जिन लोगों के पीछे पीछे आ रहा था, प्रायः वे सभी लोग यहीं आ रहे थे।

जहाँ पर मनुष्यों की पक्ति समाप्त होती थी, मैं वहीं पर खड़ा रहा। जो लोग मेरे पास थे वे गौर से मेरी ओर देख रहे थे वहाँ तक कि मेरा ध्यान भी उनकी ओर आकर्षित हुआ। उनके शरीर पर जो चौथड़े थे वे विभिन्न प्रकार के थे, लेकिन उन सबों की आँखों का भाव तो एक ही सा था। उनकी आँखें मानों कह रही थीं—'ए दूसरी दुनिया के संतुष्ट ! तुम यहाँ हमारे साथ क्यों खड़े हो ? तुम कौन हो ? क्या तुम कोई आत्म-तुष्ट धनिक हो कि जो हमारी दुर्दशा देख कर अपने को प्रसन्न करने अपने राग रंग का मञ्जा बदलने के लिये तथा हमें विद्वाने के लिये आये हो ? और या तुम वह हो कि जो कहीं होता ही नहीं और जिसका होना सम्भव भी नहीं—एक दयालु मनुष्य कि जिसके हृदय में हमारे लिये कुछ कदया या कुछ ममता हो ?'

सभी के चेहरों पर यही प्रश्न था। उनमें से हर एक मेरी

और देखता था, मेरी नज़र से नज़र मिलाता था और फिर मुँह फेर लेता था। मैंने चाहा कि मैं कुछ लोगों से बात करूँ पर कुछ देर तक तो मुझे ऐसा करने का साहस नहीं हुआ। किन्तु यों ही एक दूसरे की नज़रों ने धीरे-२ हम लोगों का परिचय करा दिया और हम लोगों ने महसूस किया कि हमारी सामाजिक स्थिति कितनी ही विभिन्न क्यों न हो फिर भी हम भाई भाई हैं—अनुप्य हैं—धीरे-२ हम लोगों का भय जाता रहा।

मेरे पास ही एक किसान खड़ा था, जिसकी दाढ़ी लाल थी और मुँह सूझा हुआ था। उसकी बंडी फटी हुई थी, और फटे हुए फुज़बूट में से उसके पाँव निकले हुए थे हालाँकि बर्फ खूब पड़ रहा था। तीसरी या चौथी बार हमारी नज़र मिली और मेरा मन उसकी ओर ऐसा खिंच गया कि अब उससे बोलने में नहीं, न बोलने में लज्जा थी। मैंने पूछा—‘तुम्हारा घर कहाँ है?’

उसने उत्सुकता पूर्वक उत्तर दिया—‘मैं स्मालेस्क से काम की तलाश में आया था। कर चुकाने तथा खाने की चीजें मोल लेने के लिये रुपये की ज़रूरत थी।’

इस बीच में लोग हमारे पास इकट्ठे होने शुरू हो गये।

उसने कहा—‘आज कल कोई काम नहीं मिलता। सारा काम सिपाहियों ने ले लिया है। मैं इधर उधर भटकता फिरता हूँ और ईश्वर जानता है कि दो दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है।’

उसने लजाते हुए, कुछ हँसने को चेष्टा करते हुए यह अंतिम बात कही थी। पास ही स्विटन बेचने वाला एक बूढ़ा सिपाही खड़ा था मैंने उसे बुलाया। उसने स्विटन का एक प्याला भरा।

ग्राम-बासी ने गरम गरम व्याजा हाथ में लेकर पीना शुरू किया। पहले तो उसने उससे अपने हाथ सेके क्योंकि इतनी मँहगी गर्मी को वह व्यर्थ कैसे जाने दे सकता था ? इस तरह हाथ सँकते सँकते उसने अपने अनुभवों का वर्णन करना शुरू किया।

इन लोगों की जीवन-घटनायें या कम से कम वे कहानियाँ कि जो ये लोग सुनते हैं प्रायः सदा ही एक सी होती हैं। उसे कुछ काम मिला था, वह समाप्त हो गया, और यहाँ अनायावास में उसका बहुत-सा किसी ने चुरा लिया जिसमें उसके रुपये और पासपोर्ट आदि थे। अब वह मास्को से बाहर जाने में असमर्थ है।

उसने कहा कि दिन में तो वह किसी सदावर्त में ठंडा बासी जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है वही खाकर और ताप कर समय व्यतीत करता है और रात में इसी ल्यापिन गृह में पड़ा रहता है, जहाँ उसे कुछ देना नहीं पड़ता। उसने यह भी कहा कि वह तो गश्त लगाने वाले सिपाहियों की प्रतीक्षा ही कर रहा है ताकि वह आवें और पासपोर्ट न होने के कारण उसे गिरफ्तार कर ले जायें। इस तरह वह अपनी ही जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ सरकारी खर्च से अपने जन्म-स्थान को भेज दिया जायगा।

‘सुनते हैं कि बृहस्पतिवार को निरीक्षण होने वाला है, उसी दिन मैं पकड़ लिया जाऊँगा, बस तब तक किसी न किसी तरह मुझे गुजर वरना है। (जेलखाना और उसकी वह अनिवार्य यात्रा तो मानो उसे स्वर्ग जैसी ही मालूम होती थी) जब वह ये बातें कह रहा था, भीड़ में से दो तीन आदमियों ने कहा कि उनकी भी ठीक वही स्थिति है।

एक लम्बी नाक वाला पतला दुबला युवक, जिसके जिस्म पर

केवल एक कुर्ता था और वह भी कन्धों के पास फटा हुआ था, खिर पर फटी टूटी टोपी रक्खे हुए, भौड़ में से निकल कर, मेरे पास आया। वह बुरी तरह कॉप रहा था और ज्यों ही हमारी नज़रें मिलीं उसने कृषक की ओर देख कर तिरस्कारपूर्ण भाव से हँसने की चेष्टा की और वह शायद इसलिये कि वह दिखाना चाहता था कि मैं कृषक से बड़ा हूँ।

मैंने उसे भी स्विटन का एक गिलास दिलाया। पहले मनुष्य की भाँति उसने भी गिलास से अपने हाथ संके, किन्तु ज्यों ही उसने बोलना शुरू किया एक ऊँचे श्यामवर्ण के मनुष्य ने आकर उसे एक ओर हटा दिया। उसकी नाक तोते की तरह टेढ़ी और सर नंगा था, पतली कमीज और वास्केट पहिने हुए था। उसने भी पीने की के लिये स्विटन माँगा।

इसके बाद जो आदमी स्विटन पीने आया वह पतलो दाढ़ी वाला लम्बे क्रम का एक बूढ़ा था जो ओवरकोट पहिने हुए था और एक छोरी कमर में लिपटी हुई थी। उसके जूते छाल के थे और वह पिये हुए था।

इसके पीछे एक लड़का आया जिसका मुँह सूजा हुआ था और आँखें तर थीं। वह एक छोटा सा भूरा कोट पहिने हुए था फटी हुई पतलून में से उसके घुटने बाहर निकल रहे थे और भारे सर्दी के एक दूसरे से टकरा रहे थे। वह इतना ठिठुर गया था और इतना कॉप रहा था कि वह गिलास को पकड़ न सका और सारा स्विटन उसके कपड़ों पर गिर पड़ा। दूसरे लोग उसे गालियाँ देने लगे, पर वह बिचारा कॉप रहा था और करुणार्द्र भाव से हँस रहा था।

इसके बाद एक मही सूरत का, विकृत अंगों वाला आदमी आया जो चौथड़े पहिने था और नंगे पाँव था। फिर तो तरह-२ के लोग मेरे नजदीक आने लगे; कोई तो राजकर्मचारी जैसा था, कोई पादरी के समान था, और एक के तो नाक ही न थी। पर ये सब भूखे, शीतपीड़ित, अत्यन्त दीन और कारुण्य मूर्ति थे। सब मेरे पास आकर स्विटन माँगने लगे। जब स्विटन समाप्त हो गई तब एक ने कुछ पैसे माँगे, उसकी देखा देखी दूसरे ने। फिर तीसरे ने और फिर तो सभी पैसे माँगने लगे। इतने में पड़ोस के मकान वाले चौकीदार ने डपट कर कहा, 'हमारे घर के सामने से हट जाओ'—लोग सुनते ही चुप चाप वहाँ से हट आये। उस मण्डली में से कुछ लोगों ने स्वयं-सेवक बन कर मेरी रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। वे मुझे भीड़ में से निकाल कर ले जाना चाहते थे लेकिन जो समूह अभी दूर तक फुटपाथ पर फैला हुआ था वह अब सिमट कर धक्का मुक्की करता हुआ मेरे पास आने की चेष्टा करने लगा। हर एक मेरी तरफ देखता था और माँगता था। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक मनुष्य की सुखाकृति दूसरे की अपेक्षा अधिक करुणोत्पादक और दीन होनी थी। मेरे पास जो कुछ था वह सब मैंने उन्हें दे दिया—सबमिला कर लगभग २० रुबल होंगे। भीड़ के साथ ही मैं भी अनाथालय में घुसा।

यह मकान खूब बड़ा सादा था और उसमें चार भाग थे। छत के ऊपर आदमियों के रहने का स्थान था और नीचे स्त्रियों के लिये। पहिले मैं स्त्रियों के वास-गृह में गया। यह एक बड़ा कमरा था जिसमें रेल के तीसरे दर्जे की बैठकों की तरह, ऊपर

नीचे दो क्रतारों में सोने के लिये तख्ते लगे हुए थे । फटे पुराने कपड़े पहने, विचित्र आकृति प्रकृति की स्त्रियाँ, बूढ़ी और जवान, आ आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करने लगीं, कुछ तो नीचे के विभाग में और कुछ ऊपर के तख्तों पर चढ़ गईं । कुछ प्रौढ़ा स्त्रियाँ हाथ से क्रास बना कर ईश्वर को याद करके उस मकान के बनाने वाले को दुआ देने लगीं और कुछ यों ही हँसी मजाक और गाली-गलौज करने लगीं ।

मैं दूसरी मंजिल पर गया । वहाँ पुरुषों ने इसी प्रकार अपना अपना स्थान ग्रहण किया था । उनमें से एक आदमी को मैंने पहचाना जिसे मैंने कुछ रुपया दिया था । उसे देखते ही मेरे मन में बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और मैं क्रौरन ही वहाँ से भाग आया । घर आते हुए मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मैंने कोई अपराध किया हो । कालीन से ढके हुए जीने से होता हुआ मैं हॉल में आया जिसके फर्श पर सुन्दर गालीचा बिछा हुआ था और वहाँ अपना कोट उतार कर पाँच प्रकार के पकवानों का भोजन करने बैठा जिसे सफ़ेद टाई और सफ़ेद दस्ताने तथा बर्फी पहिन हुए दो नौकर आ आकर परोस रहे थे ।

उसी समय विगत काल की एक स्मृति का मन में उदय हुआ । तीस वर्ष पहिले पेरिस में हजारों आदमियों की उपस्थिति में जल्लादों द्वारा एक आदमी का सर कटते हुए देखा था । मैं जानता था कि वह आदमी भयंकर अपराधी है और इस प्रकार के अपराध के लिये मृत्यु-दण्ड देने के पक्ष में जो दलीलें पेश की जाती हैं उनसे भी मैं परिचित था । मैं जान बूझ कर इस प्राण-दण्ड के दृश्य को देखने गया था, किन्तु जिस समय तेज तलवार

से उस आदमी का सिर घड़ से अलग किया गया मैं जैसे सभाटे में आ गया और जैसे नस नस में सुमे वह अनुभव होने लगा कि मृत्यु-दण्ड के पक्ष की जितनी दलीलें मैंने अभी तक सुनी हैं वह सब झूठी और शैतानियत से भरी हुई हैं और चाहे कितने ही आदमी इसको कानूनन जायज समझें और भले ही उसे किसी भी नाम से पुकारें, मैं तो यहीं कहूँगा कि यह और कुछ नहीं शुद्ध नर-हत्या है और आज इस प्रकार इन्होंने वही नर-हत्या—संसार का सब से बड़ा और सब से भयंकर पाप किया है; और मैं, चुपचाप, बिना किसी प्रकार की आपत्ति किये, खड़ा खड़ा, देखता रहा और इस प्रकार इस बीभत्स कुकृत्य के करने में सहायक तथा इस महान् पाप का भागी हुआ ।

और अब, जब कि लोगों के कष्ट—हजारों मानव बन्धुओं की भूख और शोथ की पोड़ा और दुर्दशा मैंने अपनी आँखों से देखी तब, उसी प्रकार का विश्वास मेरे मन में फिर पैदा हुआ । न केवल मेरे मस्तिष्क ने ही बल्कि मेरी आत्मा के कण कण ने इस बात को महसूस किया कि मास्को में इस प्रकार के हजारों दुःखित प्राणियों के होते हुए अभी अन्य लाखों मनुष्यों की तरह मैं प्रतिदिन तरह तरह के सुन्दर और स्वादिष्ट पकवानों से अपना पेट भरता हूँ, अपने घोड़ों तक की बड़ी देख बाल रखता हूँ और इतना ही क्यों मैं अपने फर्श को भी मखमली कालीनों से ढँक कर रखता हूँ । संसार के बुद्धिमान् और विद्वान् लोग चाहें कुछ ही क्यों न कहें और जीवन का यह प्रवाह लोगों को कितना ही अपरिवर्तनीय क्यों न मालूम पड़े—मैं तो यही कहूँगा कि उपर्युक्त प्रकार का एक महान् अपराध संसार में बराबर किया जा रहा

है और मैं भी अपनी आराम तलबी और ऐश पसन्दी की आदतों द्वारा उस अपराध में भाग ले रहा हूँ ।

इन दोनों अपराधों में अन्तर है तो सिर्फ इतना ही कि प्राण-दण्ड वाले मामले में मुझे जो कुछ बन सकता था वह इतना ही था कि हत्या-यंत्र के पास खड़े होकर मैं चीख कर चिल्ला कर जल्लादों से कहता कि तुम हत्या कर रहे हो और यह जानते हुए भी कि मेरी सारी चेष्टायें विफल होंगी उसके कृत्य को रोकने का मुझे हर तरह से यत्न करना चाहिये था । किन्तु इस दूसरे मामले में उन्हें पीने के लिये खिटन तथा उस समय भरे पास जो रुपये थे उन्हें ही देकर मुझे सन्तोष करना पड़े—ऐसी बात न थी। बल्कि, मैं चाहता तो अपने शरीर पर का कोट और मेरे घर में जो कुछ था वह सब उन्हें दे डाल सकता था ! लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया । इसीलिये उस समय मैंने महसूस किया, अब भी महसूस करता हूँ और सदा ही महसूस करता रहूँगा कि संसार में निरन्तर होते रहने वाले एक महान् पाप में, मैं भी भाग ले रहा हूँ और सबमुच ही मैं इस पाप का भागीदार बना रहूँगा जब तक कि दूसरों के भूखे रहते हुए मेरे पास आवश्यकता से अधिक भोजन है और जब तक कि एक भी कोट-बिहीन मनुष्य के रहते हुए मैं अपने पास दो कोट रखता हूँ ।

जिस दिन मैं ल्यापिन के अनाथावास को देख कर आया उसी रोज शाम को एक मित्र से मैंने अपने विचार प्रकट किये। मेरे वह मित्र उसी शहर के रहने वाले थे। उन्होंने मेरी बातें सुनकर एक प्रकार के शांत और सन्तोषपूर्ण भाव से कहा कि इसमें तो अनोखी कोई बात ही नहीं, यह तो नागरिक जीवन की एक अत्यन्त साधारण और स्वाभाविक बात है। कस्बों में रहने के कारण ही सम्भवतः मुझे इसमें विचित्रता दीखती है अन्यथा यह स्थिति तो सदा से रही है और सदा बनी रहेगी। क्योंकि सभ्यता का यह एक अनिवार्य अङ्ग है। उन्होंने अन्य बातों के साथ यह भी बताया कि लंडन में तो इससे भी खराब स्थिति है, इसलिये उन्होंने मुझे विश्वास दिलाना चाहा कि इसमें दुखी या परेशान होने की कोई बात नहीं है।

मैं अपने मित्र से बहस करने लगा लेकिन इतनी गर्मी और तेजी के साथ कि पास के कमरे से दौड़ कर मेरी स्त्री पूछने आई कि मामला क्या है ? मालूम पड़ता है, अनजान में ही, तीव्र दुःखित स्वर में, हाथ मटकते हुए, मैं चिल्ला कर बोल उठा था—
 “हम इस तरह अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर सकते हैं ? न तो हमें ऐसा करना ही चाहिये और न हमें ऐसा करने का अधिकार है”। अनावश्यक उत्तेजना के लिये मेरी भर्त्सना की गई और मुझे बताया गया कि मैं बड़ी जल्दी गरम हो उठता हूँ—शान्ति पूर्वक किसी विषय पर मैं बात ही नहीं कर सकता। मुझे यह भी

सुझाया गया कि मैंने जिस प्रकार के दारिद्र्य और दुःख देखे हैं उनका अस्तित्व हमारे पारिवारिक जीवन को विषाक्त बनाने का कारण नहीं हो सकता ।

मैंने देखा कि बात तो ठीक है, इसीलिये मैं चुप रह गया । किन्तु आत्मा के किसी निगूढ़ स्थल में मुझे ऐसा भास होता था कि मेरा विचार ठीक है और अपने आत्मा की इस अस्पष्ट स्वर लहरी को मैं किसी प्रकार शान्त न कर सका ।

नागरिक जीवन जो पहिले मुझे असंगत और विचित्र सा मालूम होता अब मुझे ऐसा घृणित प्रतीत होने लगा कि विलासी जीवन के जो आभोद-प्रमोद पहिले मुझे आनन्द देते थे अब मेरी यातना के कारण बन गये ।

मैं जिस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा था उसे निर्दोष सिद्ध करने के लिये मैं मन ही मन कितनी ही चेष्टा क्यों करूँ पर जब कभी मुझे अपने या दूसरों के सजे सजाये बैठक खानों, तरह तरह के अमीराना पकवानों से भरे हुए दस्तरख्वानों, या शानदार घोड़ों और सुसज्जित कोचवान वाली गाड़ियों का ध्यान आता था—जब कभी मैं दुकानों, नाटकों और भोजो का ख्याल करता तो मुझे क्रोध आये बिना न रहता । जब कभी मुझे इनका ध्यान आता उसी समय उस अनाथावास के दरिद्र शीत से काँपते हुए हीन हीन अमागे मनुष्यों की मूर्तियों मेरे सामने आ खड़ी होतीं । मैं इस विचार को तो अपने मन से कभी दूर ही न कर सका कि इन दोनों विषम परिस्थितियों का परस्पर अत्यन्त घनिष्ठ, कार्य-कारण का सा सम्बन्ध है । मुझे याद है कि अपने को अपराधी समझने की भावना जो मेरे मन में उदय हुई थी वह

कभी दूर नहीं हुई किन्तु इसके साथ ही एक दूसरी भावना आ मिली जिससे पहिली भावना कुछ मन्द हो गई ।

ल्यापिन-गृह की जो छाप मेरे हृदय पर पड़ी थी उसका जब कभी मैं अपने मुलाकातियों और मित्रों से चिक्र करता तो वे सदा वही एक ही तरह का उत्तर देते और प्रायः मेरी दयालुता और क्षिणधर्म की प्रशंसा करते हुए कहते कि मुझे जो इसका ख्याल हो रहा है इसका कारण यह है कि मैं, लियो टालस्टाय, बजाते खुद नेक और रहमदिल हूँ; और मैं भी उनकी इस बात का विश्वास करने लगा ।

इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि आत्मभर्त्सना और लज्जा की जो तीव्र भावना मेरे हृदय में पैदा हुई थी वह अब कुन्द पड़ गई और उसके बजाय मुझे एक प्रकार से अपने गुणों पर सन्तोष सा हाने लगा और इस बात की इच्छा होती थी कि लोग मेरे इन गुणों को जानें । मैंने दिल में कहा—‘सच्ची बात तो शायद यह है कि यह मेरे विलासमय जीवन का दोष नहीं है, बल्कि संसार की परिस्थिति ही कुछ ऐसी है; और वह अनिवार्य है । इसलिये मेरे अपने जीवन में परिवर्तन करने से वह बुराई, जिसे मैंने देखा है, दूर न हो सकेगी ।

मैंने यह भी सोचा कि अपने जीवन की शैली में परिवर्तन कर देने से कोई लाभ न होगा । बुराई तो जैसी है, वैसी ही बनी रहेगी, वस्ते मेरे आत्मीयों का जीवन दुःखमय हो जायगा । इसलिये जैसा कि मैंने समझा था जीवन शैली को बदलना अब मेरा उद्देश्य न होना चाहिये बल्कि इस बात की चेष्टा करनी चाहिये कि जहाँ तक मुझ से बन सके इन अभागों लोगों की

स्थिति को सुधारा जाय। मैंने सोचा कि सारी बातों का निष्कर्ष यह है कि मैं एक अत्यन्त दयालु और नेक आदमी हूँ और अपने भाइयों को उपकार करना चाहता हूँ।

बस मैं परोपकारी कार्यों की एक योजना तैयार करने लगा कि जिसके द्वारा मुझे अपने समस्त गुणों को प्रदर्शित करने का अवसर मिले। यहाँ पर इतना तो मुझे कह ही देना चाहिये कि जिस समय मैं इस तरह के परोपकारों की योजना रच रहा था, उस समय भी हृदय के निगूढ़-तम भाग में मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह ठीक नहीं है; किन्तु जैसा कि प्रायः होता है मेरी बुद्धि और कल्पना ने आत्म-विवेक की आवाज़ का गला घोट दिया।

इसी समय मर्दुम-शुमारी का काम हो रहा था। मैंने सोचा उस परोपकार-कार्य को प्रारम्भ करके अपनी इच्छा को चरितार्थ करने का यह अच्छा अवसर है। मैं बहुत सी परोपकारी संस्थाओं तथा सभाओं से परिचित था जो मास्को में पहिले ही से स्थापित थीं; किन्तु उन सब की कार्यवाही मुझे अपने सोचे हुए कामों के आगे बिलकुल तुच्छ मालूम देती थी और मैं समझता था कि उनका संचालन भी रात रास्ते पर हो रहा है।

गरीबों के प्रति अमीरों की सहानुमति को आकर्षित करने के लिये मैंने यह तरकीब निकाली। मैंने कृपया एकत्रित करना प्रारम्भ किया और ऐसे आदमियों की सूची तैयार करने लगा कि जो मर्दुम-शुमारी के अफसरों के साथ घूम कर गरीबों के अङ्के देखे उसके साथ मिलजुल कर उनकी आवश्यकताओं को मालूम करें, जिन्हें धन की जरूरत हो उन्हें धन दें; जो लोग काम चाहते

हों उन्हें काम दिलायें और जो मास्को में काम चाहते हों उनके भेजने का प्रबन्ध करना, उनके लड़कों को विद्यालयों में भरती करना और बूढ़ों तथा स्त्रियों को अनाथालय आदि में रखना ।

मैंने यह भी सोचा कि जो लोग इस काम को करेंगे उन्हें की एक स्थायी समिति बना ली जायगी, जो मास्को के विभिन्न भागों में अपने २ लिये काम बाँट लेंगे और इस बात का बल करेंगे कि अब आगे कोई परिवार अथवा व्यक्ति दरिद्रता के चंगुल में न फँसने पाये और इस तरह पहिले ही से खबरगीरी रखते हुए थोड़ा थोड़ा करके दरिद्रता का मूल से ही नाश कर डाला जायगा ।

मैं तो अभी से स्वप्न देखने लगा कि भविष्य में भिक्षा-वृत्ति तथा दरिद्रता का नामोनिशान भी नहीं रहा है और इस सुन्दर स्थिति को अस्तित्व में लाने का कारण भी मैं ही हूँ । मैं सोचने लगा कि तब हम लोग जो कि अभीर हैं, मेज में पहिले ही की तरह आनन्दमय जीवन व्यतीत करेंगे, शानदार मकानों में रहेंगे, पाँच प्रकार के भोजन करेंगे, गाड़ियों में बैठकर भोजन तथा नाटकों में सम्मिलित होने जायेंगे और फिर कभी ऐसे दृश्यों से हमारे मजे में खलल न पड़ेगा कि जैसा स्थापिस्की गृह में मैंने देखा था ।

यह तरीका सोचकर मैंने उसपर एक लेख लिखा और उसे छपने के लिये भेजने से पहले ही मैं उन मित्रों से मिलने गया कि जिनसे मुझे सहयोग की आशा थी, और उस दिन जितने लोगों से मैं मिला सभी से, खासकर घनिक लोगों से, मैंने उन बातों का पिक्र किया कि जिनको पीछे से मैंने लेख में प्रकाशित कराया था ।

मैंने यह प्रस्ताव लोगों के सामने रक्खा कि अमी जो मनुष्य-मयना होने बाजी है, सबसे लाभ उठाकर हम मास्को की हरिद्वार का अध्ययन करें और उसे जड़-मूल से बख्साड़ फेंकने में तन, मन, धन से सहायता दें। फिर इसके बाद निर्द्वन्द्व चित्त हो हम अपने आमोद-प्रमोद में मग्न हो सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य ने बड़ी गम्भीरता के साथ ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, लेकिन हर जगह मैंने देखा कि मेरे श्रोता जिस समय यह समझ पाते कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो वह उन्हें एक तरह की परेशानी सी होने लगती और उनकी यह परेशानी, मुझे विश्वास है, प्रायः मेरे ही लिये होती थी; क्योंकि मैं जो कुछ कहता था उसे वे केवल मूर्खता ही समझते थे। ऐसा मात्स्य होता था कि मेरी बात को तो वे पसन्द न करते थे, लेकिन किसी बाह्य कारण-बरा क्षण भर के लिये मेरी उन मूर्खतापूर्ण बातों से सहमत होने के लिये मजबूर से हो जाते।

लोग कहते—“हाँ, हाँ, बेराफ, यह तो बड़ा ही अच्छा है। यह असम्भव है कि किसी मनुष्य को आपकी योजना से सहाय-भूति न हो। आपका विचार बड़ा सुन्दर है, मेरे मन में भी यह ख्याल उठा था...लेकिन क्या कहें, यहाँ के लोग बड़े उदासीन हैं। इसीलिये बड़ी सफलता की आशा करना भी व्यर्थ है। लेकिन हाँ, मुझसे जो कुछ बन सकेगी, इस काम में सहायता देने के लिये तैयार हूँ”।

प्रायः सभी से मुझे इसी प्रकार का उत्तर मिला। वे अपनी इच्छा से या मेरी-दलीलों से काबल होकर मेरी बात मानते हैं यह बात नहीं, बल्कि ऐसा मात्स्य होता था कि किसी दूसरी ही

बजह से, शायद मेरे व्यक्तित्व के कारण, मेरी बात को अस्वीकार करना उनके लिये बड़ा ही कठिन हो रहा था।

यह मैं इसलिये कहता हूँ कि जिन लोगों ने आर्थिक सहायता देने का वचन दिया था उन्होंने यह न बताया कि वे कितना धन देंगे और इसलिये खुद मुझे ही कहना पड़ता था—तो क्या मैं आशा करूँ कि आपसे इतने रुपयों की सहायता मिलेगी ? और उनमें से एक ने भी रुपया प्रदान नहीं किया। बात यह है कि जिस चीज को हम पसन्द करते हैं उसके लिये हम फौरन ही रुपया देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जिन लोगों ने सहानुभूति प्रकट की अथवा धन देने को कहा उनमें से एक ने भी रुपया निकाल कर दिया नहीं। बस जो रकम मैंने मुँह से कह दी, उसे ही चुपचाप मंजूर कर लिया।

उस दिन, सबसे अन्त में, जिस घर में मैं गया था वहाँ एक बड़ी-सी मित्र-मण्डली एकत्र थी। घर की मालकिन बहुत वर्षों से परोपकार के कामों में योग दिया करती थी। कई गाड़ियों द्वार पर खड़ी थीं और हॉल के अन्दर कीमती बर्तियों पहिनें चपरासी बैठे हुए थे। विशाल बैठकखाने में जवान और बूढ़ी महिलायें अमीराना पोशाक और जवाहिरात पहने हुए नवयुवकों से बातें कर रही थीं और साथ ही गरीबों की सहायता के निमित्त लाटरी के लिये गुद्दियों सजाती जाती थीं।

एकत्र हुई मण्डली तथा बैठकखाने के इस दृश्य से मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुँची। एक तो खुद इन लोगों की सम्पत्ति ही करोड़ों की थी, दूसरे इनके वस्त्रामुपयोगों, गाड़ी-घोड़ों, नौकरों-चाकरों आदि पर जो रकम खर्च हुई है उसका

सूद भी इन महिलाओं के कार्य के मूल्य की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक होगा और यदि हम यह न गिनें तब भी कह सकते हैं कि इन लोगों के एकत्र होने में तथा आज के आतिथ्य में जो कुछ व्यय किया होगा वह भी इन महिलाओं की कृति द्वारा उपार्जित धन की अपेक्षा कहीं अधिक होगा ।

इन सब बातों को देखकर ही मुझे समझ जाना चाहिये था कि कमसे कम, यहाँ मुझे अपनी योजना के लिये सहानुभूति प्राप्त करने की आशा न करनी चाहिये; किन्तु मैं तो एक प्रस्ताव रखने आया था और यह काम चाहे कितना ही अप्रीतिकर प्रतीत हो, मुझे तो करना ही था । इसलिये अपने लेख के शब्दों को ही लगभग दोहराते हुए मैंने वह प्रस्ताव उनके समक्ष रक्खा ।

एक महिला ने कुछ आर्थिक सहायता देने का वचन दिया । मित्राज कमजोर होने के कारण शरीरों को देखने के लिये जाने में तो वे असमर्थ थीं, पर धन से सहायता करना चाहती थीं । लेकिन वह कितना रुपया देंगी और कब देंगी इसका कुछ भी खिन्न न किया । एक दूसरी महिला तथा एक नवयुवक ने कहा कि वे शरीरों को देखने जायेंगे; किन्तु उनकी इस कृपा का लाभ मुझे मिला नहीं । वह मुख्य सज्जन कि जिन्हें सम्बोधित करके मैंने सब बातें कहीं, बोले कि साधनों का अभाव होने के कारण अब कुछ अधिक कर सकने की सम्भावना नहीं है । बात यह है कि मास्को के तमाम धनिक, जिनसे इस कार्य में सहायता की आशा की जा सकती थी अपने २ इच्छानुसार दान कर चुके हैं और उसके उपहार-स्वरूप उन्हें खिताब, तमगे तथा अन्य मान-सूचक बातें भी प्राप्त हो चुकी हैं । धनिक लोगों से रुपया निका-

लाने का यही एक प्यारदस्त साधन है, किन्तु अधिकारीगण अब फिर से मान-वर्षा करें, यह कठिन है ।

छह दिन घर लौटकर जब मैं बिस्तर पर लेटा तब मुझेकेवल इतना ही ख्याल न था कि मेरे इस विचार से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि मेरे मन में कुछ ऐसी लज्जा-जनक भावना थी कि जैसे मैं सारे दिन कोई हेय और घुणित कार्य करता रहा होऊँ । किन्तु फिर भी मैं अपने काम से बाध न आया ।

पहिली बात तो यह थी कि काम शुरू कर दिया था और अब झूठी लज्जा-वशावसे छोड़ते न बनता था । दूसरे, यदि मैं सफल हो जाऊ तब तो कोई बात ही न थी और नहीं तो फिर भी मैं जब तक इस काम में भाग लेता रहता तब तक अपने जीवन को उसी तरह आनन्दपूर्वक बिता सकता था जैसा कि अब तक करता आया था । किन्तु इस योजना के असफल हो जाने पर तो मुझे अपनी जीवन-शैली को छोड़कर दूसरी शैली खोजने के लिये मजबूर होना पड़ता और इस बात से अनजान में ही मैं कुछ डरता सा था । इसलिये मैंने अपने अन्तर की आवाज की अवहेलना करके जो काम शुरू किया था उसे जारी रक्खा ।

मैंने अपना लेख छपने के लिये भेज दिया और मनुष्य-गणना से सम्बन्ध रखने वाली टाउनहाल की एक सभा में किम्कते और लजाते हुए उसकी एक प्रूफ कापी पढ़कर सुनाई । उस समय मारे लाज के मेरा चेहरा लाल हो रहा था, मैं खुद परेशान था और मैंने देखा कि मेरे श्रोतागण भी उतने ही परेशान थे ।

मैंने जब पूछा कि क्या मनुष्य-गणना के प्रबन्धक मेरे इस प्रस्ताव को पसन्द करेंगे कि वे अपने पक्षों को इसलिये स्वीकार

करे कि वे सभ्य-समाज तथा धीन-वर्ग को आपस में मिलाये रखने के लिये कबी का सा काम कर सकें, तो मैंने देखा कि मेरे प्रश्न के उत्तर में केवल एक भरी-सी खामोशी छा गई ।

तब दो उपस्थित महानुभावों ने बक्तृता दी, जिससे मेरे प्रस्तावों का भद्रापन कुछ सुधरता सा दिखाई दिया । बक्ताओं ने साधारणतः मेरी योजना को पसन्द करते हुए उससे सहानुभूति प्रकट की, किन्तु साथ ही उसकी अव्यावहारिकता की ओर भी निदर्श किया । इससे तत्काल ही लोगों को कुछ सन्तोष होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यह समझकर कि शायद मैं अब भी सफल हो जाऊँ मैं पूछ बैठा कि क्या जिला-प्रबन्धक अलग अलग इस काम को करने के लिये रा जायेंगे और मनुष्य-गणना के समय धीनों की आवश्यकताओं को समझ कर बाद की उनकी सेवा करने के लिये अपने अपने पदों पर बने रहेंगे ? इस प्रश्न ने तो फिर सबको गढ़बढ़ी में डाल दिया । उनकी नज़रें मानों कढ़ रही थीं—‘तुम्हारी इन मूर्खतापूर्ण बातों को, सिर्फ तुम्हारी खातिर अब तक हमने सुन लिया । लेकिन तुम फिर भी नहीं मानते ।’

उनके मुख पर तो यही भाव था लेकिन ज़बान से उन्होंने स्वीकृति प्रकट की और इसके बाद दो जनों ने कहा—‘यह तो हमारा नैतिक कर्तव्य है ।’ यह शब्द उन्होंने कहे तो अलग अलग, लेकिन इस ढङ्ग से कहे गये कि जैसे दोनों ने पहले ही से खलाह कर रखी हो । मनुष्य-गणना के लिये लेखकों का काम करने के लिये जिन विद्यार्थियों ने अपनी सेवायें अर्पित की थीं उनपर भी मेरी बातों का वैसा ही असर पड़ा । मैंने उन्हें सम-

मानना चाहा कि इस प्रकार परिस्थिति का वैज्ञानिक ढङ्ग से अध्य-
यन करने के साथ ही वे परोपकार भी कर सकेंगे ।

मैंने देखा कि जब मैं उनसे बातें कर रहा था तब वे एक प्रकार की घबराहट के साथ निर्निमेष दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे जैसा कि किसी भले आदमी को अर्थहीन बातें करते देखकर आबाक् होकर हम उसकी ओर देखते रह जाते हैं ।

पत्र-सम्पादक को जब मैंने अपना लेख दिया तब उस पर भी वैसा ही असर पड़ा और मेरे पुत्र पर, मेरी स्त्री पर तथा अन्य अनेक जनों पर भी मेरी बात का एकदम वही प्रभाव हुआ ।

हर एक आदमी सुनकर कुछ परेशान सा हो जाता था, किन्तु मेरे इस विचार को अच्छा बताना प्रत्येक मनुष्य आवश्यक समझता था और अपनी पसंदगी जाहिर करने के बाद फौरन ही योजना की सफलता के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट करने लग जाता था और न जाने क्यों सभी लोग, बिना किसी अपवाद के, समाज की उदासीनता तथा लोगों की उत्साह-हीनता को बुरा मला कहने लगते, पर उनके ढङ्ग से मालूम होता था कि जिनकी चर्चा हो रही है उनमें वे सुबू शामिल नहीं हैं ।

मेरी अन्तरात्मा अब भी कहती थी कि मैं ठीक काम नहीं कर रहा हूँ, इससे कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैंने अपना लेख छपाया और मनुष्य-गणना के काम में भाग लेने लगा। आरम्भ में तो मैंने प्रकृति को खींच कर खड़ा किया था किन्तु अब वह बरबस मुझे खींचे लिये जाती थी ।

मेरे प्रार्थनानुसार खमोवनिचेस्की नाम का विभाग मनुष्य-गणना के लिये मुझे सौंप दिया गया। यह विभाग स्मोलेन्स्की मार्केट के नजदीक, प्रोटोवनी लेन में शोर, झाड़ब और निकोल्स्की लेन के मध्य में स्थित है। इस विभाग में वे मकानात हैं जो जनोफ भवन अथवा जनोफ गढ़ कहलाते हैं। पुराने ज़माने में जनोफ नामी व्यापारी के वे मकानात थे, पर अब जीनिन नामी व्यापारी के कब्जे में हैं। मैंने सुन रक्खा था कि यह विभाग दरिद्रता और व्यभिचार का केन्द्र है और इसीलिये मनुष्य-गणना के प्रबंधकों से मैंने इस केन्द्र को माँगा था। मेरी इच्छा पूर्ण हुई।

नगर-सभा की ओर से नियत हो जाने पर, गणना का कार्य प्रारम्भ होने से कुछ दिन पहले, एक दिन मैं अकेला ही अपने केन्द्र का निरीक्षण करने गया। एक नक्शे की मदद से मैंने शीघ्र ही जनोफ भवन का पता लगा लिया। पहिले एक गली में से होकर जाना पड़ता था और जहाँ पर वह गली खतम होती थी वहाँ पर निकोल्स्की लेन की बाईं तरफ एक शोभा-हीन तमोमय इमारत बनी हुई थी जिसमें कोई द्वार भी दिखाई न देता था। उसकी राह देखकर ही मैं समझ गया कि यही मकान है कि जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। गली में घुसते ही दस से चौदह वर्ष की उम्र के छोटे २ कोट पहिने हुए कुछ लड़के मिले जो बरफ पर

से सरकने का खेल खेल रहे थे; उनमें से कुछ तो पैरों ही पर खिसकते थे और कुछ लकड़ी की घोड़ी पर (skate) ।

लकड़े फटेहाल किन्तु शहरी बालकों की तरह तेज और दबङ्ग थे । मैं खड़े होकर उनकी ओर देखने लगा । इतने ही में उधर से एक बूढ़ी स्त्री निकली कि जो फटे हुए कपड़े पहने थी और जिसके गाल सूखकर लटक गये थे । वह पहाड़ी पर चढ़कर स्मोलेन्स्की मार्केट को जा रही थी और थके हुए घोड़े की नाईं बुरी तरह हॉफ रही थी । और कोई जगह होती तो वह बुढ़िया भीख माँगती किन्तु यहाँ तो वह सिर्फ बातें करने लगी ।

खेलते हुए बालकों की ओर इशारा करके वह बोली—जरा इनकी ओर तो देखो ! बस हर एक धूम मचाते रहते हैं । जैसे इनके बाप थे बस वैसे ही निर्रट्टू अनोफ यह भी निकलेंगे ।

ओवरकोट और टूटी टोपी जो लकड़ा पहिने हुए था उसने बुढ़िया की बात सुन ली और खड़े होकर कहा—चुप रह री ! तू खुद अनोफ वाली भूतनी है ।

मैंने लकड़े से पूछा 'क्या तुम यहीं रहते हो' ? हाँ, और यह भी यहीं रहती हैं । इसी ने तो बूट चुराये थे—यह कह कर वह बर्फ पर से नीचे खिसक गया ।

अब तो उस बूढ़ी औरत ने गालियों की मझी ही लगा दी । बीच २ में खॉसी की वजह से उसे रुक जाना पड़ता था । यह मगड़ा हो ही रहा था कि उसी गली में फटे कपड़े पहने हाथ हिलाता हुआ एक बुद्धा आदमी आ निकला । उसके एक हाथ में कुछ बिस्कुट थे और मालूम होता था अभी अभी उसने शराब का एक गिलास चढ़ाया है । उसने बूढ़ी औरत की गालियों सुन

की थीं और उसका ही पक्ष लेकर चिल्लाते हुए कहने लगा—अरे शैतान के बच्चे, जरा खड़े तो रहो ।

यह कहकर घमसाने के लिये उनके पीछे दौड़ा और मेरे पीछे से निकलकर फुटपाथ पर चढ़ गया। यदि आप आर्टट नामी शहर की फ़ैशनेबल गली में इसे देखते तो इसकी अपङ्गता, दुर्बलता और दरिद्रतासूचक चेष्टा से दङ्ग रह जाते। यहाँ तो वह ऐसा मात्स्य होता था जैसे कोई खुराहाल हँसमुख मजदूर काम करके शाम को घर वापस जा रहा है।

मैं इस आदमी के पीछे हो लिया। वह लुकड़ पर से मुड़ कर बाईं ओर प्रोटोचनी गली में घुसा और घर के सामने से होता हुआ एक सराय के अन्दर घुसकर अदृश्य हो गया। इस गली में उस सराय के अलावा, एक पब्लिक हाउस और कई छोटे २ मोजनालय थे। यही जनोफ भवन था। यहाँ की इमारतें, रहने के कमरे, सहन और आदमी—सभी गन्दे, भरे और बदबूदार थे। जिनसे मैं मिला उनमें से अधिकांश अर्धनग्न और फटेहुए कपड़े पहने थे। कुछ लोग जा रहे थे और कुछ इस दरवाजे से उस दरवाजे की ओर दौड़ रहे थे। दो जने कुछ चिथड़ों का सौदा कर रहे थे। मैंने धूमकर सारी इमारत को देखा और एक गली और एक आँगन में से होता हुआ जनोफ भवन के सहाराबहार रास्ते पर आकर खड़ा हुआ।

मेरी इच्छा तो हुई कि मैं अन्दर जाकर देखूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, किन्तु इससे मुझे बड़ी मिम्कक मालूम हुई। मैंने सोचा कि यदि कोई पूछ बैठे कि तुम यहाँ क्यों आये हो तो मैं क्या उत्तर दूँगा। फिर भी थोड़ी देर तक सङ्कोच करने के बाद मैं अन्दर

पुछा तो सही । जिस समय मैंने अन्दर प्रवेश किया मुझे वही ही जषन्य दुर्गन्ध मालूम पड़ी । आँगन की गन्दगी तो महा मथानक थी । कोने के पास से जब मैं मुड़ा तो मैंने गैलरी के पास और जीने के नीचे दौड़ते हुए लोगों के पाँव की आहट सुनी ।

पहले एक पतली दुबली स्त्री, जिसकी आस्तीनें बढ़ी हुई थीं, दौड़ती हुई बाहर आई । उस स्त्री की पोशाक किरमजी थी पर उसका रङ्ग सड़ गया था । पैरों में वह जूते पहिने थी पर मोखे नहीं थे । स्त्री के पीछे मोटे बालों वाला एक आदमी दौड़ता हुआ आया । वह लाल क्रमीज पहिने हुए और लहँगे की तरह बहुत ही चौड़ा पायजामा तथा पैरों में रबड़ के जूते-पोश पहिने हुए था । उस आदमी ने जीने के नीचे औरत को जा पकड़ा और हँस कर कहा—तुम मुझ से भागकर नहीं जा सकती ।

‘अरा इन हज़रत की बातें तो सुनो’ !—इस तरह उस औरत ने बात छोड़ी ! वह मनुष्य उसके पीछे भागा २ फिरता है इससे वह अप्रसन्न भी मालूम न देती थी । किन्तु इतने ही में मुझे देखकर उसने क्रुद्ध स्वर में कहा—किसे देखते हो ? चूँकि मैं किसी व्यक्ति-विशेष के लिये वहाँ नहीं गया था इसलिये उसका प्रभ सुनकर मैं कुछ गड़बड़ा-सा गया और वहाँ से चला आया ।

इस छोटी सी घटना ने जो स्वतः कुछ विशेष महत्व-पूर्ण न थी, मैं जो काम करने चला था उसे एक बिलकुल नये ही रूप में मेरे सामने लाकर रखता । उस गाली देने वाली बूढ़ी औरत

ईसुसक बूढ़, और बरफ़ पर खिसकने वाले लकड़ों के उस दरखाने, खास कर मुझपर एक नया ही असर आला। मैंने सोचा था कि मास्को के धनिक-वर्ग की सहायता से मैं उनका उपकार करूँगा। आज पहिली बार मैंने यह समझा कि इन दीन-हीन अभागों के लिये सिर्फ़ यही प्रश्न नहीं है कि वे किसी प्रकार दुख-सुख के साथ भूख और सर्दी की मुसीबतों को झेल लें, बल्कि उनके सामने एक समस्त जीवन है। उनके लिये भी प्रत्येक दिन में चौबीस घण्टे होते हैं जिन्हें किसी न किसी तरह उन्हें बिताना ही पड़ेगा। मैं अब समझा कि खाने पीने और सर्दी आदि के प्रबन्ध के अतिरिक्त भी उन्हें अपने जीवन का अधिकांश समय हमी लोगों की तरह बिताना है कि जिस समय में हमारी ही तरह उन्हें कभी क्रोध आ सकता है और थकावट और सुस्ती भी हो सकती है जिसे वे दूर करने के लिये हँसना बोलना चाहेंगे और किसी भी समय वा तो वे बर्दास होंगे या प्रसन्न रहेंगे।

यह बात कितनी ही विचित्र क्यों न मालूम पड़े किन्तु मुझे कहना ही पड़ेगा कि आज पहली बार मैं अच्छी तरह यह समझ सका कि मैं जिस काम को लेकर चला हूँ वह सिर्फ़ इतने ही पर समाप्त नहीं हो सकता कि भेकों की तरह खिला पिलाकर उन्हें बाढ़े में बन्द कर दिया जाय—इनके खाने और पहनने का प्रबन्ध कर देने भर से ही कुछ न होगा, हमें अन्दर उतर कर इनके साथ मिल जुलकर इनके दिल को समझाना होगा। जब मैंने देखा कि ये लोग केवल भिखारी ही नहीं हैं बल्कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति मेरी ही तरह एक मनुष्य है कि जिसके सुख दुख का एक

इतिहास है, जिसमें बड़ीस आकांक्षाओं, प्रलोभनों, भूलों और जीवन की प्रहेलिकाओं का समावेरा है—तब उस समय एकएक मुझे मालूम पड़ा कि मेरा काम बड़ा भारी है और उसकेस (मने) मैं बहुत ही तुच्छ और नितान्त असहाय हूँ । किन्तु काम शुरू हो गया था और अब तो उसको चलाना ही था ।



मनुष्य-गणना में मुझे सहायता पहुँचाने के लिये जो विद्यार्थी नियत हुए थे, वे तो निश्चित तिथि को सबेरे ही अपने घर से रवाना हो गये किन्तु मैं जो अपने को परोपकारी आदमी समझता हूँ दोपहर से पहले काम में शरीक न हो सका, और मैं इस से पहिले शरीक भी कैसे होता ? इस बजे तो मैं बिस्तर से उठा। उसके बाद काफ़ी पी और फिर हाजमा ठीक करने के लिये तम्बाकू पी और तब कहीं बारह बजे जाकर मैं जिनोक भवन में पहुँचा।

गणना-लेखकों ने अपने मिलने का स्थान एक होटल बताया था। वहाँ पुलिस के आदमी ने पहुँचा दिया। मैं अन्दर घुसा तो देखा कि स्थान बहुत गन्दा और बाहियात है। ठीक मेरे सामने पैसा वसूल करनेवाले का स्थान था। बाईं ओर एक छोटा कमरा था, जिसमें मैले कपड़े से ढकी हुई मेजें थीं। दाहिनी ओर खम्भों वाला एक बड़ा कमरा था जिसमें खिड़कियों के पास दीवाल से लगी हुई बैसी ही मेजें रखी हुई थीं। कुछ लोग इधर उधर बैठे चाय पी रहे थे जिनमें से कुछ तो फटेफटाये कपड़े पहिने हुए थे और कुछ लोगों की पोशाक अच्छी थी। मालूम होता था कि या तो वे मजदूर थे या छोटे छोटे दूकानदार। कुछ स्त्रियाँ भी वहाँ थीं। होटल गन्दा था, लेकिन फिर भी होटल वाले की व्यवहार-कुराल मुद्रा और नौकरों की मुत्तैदी और सुरा-मिजाजी

से मालूम होता था कि होटल का काम खूब चल रहा है। मैं ब्योंही अन्दर घुसा एक आदमी मेरे पास आ पहुँचा और वह ओवरकोट उतारने में मदद देने के लिये तैयार हुआ। वह उत्सुकतापूर्वक मेरी फर्माइश सुनने के लिये खड़ा था जिससे वह यह बात प्रकट कर रहा था कि इस होटल के लोग जल्दी और मुस्वीदी के साथ काम करने के आदी हैं।

जब मैंने पूछा कि गणना-लेखक कहाँ हैं तो इसके उत्तर में एक आदमी ने, जो विदेशी भेष में था और हिसाब की मेज के पीछे वाली अल्मारी में कुछ चीजें सजाकर रख रहा था आवाज लगाकर पुकारा यह पुकारने वाला ही होटल का मालिक था। यह कालूगा का रहने वाला आह्वन किडोटिच नाम का एक किसान था, जिसने आधे मकानात किराये पर लेकर दूसरों को अपनी ओर से किराये पर उठा दिये थे। उसकी आवाज सुनते ही एक १८ वर्ष का पतला दुबला लड़का तेजी से सामने आया। उसका चेहरा लम्बा था और नाक अन्त पर कुछ मुकी हुई थी। होटल के मालिक ने कहा—इन महाराय को मुहरिरी के पास ले जाओ, वे लोग कुँप के पास वाले बड़े मकान में हैं।

लड़के ने तौलिया रख दिया, सफेद कमीज और पायजामा के ऊपर एक कोट डॉट लिया, एक बड़ा-सा टोप उठाया और फिर पीछे के दरवाजे से निकाल कर इमारत को पार करते हुए छोटे २ तेज कदमों से मेरे आगे २ चला। एक गन्दे दुर्गन्धयुक्त रसोई घर के दरवाजे पर हमें एक बूढ़ी औरत मिली जो एक बिथड़े में होशियारी के साथ लपेटे हुए कुछ गजा-सजा मोंड

लिये जा रही थी। हम लोग एक सहन में पहुँचे जिसके चारों ओर पत्थर की नींव पर लकड़ी के मकानात बने हुए थे। बड़ी ही जुरी दुर्गन्ध आ रही थी और ऐसा मालूम होता था कि वह पाखाने में से निकल रही थी कि जहाँ बराबर बहुत से आदमी निवृत्त होने के लिये जाते रहते हैं। लोग इस काम के लिये उसे इस्तेमाल करने लगे थे इसीलिये वह स्थान पाखाना कहलाता था। सहन में से गुज़रते समय किसी का भी ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि अन्दर घुसते ही उसमें से दुस्सह दुर्गन्ध आती थी।

इस बात का ख्याल रखते हुए कि कहीं उसका सफेद पाय-जामा मैला न हो जाय, जमे हुए कूड़े से बचते बचाते वह लड़का होशियारी से मुझे उन मकानों तक ले गया। जो लोग सहन या गैलरी में से होकर जा रहे थे सब मुझे देखने के लिये ठहर गये। खाफ मालूम होता था कि स्वच्छ बच्चों से सज्जित मनुष्य यहाँ के लिये एक विचित्र बात है !

उस लड़के ने एक औरत से पूछा कि क्या वह बता सकती है कि गायना-कर्मचारी किस मकान में गये हैं ? प्रश्न सुनते ही तीन आदमी एक साथ बोल पड़े—किसी ने कहा कि वे कुँए के पास हैं, दूसरे ने बताया कि वे वहाँ गये तो थे किन्तु अब निकिता आइबनोविच के घर चले गये हैं।

ऑगन के मध्य में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो सिर्फ एक कमीज़ पहिने हुए था। उसने कहा कि वे लोग नम्बर ३० में हैं। यह निश्चय करके कि अन्तिम सूचना ही अधिक ठीक मालूम होती है लड़का मुझे नम्बर ३० के मकान की ओर ले

चला । रास्ता निचले और ऊँचे स्थान में से होकर या जिसमें आँगम की गन्ध से विभिन्न प्रकार की दुर्गन्ध निकलती थी ।

एक ऊँचे रास्ते से हम लोग नीचे की ओर चले जा रहे थे कि इतने में एकएक एक द्वार खुला और उसमें से कमीज पहने हुए एक वृद्ध शराबी निकला । उसके सूस्त किसानों की सी न थी । एक घोबिन आस्तीनें चढ़ाये हुए साबुन से भरे हुए हाथों से, चिल्ला २ कर उसे कमरे से बाहर ढकेल रही थी । मेरे पथ-प्रदर्शक बनिये ने उस आदमी को एक ओर हटा कर कहा— यों मगढ़ा करने से काम न चलेगा—और फिर अफसर होकर !

जब हम नम्बर ३० पर पहुँचे तो बनिये ने दरवाजे को खींचा तो वह भीगे हुए तख्ते की सी आवाज़ के साथ खुल गया और उसके खुलते ही साबुन से भरी भाप और तन्बाकू तथा शराबखाने की गन्ध की झरफ निकली । उसके अन्दर बिलकुल ऊँचेरा था । खिड़कियाँ दूसरी ओर थीं । हम लोग एक टेढ़े-मेढ़े वालान में पहुँचे, जिसमें कमी दाईं और कमी बाईं ओर जाना पड़ता था । विविध कोणों पर कुछ कमरे थे जो यों ही तख्ते जगाकर बना लिये गए थे और उन तख्तों पर ठीक २ सफेदी भी न की गई थी ।

बाईं ओर के ऊँचे कमरे में एक खी नाँद में कपड़े धोती हुई खी दिखाई पड़ रही थी । एक दूसरी खी दाहिनी ओर के एक दरवाजे में खड़ी देख रही थी । एक खुले हुए द्वार के पास लाल चर्मबाला एक किसान कोच पर बैठा था, उसके जिस्म पर बहुत सारे बाल थे और छाल के जूते पहने हुए था । उसके हाथ मुटनों पर रखे हुए थे और पैरों को हिलाते हुए रामगीनी

के साथ अपने जूतों की ओर देख रहा था। रास्ते के अन्त पर एक कमरे का छोटा द्वार मिला और वहाँ पर कर्मचारीगण थे। यह ३० नम्बर के मकान की मालकिन का कमरा था जो उसने सारा का सारा आइवन-फिटोटिन से किराये पर ले लिया था और स्थायी रूप से रहनेवालों अथवा रात में ठहरनेवालों को अपनी ओर से भाड़े पर उठा दिया था।

इस छोटे से कमरे में एक विद्यार्थी खिड़की के पास अपने काराज-पत्र फैलाये हुए बैठा था और मजिस्ट्रेट की भोंति एक आदमी का बयान ले रहा था। वह आदमी एक कमीज और एक बास्कट पहने था और मालकिन के मित्र की हैजियत से उसकी तरफ से जवाब दे रहा था। मकान की मालकिन—जो एक बुढ़ी स्त्री थी—खुब मौजूब थी और उसके साथ ही दो किरायेदार भी तमारा देखने के लिये आ खड़े हुए थे।

मैं जब कमरे में घुसा तो कमरा खूब भरा हुआ था। मैं इन लोगों के बीच में से होता हुआ मेज तक पहुँचा और उस विद्यार्थी से हाथ मिलाया। विद्यार्थी ने अपने प्रश्न जारी रखे और मैं वहाँ के रहनेवाले लोगों से मिल कर अपने मतलब की बातें पूछने लगा।

लेकिन मालूम हुआ कि वहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं कि जिस पर मैं अपनी परोपकार-वृत्ति चरितार्थ करूँ। उन कमरों की मालकिन, नगर की दरिद्रता को देखते हुए सुशहाल कही जा सकती थी। हालाँकि उसके कमरे निहायत गन्दे और वाहियात थे और मैं जिस भवन में रहता था उससे मुक़ाबिला करने पर तो यह एक दम ही मुझे हेष जँचे। किन्तु यदि प्राम्थ्य दरिद्रता से

मुक़ामिला करें तो कह सकते हैं कि वह ऐशो-भाराम से रहती थी। उसके पास परों का बिछौना था, उसके ऊपर एक चादर थी, एक चाबदानी, एक ढाँढ़ार कोट, और तश्तरियों और कटोरियों से खली हुई एक आलमारी भी थी। गृहस्वामिनी का मित्र भी देखने में वैसा ही खुशहाल मालूम होता था और उसके पास एक घड़ी और बेन भी दिखाई पड़ती थी। किरायेदार गरीब थे सही, पर उनमें से भी कोई ऐसा न था कि जिसे तात्कालिक सहायता की आवश्यकता हो।

सिर्फ तीन व्यक्तियों ने सहायता के लिये प्रार्थना की। एक तो उस कपड़े घोने वाली स्त्री ने कि जिसने कहा कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। दूसरे एक वृद्ध विधवा ने कि जिसके पास रोजी का कोई सहारा न था और तीसरे उस किसान ने जो कि झाल के जूते पहिने हुए था और जिसने कहा कि उस दिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। किन्तु अधिक जाँच पड़ताल करने पर यह बात मालूम हुई कि इनमें से किसी को भी मदद की खास जरूरत नहीं है और इनको वास्तविक सहायता पहुँचाने के लिये यह आवश्यक था कि इनका घनिष्ठ परिचय प्राप्त किया जाय।

जिस स्त्री का पति उसे छोड़ कर चला गया था उसके बच्चों को किसी आश्रम में रखने का जब मैंने जिक्र किया तब तो वह घबड़ाई, कुछ देर तक सोचती रही और फिर मुझे धन्यवाद देकर चुप रह गई। साफ़ मालूम होता था कि वह बात उसे पसन्द न आई। हाँ, वह प्रसन्न होती यदि उसे कुछ रुपया मिल

जाता। उसकी बड़ी लड़की कपड़े धोने में मदद देती थी और छोटी लड़की बच्चे को खिलाती थी।

वह जो दूसरी पृष्ठ थी, उसने अनायालय में रहना स्वीकार किया। पर जब उसके घर को देखा तो मालूम हुआ कि वह बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं है। उसके पास एक सन्दूक में कुछ माल था, एक चामचानी, दो प्याले और कुछ डब्बे थे जिनमें चाय और शकर रक्खी थी। वह भोजे, और दस्ताने बुनती थी और किसी महिला से उसे कुछ बर्फीया भी मिलता था।

किसान को भोजन की अपेक्षा पीने की ही ज्यादा इच्छा थी। उसे जो कुछ भी दिया जाता वह कलाल के घर ही जाकर ठहरता। इसलिये मैंने देखा कि इन कमरों में रहने वाला ऐसा एक भी नहीं है कि जिसे कुछ धन देकर मैं अधिक सुखी बना सकूँ। वहाँ सब गरीब ही गरीब रहते थे किन्तु उनकी गरीबी एक विचित्र प्रकार की थी।

मैंने उस पृष्ठ की का, घोषिन का और किसान का नाम अपनी नोट-बुक में लिख लिया और निश्चय कर लिया कि कुछ न कुछ इनके लिये करना होगा। किन्तु मेरा विचार था कि पहले उन लोगों को मदद दूँगा कि जो विशेष रूप से अभाग्य हैं और इस मकान में आगे चलकर मिलेंगे। मैंने वह भी विचार किया कि हम जो सहायता देने वाले हैं उसको वितरण करने के लिये एक पद्धति बनानी होगी, जिससे पहले उनको सहायता पहुँचाई जाय कि जो बहुत ज्यादा हाजतमन्द हैं और उसके बाद इस प्रकार के लोगों के पास पहुँचा जैसे कि अभी मिले थे।

किन्तु मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ मैंने यही स्थिति देखी। उन्हें

सहायता देने से पहले उनकी स्थिति का विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता थी। ऐसा तो मुझे एक भी नहीं मिला कि जिसे केवल आर्थिक सहायता देकर सुखी बनाया जा सकता हो।

मेरा यह कथन कितना ही लज्जाजनक क्यों न हो, किन्तु सच तो यह है कि मैंने जो बात अपने मन में समझ रखी थी वैसा न होने से मुझे एक प्रकार की निराशा-सी हुई। लेकिन जब मैं सभी स्थानों पर घूम आया तब मुझे विश्वास हो गया कि यहाँ के रहने वाले, मैंने जैसा सोचा था, वैसे नितान्त कंगाल नहीं हैं बल्कि मैं जिन लोगों में रहता हूँ, उनसे बहुत-कुछ मिलते जुलते हैं।

जैसा कि हम लोगों में होता है वैसा ही इनके यहाँ भी था। इनमें भी कुछ तो नेक आदमी थे और कुछ बुरे, कुछ सुखी थे और कुछ दुखी। उनमें जो दुखी थे वे हम लोगों में रहने पर भी वैसे ही दुखी रहते क्योंकि उनके दुःख का कारण बाहर नहीं उनके ही अन्दर था और ऐसा था जो रुपये से दूर नहीं किया जा सकता।

इन मकानों के रहने वाले शहर के सब से नीची श्रेणी के लोग थे और मास्को में उनकी संख्या लगभग एक लाख के थी। वहाँ सभी प्रकार के लोग रहते थे। छोटे छोटे व्यापारी और गृह-स्वामी, जूते बनाने वाले मोची और ब्रश बनाने वाले कारीगर, बढ़ई और तौंगे हॉकने वाले, दरजी और अन्य लोग जो खुद अपनी ही तरफ़ से स्वतंत्र धन्धा करते थे, वहाँ दिखाई पड़ते थे। कपड़े धोनेवाली स्त्रियों, सुमचे वाले तथा पुरानी चीजों को बेचने वाले, सूद पर रुपया उठाने वाले, तथा मजदूरी करने वाले लोगों के साथ २ इसी मकान में भिखारी और वेश्यायें भी रहती थीं।

यहाँ पर ऐसे भी बहुत से लोग रहते थे, जैसे कि मैंने स्यापिन-गृह के सामने देखा था। किन्तु इस जगह वे मजदूरों में बिलकुल मिल-जुल गये थे। वहाँ पर मैंने जिन लोगों को देखा था उनकी दुरी दशा थी, जो कुछ उनके पास था वह सब खाने पीने में उड़ा दिया था और होटल में से निकाले जाने पर भूख से दुखी और सर्दी से कँपते हुए स्यापिन-गृह में घुसने की इस प्रकार प्रतीक्षा कर रहे थे जैसे कोई स्वर्ग में प्रवेश करने के लिये तपस्या करता है। और वे सदा इस बात की आशा लगाये रहते थे कि कोई आये और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दे ताकि वे सरकार के कर्चों से घर पहुँच जायें। उसी तरह के आश्चर्यों को वहाँ मैंने अधिक संख्यक मजदूरों में मिला हुआ देखा जिनके पास

खान का किराया देने के लिये कुछ कोपक बे और खाने पीने के लिये शायद एक घंटा तक भी उनकी जेब में पड़े हुए थे ।

एक खास बात यह थी कि ल्यापिन-गृह में जो भावनायें मेरे हृदय में जागृत हुई थीं वे यहाँ न मालूम हुईं; बल्कि इसके प्रति-कूल पहले चक्र में मेरे और विद्यार्थियों के मन पर जो असर पड़ा वह तो एक प्रकार से आनन्दमय था—किन्तु एक प्रकार से आनन्दमय या ऐसा क्यों कहूँ ? यह तो ठीक नहीं है । इन लोगों के सहवास से जो भाव हृदय में उत्पन्न हुआ था वह विचित्र अंश ही लगे—सरासर आनन्द से परिपूर्ण था । इनके सम्बन्ध में पहली बात तो मेरे मन में यह पैदा हुई कि यहाँ रहने वाले लोगों में अधिकारी मजदूर हैं और वे प्रायः बहुत ही नेक तबियत के हैं । मैं इन लोगों को प्रायः काम करते ही पाया, घोबिने नौद में कपड़े धो रही थीं, बड़ई बसूले चला रहे थे और मोची जूते बनाने में लगे हुए थे । छोटे २ कमरे लोगों से भरे हुए थे और हँसी-खुशी तथा फुर्ती के साथ काम हो रहा था । मजदूरों के पास पक्षीने की, मोचियों के पास चमड़े की और बड़इयों के पास लकड़ी के छोल की गन्ध आ रही थी । कभी कभी किसी राग की ध्वनि भी हमारे कान में आ पड़ती थी और मजबूत खुले हुए हाथ फुर्ती और होशियारी के साथ झटाझट काम कर रहे थे ।

जहाँ कहीं हम गये लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक हमारा स्वागत किया और सब हमसे मेहरबानी से पेश आये । खुराहाल लोगों के यहाँ जब जाते हैं तो वे अपनी महत्ता और कारगुजारी दिखाने तथा आगन्तुकों की वास्तविक स्थिति जाँचने की चेष्टा करते हैं । पर, यहाँ काम के समय, जब हम उनके सामने जा कड़े हुए

तो उनमें इस प्रकार की कोई उत्सुकता दिखाई न पड़ी, बल्कि इसके प्रतिकूल उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही शान्ति के साथ दिया। हाँ, कभी-कभी इस प्रकार का मजाक जल्द करते थे कि गणना किस हिसाब से की जाय—अमुक मनुष्य तो दो के बराबर है और अमुक दो मनुष्यों को मिलाकर एक में लिखना चाहिये।

बहुत से लोगों को हमने मोजन करते अथवा चाय पीते हुए पाया और जब कभी हम जाकर सलाम करते तो हर जगह से यही आवाज़ आती 'आइये कुछ नारता कीजिये' और उनमें से कुछ लोग तो इधर उधर हटकर हमारे लिये स्थान भी कर देते थे। हमने तो समझा कि यहाँ खाना-बदोशों की बस्ती होगी किन्तु कुछ कोठरियों तो ऐसी थीं कि जिनमें वे ही किरायेदार मुहल से रहते चले आते थे। एक बड़ई और उसका नौकर तथा एक मोची एक दूसरे कारीगर के साथ अब जिस कोठरी में रहते हैं उसी में बराबर दस वर्ष से रह रहे हैं। मोची के यहाँ कूड़ा बहुत था और जगह के लिहाज से आशुमियों की मीड़ भी ब्यादा थी, फिर भी काम करने वाले सुराये। एक मजदूर के साथ बात करके मैंने यह बात जाननी चाही कि उसकी स्थिति कैसी है और अपने मालिक का वह कितना कर्जदार है, किन्तु वह मेरा मतलब न समझ कर अपने मुख और स्वामी के सम्बन्धवहार की चर्चा करने लगा।

एक कोठरी में कोई बूढ़ा आदमी अपनी स्त्री के साथ रहता था, वह फल बेचने का रोजगार करता था। उसका कमरा साफ, गर्म और आमतान से सजा हुआ था। फर्श पर चटाई बिछी थी, उसे

वह अपने फलों के भण्डार से उठा लाये थे। कुछ सन्दूकें, एक आत्मारी, एक चायदानी और कुछ बर्तन भी थे। घर के एक कोने में कई मूर्तियाँ थीं, जिनके सामने ही चिरारा जल रहे थे। दीवाल की खूटियों पर सुन्दर कोट टेंगे हुए थे और उन पर कपड़ा ढँका हुआ था। उस वृद्धा के मुँह पर मुँर्रियाँ पड़ गई थीं, वह दयालु और बातूनी तथियत की थी और अपने शान्त सुव्यवस्थित जीवन से सन्तुष्ट और सुखी मालूम पड़ती थी।

होटल तथा इन मकानों का मालिक आइवन फिडोटिन घर में से निकल कर कुछ दूर तक हमारे साथ आया। वह प्रसन्न मदन हो किरायेदारों से मजाक करता, उनका नाम अथवा उपनाम लेकर पुकारता और संक्षेप से उनका जीवन-चरित्र सुनाता जाता था। ये सब हमारे ही जैसे मनुष्य थे। मार्टिन सिमेनो विचीज़, पीटर पेट्रोविचीज़, मार्या इवान बनास इनमें से कोई भी अपने को दुखी नहीं समझता था और वास्तव में हम में और उनमें कोई अन्तर भी न था।

हम तो घर से यह सोचकर निकले थे कि कुछ भयंकर टरय हमें देखने पड़ेंगे, किन्तु वहाँ हमने जो कुछ देखा वह भयंकर तथा अशान्तिकर नहीं, बल्कि आश्चर्यीय था। इस प्रकारके सुखी लोग वहाँ इतनी अधिक संख्या में थे कि कुछ दुर्घशापस्त, फटे चीबड़े पहिने, वे रोजगार मनुष्य जो वहाँ कमी २ दिखाई पड़ते थे, उनसे हमारे हृदय-पट पर अकृति चित्र का प्रभाव नष्ट न होता था। किन्तु इन बातों का जो असर मेरे दिल पर पड़ता था, वह विद्यार्थियों पर न होता था। वे तो केवल समाज-शास्त्र का एक उपयोगी कार्य समझ कर उसे कर रहे थे और साथ

ही खांश कमी २ टीका-टिप्पणी भी करते जाते थे। पर मैं तो परोपकारी था, मैं तो यह खोच कर आया था कि इस मकान में जो दीन-दुखी, अनाथ और पतित मनुष्य रहते होंगे, मैं उनकी मदद करूँगा। किन्तु यहाँ आया तो दीन-दुखी, अनाथ और पतित मनुष्यों के बदले एक दम शान्त, सन्तोषी, सुखी, नेक और मेहनती आदमी देखने को मिले।

मुझे यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों को किसी प्रकार की सहायता की जरूरत थी उन्हें सहायता पहुँचाने वाला कोई न कोई माई का लाल मिल गया है और यह सहायता पहुँचाने वाले हैं कौन ? कोई बाहर के आदमी नहीं बल्कि सहायता पहुँचाने वाले यही लोग थे कि जिन्हें दीन दुखी और पतित जानकर मैं उबारने आया था। और यह सहायता कुछ ही भी इस ढङ्ग से गई थी कि बैसा करना मेरे लिये एक दम ही अशक्य था।

एक निचले छोटे कमरे में त्रिवोषण्वर से संतप्त एक बूढ़ा आदमी पड़ा था। इस संसार में उसका सगा-सम्बन्धी कोई न था। फिर भी एक स्त्री—एक विधवा स्त्री जिसके एक छोटी लड़की थी और जो बूढ़े से बिलकुल अपरिचित थी और उसके सामने वाले कोने में रहती थी, उसकी सेवा-सुश्रूषा कर रही थी, और अपने-पैसे खर्च करके उसकी चाय और दवादारू का प्रबन्ध करती थी।

एक दूसरे कमरे में एक औरत रोग-भस्त अवस्था में पड़ी हुई थी। बेरया-वृत्ति से गुजारा करने वाली एक शहरी औरत उसके बच्चे को खिलाती थी और उसे दूध पिलाने के लिये एक

शीरी भी ठीक कर ली थी और दो दिन से अपने अभागे धन्धे को बन्दकर रक्खा था। एक दर्जी ने, खुप के तीन बच्चे होखे हुए भी, एक अनाथ लड़की को पालने के लिये घर में रख लिया था।

बस, तो अब दुखी लोगों में केवल इन्हीं की गणना की जा सकती थी—भालसी मनुष्य, बिना काम काज वाले कर्मचारी तथा नौकर, भिखारी, शराबी, वेश्यायें और बालक कि जिनकी स्थिति को पैसा देकर सुधारना असम्भव था। उन्हें सखी सहायता पहुँचाने के लिये यह जरूरी था कि किसी प्रकार की मदद देने के पहले उनकी परिस्थिति का गौर से अध्ययन किया जाय और फिर उनकी देख-रेख रखते हुए स्थिति के अनुसार उन्हें जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, पहुँचाई जाय। मैं तो ऐसे दीन-दुखियों की तलाश में था कि जिन्हें अपने ढेर के ढेर धन में से कुछ देकर सहायता पहुँचाऊँ, किन्तु ऐसा कोई भी मुझे मिला नहीं कि जिसे केवल धन देकर मैं उसके जीवन को सुखी बना सकूँ। मैंने जितने आदमी देखे उनमें से कोई भी ऐसा न था कि जिनके लिये हार्दिक परिश्रम किये बिना और पर्याप्त समय दिये बिना केवल धन देकर ही उनका उद्धार किया जा सके।

मैंने जिन दुखी लोगों के नाम नोट किये थे मेरी कल्पना में उनकी तीन श्रेणियाँ बन गई थीं। एक तो वे लोग थे जो अपनी पहले की रोखी गँवा बैठे थे और उसे फिर से पाने के इच्छुक थे। (इस प्रकार के लोग ऊँची तथा नीची दोनों ही तरह की जातियों में थे) दूसरे नम्बर पर वेश्यायें थीं और इस मकान में उनकी संख्या बहुत अधिक थी। तीसरे वर्ग में बालक थे। मेरी नोट-बुक में सबसे अधिक संख्या पहली श्रेणी के लोगों की थी कि जो अपनी रोखी गँवा बैठे थे और उसे फिर से प्राप्त करने के इच्छुक थे। इस श्रेणी में भी विरोध भाग ऐसे लोगों का था कि जो परदेशी अथवा कर्मचारी थे। इन मकानों के मालिक आइवन फिडोटिविच के साथ हम लोग कई कमरों में गये और लगभग हर जगह ही वह हमसे कहता—“यहाँ गयाना—पत्रक तुम्हें खरय न भरना पड़ेगा, फलों आदमी यहाँ रहता है वह खाना पूरी कर देगा, बरातें कि पिये हुए न हो।”

आइवन फिडोटिविच इसके बाद, उस मनुष्य का नाम और उसके साथ ही उसके कुटुम्ब का नाम जोड़ कर पुकारता और प्रत्येक मनुष्य की सूरत से मालूम होता था कि पहले वह अवश्य अच्छी स्थिति में रहा होगा। आइवन फिडोटिविच की आवाज सुनकर दरिद्रावस्था को प्राप्त हुआ कोई सदगृहस्थ अथवा कर्मचारी मकान के किसी अँधेरे कोने में से निकल कर आता।

प्रायः ये मनुष्य नरों में होते थे और ठीक तरह से कपड़े तो नहीं पहने होते थे। जो आदमी नरों में न होता, वह खुरी से सँपे हुए काम को करने के लिये तैयार हो जाता। काम को बड़ी जल्दी समझ लेता और समझ गया है यह बताने के लिये अपना सर हिलाता, सामने नजर उठा कर विद्वत्तासूचक आलोचना भी करता और हमारा साफ छपा हुआ लाल रङ्ग का कागज काँपते हुए हाथ से लेकर पास खड़े हुए पढ़ोसियों की ओर धिक्कारकी दृष्टि से देखता, मानो बड़े गर्व के साथ वह कहता कि आज तक तुमने मेरी बड़ी अवहेलना की पर आज मेरी पढ़ाई का प्रताप देखो। जिस संसार में इस प्रकार के लाल कागज छपते हैं और जिसमें वह स्वयं पहले रहता था उसके साथ फिर से सम्बन्ध स्थापित होने से वह बहुत प्रसन्न है, यह स्पष्ट मालूम पड़ता था। ऐसे मनुष्य से उसके पूर्व जीवन के विषय में जब कभी मैं पूछता तो वह रटे हुए स्तोत्रों की भौंति उत्साह के साथ अपने सर पर आई हुई विपत्तियों का इतिहास सुना देता। खास कर इस बात का जिक्र वह अवश्य करता कि अपनी योग्यता के कारण पहले वह कितने ऊँचे पद पर था।

पिनोफ गृह में ऐसे लोगों की बस्ती जिधर देखो उधर फैली हुई थी। एक विभाग में तो ऐसे स्त्री पुरुष बहुत अधिक संख्या में थे। वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो आइबन फिडोटिविच ने कहा— “यह हमारे सद्गृहस्थों का विभाग है।” मकान भरा हुआ था, सभी किरायेदार जिनकी संख्या लगभग ४० थी, वहाँ मौजूद थे। उस गृह भर में इस प्रकार के हीन-हीन वृद्ध और निस्तेज निरारा युवक और कहीं देखने में न आये। मैंने कई एक से बात

की। सब की कहानी एक ही सी थी, बस अन्तर केवल इतना था कि किसी की कहानी अन्तिम सीढ़ी तक पहुँच गई थी और किसी की अभी अघर में ही थी। प्रत्येक अनुष्य या तो स्वर्ध मालदार था या उसका पिता, भाई, या चाचा धनवान् था, अथवा अब भी है, अथवा वह या उसका पिता किसी दिन किसी ऊँचे बंद पर प्रतिष्ठित था और फिर पीछे से किसी दुश्मन की कार-स्तानी से अथवा अपने ही दुर्भाग्य से या किसी आकस्मिक घटना के कारण वह अपना सर्वस्व गँवा बैठा और अब ऐसे वाहियात स्थान और दुष्ट परिस्थिति में आ पड़ा है कि जहाँ जूँ और खट-मलों की हद नहीं, पहिनने को फटे कपड़े हैं, पड़ोसी शराबी और चोर हैं, खाने को सूखी रोटी और नमक के सिवा और कुछ नहीं। अब हाथ फैलाकर भीख माँगना—बस यही भाग्य में लिखा है।

इन लोगों के बिचार, इनकी वासनायें और स्मृतियाँ सभी भूतकाल में लीन हैं। वर्तमान तो उन्हें एकदम अस्वाभाविक, तिरस्करणीय और मन में न लाने योग्य मालूम होता है। इनके लिये वर्तमान तो जैसे है ही नहीं। उनके पास भूतकाल की मधुर स्मृतियाँ हैं और भविष्य की भव्य भावनायें जो किसी दिन भी चरितार्थ हो सकती हैं और जिनको चरितार्थ करने के लिये बहुत थोड़ी सहायता की आवश्यकता है। किन्तु दुर्भाग्यवश यह थोड़ी सी सहायता उनकी पहुँच के बाहर है और वह किसी भी तरह नहीं मिलती; इसीलिये किसी का एक वर्ष, किसी के पाँच वर्ष और किसी के जीवन के पूरे तीस वर्ष व्यर्थ ही नष्ट हो गये।

एक आदमी के ऊपर किसी की मेहरबानी है बस उसको इतनी ही जरूरत है कि वह भले आदमियों की तरह कपड़े पहन

कर उसके पास पहुँच मर जाय । दूसरों को सिर्फ इस बात की तंगी है कि वह ठीक कपड़े पहन कर और अपना कर्चा चुकाकर आरेल स्थान तक पहुँच जाय । तीसरा जायदाद वाला आदमी है, उसको छुड़ाने और अशालत में मुकद्दमा लड़ाने के लिये कुछ बोढ़े से साधन की ही आवश्यकता है । यदि वह सहायता मिल जाय तो मुकद्दमा उसके हक में ही फैसल होगा । यह बात एक दम ही निश्चित है और इसके बाद तो फिर उसे किसी प्रकार का कोई दुःख नहीं । हर एक का यही कहना है कि अपनी अखली और स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करने के लिये कुछ बाह्य सहायता की आवश्यकता है ।

यदि मैं अपनी दानवीरता के अभिमान में चूर न होता तो यह बात समझ सकने के लिये कि इनकी दुर्दशा किसी प्रकार की बाह्य सहायता से दूर नहीं हो सकती मुझे इन वृद्ध और तर्क्य पुरुषों के हीन-हीन, बिलास-क्षीण किन्तु दयालु मुखों की ओर जरा ध्यान से देखने मर की ही जरूरत थी । मैं समझ जाता कि चाहे कोई कितनी ही सहायता करे इनका जीवन कभी सुखमय हो नहीं सकता जब तक कि इनकी जीवन-सम्बन्धी भावनायें और कल्पनायें ऐसी ही बनी रहेंगी । मैं यह भी समझ लेता कि ये लोग किसी असाधारण परिस्थिति में आ पड़े हों या इनका दुःख सब से न्यारा और अनोखा हो यह बात नहीं है । बल्कि ये लोग मिलकुल हमारे ही जैसे हैं, इनके दुःख सुख भी हमारे ही समान हैं ।

मुझे याद है कि इन शरीर लोगों के संसर्ग में आना मेरे लिये कितना दुःखमय हो उठा था और ऐसा क्यों हुआ यह मैं अब समझा हूँ ! मैं शीरो की तरह उनके अन्दर अपने स्वरूप

को देखता था। यदि मैं अपने और अपनी भेषी के लोगों के जीवन पर धरा ध्यान देता तो मैं समझ जाता कि हम में और इन अभाग्य मनुष्यों में कोई वास्तविक अन्तर नहीं है।

मेरे पड़ोस में जो लोग रहते हैं वे जिनोफ़-गृह में न रहकर सिवसेव ब्राजोक या वृथिन्नोका मुहल्ले में रहते हैं और व्जार की रोटी के बजाय भौंति भौंति के पकवान खाते हैं। इसीलिये वह पहले लोगों की भौंति दुःखी न हों—ऐसी कोई बात नहीं है। उनको भी अपनी वर्तमान स्थिति से इन्हीं लोगों की भौंति असन्तोष है, ये भी अपने भूतकालीन वैभव के लिये आँसू बहाते हैं और भविष्य की सुन्दर और सुस्निग्ध कल्पनायें करते हैं। इनकी भविष्य की सुन्दर स्थिति की कामनायें जिनोफ़-गृह के निवासियों की कामनाओं की ही तरह होती हैं अर्थात् ये सभी ऐसी स्थिति के इच्छुक हैं कि जिसमें इन्हें खुद तो कम से कम काम करना पड़े और दूसरों की मेहनत से अधिक से अधिक लाभ वे उठा सकें। इनमें अन्तर केवल इतना ही था कि कोई अधिक परिमाण में आलसी जीवन व्यतीत करना चाहते थे और कोई कुछ कम परिमाण में !

मैं यदि कुछ विचार करता तो यह बात समझ जाता; पर दुर्भाग्यवश मैंने उस समय विचार नहीं किया और न यही समझा कि इन लोगों का भला मेरे दान से नहीं हो सकता। इनके सुधार के लिये तो जीवन और संसार के सम्बन्ध में इन्होंने जो विचार बना लिये हैं उनमें परिवर्तन कराने की जरूरत है। किन्तु किसी के जीवन में परिवर्तन कराने के लिये आवश्यक है कि उसके अंधे

जीवन का एक आदर्श उसके सामने रक्खा जाय, किन्तु चूँकि मेरे जीवन का आदर्श उनसे ऊँचा न था—जिन भ्रमात्मक भावनाओं से उन्हें मुक्त करने की जरूरत थी उन्हीं में, अभी तक, मैं भी फँसा हुआ था, इसीलिये इस सम्बन्ध में मैं कुछ भी न कर सका।

यदि किसी उदाहरण द्वारा कहा जाय तो कह सकते हैं कि ये लोग इसलिये दुखी नहीं थे कि इनके पास केवल भोजन नहीं था, बल्कि इसलिये कि इनका मेदा बिगड़ गया था और उनको अब भोजन की नहीं, हाजमा दुरुस्त करने के लिये टानिक की जरूरत थी। मैं यह बात नहीं समझ सका कि इनको भोजन देने की जरूरत नहीं है बल्कि यह बात सिखाने की जरूरत है कि भोजन किस तरह किया जाय। वैसे तो यह बात आगे आवेगी, पर इतना तो मैं कह ही दूँ कि मैंने जिन लोगों के नाम नोट किये थे, उनमें से किसी को भी सच्ची सहायता नहीं पहुँचा सका, हालाँकि जिसने जो कुछ माँगा था वह उन्हें दिया गया था। इनमें से तीन लोगों से मैं विशेष रूप से परिचित हो गया। यह तीनों ही बहुत से चतार चढाव देखकर आज तीन वर्ष पीछे फिर अपनी पहली ही जैसी असहाय अवस्था को प्राप्त हो गये हैं।

इन अभागों के दूसरे वर्ग में बेशकै थीं कि जिनको मदद देने का मैंने विचार किया था। इन स्त्रियों की खिनोफ गृह में बड़ी भारी संख्या थी और उनमें स्त्रियों से कुछ २ मिलती जुलती किरोर लड़कियों से लेकर महा-वृद्ध मयंकर मुख्याकृति वाली स्त्रियों तक थीं कि जिनमें मनुष्यता का कोई नामोनिशान तक न था # इन स्त्रियों को सहायता पहुँचाने की इच्छा पहले मेरे मन में न थी, पर पीछे से हुई। उसके उदय होने का कारण यह है।

जब हम लोग अपना काम समाप्त करने पर आये तो उस समय तक हमारे कार्य की एक नियमित पद्धति बन गई थी। नये मकान में घुसते ही हम मकान के मालिक को बुलाते और हम में से एक आदमी लिखने के लिये स्थान ठीक करके बैठ जाता और दूसरा उस कमरे के स्त्री पुरुषों के पास जा जाकर प्रश्न करता और उसकी सूचना लिखने वाले आदमी को दे जाता।

इस प्रकार हम एक निचले विभाग के कमरे में जब पहुँचे तो विद्यार्थी मालिक मकान की तलाश करने लगा और मैं उस जगह पर जो लोग मौजूद थे उनसे प्रश्न करने लगा। इस विभाग की रचना इस प्रकार की थी। मकान चार गज लम्बा और चार गज चौड़ा था और उसके मध्य में झोंगीठी थी। झोंगीठी के पास से चार पर्दे डाल कर चार कमरे निकाले गये थे। इनमें से पहले कमरे में दो दरवाजे और चार पर्लंग थे और एक बूढ़ा आदमी

तथा एक स्त्री थी। इसके बाद एक लम्बा किन्तु तङ्ग सा कमरा था जिसमें मकान का मालिक रहता था जो ऊन का भूरा कोट पहने था। उसका रङ्ग फीका था, किन्तु वह देखने में सुन्दर मालूम होता था, और अभी जवान था। पहले विभाग के बाईं ओर तीसरी कोठरी थी जिसमें कोई आदमी पढ़ा ऊँच रहा था और शायद पिये हुए भी था। उसी कमरे में एक स्त्री थी जो लाल रङ्ग का गाउन पहिने हुए थी। चौथी कोठरी उस स्थल के पीछे थी कि जहाँ से विभाग शुरू होते थे और उसमें गृह-स्वामी के कमरे में से होकर जाना होता था।

विद्यार्थी अन्तिम कमरे में चला गया और मैं पहले ही कमरे में उस पुरुष तथा स्त्री से बातें करने लगा। वह वृद्ध पुरुष पहले कम्पोजिटर था पर अब जीबिका उपार्जन का कोई साधन उसके पास न था। वह स्त्री किसी रसोइया की पत्नी थी।

मैं तीसरे कमरे में गया और गाउन वाली स्त्री से उस खोले वाले आदमी के निम्नत दरियाफ्त किया।

उसने जवाब दिया कि वह उसका मिलने वाला है ?

मैंने पूछा—तुम कौन हो ?

उसने उत्तर दिया—मैं मास्को की रहने वाली एक किसान की लड़की हूँ।

जब मैंने पूछा 'तुम्हारा पेशा क्या है' ? तो उसने कोई उत्तर न दिया; चुपचाप हँसने लगी।

यह समझ कर कि शायद उसने मेरे प्रश्न को समझा नहीं।

मैंने फिर पूछा—तुम्हारी गुब्बर किस तरह होती है ?

वह बोली—मैं कोठे पर बैठती हूँ।

मैं उसकी बात नहीं समझा, इसीलिये एक बार फिर पूछा—
तुम अपनी गुजर के लिये क्या करती हो ?

उसने कोई जवाब न दिया, केवल हँसती रही। चौथे कमरे से भी जहाँ कि हम लोग अभी नहीं गये थे, कुछ स्त्रियों के हँसने की आवाज आ रही थी।

गृहस्वामी अपने घर से निकल कर हमारे पास आया। उसने मेरे प्रश्न और उस स्त्री के उत्तर, मालूम पड़ता है, सुन लिये थे। उसने तीव्रता से उसकी ओर देखा और मेरी ओर घूम कर कहा—‘ यह बेश्या है ’! उसके ढङ्ग से मालूम पड़ता था कि वह इस बात से खुश था कि वह इस सरकारी शब्द से परिचित है और उसका शुद्ध उच्चारण कर सकता है। यह कह कर और सन्तोषपूर्ण मुस्क्यान के साथ मेरी ओर देख कर वह औरत की तरफ फिरा और उसकी तरफ मुँह फिरते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। अत्यन्त घृणा-सूचक और तेज स्वर में जैसे कि कोई कुत्ते को दुत्कारता है, उसकी ओर बिना देखे ही कहा—क्यों मूर्खों की सी बातें करती है ! यह न कह कर कि मैं कोठे पर बैठती हूँ सीधी तरह यह क्यों नहीं कहती कि मैं बेश्या हूँ। क्या तुम्हें अपना नाम भी मालूम नहीं ? उसके बात करने के ढङ्ग से मुझे चोट लगी।

मैंने कहा—उसे लज्जित करना हमें शोभा नहीं देता। यदि हम सब ईश्वर की आज्ञानुसार जीवन व्यतीत करते तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति ही न होता।

गृहस्वामी ने कृत्रिम हँसी के साथ कहा—हाँ, बात तो ठीक है।

इसी लिये उनकी भर्त्सना न कर के हमें उन पर दया करनी चाहिये । इसमें उनका क्या अपराध है ?

मुझे यह ठीक याद नहीं कि मैंने उस समय क्या कहा पर यह याद है कि उसकी तिरस्कार पूर्ण बातें सुन कर मुझे बड़ी अरुचि हुई । जिस घर में वे खियौं थीं वही में खड़े होकर वह उन्हें वेश्या कह रहा था । मुझे उस स्त्री पर भी दया आई और अपने मन के ये दोनों ही भाव मैंने उस समय व्यक्त किये ।

ज्यों ही मैंने ये बातें कहीं त्योंही उस कमरे में कि जिसमें से औरतों के हँसने की आवाज आ रही थी चारपाई की चरचराहट सुनाई दी और पर्दे के ऊपर कि जो छत तक न लगा था एक बिखरे हुए बालों वाली स्त्री का सिर दिखाई दिया । उसकी आँखें छोटी और सूजी हुई थीं, चेहरा लाल अंगारा था । उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा सिर दिखाई दिया । वह अपनी चारपाइयों पर खड़ी हुई थीं और तीनों जर्नी गर्दन उचकाये, सोंस रोके, चुपचाप ध्यानपूर्वक मेरी ओर देख रही थीं ।

इसके बाद थोड़ी देर तक दुःखजनक स्तब्धता रही । विद्यार्थी जो अभी तक हँस रहा था इस घटना के बाद गम्भीर हो गया, गृहस्वामी गड़बड़ा गया और अपनी आँखें नीची कर लीं और खियौं इस आशा से मेरी ओर देख रही थीं कि देखें अब यह क्या कहता है ।

किन्तु मैं सब से अधिक घबड़ाया हुआ था । मुझे जरा भी ख्याल न था कि साधारण बोलचाल में आये हुए शब्द का इतना प्रभाव पड़ेगा । मेरा वह कहना क्या था, क़बरिस्तान में, मानों, किसी देवताने असूत सिन्धन किया हो जिससे मुझाँ इच्छियों फिर से जागृत

होने लगीं। मैंने तो यों ही प्रेम और कहणा से पूर्ण एक शब्द कह दिया था जिसका इन सब पर ऐसा असर पड़ा मानो फिर से सजीव हो उठने के लिये वे इसी शब्द की प्रतीक्षा कर रही थीं।

वे बराबर मेरी ओर देख रही थीं मानो सोच रही थीं देखें अब मेरे मुँह से क्या निकलता है। मानो वे इस बात की प्रतीक्षा कर रही थीं कि मैं उन शब्दों को कहूँ और उन कामों को करूँ कि जिनसे ये हृदयों इकट्ठी होनी शुरू हो जायँगी—मौस से आच्छादित होकर पुनर्जीवन प्राप्त करेंगी।

किन्तु हाथ मेरे पास अब न तो ऐसे शब्द थे और न ऐसे काम और न मैं बातचीत के उस ढङ्ग को ही क्लायम रखने में समर्थ था। मेरे अन्तरात्मा में मुझे ऐसा भास होने लगा कि मैंने सूठ बोला है, मैं खुद भी उन्हीं की तरह हूँ, मुझे अधिक कुछ कहने का अधिकार भी नहीं और इसीलिये मैं पत्रक पर वहाँ के रहने वालों का नाम और पेशा लिखने लगा।

इस घटना ने मुझे एक दूसरी ही गलती में ला फँसाया। मैं यह सोचने लगा कि इन अभागे जीवों को भी सहायता पहुँचा जा सकती है। अपने गुमान में मैंने समझा था कि यह काम हो भी नहीं आसानी से जायगा। मैंने दिल में सोचा, अभी तो हम इन क्षियों के नाम लिखे लेते हैं और पीछे से जब हम सब कुछ लिख लेंगे तब इन लोगों के लिये कोशिश करेंगे। लेकिन उस समय मैंने यह न सोचा कि यह 'हम' हैं कौन ? मैंने कल्पना की कि हम लोग अर्थात् वही आदमी कि जो पुरत दर पुरत से ऐसी स्त्रियों को इस दुर्वारा में लाते रहे और अब भी ऐसा करते हैं। एक दिन, शुभ मुहूर्त में, अचानक, हम अपनी इस

मोहनिद्रा से जागृत होकर सारी स्थिति को सुधार लेंगे । किन्तु यदि मैं उस वार्तालाप का स्मरण करता कि जो उस पतित स्त्री के साथ हुआ था कि जो बीमार मों के बच्चे की शुश्रूषा कर रही थी तो मैं समझ जाता कि मेरी यह कल्पना कितनी मूर्खता-पूर्ण है ।

हमने पहले पहल जब उस स्त्री को बच्चे की सेवा करते देखा तो समझा कि यह लड़का उसी का है, लेकिन जब हमने उसके विषय में पूछा तो उसने साफ साफ कह दिया कि मैं बाजार में बैठने वाली औरत हूँ । उसने 'वेश्या' शब्द नहीं कहा । उस भयंकर शब्द का प्रयोग करना तो उस मकान के मालिक के हिस्से में था ।

यह औरत बच्चेवाली है, इस कल्पना से उसकी वर्तमान स्थिति से उद्धार करने का विचार मेरे दिल में पैदा हुआ ।

मैंने पूछा—क्या यह तुम्हारा बच्चा है ?

उसने उत्तर दिया—'नहीं, यह उस स्त्री का है'

'तो, तुम क्यों उसकी शुश्रूषा कर रही हो' ?

'उसने मुझ से कहा है । वह मर रही है'

यद्यपि मेरी धारणा ठीक न निकली फिर भी मैं उसी ढङ्ग से बातचीत करता रहा । मैंने उससे पूछा कि वह कौन है और वह इस दशा को कैसे प्राप्त हुई । उसने खुरी से और साफ साफ अपनी कहानी मुझे सुना दी । वह मास्को के रहने वाले किसी कारखाने के कारीगर की लड़की थी । उसको अकेली छोड़ कर उसके माता-पिता मर गये । उसकी चाची ने अपने घर

ले जाकर उसे पाला पोसा। चाची के घर से वह अक्सर बाजार में आने जाने लगी। वह चाची भी अब मर गई थी।

मैंने पूछा—अपने इस जीवन को बदल डालने की क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती? मालूम होता था मेरे इस प्रश्न ने उसके मन को जरा भी आकर्षित नहीं किया। यदि कोई बिलकुल ही असम्भव सी बात कहे तो उसकी ओर किसी का ध्यान क्योंकर आकर्षित हो ?

जरा मुँह बना कर उसने कहा—लेकिन इस पीले टिकटकी वाली^१ को रखेगा कौन ?

मैंने कहा—किन्तु यदि मैं तुम्हारे लिये रसोई बनाने का या कोई ऐसा ही दूसरा काम तलाश कर दूँ तो कैसा रहे ? यह बात मैंने इसलिये कही थी कि उसका शरीर रसोई बनाने वाली स्त्रियों की तरह ही मोटा ताजा था और उसका चेहरा गोल तथा भोला था।

मेरी यह बात उसे अच्छी नहीं मालूम पड़ी। उसने कहा—‘रसोई बनाना ! किन्तु मुझे रोटी पकाना तो आता ही नहीं’। उसने किञ्चित् हास्य के साथ यह बात कही थी किन्तु उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रकट होता था कि इस बात के लिये वह राजी नहीं है; इतना ही नहीं रसोई बनाने का काम वह अपनी मर्बादा के विरुद्ध समझती है।

यह स्त्री, जो बाईबिल की विधवा की तरह उपरोक्त बीमार स्त्री की सेवा में अपना सर्वस्व लगा रही थी वही अपनी हमपेशा दूसरी स्त्रियों की भाँति मेहनत मजदूरी के काम को नीच, तुच्छ

* पीला टिकट बेरुआमोक रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट होता था।

तथा तिरस्कारयोग्य समझती थी। काम किये बिना ही निर्वाह करती हुई वह छोटे से बड़ी हुई थी और उसका यह जीवन उसके आस पास रहने वाले सभी लोगों की दृष्टि में बिलकुल ही स्वाभाविक था। यही उसका दुर्भाग्य था। इसी दुर्भाग्य के कारण वह इस दुर्दशा को प्राप्त हुई थी और अब भी उसी में पड़ी हुई थी। इसी के कारण वह बाजारों में घूमी फिरी। हम में ऐसा कौनसा पुरुष अथवा स्त्री है कि जो जीवन सम्बन्धी उसकी इस भावना को बदल सके। क्या हम में ऐसे कोई आदमी हैं कि जिनका विश्वास हो कि आलस्यमय जीवन की अपेक्षा मेहनत मजदूरी का जीवन अधिक सम्मानपूर्ण है और जो अपने इस विश्वास के अनुसार ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, जो इसी सिद्धान्त को आदर और सम्मान की कसौटी बनाते हैं ?

यदि मैंने इस विषय में सोचा होता तो मैं समझ जाता कि न तो मैं और न मेरी जान में कोई दूसरा ही आदमी ऐसा है कि जो किसी मनुष्य को इस रोग से मुक्त कर सके।

मैं समझ गया होता कि पदों के ऊपर उन स्त्रियों के जो आश्चर्य चकित उत्सुक मुख दिखाई पड़े थे उनसे केवल आश्चर्य ही प्रकट हो रहा था, अपने जीवन को सुधारने की उनमें कोई इच्छा न थी। यह उनकी समझ में ही नहीं आता कि इसमें पाप की कौन सी बात है। यह तो वे देखती थीं कि लोग उन्हें विस्मयते हैं, उनसे घृणा करते हैं पर लोग क्यों उनका तिरस्कार करते हैं यह उनकी समझ में न आता। इस प्रकार की स्त्रियों ने बचपन से ही इसी तरह अपना जीवन व्यतीत किया है और वे जानती हैं कि इस प्रकार की स्त्रियाँ सदा रही हैं, अब भी हैं और

वे समाज के लिये आवश्यक हैं। इतना ही नहीं सरकार की तरफ से इस बात के लिये कर्मचारी नियत हैं कि वे इस बात की देख-रेख रखें कि ऐसी स्त्रियाँ सरकार के नियमों का पालन करें।

इसके अतिरिक्त वे यह भी जानती हैं कि अन्य स्त्रियों की अपेक्षा उनका मनुष्यों पर अधिक प्रभाव है और वह उन्हें अपने वरा में भी अधिक रख सकती हैं। वे यह देखती हैं कि यद्यपि वे दूषित समझी जाती हैं फिर भी समाज के स्त्री और पुरुष और खुद सरकार, समाज में उनके स्थान को स्वीकार करती है। और इसीलिये वे यह समझ भी नहीं सकती कि वे किस बात के लिये पश्चात्ताप करें और सुधार किस बात का करें।

एक रोज जब हम काम के लिये निकले तो विद्यार्थी ने मुझे खबर दी कि एक कोठरी में कोई स्त्री रहती है जो अपनी तेरह वर्ष की लड़की को बाजार में बैठने के लिये भेजती है। उस लड़की को बचाने की इच्छा से मैं क्रस्वन उसके घर गया।

माँ-बेटी बड़ी गरीबी से रहती थीं। माँ ४० वर्ष की ठिंगनी काले रङ्ग की बेश्या थी, जो केवल बहसूरत ही नहीं बल्कि बड़ी भारी शक्ल की थी। बेटी भी देखने में लगभग वैसी ही थी। मैंने घुमा फिरा कर उनके जीवन के सम्बन्ध में कई प्रश्न किये, पर, माँ ने उन सबके बात बदाने के ढङ्ग के जवाब दिये। उसके चेहरे से स्पष्ट प्रकट होता था कि वह यह समझती है कि हम लोग बैर-भाव से उन्हें हानि पहुँचाने चाये हैं। लड़की तो माँ की ओर देखे बिना कोई उत्तर ही न देती थी, उसे तो अपनी माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास था।

इन लोगों को देख कर मेरे हृदय में क्या नहीं, उस्ती घृणा

पैदा हुई, किन्तु मैंने निश्चय किया कि इस लड़की की रक्षा करना आवश्यक है और इसके लिये ऐसी महिलाओं को ढूँढकर इनके पास भेजना चाहिये कि जिनके हृदय में इनकी शोचनीय दशा के प्रति दया तथा सहानुभूति हो।

किन्तु यदि मैंने इस बात पर विचार किया होता कि इस लड़की की माँ का पूर्व जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ, उसने लड़की को जन्म किस प्रकार दिया और किस प्रकार बिना किसी बाह्य सहायता के बड़े भारी आत्मत्याग के साथ उसने लड़की को पालापोसा और बड़ा किया, यदि मैंने सोचा होता कि जीवन सम्बन्धी किस प्रकार की धारणाएँ उसके मन में धीरे धीरे बन गई हैं तो मैं समझ गया होता कि माता के इस व्यवहार में किसी प्रकार का कोई भी अनौचित्य अथवा पाप नहीं है; क्योंकि वह विचारिणी तो अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छा से अच्छा जो कुछ अपनी लड़की के लिये कर सकती थी वही कर रही थी।

लड़की को जबरदस्ती माँ के पास से छीन ले जाना तो सम्भव था, किन्तु लड़की के धर्म और शील को इस प्रकार बेचने में कोई जुराई है यह बात लड़की की माँ को समझ देना एकदम अशक्य था। सब से पहली और जरूरी बात तो यह प्रतीत हुई कि इस माँकी रक्षा की जाय, उसे जीवन की इस दूषित भावना की लहर से बचाया जाय कि जिसे प्रायः सभी उपयुक्त समझते हैं और जिसके अनुसार यह उचित समझा जाता है कि कोई स्त्री बिना व्याह्र किये, अर्थात् बिना सन्तान उत्पन्न किये, तथा बिना ही काम किये केवल विषय वासना को शून्य करने का साधन बन कर रह सकती है।

यदि मैंने इस स्थिति पर विचार किया होता तो मैं आसानी

से सम्मत्त गया होता कि मैं जिन महिलाओं को इस लड़की के रक्षार्थ भेजना चाहता हूँ उनमें से अधिकांश न केवल स्वयं ही गार्हस्थ्य कर्तव्यों से बचती रहने की चेष्टा करती हैं और आलस्य-मय तथा विषयी जीवन व्यतीत करती हैं, बल्कि जान झूम कर वह अपनी लड़कियों को भी इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देती हैं। यदि वह माँ अपनी लड़की को बाजार में भेजती है तो दूसरी बॉल—अर्थात् नाच में, तथा बिलासी समाज में, अपनी लड़कियों को जाने के लिये प्रोत्साहित करती हैं। इन दोनों ही का दृष्टिकोण एक है; दोनों ही यह समझती हैं कि स्त्री इसीलिये बनी है कि वह पुरुषों की विषय-वासना को तृप्त करे; और इसके उपलक्ष्य में स्त्री के लिये अन्न-वस्त्र की योजना करनी चाहिये और उसकी देखभाल रखनी चाहिये। जब स्थिति ऐसी है तब फिर भजा हमारे घर की महिलाएँ किस प्रकार उस स्त्री का तथा उसकी कन्या का सुधार तथा उद्धार कर सकेंगी ?

मैंने बालकों के लिये जो कुछ किया वह और भी विचित्र था। परोपकारी की हैसियत से मैंने बालकों की ओर भी ध्यान दिया। इस पाप-गुफा में निर्दोष बालकों को नष्ट होने से बचाने की मेरे मन में इच्छा हुई और यह सोचकर कि पीछे से इन लोगों के उद्धार के लिये मैं कुछ करूँगा मैंने उनके नाम लिख लिये।

उन बालकों में १२ वर्ष के शीरोजा नामक बालक की ओर मेरा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। यह चतुर और बुद्धिमान् बालक एक जूते बनाने वाले के पास रहता था। किन्तु उस मोची के जेल चले जाने के कारण अब वह बिलकुल निस्सहाय और निराश्रित था। मुझे उस पर बड़ी दया आई और उसके साथ कुछ भलाई करने की इच्छा उत्पन्न हुई।

इस बालक के उद्धार करने की जो चेष्टा मैंने की थी उसका क्या फल हुआ वह बात अब मैं यहाँ पर कहूँगा; क्योंकि, इस बालक की गाथा से मेरे परोपकारीपने की पोल जितनी स्पष्टता से समझ में आवेगी उतनी और किसी तरह नहीं। मैं उस बालक को अपने घर ले आया और उसे बबरची खाने में रक्खा। उस पाप गुफा से लाये हुए एक दीन बालक को मैं अपने बच्चों के साथ भला कैसे रख सकता था ? मैंने तो उसे अपने नौकरों के पास लाकर

रख दिया। इतने ही से मैंने मन में सोचा कि मैंने उस बालक पर बड़ी दया की। मैंने सोचा कि मैं बड़ा भारी परोपकारी सदगृहस्थ हूँ क्योंकि मैंने उसे पहनने के लिये अपने कुछ पुराने कपड़े दे दिये थे और खाने के लिये भोजन, हॉलाकि, वह सब किया मेरे बबर्चा ही ने, स्वयं मैंने कुछ नहीं किया। बालक लगभग एक सप्ताह मेरे घर रहा।

एक सप्ताह भर जो वह मेरे यहाँ रहा इस बीच में दो बार मैं उससे मिला और उसके पास से गुज़रते हुए दो चार शब्द भी उससे कहे और जब घूमने निकला तो एक जाने पहिचाने मोधी के पास जाकर उस लड़के को उम्मेदवार की तरह अपने पास रख लेने का प्रस्ताव किया। एक किसान ने, जो घर पर मिलने आया था, उस लड़के से उसके गाँव में जाकर एक परिवार में काम करने के लिये कहा किन्तु उस ने अस्वीकार कर दिया और उसी सप्ताह वह कहीं भाग गया।

उसको तलाश करने के लिये मैं जिनोफ़ भवन गया। वह वहीं लौट गया था किन्तु जिस समय मैं वहाँ गया था उस समय वह वहाँ नहीं था। किसी सरकस में नौकरी करते उसे दो दिन हो गये थे। वहाँ एक हाथी को लेकर चित्र-विचित्र कपड़े पहन कर उसे जलूस के साथ चलना होता था। उन दिनों कोई तमाशा हो रहा था।

मैं उससे मिलने फिर गया किन्तु वह ऐसा कुतर्था कि वह जान बूझ कर मेरे पास न आया। यदि मैंने उस बालक के और स्वयं अपने जीवन पर विचार किया होता तो मैं समझ गया होता कि सुखी और आलसी जीवन का मजा चखने के कारण उसकी

आवृत्त बिगड़ गई है और वह काम करने का अभ्यास छो बैठा है। मैं उसका उपकार तथा सुधार करने के लिये उसे अपने घर ले गया। पर मेरे घर जाकर उसने क्या देखा ? उसने मेरे बच्चों को देखा जिनमें कुछ उससे बड़े थे, कुछ छोटे थे और कुछ उसके बराबर थे और यह सब बालक सिर्फ इतना ही नहीं कि स्वयं कुछ काम न करते थे बल्कि दूसरों से जितना अधिक काम हो सकता था लेते थे। उनके आस पास जो कुछ होता उसे वह नष्ट-भ्रष्ट कर देते। सब प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ उड़ाते और रकाबियों को तोड़ फोड़ डालते और जो चीजें उस बालक के लिये नियामत जैसी मालूम होतीं उन्हें इधर उधर बखेर देते अथवा कुत्तों को डाल देते। एक निकृष्ट स्थान से लाकर उसे एक सम्मानित गृह में जब रक्खा, तब, यह बिलकुल स्वाभाविक था कि उस घर में जीवन सम्बन्धी जो धारणाएँ लोगों की थीं उन्हें वह भी ग्रहण करे और इन धारणाओं के अनुसार उसने यही समझा कि सम्मानित गृह में इस प्रकार रहना जरूरी है कि जिससे कोई काम तो न किया जाये बस खाना पीना और मौज उड़ाना अपना लक्ष्य रहे।

यह सच है कि वह यह नहीं जानता था कि मेरे बच्चों को लैटिन और ग्रीक भाषाओं के व्याकरण सीखने में बहुत श्रम करना पड़ता है और न वह इस कार्य की उपयोगिता को ही समझ सकता था। किन्तु यह निस्सन्दिग्ध है कि यदि उपयोगिता को वह समझ भी गया होता तो मेरे बालकों के उदाहरण से उस पर और भी अधिक उल्टा प्रभाव पड़ता। तब वह यह समझ गया होता कि उनको शिक्षा ही इस प्रकार की दी जाती है कि अभी काम न करते हुए, पीछे भी, वह यथासम्भव कम से कम काम करें

और अपनी उपाधियों के बल पर जीवन का ध्यानव्योपभोग करें।

लेकिन वह जो कुछ समझा उससे वह उस किसान के घर जाकर ढोर चराने और आलू खाकर तथा क्वास छे पीकर गुजारा करने पर राखी न हुआ बल्कि सरकस में अंगली आदमी की पोशाक पहिन कर ६ पेंस रोज पर हाथी बौढ़ाना उसने अधिक पसन्द किया। मुझे समझ जाना चाहिये था कि जो आदमी अपने बच्चों को आलस्य और विलास के वातावरण में शिछा दे उसके लिये यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि वह दूसरे आदमियों तथा उनके बच्चों को सुधारने का काम भरे और पिनोफ-गृह में, कि जिसे मैं निकृष्ट स्थानों में गिनता हूँ, उन्हें पतन और आलस्य से सुरक्षित रखने की चेष्टा करे हालाँकि उस स्थान के तीन चौथाई मनुष्य अपने लिये तथा दूसरों के लिये काम करते हुए जीवन निर्वाह करते हैं।

पिनोफ गृह में अनेकों बालक बड़ी बुरी दशा में थे। उनमें वेश्याओं के बच्चे थे, अनाथ बालक थे और कुछ ऐसे लड़के थे जिन्हें भिखारी साथ लेकर सड़कों पर घूमते थे। उन सभी की बड़ी दुर्दशा थी। किन्तु शीरोजा के अनुभव ने मुझे यह बता दिया था कि जब तक मैं इसी प्रकार का आलस्य और विलास पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहूँगा उस समय तक उनको वास्तविक सहायता पहुँचाना मेरे लिये असम्भव था।

मुझे याद है कि वह लड़का जब तक हमारे पास रहा मैंने इस बात की बड़ी चेष्टा की कि वह हमारी और खास कर हमारे

बच्चों की जीवन-पद्धति जान न पाये । मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे और मेरे बच्चों के जीवन के उदाहरण के कारण उस बालक को अच्छे और उद्योगी जीवन की शिक्षा देने की मेरी खारी चेष्टायें विफल हो रही हैं । किसी बेश्या या भिखारी से बालक को झोन ले जाना सरल है । यदि किसी के पास धन हो तो उसे नहजाना धुनाना, अच्छे कपड़े पहिनाना, अच्छा खाना खिलाना और भौंति भौंति की बिघायें आदि पढ़ाना भी बहुत ही सरल है, किन्तु ऐसी शिक्षा देना कि वह खुद अपनी मेहनत से रोखी कमाये—यह हम लोगों के लिये, कि जो खुद ऐसा नहीं करते हैं बल्कि जिनका आचरण बिलकुल इसके विपरीत है, केवल कठिन ही नहीं, असम्भव है; क्योंकि अपने उदाहरण से और अपनी रुचि के अनुसार उसके जीवन में जो बाह्य आडम्बरपूर्ण परिवर्तन हम लोग करते हैं उससे उसको बिलकुल उल्टी ही शिक्षा मिलती है ।

किसी कुरते को लेकर उसे चुमकारना पुष्कारना, खिजाना पिलाना और चीखें उठाकर ले चलने की शिक्षा देना और उसके करतबों को देख देख कर प्रसन्न होना ठीक हो सकता है, पर मनुष्य के सम्बन्ध में ठीक वैसी ही बात नहीं है—उसे पाल पोष कर बड़ा करना और प्राक सिखा देना ही पर्याप्त नहीं है । उसे तो खिलाना होगा कि वास्तव में जीया किस तरह जाता है अर्थात् किस तरह दूसरों से कम से कम लेकर बदले में उन्हें अधिक प्रदान किया जाय । किन्तु हम अपनी जीवन-शैली से तो उसे बिलकुल उल्टी ही बातें सिखाते हैं । उसे चाहें हम घर में रखें अथवा किसी संस्था में, हमारे जीवन से वह यही सीखेगा कि किस तरह कम से कम सेवा करके दूसरों से अधिक सेवा करायी जाय ।

ल्यापिन-गृह में मनुष्यों के प्रति कहणा और अपने प्रति घृणा का जो भाव मेरे मन में उदय हुआ था उसका वैसा तीव्र अनुभव फिर मुझे कभी नहीं हुआ। मैंने जो योजना प्रारम्भ कर दी थी उसी को पूर्ण करने की मुझे धुन थी और मैं चाहता था कि जिन लोगों से मैं मिला था उनका कुछ उपकार करूँ।

साधारणतः ऐसा समझा जाता है कि किसी के साथ भलाई करना और हाजतमन्दों को आर्थिक सहायता देना अच्छा काम है और इससे मनुष्यों में विश्व-प्रेम की भावना उत्पन्न होनी चाहिये; किन्तु कहत आश्चर्य होता है कि मेरे ऊपर बिलकुल उल्टा असर पड़ा, मेरे मन में तो उससे लोगों के प्रति कटुता और उन्हें बुरा भला कहने की इच्छा उत्पन्न हुई। पहले ही दिन के भ्रमण में ल्यापिन-गृह की तरह का सा एक दृश्य देखने में आया, किन्तु उस समय जो प्रभाव मेरे दिल पर पड़ा वह पहिले जैसा नहीं बल्कि उससे बिलकुल विभिन्न था। उसका प्रारम्भ इस तरह हुआ। एक कोठरी में कोई दुखिया स्त्री पड़ी हुई थी जिसने दो दिन से कुछ भी भोजन नहीं किया था। उसके लिये तात्कालिक सहायता की आवश्यकता थी।

इस बात का पता मुझे इस प्रकार चला। एक बड़े से रिक्त-प्राय अनाथावास में एक बुद्धा से मैंने पूछा कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे खाने को कुछ न मिला हो। थोड़ी देर तक वह

किम्की और उसके बाद उसने दो नाम बताये, किन्तु फिर एका-एक जैसे उसे अकस्मात् याद आ गई हो वह बोली—हाँ, उनमें एक तो यहीं पकी हुई है। एक चारपाई की ओर इशारा करके उसने कहा—इसके पास तो सचमुच ही खाने को कुछ भी नहीं है।

“ऐसी बात है, यह है कौन ?”

वह एक भ्रष्ट स्त्री रही है और चूँकि अब उसके पास कोई नहीं आता इसलिये वह कुछ पैश नहीं कर सकती। घर की मालकिन ने अब तक तो दया करके उसे रहने दिया किन्तु अब वह उसे निकाल बाहर करना चाहती है। बुढ़िया ने बिछाकर पुकारा ‘अगाफिया ओ अगाफिया’।

हम लोग कुछ आगे बढ़े और चारपाई पर से कुछ उठता हुआ दिखाई पड़ा। वह, सफेद बिल्लरे बालों वाली स्त्री क्या थी—फटी हुई मैली कमाँच पहिने मानो हड्डियों का एक ढाँचा था। उसकी गतिविहीन आँखों में एक विचित्र प्रकार की चमक थी। उसने आँखें फाड़ कर हमारी ओर देखा, नीचे खिसकी हुई जाकेट को खींच कर उसने अस्थि-शेष छाती को ढँकने की चेष्टा की और उसके बाद कुत्ते की तरह गुर्रा कर बोली—क्या है ? क्या है ?

मैंने पूछा—तुम्हारी गुजर कैसे हाती है। कुछ देर तक तो वह मेरा मतलब ही न समझ सकी, अन्त में बोली—मुझे खुद नहीं मालूम वह मुझे निकाल देना चाहते हैं।

मैंने फिर पूछा—और यह लिखते मुझे कितनी लज्जा मालूम होती है—मैंने पूछा कि क्या यह सच है कि तुम भूखों मर रही हो ? उसी उत्तेजित ध्रुब्ध स्वर में वह बोली—मुझे कल भी कुछ खाने को नहीं मिला और न आज कुछ खाने को मिला है।

इस स्त्री की दुर्दशा देखकर मेरे दिल पर गहरा असर हुआ किन्तु स्यापिन-गृह के दृश्य को देखकर जो असर मुझ पर पड़ा था उससे यह बिलकुल विभिन्न था। स्यापिन-गृह में तो लोगों पर दया करके मैं स्वयं लज्जित और कुण्ठित हो रहा था; किन्तु यहाँ मुझे इस बात की सुशी थी कि जिस बात की खोज थी वह भीषण अर्थात् एक भूखा जीव अन्ततः मुझे मिल गया।

मैंने उसे एक रुबल दिया और मुझे याद है कि लोगों ने वह रुबल देते हुए मुझे देखा इससे मुझे प्रमत्तता हुई। तुरन्त ही उस बूढ़ी स्त्री ने भी मुझ से पैसा माँगा। उस समय दान करना इतना अच्छा मालूम होता था कि मैंने बिना इस बात का विचार किये कि उसे देना जरूरी है कि नहीं उसे भी कुछ दे ही दिया। वह द्वार तक मुझे पहुँचाने आई और जो लोग दालान में खड़े थे उन्होंने यह सुन लिया कि वे मुझे खूब आशीर्वाद दे रही हैं। मैंने दरिद्र आदमियों के लिये जाँ पूछा था इससे शायद इन लोगों के दिल में कुछ आशा पैदा हो गई थी क्योंकि कुछ निवासी जहाँ जहाँ हम जाते हमारे पीछे २ धूमते थे।

माँगने वाले लोगों में, मैंने देखा कि शराब पीने वाले लोग हैं और इस से मेरे दिल पर बड़ा ही बुरा असर पड़ा, किन्तु उस बूढ़ा को एक बार देखने के बाद मैंने समझा कि इन्हें मना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है और इसलिये मैं उन लोगों को भी देने लगा। इससे तो माँगने वालों की संख्या में और भी वृद्धि हो गई और तमाम अनाथावास में धूम सी मच गई। सौदियों पर तथा गैलरियों में लोग मेरे पीछे आते दिखाई दिये।

जब मैं सहन के बाहर निकला एक लड़का जल्दी २ सीढ़ी पर

से उतरता और लोगों को डकेलता हुआ वहाँ आया। उसने मुझे देखा नहीं और चिल्लाकर कहने लगा—

‘अगाफिया को उसने एक रूबल दिया है !’

फर्श पर पहुँच कर वह भी मेरे पीछे चलने वाली भीड़ में मिला गया। इतने में, मैं बाहर सड़क पर आ गया। हर प्रकार के आदमी इकट्ठे होकर जैसे मॉगने लगे। मेरे पास जितने फुटकर जैसे थे वे जब समाप्त हो गये तो मैं एक दूकान में गया और उसके मालिक से दस रूबल की रेणगारी मॉगी।

ल्यापिन-गृह में जैसा दृश्य देखने में आया था वैसा ही दृश्य यहाँ उपस्थित हुआ। भयानक गड़बड़ मच गई। बूढ़ी स्त्रियाँ, कंगाल, सद्गृहस्थ, किसान और बच्चे आकर दुकान के पास जमा हो गये और जैसे मॉगने के लिये हाथ फैलाने लगे। मैंने उन्हें दान दिया और कुछ लोगों से मैंने उनका नामादि पूछकर नोटबुक में दर्ज कर लिया। दुकानदार अपने कोट के बाजों वाले कालर को ऊपर की ओर लौटाकर बुत की तरह खामोश बैठा था। कभी वह भीड़ की ओर देख लेता था और कभी दूर किसी चीज़ पर नज़र डालता। अन्य सभी लोगों की भाँति वह भी सोच रहा था कि यह सब कितनी बड़ी बेवकूफी है किन्तु ऐसा कहने की उसे हिम्मत न होती थी।

ल्यापिन गृह में लोगों की दरिद्रता और दुर्दशा देखकर मेरे दिल को गहरी चोट पहुँची। मैंने समझा कि इनकी इस अवस्था के लिये अपराधी मैं हूँ और इसीलिये मेरे हृदय में यह भावना जागृत हुई थी कि मैं अच्छा आदमी बन सकता हूँ। यहाँ पर भी दृश्य यद्यपि वैसा ही था किन्तु उसका विलकुल विभिन्न प्रभाव

मेरे ऊपर पड़ा। एक तो मुझे उन लोगों पर क्रोध आया कि जो मुझे घेर कर तङ्क कर रहे थे और दूसरे मुझे इस बात की चिन्ता थी कि यह दूकानदार और दरवान अपने मन में क्या कहते होंगे।

जब मैं उस दिन घर लौट कर आया तो मेरे चित्त पर एक बोझ था था। मैं जानता था कि मैंने जो कुछ आज किया है वह मूर्खतापूर्ण और मेरे सिद्धान्तों के विरुद्ध है; किन्तु जब मेरा अन्तरात्मा प्रकाशित होने लगा तो सदा की भौंति मैं और भी जोर के साथ अपनी योजना के विषय में बातें करने लगा मानों उसकी सफलता में मुझे जरा भी सन्देह न था।

दूसरे दिन मैं अकेला उन लोगों के पास गया कि जिनके नाम मैंने अधिक दुखी समझ कर लिख लिये थे और जिन्हें, मैं समझता था कि सरलतापूर्वक सहायता पहुँचा सकूँगा। किन्तु जैसा कि मैं पहिले ही कह चुका हूँ मैं इनमें से किसी को भी कोई वास्तविक सहायता न पहुँचा सका। मैंने देखा कि जैसा मैंने समझा था उससे यह काम कहीं अधिक कठिन है। सारांश यह है कि इन लोगों के पास जाकर मैंने केवल उन्हें दुखी ही किया, सहायता किसी को भी न पहुँचा सका।

गणना का काम समाप्त होने से पहिले मैं कई बार चिनोक गृह में गया और हर बार वही बात हुई। स्त्री और पुरुषों की भीड़ आकर मुझे चारों ओर से घेर लेती थी और मैं परेशान हो जाता था। मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि इन माँगने वालों की संख्या इतनी बढ़ी है कि मुझ से कुछ करते घरते न बन पड़ेगा। और यदि मैं उनमें से एक एक को लूँ तो मेरे हृदय में इनके लिये

कोई सहानुभूति न थी क्योंकि मुझे मालूम होता था कि हर एक आदमी झूठ बोलता है, या कम से कम बिलकुल सची बात तो नहीं ही कहता। मैंने देखा कि हर एक मुझे रूपों की बेली समझता है और उसमें से अधिक से अधिक रूपया निकाल लेने के लिये उत्सुक है। प्रायः मुझे ऐसा भी भास हुआ कि जो रूपया वे मुझसे ले जाते थे उससे उनकी दशा सुधरती नहीं, बल्की बिगड़ती थी। इस मकान में मैं जितना ही अधिक खाने जाने लगा, यहाँ के लोगों से जितना अधिक मेरा परिचय हुआ, उतना ही मुझे विश्वास होने लगा कि यह काम बनने का नहीं है। किन्तु मनुष्य-गणना की अन्तिम रात्रि के भ्रमण से पहिले तक मैंने अपने निश्चित किये हुए कार्य को छोड़ा नहीं।

इस अन्तिम दिन के भ्रमण को स्मरण करके मुझे विरोध लज्जा मालूम होती है। इससे पहिले मैं अकेलाही जाता था किन्तु आज हम २० जने इकट्ठे होकर गये। उस दिन जो लोग मेरे साथ आने वाले थे वे सात बजते ही मेरे घर आ गये। उनमें से बहुत से अपरिचित थे—कुछ विद्यार्थी थे, एक कर्मचारी और मेरी भेखी के दो मेरे परिचित सज्जन थे। इन दोनों सज्जनों ने प्रचलित प्रथा-नुसार प्रणाम करके कहा—क्या हमें भी गणना-पत्रक भरनेवालों में दाखिल करने की कृपा करेंगे।

ये परिचित सज्जन शिकारी जाकेट और ऊँचे सफरी बूट पहने हुए थे। ऐसी पोशाक शिकार के वक्त ही पहनने का रिवाज है। गरीबों के यहाँ जाते समय भी ऐसी ही पोशाक पहिना उन्होंने उचित समझा होगा। वे अपने साथ सुन्दर नोट बुक और मोटी मोटी रङ्ग बिरङ्गी पेन्सिलें लेते आये थे। शिकार,

दुश्मती अथवा युद्ध के लिये जाते समय जिस प्रकार का उत्साह लोगों में होता है उसी प्रकार की भावना का अनुभव ये लोग कर रहे थे। इन लोगों को देखकर मैं अच्छी तरह समझ सका कि हमारा यह काम कितना व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण है। किन्तु बाकी के हम लोगों की भी क्या वैसी ही हास्यास्पद स्थिति नहीं थी ?

घूमने के लिये निकलने से पहिले युद्ध-परिषद् के समान परामर्श के लिये एक सभा की और किस तरह काम शुरू किया जाय और किस तरह विभाग करके काम बाँट लिया जाय आदि बातों का निश्चय किया। ऐसी परिषदों तथा सभा-समितियों में जैसी चर्चा होती है ठीक वैसी ही चर्चा हम लोगों ने भी की। हम में से हर एक मनुष्य को कुछ न कुछ बोलना ही चाहिये, इसलिये नहीं कि कोई नई बात कहनी अथवा पूछनी है, बल्कि सिर्फ इसलिये कि दूसरे बोलते हैं और हम उनसे पीछे न रह जायें। मैंने जो अभी तक बार बार परोपकार की बात कही थी, इस चर्चा में किसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया। मुझे कइसे लज्जा मालूम हुई, फिर भी सबको इस बात की याद दिलाना मैंने अपना कर्तव्य समझा कि गणना के काम के साथ ही साथ हमें परोपकार का काम भी करना है। अर्थात् जितने लोग दीन दशा में दिखाई पड़े उनके नाम नोट कर लिये जायें।

सभी ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और मालूम पड़ता है उनके दिल पर अक्षर भी पड़ा और मुख से सभी ने अपनी सहमति और सहायताभी प्रकट की। किन्तु यह स्पष्ट ही मालूम पड़ता था कि उनमें से प्रत्येक मनुष्य यह मानता है कि ये सब

बातें मूर्खतापूर्ण हैं, उनसे कुछ होगा नहीं और शायद इसीलिये वे तुरन्त ही दूसरे विषयों पर बातें करने लगे और उनकी वे बातें उस बक्त तक जारी रहीं जब तक कि हमारी रवानगी का समय न आ गया ।

हम लोग उस अँधेरे मकान में पहुँचे । नौकरों को जगाया और अपने कागजों को छोटने लगे । हमने जब सुना कि हमारे आने की खबर पाकर लोग बाहर चले जा रहे हैं तो हमने गृह-स्वामी से कह कर दरवाजे में ताला लगवा दिया और फिर सहन में जाकर उन लोगों से ठहरने के लिये कहा कि जो भाग जाना चाहते थे । हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम लोगों में से कोई भी तुम्हारे पासपोर्ट न माँगेगा । उन बबकाये हुए किरायेदार लोगों की मूर्तिबों को देखकर मेरे हृदय में जो विचित्र दुःखप्रद भावना जागृत हुई वह मुझे याद है । अर्धनग्न और मैले कुचैले तथा फटे पुराने कपड़े पहिने हुए वे लोग उस अन्धकारपूर्ण प्राङ्गण में, लालटेन की रोशनी में, बहुत लम्बे मालूम पड़ते थे । भय से भीत तथा भीषण बने हुए वे सब, दुर्गन्धपूर्ण टट्टी के पास खड़े हुए, हम लोगों के आश्वासन को सुन रहे थे; पर उन्हें उस पर विश्वास न होता था । स्पष्ट प्रतीत होता था कि शिकार के लिये घेरे हुए जानवरों की तरह अपनी जान बचाने के लिये वे सब कुछ कर गुजरने पर उतारू हैं ।

हर प्रकार के सद्दृश्य, नागरिक तथा ग्राम्य पुलिसमैन, सरकारी कर्मचारी तथा न्यायाधीश उन्हें अपनी जिन्दगी भर नगरों तथा प्रामों में, सड़कों तथा गलियों में, सरायों तथा अनाथावाहों में ही नहीं, हर तरह सताते रहे हैं और आज रात को

एकाएक यह महानुभाव आकर दरवाजा बन्द कर देते हैं सो भी क्यों ? सिर्फ़ उनको गिनने के लिये । उन्हें इस बात पर विश्वास करना उतना ही कठिन प्रतीत होता था जितना खरगोशों को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल मालूम होगा कि कुत्ते उन्हें पकड़ने के लिये नहीं केबल उन्हें गिनने के लिये आये हैं । हमने तो दरवाजे बन्द करा दिये थे इसलिये बेचारे दूरे हुए लोग, अपनी २ जगह चले गये । हम लोगों ने टोलिचों बनाकर काम शुरू कर दिया ।

मेरे साथ मेरे वे दो परिचित सज्जन तथा दो विद्यार्थी थे । बान्पा एक लम्बा कोट और सफेद पाजामा पहिने तथा जालटेन हाथ में लिये हमारे आगे २ चल रहा था । हम उन कमरों के अन्दर चुसे कि जिनसे मैं भली भाँति परिचित था । उस स्थान से मैं परिचित था और कुछ लोगों को भी जानता था; किन्तु अधिकांश लोग मुझे अपरिचित मालूम पड़े और वह दृश्य भी नया और भयानक था । स्थापिन-गृह में जो दृश्य देखने में आया था उससे भी अधिक भयानक । सब कमरे तथा छાટें भरी हुई थीं और उन सब में प्रायः दो दो मनुष्य थे । मनुष्यों की भीड़ तथा स्त्री पुरुषों के अनियमित एकीकरण के कारण दृश्य भयानक मालूम होता था । जो स्त्रियों शराब के नशे में एक दम बदहोश न थीं वे सब पुरुषों के साथ सो रही थीं । बहुत सी स्त्रियाँ बच्चों को साथ लेकर तङ्ग छाटों पर अजनबी आदमियों के साथ सो रही थीं ।

इन लोगों की दीनता, मत्तोनता, अर्धनग्नता तथा भीति से एक बड़ा ही भयानक दृश्य पैदा हो गया था और खास कर इसलिये कि इन विचित्र भयावह जीवों का एक बड़ा भारी जमघट वहाँ पर था ।

एक कोठरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, दसवीं, बीसवीं—इस प्रकार की अनन्त कोठरियों थीं। सभी में वही दुर्गन्ध, वही मलिन वातावरण, वही भीति, शराब पीकर बेहोश पड़े हुए तथा परस्पर घुले मिले स्त्री पुरुषों का वैसा ही गढ़बढ़ाध्याय, सब के चेहरों पर वैसा ही भय, वैसी ही दीनता तथा अपराध की छाया थी। [यह सब देखकर ल्यापिन-गृह की भाँति यहाँ भी मेरे मन में ग्लानि, दुःख और लज्जा पैदा हुई। और आखिरकार अब मैं समझ कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वह बड़ा ही अठथिकर, मूर्खतापूर्ण तथा एकदम ही असम्भव है। यह समझ कर कि मेरी ये सब चेष्टायें व्यर्थ हैं, मैंने लोगों के नाम लिखना तथा उनसे प्रभादि पूछना छोड़ दिया।

इससे मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुँची। ल्यापिन-गृह में तो खिफ इतनी ही बात थी कि जैसे किसी ने किसी दूसरे मनुष्य के शरीर पर कोई भीमस घाव देखा हो। उसे देखकर उस मनुष्य को दुःख होता है, उसे अभी तक सहायता न पहुँचायी इसके लिये लज्जा मालूम होती है किन्तु उसे फिर भी यह आशा रहती है कि वह उस दुखी मनुष्य की अब कुछ सहायता आवश्यक कर सकेगा। किन्तु आज तो मेरी स्थिति उस डाक्टर की भाँति थी कि जो अपनी औषधियाँ लेकर मरीज के पास जाता है, वह सब को खोलता है, दवा लगाता है किन्तु अन्त में देखता है कि उसने अभी तक जो कुछ किया वह सब व्यर्थ है। उसकी दवा से रोगी को कोई लाभ न पहुँच सकेगा।

इस भ्रमण ने मेरी कल्पनाओं की एकदम कलाई खोल दी । अब यह स्पष्ट हो गया कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वह केवल व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण ही नहीं, हानिकारक भी है । किन्तु यह सब कुछ समझने पर भी मुझे ऐसा मालूम हुआ कि अभी इस को जारी रखना ही मेरा कर्तव्य है और इसके कई कारण थे । पहला कारण तो यह था कि अपने लेख से तथा मुलाकातों से मैंने सारीब लोगों के दिल में आशा उत्पन्न कर दी थी । दूसरा कारण यह था कि उसी लेख तथा वार्तालाप से कुछ परंपकारी तथा दानी महाशयों की सहानुभूति इस काम के लिये प्राप्त कर ली थी और उनमें से कई लोगों ने स्वयं सहायता करने तथा धन देने का बचन भी दिया था । मैं आशा कर रहा था कि दोनों ही पक्ष विनती करते हुए मेरे पास आयेंगे और मुझे दोनों ही को यथा-शक्ति सन्तुष्ट करना चाहिये ।

सारीब आदिमियों की अर्जियों की जो मैं राह देख रहा था उसका विवरण इस प्रकार है:—मुझे १०० से ऊपर प्रार्थना-पत्र मिले और यदि मैं एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग करूँ तो कह सकता हूँ कि यह सब 'धनिक दरिद्रों' की ओर से आये थे । इनमें से कुछ लोगों से तो मैं जाकर मिला और कुछ का जवाब नहीं दिया । किन्तु मैं किसी के लिये भी कुछ न कर सका । सभी अब अर्थात् ऐसे लोगों की तरफ से आई थीं कि जो एक समय अच्छी

स्थिति में थे। (अच्छी अथवा भाग्यशाली स्थिति से मेरा मतलब उस स्थिति से है कि जिसमें मनुष्य दूसरों से लेता अधिक है और उन्हें देता है कम) किन्तु अब उनकी हालत बिगड़ गई है और फिर वे अपनी पहली दशा में आना चाहते हैं।

एक को अपना व्यापार नष्ट होने से बचाने के लिये तथा बच्चों की शिक्षा के लिये दो सौ रुपय की जरूरत थी। दूसरे को फोटोग्राफो के लिये दूकान चाहिये थी। तीसरे को कर्मा चुकाने तथा अपने अच्छे कपड़े गिरवी से छुड़ाने के लिये धन की आवश्यकता थी। चौथे को कुछ पियाना बजाना आता था, उसे पूरी तरह सीख कर उसके द्वारा कुटुम्ब का भरण पोषण करने के लिये एक पियानो चाहिये था। अधिकांश प्रार्थियों ने कितनी रकम चाहिये उसका उल्लेख न किया था केवल सहायता माँगी थी, किन्तु जब मैंने इसका अन्दाजा लगाना चाहा कि उन्हें कितने रुपय की जरूरत है तो मैंने देखा कि सहायता के अनुसार उनकी आवश्यकतायें भी बढ़ती जाती हैं। मैं जो कुछ देता था उससे वे सन्तुष्ट न होते और हो भी नहीं सकते। मैं यह फिर कह देना चाहता हूँ कि यह सम्भव है कि दोष मेरी समझ का हो, किन्तु बहरहाल मैं किसी की सहायता न कर सका, हालाँकि उन्हें सहायता पहुँचाने की मैंने पूरी काशिश की।

अब उन परोपकारी सज्जनों का हाल सुनिये कि जिनके सहयोग की मैं आशा कर रहा था। उनका विचित्र हाल हुआ—ऐसा कि जिसकी मुझे बिलकुल ही आशा न थी। जिन लोगों ने धन से सहायता देने का वचन दिया था और जो रकम वे देना चाहते थे उसको तादात्त भीषता दी था। उनमें से एक ने माँ रारीबों

में वितरण करने के लिये कुछ न दिया। आर्थिक सहायता के जो वचन मुझे मिले थे उनका हिसाब लगाया जाय तो लगभग ३ हजार रुबल होते हैं। किन्तु इन लोगों में से एक ने भी अपने वचन को याद न रक्खा और किसी ने एक कोपक भी मुझे न दिया। हाँ, केवल विद्यार्थियों ने लगभग १२ रुबल मुझे दिये थे, जो मनुष्य-गणना का कार्य करने के उपलक्ष्य में उन्हें मिले थे। मेरी जिस योजना के अनुसार घनी लोगों से लाखों रुबल एकत्रित करके सैकड़ों तथा हजारों मनुष्यों का दारिद्र्य तथा पाप से बटार करना था उसका यह अन्त हुआ कि विद्यार्थी लोगों ने जो कुछ रुबल दिये थे और सिटी कौन्सिल ने प्रबन्धक की हैसियत से काम करने के बदले में जो २५ रुबल मेरे पास भेजे थे उन सबको भिजा कर यों ही फुटकर गरीब लोगों में तक्तरीम कर दिया। मैं समझ ही न सक्ता कि उन रुबलों का इसके सिवा मैं और क्या उपयोग करूँ।

इस प्रकार इस कार्य का अन्त हुआ। मास्को छोड़ कर गॉब जाने से पहिले, मेरे पास जो ३७ रुबल जमा थे उन्हें रागीबों में बाँट देने के विचार से एक दिन रविवार को मैं जिनोफ-गृह गया। मैं परिचित स्थानों में सभी जगह घूम आया, किन्तु मुझे एक ही अपाहिज आदमी मिला जिसे मैंने, मैं समझता हूँ ५ रुबल दिये। मुझे ऐसा और कोई नहीं मिला कि जिसे मैं कुछ दूँ। इसमें सन्देह नहीं कि मुझ से माँगो तो कई लोगों ने किन्तु चूँकि मैं उन्हें जानता नहीं था इसलिये मैंने यह उचित समझा कि बाकी ३२ रुबल वितरण करने के सम्बन्ध में होटल के सालिक आइवन फिडॉटिच से सलाह ले लूँ।

वह त्योहार का दिन था। सभी लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे। खाने को भी ख़ुब था और कुछ लोग तो पीकर मस्त हो रहे थे। मैदान में घर के कोने के पास पुराने कपड़े खरीदने वाला एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो किसानों का सा कटा हुआ कोट और छाल क जूते पहिने हुए था। वह दृष्ट पुष्ट और तन्दुरुस्त था। अपने कपड़ों को छॉटकर, लोहे की तथा चमड़े आदि की चीजों की अलङ्कार २ ढेरी बना रहा था और प्रसन्न होकर ऊँचे स्वर से एक गीत गा रहा था।

मैं उससे बातें करने लगा। उसकी अवस्था ७० वर्ष की थी। उसके काँई बन्धु बान्धव न थे। पुराने कपड़ों का व्यापार करके वह अपनी रोजी कमाता था। उसे किसी प्रकार का शिकायत तो थी ही नहीं बल्कि उसका कहना था कि ईश्वर की कृपा से उसके पास खाने पीने को काफ़ी है—बल्कि कुछ बच रहता है। मैंने उससे पूछा कि यहाँ कोई शरीर आदमी भी है ? वह कुछ बिगड़ा और स्पष्टश्रुतिपूर्वक बोला—घड़िल और शराबी आदमियों के सिवा शरीर और बौन होगा ? किन्तु जब उसने मेरे पूछने का मतलब जान पाया तब तो वह भी प्याली चढ़ाने के लिये पाँच कोपक माँगने लगा और उन्हें पाते ही हाँटल की तरफ दौड़ गया।

पंखे से मैं भी बाकी रकम को दौँटवा देने के लिये आइसन फिडोतिब के पास होटल में गया। हाटल खूब भरा हुआ था, लड़कियों का मुँह का मुँह बन ठन कर इधर उधर घूम रहा था, सारी मेजें भरा हुई थीं। कई लोग तो शराब पीकर मस्त हो रहे थे और छोटे से कमरे में कोई हारमोनियम बजा रहा था और

हो जाने नाच रहे थे । मेरे सम्मान में आइवन फिडोटिच ने नाच गाना बन्द कर देने का हुक्म दिया और एक खाली मेज के पास मेरे साथ बैठ गया । मैंने कहा कि तुम अपने सभी किरायेदारों को जानते हो । इसलिये तुम बता सकते हो कि उनमें सब से ज्यादा गरीब कौन है ? शरीरों में बॉट देने के लिये मुझे एक छोटी सी रकम मिली है । उस दयालु मनुष्य ने (एक वर्ष पीछे इसकी सृष्टि हो गई) काम में लगे हुए होने पर भी मेरी खातिर न थोड़ी देर के लिये ग्राहकों को छोड़कर मेरे काम में मदद दी । वह बड़े ध्यान से इस विषय में सोचने लगा और उसकी मुद्रा से स्पष्ट होता था कि बड़ा परेशान है । एक पुराने नौकर ने हमारी बातचीत सुन ली थी, इसलिये वह भी इस चर्चा में शरीक हो गया ।

वह एक एक करके अपने यहाँ रहने वालों का नाम ले गये जिनमें से कुछ सं मैं भी परिचित था किन्तु कोई भी जँबा नहीं ।

‘परमः नौबना’ नौकर ने वाद दिलाई ।

‘हाँ, ठीक है । कभी २ उसे भूखा पढ़ा रहना पड़ता है । किन्तु वह शराब बहुत पीती है ।

‘ तो क्या हुआ ? ’

‘ लेकिन हाँ, स्विडन आइवनोविच, उसके बच्चे भी हैं । यह ठीक है ’ ।

किन्तु आइवन फिडोटिज जो आइवनोविच के सम्बन्ध में कुछ रांका थी ।

‘ अकुलीना ! किन्तु उसे तो पेन्शन मिलती है । किन्तु, हाँ, वाद आई, वह नुहा आदमी ! ’

किन्तु उसके लिये खुद मैंने व्यापत्ति की। मैंने उसे अभी हाल ही में देखा था। यह बुढ़ा अस्सी वर्ष का था, सगा सम्बन्धी उसके कोई न था। इससे अधिक धीन अवस्था की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किन्तु मैंने उसे अभी देखा था। परो के बिछौने पर वह शराब पिये हुए पड़ा था और अपेक्षाकृत छोटी उम्र की ली उसके पास थी जिसे वह महा गन्दी बाहियात गालियाँ दे रहा था।

तब उन्होंने एक हाथवाले बालक और उसकी भैं का विक्रि किया। मैंने देखा कि आइवन फिबोटिच अपनी इमान्दारी के कारण बड़ी मुश्किल में पड़ गया है क्योंकि वह जानता था कि जो कुछ दिया जायगा वह अन्त में जाकर उसके होटल में ही आएगा। किन्तु मुझे तो ३२ रुबल बाँटने थे इसलिये मैंने जोर देकर जिस किसी तरह उनके लिये आदमी खोज लिये। जिन लोगों को वे रुपये दिये गये, वे प्रायः अच्छे कपड़े पहिने हुए थे, और उन्हें ढूँढ़ने के लिये हमें दूर भी नहीं जाना पड़ा। वे सब वहीं होटल में मौजूद थे। बिना हाथ वाला लड़का जब आया, तो वह बढ़िया बूट, लाल कमीज और एक वास्केट पहिने हुए था।

इस प्रकार मेरी परोपकार-वृत्ति की यह आयोजना समाप्त हुई। सभी से नाराज होकर, तथा दूसरों पर अपने दिल का गुबार निकालते हुए मैं गाँव चला गया। जब कभी कोई आदमी मूर्खता-पूर्ण तथा हानिकारक कार्य करता है तो सदा ही ऐसा होता है कि दूसरों को मत्ता डुगा कहर की का गुबार निकाल-

जता है। मेरे इस कार्य का कोई भी फल न निकला। किन्तु मेरे दिल में इस कार्य से जो भाव तथा विचार जागृत हो गये वे वे बन्ध न टूट, बल्कि द्विगुणित वेग से वे मेरे मन को आन्दोलित करने लगे।

किन्तु इस सब का अर्थ क्या है ?

मैं गाँव में रहता था, इसलिये गरीबों के साथ मेरा सम्बन्ध हो गया था। झूठी नस्लता के लिये नहीं, प्रत्युत अपनी भावनाओं तथा विचार-लहरी को ठीक २ हृदयङ्गम कराने के लिये यह कहना आवश्यक है कि गाँव में गरीबों के लिये मैंने बहुत ही थोड़ा काम किया और गरीब लोग मुझ से जो सहायता चाहते थे वही वास्तव में बहुत थोड़ी थी। किन्तु मैंने जो अत्यल्प अकिञ्चन सेवा की थी वह भी उपयोगी सिद्ध हुई, और उसके द्वारा मेरे और मेरे पास-पड़ोस में रहनेवाले लोगों के बीच में प्रेम और सहानु-भूति का वातावरण पैदा हो गया था, और मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि इन लोगों के मध्य में रहकर, विलासी जीवन के अनौचित्य से जो अन्तरात्मा में एक प्रकार की बेवनाही छठी थी, उसको भी शान्त कर देना बहुत कुछ सम्भव है।

मैंने सोचा था कि शहर के गरीब लोगों से भी मेरा बैसा ही सुन्दर सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा। किन्तु वहाँ की तो परि-स्थिति ही बिलकुल भिन्न थी। शहर की गरीबी में सत्य का अंश तो कम था किन्तु प्राम्थ्य वरिद्धता की अपेक्षा वह अधिक अम-साध्य तथा कटुता-पूर्ण थी। नागरीक वरिद्धता का जो भवानक असर मेरे दिज्ञ पर पड़ा उसका खास कारण यह था कि डेर की डेर वरिद्धता एक ही स्थल में एकत्र हो गई थी। स्थापित गृह

में जो कुछ मैंने देखा उससे मुझे मालूम पड़ने लगा कि मेरा यह बिजासी जीवन एक महा भयानक नुराई है। किन्तु यह समझते हुए भी मैं अपने जीवन में वह क्रान्ति करने में सर्वथा असमर्थ था कि जिससे जीवन-शैली एकदम ही उलट पुलट देनी पड़ती। इस परिवर्तन का विचार करके ही मैं भयभीत हो उठता था। इसी-लिये मैंने मध्यम मार्ग को ग्रहण किया। लोगों ने जो मुझे सलाह दी, और वास्तव में आदि काल से लोग जो कहते चले आये हैं, मैंने उसी बात को मान लिया। मैंने इस बात पर विश्वास कर लिया कि धन-वैभव तथा सुख-पूर्ण जीवन में कोई नुराई नहीं है, यह तो ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं। और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भी गरीबों को सहायता पहुँचाना सम्भव है। इस बात पर विश्वास करके इसी के अनुसार व्यवहार करने का मैंने निश्चय किया, और एक लेख लिखकर गरीबों की सहायता करने के लिये मैंने धनिकों का आह्वान किया। सभी धनिकों ने इस बात को तो स्वीकार किया कि गरीबों को सहायता देना उनका नैतिक कर्तव्य है। किन्तु किसी ने भी आगे बढ़कर कुछ काम करने अथवा दान देने का नाम नहीं लिया। शायद उनकी इच्छा न थी अथवा ऐसा करने की उनकी शक्ती न थी।

मैं गरीब लोगों से मिलने के लिये उनके घर जाने लगा, और वहाँ जो कुछ मैंने देखा उसके देखने की तो मुझे आशा ही न थी। जिन घरों को मैं अँधेरी कोठरी कहता था उनमें मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जिन्हें सहायता पहुँचाना मेरे लिये असम्भव था। क्योंकि ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे जो परिश्रम करने और मूख व्यास सहने के अम्यस्त होते हैं। और इसी

लिए मेरी अपेक्षा उनका जीवन अधिक प्रौढ मिति पर स्थित था। वहाँ एक दूसरे प्रकार के लोग भी थे, जो बड़ी ही दुःखी दशा में थे; उनको भी मैं कोई सहायता न पहुँचा सकता था। क्यों कि वे भी विलकुल मेरी ही जैसी स्थिति में थे। अधिकारगरीबों की जो दुर्दशा मैंने देखी उसका कारण सिर्फ यह था, कि वे अपनी रोजी कमाने की राक्ति, इच्छा और ध्यात को खो बैठे थे। अर्थात् जैसा मैं बालसी और अकर्मण्य हूँ वैसे ही वे भी बन गये थे, और इसीलिये उनकी ऐसी हीन दशा भी थी।

भूखों मरती अगाक्रिया के सिवा ऐसा तो एक भी धार्मी नहीं मिला कि जो रोग, शीत अथवा भूख से नितान्त पीड़ित हो, और जिसे तत्क्षय सहायता पहुँचायी जा सके। और मुझे तो निश्चय हो गया कि मैं जिन लोगों को सहायता पहुँचाना चाहता हूँ उनके जीवन से अबतक मैं अलग अलग रहता हूँ, जब तक उनके अन्तस्तल मैं बैठकर उनकी वेदना को, उनकी आवरकता को, समझने की चेष्टा नहीं करता तब तक उनके दुःखों को दूर कर देना मेरे लिये लगभग असम्भव है। इन पर जब कोई दुःख, या आपत्ति आती है तब वह दुखी जीव आपस में ही एक दूसरे के दुःखों का निवारण करने का यत्न करते हैं और अब जो वह मेरा मूल सिद्धान्त सा बन गया था कि ये लोग जो दुःखमय, पतित जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसको पैसा देकर तो कभी सुधारा ही नहीं जा सकता।

इन सब बातों का मुझे विश्वास हो गया था, किन्तु जो काम पठाया था उसे बॉ ही अपूरा छोड़ने में लज्जा लगती थी और बूँकि मैं अपनी राक्तियों और गुणों के सम्बन्ध में बोके हैं

पड़ा हुआ था, इसलिये मैंने अपनी उस योजना को जारी ही रखा, जब तक कि वह खुद ही स्वामाधिक मृत्यु की गोद में जीव न हो गई। इस तरह बड़ी मुश्किल से और आइवन फिडोटिच की सहायता से मैं वहाँ रुबलों को, जिन्हें मैं अपना न समझता था, जिनोफ-गृह के होटल में लोगों को बाँटने में समर्थ हुआ था।

यदि मैं चाहता तो इसे धार्मिक कार्य का रूप देकर आगे चला सकता था। चाहता तो जिन लोगों ने चन्दा देने का बचन दिया था उनसे उतना रुपया वसूल कर लेता और कुछ और भी धन एकत्र करके बाँट सकता था, और इस प्रकार अपने मन को यह समझ कर कि मैंने भले आदमी की तरह भला काम किया है अपनी आत्मा को सन्तोष दे लेता। किन्तु मुझे विश्वास हो गया कि हम धनिक लोगों में अपने धन का थोड़ा सा भाग शरीरों को बाँट देने की इच्छा तथा प्रवृत्ति ही नहीं, और शाब्द ऐसा करने की शक्ति भी नहीं है। (क्योंकि हमारी अपनी ही आवश्यकतायें बहुत बड़ी हुई हैं।) और दूसरे, यदि हम लोगों का सचमुच ही भला करना चाहते हैं तो जिनोफ-गृह में जिस तरह पैस हमने इधर उधर वितरण कर दिखे थे उस तरह किसी को न देना चाहिये। इसलिये मैंने उस कार्य को बिलकुल ही बन्द कर दिया, और निराश तथा दुःखित होकर गाँव चला गया।

मैंने सोचा, गाँव आकर एक लेख लिखूँगा जिसमें अपने अनुभवों का बखूबी बखाना करते हुए यह बखानाऊँगा कि मेरी योजना असफल क्यों हुई। अनुभव-गद्यना सम्बन्धी लेख पर जो लोगों ने अनेक आक्षेप किये थे, उनका निराकरण करते हुए अपने बचपनी-कल्पना सिद्ध करूँगा और इसके साथ ही मेरा विश्वास था कि

इस सम्बन्ध में समाज की जो हृदय-हीन ज्येष्ठा-वृत्ति है उस पर भी कटाक्ष करेंगे। शहर की वृद्धता के कारणों और उसको दूर करने के उपायों का भी बख्शेख करने की मेरी इच्छा थी। इस लेख को मैंने लिखना प्रारम्भ भी कर दिया। मैं समझता था कि मुझे कई महत्व-पूर्ण बातें प्रकाशित करनी हैं। किन्तु जब मैं लिखने लगा तो मुझ से लिखा ही न गया। मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया और मेरे पास सामग्री भी बहुत काफ़ी थी। किन्तु मेरी मनस्थिति क्षुब्ध होने के कारण थी और इस समस्या को ठीक तरह समझने की अनुभव-अन्य शक्ति का अभाव भी था। औररक्षा कर इसलिये कि इस हीन अवस्था का कारण, जो कि वास्तव में मेरे ही अन्दर बद्ध-भूल था, सरल और स्पष्ट होते हुए भी, अभी तक मेरे हृदयङ्गम न हुआ था। मैं उस लेख को आगे न चला सका। फलतः प्रस्तुत वर्ष के आरम्भ तक वह लेख समाप्त न हो सका।

धार्मिक तथा नैतिक बातों के सम्बन्ध में एक अजीब बात विचार्य पड़ती है, जिस पर लोग इतना ध्यान नहीं देते। यदि मैं किसी अशिष्टित मनुष्य से भू-गर्भ-विद्या, ज्योतिष, इतिहास, पदार्थ-विद्या तथा गणित के सम्बन्ध में बातें करूँ, तो वह उन्हें बिलकुल नवीन समझता है और कभी वह नहीं कहता—“यह तो पुरानी बात है, इसमें नवीनता क्या है” ? किन्तु यदि किसी उच्च से उच्च कोटि के नैतिक सिद्धान्त की अत्यन्त सुन्दर और अपूर्व व्याख्या भी की जाय, तब भी प्रत्येक साधारण मनुष्य, जो कि नैतिक बातों में कोई रस नहीं लेता है, और साधक वह मनुष्य जो कि उन्हें पसन्द नहीं करता है, सुरन्ध ही कहने लगेगा—कौन यह कौन नहीं जानता ? भावि ज्ञान से खभी देना कहते ज्ञाने

हैं। और नजा तो यह है कि वह वास्तव में ऐसा ही विश्वास करता है। नैतिक सिद्धान्तों की जिन्हें परख है, जो उनकी क्रीमत्ता जानते हैं, वही समझ सकते हैं कि वे कितने महँगे और बहु-मूल्य हैं। कितने परिश्रम और अध्यवसाय के बाद कोई मनुष्य किसी नैतिक सिद्धान्त को विराट् तथा बुद्धिगम्य रूप में प्राप्त करने में समर्थ होता है। और वास्तव में वही अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार किसी अस्पष्ट घुँघले अनुमान तथा अनभिख्यक्त इच्छा में से धीरे धीरे विकसित तथा विस्फूर्त होते हुए कोई तत्व अन्ततः सुस्पष्ट स्थिर अविचल सिद्धान्त के रूप को प्राप्त होता है, कि जो तदनुसार मनुष्य को अपने आचरण में परिवर्तन करने के लिये अवाध्य रूप से आह्वान करता है।

हम लोगों को ऐसा समझ लेने की कुछ आदत सी पड़ गई है कि नैतिक सिद्धान्त बहुत ही तुच्छ और नीरस होते हैं कि जिनमें नवीन ज्ञान देने वाली अथवा रस लेने योग्य कोई बात हो ही नहीं सकती। किन्तु वस्तुतः बात तो यह है कि मानव-जीवन की राजनीति, विज्ञान, कला-कौशल आदि की जो विभिन्न जटिल क्रियायें हैं कि जिनका धर्म तथा नीति से कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता, उनका वास्तव में इसके सिवा और कोई उद्देश्य ही नहीं कि वे अपने २ अनुभव से नैतिक सिद्धान्तों की पुष्टि करें तथा नई २ तरह से उनकी व्याख्या करके उन्हें लोगों के समझने योग्य बनायें।

मुझे याद है कि एक बार जब मैं मारको की एक गली में जा रहा था तब मैंने देखा कि एक आदमी दुकान से चूरा और पत्थरों को गौर से देखने लगा और फिर उनमें से एक को चुन

कर उस पर बैठ गया और उसे लुब लोर लोर से घिसने तथा लुरचने लगा। मैंने दिल ही दिल में कहा—यह आवामी इस पत्थर का क्या कर रहा है ? किन्तु जब मैं नज़दीक आया तो देखा कि वह आवामी क्रसाई की दुकान से उतरा है और सड़क के पत्थर पर छुरी को पैना रहा है। मॉस काटने के लिये उसका दूरी को पैनाना जरूरी था किन्तु मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि वह पत्थर का कुछ कर रहा है।

इसी तरह मनुष्य-जाति व्यापार, युद्ध, सुलह, विज्ञान, कला आदि में लग्न दिखाई पड़ती है किन्तु फिर भी इन सब में केवल एक ही बात महत्व-पूर्ण है और लोग उसी का सम्पादन करते हैं। इन सब प्रवृत्तियों द्वारा वे उन नैतिक सूत्रों का पता लगाते हैं कि जिनके अनुसार वे जीवन-यापन करते हैं। नैतिक सिद्धान्तों का अस्तित्व सदा से हैं, मानव-जाति उनका आविष्कार नहीं करती। केवल अपने अनुभव और अभ्यवसाय से उन्हें ढूँढ़ निकालती है और नये रूप से उसकी व्याख्या करती है, यह व्याख्या उस मनुष्य को महत्व-पूर्ण नहीं मालूम पड़ती कि जिसे नैतिक सिद्धान्तों की जरूरत नहीं है। और जो उसके अनुसार जीवन-यापन नहीं करना चाहता। किन्तु समस्त मनुष्य-जाति का यह मुख्य कर्म हो इतना ही नहीं, बल्कि एक मात्र यही उसका काम है। गुट्टल (मॉंठी) तथा पैनी छुरी के भेद की तरह नैतिक सिद्धान्तों की विस्फूर्ति भी अदृश्य होती है। छुरी तो सदा ही छुरी है। जिसे उससे कुछ काटना नहीं है, उसके लिये गुट्टल तथा पैनी छुरी एक सी है। वह उसके भेद को जान नहीं सकता। किन्तु जो समझता है कि छुरी के गुट्टल अथवा पैने होने पर ही उसका जीवन अक-

लम्बित है उसके लिये उसका प्रत्येक पर्वण महत्व-पूर्ण है। वह जानता है कि छुरी को इस तरह पैमाने का अन्त ही नहीं हो सकता और छुरी उसी हालत में छुरी है कि जब वह पैनी है और जिस चीज को काटना है उसे वह काटती है।

मैं जब लेख लिखने बैठा तो मेरी भी यही दशा हुई। स्यापिन गृह के दृश्य से जो प्रभाव मेरे मन पर पड़ा, और उससे जो प्रभ उदय हुए, उनके सम्बन्ध में मैंने समझा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। किन्तु जब मैंने मन ही मन उन प्रश्नों का स्पष्टीकरण करना चाहा तो माखूम पड़ा कि छुरी गुट्टल है, उसे पैमाना होगा। आज दो तीन वर्ष के बाद मुझे कुछ ऐसा भास होता है, कि अब मेरी छुरी में इतनी धार है कि मुझे जो काटना है उसे वह काट सकती है। मैंने कोई नया ज्ञान प्राप्त किया हो, सो बात नहीं है ! मेरे सारे विचार जैसे थे वैसे ही हैं, पर पहले वे धुँधले और अस्पष्ट थे, उन्हें एक जगह केन्द्रीभूत करना कठिन था वे तुरन्त ही इधर उधर बढ़क जाते थे उनमें दम नहीं था और आज जिस प्रकार सरल निरञ्जल निश्चय को पहुँचा हूँ वैसे पहले असम्भव का प्रतीत होता था।

मुझे याद है कि नगर के दूरिद्र लोगों की सहायता करने के निष्फल आबोजन के समय मुझे सदा ही ऐसा भालूम होता था कि जैसे मैं स्वयं दलदली ज़मीन पर खड़ा होकर दलदल में फँसे हुए मनुष्य को खींचकर बाहर निकालने की चेष्टा कर रहा हूँ। उसके निकालने के प्रत्येक प्रयत्न पर मुझे यह अनुभव होता कि जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वह स्वयं कितनी अस्थिर है। मुझे ऐसा भाव तो हुआ कि मैं खुद दलदल पर खड़ा हूँ किन्तु फिर भी मैंने अपने पैरों तले की ज़मीन की ऑच-पड़ताल नहीं की, बल्कि यह समझ कर कि सारे दुःखों का कारण मेरे से बाहर है, मैं दुःखों के निवारणार्थ किसी बाह्य साधन की ही खोज में सारा समय लगा रहा।

मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीवन सराब है, लोगों का इस प्रकार जीवन व्यतीत करना ठीक नहीं। किन्तु फिर भी, इस धारणा से तो सरल और प्रत्यक्ष सिद्धान्त निकलता है कि दूसरों के जीवन का सुधार किस तरह किया जाय इसको समझने के लिये पहले अपने जीवन को सुधारना अनिवार्य और आवश्यक है। इस सरल स्वाभाविक सिद्धान्त को मैंने नहीं पहचाना। और इसी-लिये मैंने जो काम प्रारम्भ किया उसका डङ्ग कुञ्ज अस्ता सा था। मैं नगर में रहता था और वहाँ के निवासियों के जीवन को सुधारना चाहता था। किन्तु शीघ्र ही मुझे विश्वास हो गया कि यह काम करने की शक्ति मुझमें नहीं है और तब मैं नागरिक जीवन और नगर की दूरिद्रता की स्थापित्य पर विचार करने लग्य।

“यह नागरिक जीवन तथा नागरिक दरिद्रता क्या चीज है ? शहर में रहते हुए भी क्या मैं शहर के गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकता”—मैंने मन में यह प्रश्न किया। मेरे मन ने उत्तर दिया कि इनके लिये मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसका एक कारण तो यह है कि एक ही स्थल पर ऐसे लोग ढेर के ढेर इकट्ठे हो गये हैं। और दूसरी बात यह है कि इस शहर के गरीब, गाँव के गरीबों से, कुछ विभिन्न प्रकार के हैं। ये लोग इकट्ठे कैसे हुए होंगे ? और गाँव के गरीबों से विभिन्न ये किस बात में होंगे ? इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। यहाँ जो ये लोग इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं इसका कारण यह है कि गाँव में जिन लोगों की गुजर का कोई साधन न रहा वे सब यहाँ आकर नगर के घनिकों के चारों ओर इकट्ठे हो गये। इनकी विरोधता यह है कि ये सब के सब गाँव छोड़ छोड़ कर गुजर बसर के लिये शहर में एकत्र हुए हैं। (ऐसे गरीब कि जिनका जन्म शहर में ही हुआ है और जिनके बाप दादा भी शहर में ही पैदा हुए उनके पूर्वज पूर्वकाल में आजीविका के लिये शहर में आये होंगे।)

‘शहर में रोखी कमाना’—इस वचन का क्या अर्थ है ? इस वाक्य में कुछ विचित्रता सी मालूम पड़ती है और जब हम उस पर गहरा विचार करते हैं तो यह बात एक मजाक सी मालूम पड़ती है। ये लोग गाँव छोड़ कर जहाँ जंगल है, खेत हैं, अनाज हैं, पशु हैं, जहाँ भूमि की उर्वरता से उपार्जित समस्त वैभव है—उस स्थान को छोड़ कर रोखी कमाने के लिये ये लोग शहर में आते हैं कि जहाँ इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है।

केवल धूल और पत्थर भरे हैं। भिर मला शहर में रोषी कमाना—इस का क्या मतलब हो सकता है ?

यह वाक्य नौकर और मालिक दोनों सदा ही व्यवहार में लाते हैं जैसे कि वह बिलकुल स्पष्ट और बुद्धि-गन्ध हो। सैकड़ों और हज़ारों मनुष्यों से, जो सुन्न से अबबा तङ्गी से रहते थे मैंने शहर में आने के सम्बन्ध में चर्चा बलाई और मुझे याद है कि बिना किसी अपवाद के सभी ने कहा कि रोषी कमाने के लिये गाँव से यहाँ आये हैं। मास्को में खेती बाकी न होते हुए भी यहाँ बहुत धन है, और यहाँ वह धन मिल सकता है कि जिसकी गाँव में अनाज, मकान, घोड़े और जीवनोपयोगी अन्य आवश्यक सामग्री खरीद ने में ज़रूरत पड़ती है।

किन्तु वास्तव में ग्रामही समस्त सम्पत्ति का मूल है। अनाज, लकड़ी, घोड़े और अन्य आवश्यक चीज़ें सभी गाँव में ही होती हैं। फिर जो गाँव में है उसे लेने के लिये शहर में क्यों जाना जाये ? और सब से बड़ा सवाल तो यह है कि जिन चीज़ों की ग्रामों में आवश्यकता है उनको ग्रामों में से ले जाकर शहरों में क्यों इकट्ठा किया जाय—जैसे आटा, जौ, घोड़े और पशु ?

शहर में रहने वाले किसानों से मैंने सैकड़ों बार इस विषय पर बातचीत की है और उनकी बातचीत से तथा अपने अब-लोकन से मुझे स्पष्ट हो गया कि गाँव के लोग शहरों में आकर रहें वह कुछ अंशों में आवश्यक है क्योंकि इसके बिना उसकी गुज़र नहीं हो सकती और कुछ स्वेच्छा से भी नागरिक जीवन के प्रलोभनों में फँसकर वहाँ आते हैं।

ग्रामवासियों तथा किसानों के शिर पर जो बर्ष आ पड़े हैं

कलकी बजह से अपना अपनाज तथा बैल आदि, यह समझते हुए भी कि उनके बिना काम चल नहीं सकता, उन्हें बेचने ही पड़ते हैं और इसके बाद फिर अन्न और बैल आदि खरीदने के लिये इच्छा न होते हुए भी उन्हें नगर की ओर जाना पड़ता है। ग्राम-वासियों की ऐसी स्थिति है। यह सच है। किन्तु यह भी सच है कि गाँव की अपेक्षा कम मेहनत की कमाई तथा भोग-विलास से वे शहरों की ओर आकर्षित होते हैं और रोज़ाँ कमाने के बहाने वे शहरों में इसलिये जाते हैं कि वहाँ मेहनत कम करनी पड़ती है, अच्छा खाने को मिलता है, दिन में तीन बार चाय पीने को मिलती है, अच्छे कपड़े पहिने जाते हैं और शराब का चस्का लगा कर खच्छन्-शुक्ति का भी अवसर मिलता है।

इस परिस्थिति का कारण यह है कि धन, पैदा करने वाले, किसानों के हाथ से निकल कर, दूसरों के हाथ में चला जाता है, और नगरों में जाकर एकत्र होता है। जब सर्दी का मौसम आता है तो गाँव धन से झलकते हुए दिखाई पड़ते हैं किन्तु तुरन्त ही तरह-२ के सवें सामने आ खड़े होते हैं—जगान, किराया, फ़ौजी कर उसके बाद मदिरा, बिबाह, भोज, बिसाती आदि तरह-२ के मोहजाज आ उपस्थित होते हैं। इस प्रकार एक न एक द्वार से यह सारा धन, मेढ़ बकरी, बछड़े, गाय, घोड़े, मुर्गे, मुर्राँ, मक्कन, छन, कपास, जौ, गेहूँ, तथा कपास के सब बीज किन्हीं अनजान आवभियों के हाथ में चले जाते हैं जो उन्हें शहरों में और शहरों से राजधानी में ले जाकर इकट्ठा करते हैं। ग्रामवासी को अपना खर्चा चलाने के लिये और शहर के प्रलो-भनों के लिये वह सब कुछ बेच देना पड़ता है और फिर जब

जल्दतर पकती है तो उसे शहर में जाना पकता है कि जहाँ उसका सारा धन खींच कर ले जाया गया है; वहाँ वह गाँव की खास २ जल्दतरों को पूरा करने के लिये पैसा इकट्ठा करने का प्रयत्न करता है, और इस तरह नगर के प्रजोभनों में फँस कर अपने दूसरे साथियों के साथ एकत्र हुए धन का उपभोग करता है।

सारे रूस में और मैं समझता हूँ कि केवल रूस में ही नहीं बल्कि संसार भर में ऐसा ही होता है। गाँव वालों का धन, व्यापारी, जमींदार, सरकारी अफसर और कारखाने वालों के हाथ में चला जाता है। जो लोग इस धन को प्राप्त करते हैं, वह, उसका उपभोग भी करना चाहते हैं और उसका ठीक २ उपभोग करने के लिये उन्हें शहर में ही बसना चाहिये।

एक बात तो यह है कि गाँव छोटे होने के कारण अपनी अपनी सारी इच्छायें तृप्त नहीं कर सकते; क्योंकि वहाँ न तो बड़ी दुकानें होती हैं, न बैंक, न होटल-बियेटर तथा तरह तरह के मनोरंजन के सामान ही होते हैं। दूसरी बात यह है कि धन से मिलने वाला खास सुख जो अभिमान है, दूसरों से बढ़ कर रहने की, दूसरों को अपनी शान-शौकत से चकित कर देने की जो तृष्णा होती है व.इ थोड़ी बस्ती होने के कारण गाँव में पूरी नहीं की जा सकती। गाँव में भोग-बिलास का रस लेनेवाले तथा उसे देख कर चकित तथा प्रसन्न होने वाले लोग नहीं होते। गाँव में रह कर कोई कितना ही अपने घर की सजाये, कितने ही चित्र तथा मूर्तियों लाकर रखे, कितने ही गाड़ी छोड़े खरीदे और चाहे कितनी ही शौक्तीनी से रहे, वहाँ उन्हें देख कर प्रसन्न होने वाले तथा ईर्ष्या से जलने वाले कोई ही मिलेंगे क्योंकि

ग्रामवासी इन बातों से अनभिज्ञ होते हैं। तीसरी बात यह है कि गाँव में बिलासिता सहाय्य मनुष्य के लिये अरुचिकर होती है और कच्चे दाल आले के लिये चिन्ता का कारण भी हो उठती है। पकोसी के बच्चों को तो पीने के लिये भी दूध नसीब न हो और हम दूध से नहाएँ और कुत्तों को पिलायें, यह बड़ा ही महा और लज्जा-जनक प्रतीत होता है। इसी तरह गरीब आदिमियों के पास रह कर कि जिनके पास रहने के लिये टूटे फूटे भोपड़ों के सिवाय और कुछ नहीं होता और लकड़ी न मिलने के कारण जाड़े से ठिठुरते रहते हैं, ऊँचे २ महल तथा बगीचे बनाना भी अच्छा नहीं लगता।

यदि कोई मूर्ख अशिक्षित गँवार आदमी हमारे शौक की चीजों को आकर तोड़-फोड़ डाले तो उसे गाँव में रोकने वाला कौन है।

इसी कारण सारा धनिक वर्ग शहरों में जाकर बस जाता है, और अपनी ही जैसी वासनाओं वाले घनाड्यों के पास रहना पसन्द करता है कि जहाँ तरह तरह के भोग-विलास स्वच्छन्दता पूर्वक निर्द्वन्द्व होकर भोगे जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ इन लोगों की रक्षा के लिये बहुत सी पुलिस नियत होती है। शहर में खास तौर पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी होते हैं, और उनके चारों ओर धनी, मानी, व्यापारी तथा कला-कौशल वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शहर में किसी चीज की इच्छा करने भर की देर है और वह धनी पुरुष के लिये तैयार है। धनी पुरुष को इसलिये भी शहर में रहना अच्छा लगता है कि वहाँ उसके अभिमान को पोषण मिलता है क्योंकि वहाँ भोग-विलास में दूसरों के साथ शौक की जा सकती है, अपने वैभव से उन्हें अकित और

पराजित भी किया जा सकता है। अमार लोगों का शहर में रहने का एक खास कारण यह भी है कि गाँव में उनका जीवन इतना सुखमय नहीं हो सकता; अपने वैभव के कारण उन्हें भव भी लग्न रहता है पर अब यहाँ मय तो दरकिनार, आस-पास के दूसरे लोग जिस प्रकार शान के साथ रहते हैं, वसी प्रकार यदि न रहा जाय तो बस्ता बुरा लगे। गाँव में जो भय-जनक या और भद्दा सा मालूम पड़ता था, वही यहाँ आवश्यक और अनिवार्य दिखाई पड़ता है।

अमीर लोग शहरों में एकत्र होते हैं, और अधिकारियों के संरक्षण में रह कर गाँव से जो कुछ आता है, आनन्द-पूर्वक उसका उपभोग करते हैं। गाँव वाले नगर के घनाढ्यों के निरन्तर उत्सवों और भोजों से आकर्षित होकर कुछ बचा-सूचा मिल जाने की आशा से वहाँ जाते हैं, और घनिकों का चिन्ता-रहित, बिना मेहनत का आनन्द-मय जीवन जब वे देखते हैं, और देखते हैं कि प्रायः सभी उसे अच्छा समझते हैं, तो कभी कभी उनके मन में भी यह इच्छा जागृत होना स्वाभाविक ही है कि हम भी कम से कम परिमाण में काम करके दूसरों की मेहनत से अधिक से अधिक लाभ जिस प्रकार उठाया जा सके वैसा जीवन व्यतीत करें। आखिरकार वह घनी लोगों के पास ही ठहरने का निश्चय कर लेता है, और अपनी आवश्यक चीजों को उनसे प्राप्त करने की हर तरह चेष्टा करता है, और उसके बदले में अमीर लोग जो जो शर्तें पेश करते हैं उन्हें मान कर वह उनका आश्रित बन जाता है। उनकी सब प्रकार की विषय-बाछनाओं को तप्त करने में मत्त देता है, स्नान-गृहों में, होटलों

में, कोचवान और बेरया के रूप में वे गाँव के सौ पुरुष इनकी सेवा करते हैं। वे लोग गादियाँ, खिलौने और कपड़े आदि बनाते हैं और धीरे धीरे अपने घनी पड़ोसियों की [मौति रहना खीख जाते हैं, जिसमें वास्तविक मेहनत तो करनी नहीं पड़ती किन्तु तरह तरह की चालाकियों से दूसरों का इकट्टा किया हुआ धन उन्हें फुसला कर हरण कर लेते हैं, और इस प्रकार वह अष्ट-चरित्र होकर नष्ट हो जाते हैं। शहर के धन से बिगड़े हुए यही लोग हैं कि जो शहर की दरिद्रता का कारण हैं, और जिन्हें सुधारने के लिये ही मैंने यह आयोजन रचा था, पर सफल न हुआ।

गाँव के वे लोग जो अन्न खरीदने के लिये अथवा कर चुकाने के वास्ते शहर में पैसा कमाने की दृष्टि से आते हैं, उनकी स्थिति पर यदि जरा विचार करें तो बस है। वे देखते हैं कि हजारों रुपया बड़ी ही बेपर्वाही से लोग खर्च देते हैं, और सैकड़ों रुपया आसानी से कमाया भी जा सकता है जब कि गाँव में सख्त से सख्त मेहनत करने पर कहीं जाकर एक पैसा मिलता है। यह सब देखते हुए यह बात आश्चर्य-जनक प्रतीत होती है कि अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जो मेहनत मजदूरी करके रोषी कमाते हैं और व्यापार करके, भीख माँग कर, व्यभिचार और बर्मासी द्वारा तथा बोरी और लूट मार करके] सरलता-पूर्वक धन कमाने की ओर नहीं मुक गये हैं।

नगर्लें में आमन्द-प्रमोद की जो निरन्तर रेल-पेल नहीं हुई है उसमें माग लेने के कारण ही हमारी वृद्धि जजीब बन जाती है। हमें इसमें कोई विचित्र बात नहीं मान्य होती है कि एक

मनुष्य अपने लिये बड़े २ पाँच कम्बरे रखले, और उनको गरम रखने के लिये इतनी लकड़ी जलाए कि जिसमें २० परिवारों का भोजन बन सके, और उनके घर गरमाये जा सकें। हमें यदि आध मील जाना हो तो दो घोड़ों की बड़िया गाड़ी चाहिये, और उसके साथ दो सार्सेस भी होने चाहिये। अपने बेल-बूटेदार फर्शों को गलीचों से ढकते हैं और नाच-गान की एक २ मजलिस में पाँच से दस हजार रुपये तक लगा देते हैं। बड़े दिन के पेड़ के लिये २५ रूबल खर्च कर डालते हैं, और इसी प्रकार के अन्य अन्धा-धुन्ध खर्च करते हैं। हमें ये बातें भले ही अस्वाभाविक न मालूम हों, किन्तु जिस आदमी को अपने कुटुम्ब का पेट भरने के लिये १० रुपये की जरूरत है या लगान के लिये बहुत मेहनत करके भी ७ रुपये न बचा सकने के कारण जिसकी अन्तिम भेड़ छीन ली गई हो, वह आदमी तो कभी इस मयङ्कर फिजूलखर्ची को समझ ही नहीं सकता।

हम लोग समझते हैं कि गरीब लोगों को ये बातें बिलकुल स्वाभाविक मालूम होती होंगी। और कुछ तो ऐसे हज़ारत हैं कि जो यह कहते हुए भी नहीं हिचकते कि हमारे राग-रङ्ग से गरीबों का भला होता है—उन्हें इससे रोजी मिलती है। किन्तु गरीब होने से उनमें बुद्धि न हो यह बात तो नहीं है। वह भी टीक हमारी ही तरह विचार करते हैं। जब हम सुनते हैं कि किसी ने जुए में अपनी सम्पत्ति नष्ट कर दी या दस-बीस हजार रुपये गँवा दिये, तो तुरन्त हमारे मन में ख्याल आता है कि यह आदमी कैसा मूर्ख है। मुफ्त में इतने सारे रुपये बरबाद कर दिये। यदि मेरे पास इतनी रकम होती तो उसका कितना सदुपयोग करता!

में मकान बनवाता या जायदाद की तरकी में उसे खर्च करता ।

हमें धर्य ही अपनी दौलत को नष्ट करते हुए देख कर गरीब लोगों के दिल में भी उसी प्रकार का विचार उठता है, बल्कि उनके मन में यह विचार और भी जोर के साथ उठता है । क्योंकि आमोद-प्रमोद के लिये नहीं किन्तु जीवन की अपरिहार्य आवश्यकताओं को जुटाने के लिये उन्हें इस धन की जरूरत है । इस प्रकार की विचारशक्ति रखते हुए भी गरीब लोग अपने चारों ओर फैली हुई विलासिता को उदासीनता और उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसा समझ लेना भ्रमात्मक है ।

यह बात तो इन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं की, और स्वीकार कर भी नहीं सकते कि एक वर्ग तो मजे उड़ाये और दूसरा वर्ग भरपूर मेहनत करते हुए भी भूखों मरे । यह स्थिति इनको अच्छी लग ही नहीं सकती । पहले तो यह सब देख कर इन लोगों को आश्चर्य होता है, और बुरा भी माख्म होता है । किन्तु अधिक संसर्ग में आने से वे समझते हैं कि यह व्यवस्था तो उचित समझी जाती है तब वह भी मेहनत मजदूरी से पिंड छुड़ा कर इस राग-रङ्ग में भाग लेने का प्रयत्न करते हैं । उनमें से कितने ही सफल हो जाते हैं, और मजे उड़ाने में मग्न हो जाते हैं । कितनों ही को यह स्थिति प्राप्त करने में देर लगती है, और कितने ही इच्छित स्थिति को प्राप्त करने से पहिले ही थक जाते हैं । किन्तु मेहनत-मजदूरी का अभ्यास छूट जाने से वे बध्मारी तथा बेरबादृष्टि का आशय लेते हैं ।

दो वर्ष पहिले एक किसान के बालक को अस्तबल में काम करने के लिये हम जाये । अस्तबल के दारोगा के साथ बसने

फगड़ा किया। इसलिये थोड़े दिनों में उसे अलहदा कर दिया। वह एक व्यापारी के यहाँ नौकर हो गया और उसका कृपा-पात्र बन कर आज सुन्दर कोट पहनता है, सोने की चैन वाली घड़ी रखता है और चमचमाते हुए बूट पहनता है। इस लड़के की जगह हमने दूसरे किसान को नौकर रक्खा। यह विवाहित था। वह जुआ खेलने गया और रुपया हार आया। हमने तीसरा आदमी नौकर रक्खा, इसको शराब पीने की लत पड़ गई और उसके पास जो कुछ था वह सब उड़ा देने के बाद वह बहुत दिनों तक एक अनायावास में पड़ा रहा। हमारा पुराना रसोई बनाने वाला शहर में आकर शराब पीने लगा और बीमार पड़ गया। हमारा साईंस पहले बहुत शराब पीता था, किन्तु पाँच वर्ष तक गाँव में रह कर उसने शराब को छुआ भी नहीं किन्तु जब वह अपनी स्त्री को छोड़ कर कि जो उसकी देखभाल रखती थी, मास्कों में आया, तब वह फिर पीने लगा और उसने अपना जीवन दुःखमय बना लिया। हमारे गाँव का एक छोटा लड़का मेरे भाई के बटलर के हाथ के नीचे है। उसका अन्धा और बुढ़ा दादा, जब मैं गाँव में रहता था, तब मेरे पास आया और कहने लगा कि किसी तरह मेरे पोते को समझा दो कि वह लगान अदा करने के लिये दस रूबल भेज दे क्योंकि ऐसा न हुआ तो गाय बेचनी पड़ेगी।

उस वृद्ध ने यह भी कहा, 'वह लड़का कहा करता है कि उसे भले आदमियों के से कपड़े पहनने पड़ते हैं जिसमें बहुत खर्च हो जाता है। उसने बड़े बूट खरीद लिये हैं। इतना ही बहुत है किन्तु मैं तो समझता हूँ कि वह अब पड़ी खरीदने की धुन में है।

वृद्ध ने ये बातें इस ढङ्ग से कहीं कि जिससे मालूम पड़ता

था कि उसकी दृष्टि में घड़ी खरीबने से बढ़ कर फिजूलखर्ची तथा मूर्खतापूर्ण बात कोई हो ही नहीं सकती, और उस विचारे का स्वाल ठीक भी था। इस वृद्ध को शीत-काल भर ज़रा भी घी या तेल खाने को नहीं मिला, और अब उसका सारा ईंधन नष्ट हुआ जा रहा है क्योंकि उसे कटाने के लिये सबा रूबल की ज़रूरत है, जो उसके पास नहीं है। वृद्ध ने जो बात व्यङ्ग के रूप में कही थी, वह निकली भी सत्य। वह लड़का एक सुन्दर काला ओवर-कोट और आठ रुपये वाले बूट पहन कर मेरे पास आया। कल ही मेरे भाई से दस रुपये लेकर उसने बूटों में खर्च कर दिये। मेरे बच्चे इस लड़के को बचपन से जानते थे। उन्होंने मुझ से कहा—इस लड़के को घड़ी की तो बड़ी ज़रूरत है। यह है बड़ा अच्छा पर यह समझता है कि यदि मेरे पास घड़ी न होगी तो लोग मुझ पर हँसेंगे। इसलिये घड़ी तो इसे चाडिये ही।

इस वर्ष १८ वर्ष की एक दासी का कोचमैन के साथ अनुचित सम्बन्ध हो गया और उसे छुट्टी दे दी गई। जब मैंने अपनी बूढ़ी धाय से यह बात कही तो उसने मुझे एक दूसरी लड़की की याद दिलाई, जिसे मैं भूल गया था। दस वर्ष पहिले जब हम मास्को में रहते थे यह लड़की हमारे यहाँ नौकर थी। वहीं वह सार्जिस की मुहब्बत में फँस गई। इसे भी बिदा कर दिया गया था और आखिरकार वह बेरया-वृत्ति करने लगी। बीस वर्ष की भी वह होने न पाई कि घृणित रोग से पीड़ित होकर वह अस्पताल में मर गई। हमारे भोग-विलास के लिये जो मिला और कारखाने खुले हैं, उनमें जो हो रहा है उसे एक ओर छोड़कर हम अपने चारों ओर स्वतः अपनी विलासिता के कारण जो अनीति की

बचकर बला फैला रहे हैं उसे यदि हम भाँस उठाकर देखें तो हमारा हृदय दहले बिना न रहे ।

इस प्रकार जिस नागरिक दुरिद्धता को दूर करने में मैं असमर्थ रहा, उसका मूल कारण मुझे मिला गया । मैंने देखा कि हम लोग गाँव वालों के पास से उनकी अकूरत की बीजों को ला लाकर जो शहरों में भरते हैं, वह इस दुर्घटा का पहला कारण है और दूसरा कारण यह है कि इन नगरों में अपने भोग-बिलास की खातिर इन एकत्र की हुई बीजों का अन्धाधुन्ध खर्च करके हम उन गाँव वाले किसानों को वैभव के प्रलाभनों में फँसाकर उनका जीवन नष्ट करते हैं, जो अपना अपना घर छोड़ शहर में से उन बीजों के कुछ अंश को ले जाने के लिये आते हैं जिन्हें हम गाँव में से उनसे छीन कर ले आये हैं ।



एक दूसरे दृष्टि-काण से विचार करने पर भी मैं उसी निष्पत्ति पर पहुँचा। शहर के गरीबों के साथ, इस बीच में मेरा जो संसर्ग हुआ, उसे स्मरण करने पर मुझे मालूम हुआ कि गरीब लोगों की मदद न कर सकने का एक कारण यह था कि इन लोगों ने मुझे अपनी सच्ची स्थिति से वञ्चित रखकर झूठी बातें कहीं। ये लोग मुझे मनुष्य नहीं, एक प्रकार का साधन समझते थे। मैंने देखा कि मैं उनके साथ घनिष्ठ हार्दिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता, और मैं शायद ऐसा करना जानता ही न था। किन्तु सच्चाई के बिना तो सहायता करना असम्भव था। भला किसी आदमी को सहायता किस प्रकार पहुँचाई जा सकती है जब तक कि वह अपनी सारी परिस्थिति बता नहीं देता? पहले पहल तो मैं इस बात का दोष गरीबों पर ही रखने लगा। क्योंकि दूसरों के मत्वे दोष मढ़ना सरल और स्वाभाविक है। किन्तु सुटेफ़ नाम के एक विचक्षण मनुष्य ने, जो उन दिनों मुझ से मिलने आया था और मेरे घर रहता था, एक ऐसी बात मुझ से कही कि जिससे मेरा सारा संशय मिट गया और मैं यह भी समझ गया कि मेरी निष्फलता का वास्तविक कारण क्या है।

मुझे याद है कि सुटेफ़ ने जब वे बातें कहीं थीं तब भी उनका मेरे दिल पर गहरा असर पड़ा था। किन्तु उन बातों का ठोक डीक और पूरा अर्थ मेरी समझ में आया कुछ दिनों बाद।

उन दिनों जब मैं आत्म-बन्धना के बन्धन में पूरे तौर पर पड़ा हुआ था, मैं अपनी बहन के घर गया। सुटेफ़ भी वहीं था। मेरी बहिन मेरी योजना के सम्बन्ध में मुझ से प्रश्न करने लगी।

मैं सब बातें उसे बता रहा था, और जैसा कि अक्सर होता है, जब किसी आदमी को अपने काम में पूरा विश्वास नहीं होता है, तो वह खूब बना-बना करके उसका जिक्र करता है। ठीक वैसे ही मैं भी बड़े जोश और उत्साह के साथ विश्वासरपूर्वक अपने काम का और उसने होने वाले परिणामों का वर्णन करने लगा। मैं उसे बता रहा था कि मास्को में गरीबों की जो दशा हो रही है उसका हमें किस प्रकार ख्याल रखना चाहिये और अनार्यों तथा वृद्ध मनुष्यों की किस तरह खबरगिरी रखनी चाहिये और गाँव के कंगाल लोगों को घर वापस भेजने तथा बिगड़े हुए लोगों को सुधारने के साधन किस प्रकार जुटाने चाहिये।

मैंने अपनी बहिन को समझाया कि यदि हम अपने कार्य में सफल हुए तो मास्को में एक भी ऐसा गरीब आदमी न होगा कि जिसे हम सहायता न पहुँचा सकें।

मेरी बहिन ने मेरे विचारों से सहानुभूति प्रकट की। किन्तु मैं जब बातें कर रहा था तो कभी-कभी सुटेफ़ की ओर देखता जाता था। मैं उसके धार्मिक जीवन से परिचित था, और जानता था कि वह दान सबन्धी बातों को कितना महत्व देता है। मुझे उससे सहानुभूति की आशा थी, और इच्छिलिये मैं इस डङ्ग से बातें कर रहा था कि जिससे वह मेरी बातें समझ जाय। देखने को तो मैं अपनी बहिन से बातें कर रहा था, पर वास्तव में मेरी बातों को गति अधिकतर उसी की ओर थी।

काली मेढ़ की खाल का कोट—जिसे किसान लोग घर में कसा बाहर पहना करते हैं—वह पहने हुए अचल और स्थिर भावसे बैठा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह हमारी बातें नहीं सुन रहा है बल्कि किसी और ही बात के ध्यान में है। बातें करते-समय आँखों में जो एक प्रकार की चमक ली आ जाती है, वह उसकी छोटी छोटी आँखों में बिलकुल ही नहीं बल्कि ऐसा मालूम होता था कि उसकी दृष्टि किसी अन्तर प्रदेश में विचर रही है। जी भरकर बातें कर चुकने के बाद मैंने उसको सम्बोधित करके पूछा कि इस विषय में उसका क्या विचार है।

उसने कहा—यह सब व्यर्थ है !

मैंने पूछा—क्यों ?

विश्वासपूर्वक स्वर में वह बोला—यह सारी योजना खोखली है, इससे कोई लाभ न होगा।

‘किन्तु लाभ होगा क्यों नहीं ? यदि हम हज़ारों सैकड़ों दुखी मनुष्यों को सहायता पहुँचाएँ तो इसे व्यर्थ कैसे कहा जा सकता है ? तंगे को कपड़ा देना और भूखे को भोजन कराना क्या धर्म-शास्त्र की दृष्टि से बुरा है ?

सुटेक ने कहा—यह सब मैं समझता हूँ, किन्तु तुम जो कुछ कर रहे हो वह वैसा नहीं है। क्या इस प्रकार सहायता देना सम्भव है ? सड़क पर जाते हुए तुम से कोई पैसा माँगता है, तुम उसे दे देते हो। क्या यह दान है ? उस की आत्मा के कल्याण के लिये कुछ करो, उसे कुछ सिखाओ। कुछ पैसे फेंक कर तुम अपने घर से बला टाकते हो। क्या यह भी दान में दान है ?

मैंने कहा—नहीं, मैं हम यह नहीं कहते। हम पहले खे-

उनकी आवश्यकताओं को मालूम करेंगे और फिर वन से आवश्यक काम करके उनकी सहायता करेंगे। रात्रीयों के लिये हम कुछ काम भी खोज निकालेंगे।।

मुटेफ ने कहा—इस प्रकार उनकी कुछ भी सहायता न होगी। मैं बोल उठा—तो क्या करें? क्या उन्हें भूखों मरने दे और शीत से ठिठुरने दें?

“मरने क्यों दें? ऐसे कुल कितने आदमी होंगे?”

“कितने आदमी होंगे? आप शायद जानते नहीं, कि अकेले मास्को में बीस हज़ार आदमी हैं, जो शीत और भूख की व्याधि से पीड़ित हैं; और फिर सेन्ट पीटर्सबर्ग तथा अन्य नगरों में कितने होंगे?”

वह मुस्कराया—‘सिर्फ बीस हज़ार! और रूस में कुल घर कितने होंगे? लगभग दस लाख तो होंगे ही।’

“लेकिन इससे मतलब क्या है?”

“मतलब क्या है?” अब की बार कुछ गर्मी से उसने कहा और उसकी आँखें उत्साह से चमक उठीं। ‘हमें इन लोगों को अपने साथ मिला लेना चाहिये। मैं खुद अभी आदमी नहीं हूँ। लेकिन दो आदमी को अभी अपने पास रख लूँगा। तुमने अपने बावर्ची खाने में जो आदमी अभी रक्खा है मैंने उससे मेरे साथ चलने को कहा, किन्तु उसने अस्वीकार कर दिया। यदि इस से दसगुने भी होते तब भी हम सबको अपने परिवारों में शामिल कर लेंगे। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। यह हम लोगों को काम करते हुए देखेंगे और जीवन-निर्वाह करने का ढङ्ग सीखेंगे। हम लोग साथ बैठ कर एक खा भोजन करेंगे।’

कमी मुझ से और कमी तुम से दो अच्छे शब्द इन्हें सुनने को मिलेंगे। यह दान है, यह उपकार है। आपकी योजना से कोई लाभ नहीं।”

इन सीधे सादे शब्दों से मैं प्रभावित हुआ। उसकी बात सच है, वह तो मानना ही पड़ा। पर उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका कहना सच होने पर भी सम्भव है कि मेरी योजना से भी कुछ लाभ पहुँच सके किन्तु ज्यों ज्यों मेरा काम आगे बढ़ा और गरीब लोगों के संसर्ग में ज्यों ज्यों मैं अधिक आया त्यों त्यों मुझे इन शब्दों की याद अधिकाधिक आने लगी और वे अधिक अर्थ-पूर्ण मालूम होने लगे।

मैं रोएँदार क्रीमती कोट पहन कर निकलता हूँ, अथवा गाड़ी में बैठकर ऐसे आदमी के पास जाता हूँ जिसके पास पहिने के लिये जूते भी नहीं हैं। वह देखता है कि मेरे घर की सजावट में हजारों रुपये खर्च होते हैं या बिना सोचे विचारे मैं किसी को पाँच रुपये केवल मन की लहर के कारण दे डालता हूँ। इन बातों को वह देखता है और इनका उसके दिल पर असर पड़े बिना नहीं रह सकता। वह सोचता है और समझ जाता है कि मैं जो इतना खर्च करता हूँ या इस प्रकार लोगों को रुपये दे डालता हूँ इसका कारण यह है कि मैंने बहुत सा रुपया इकट्ठा कर लिया है, जो मैं किसी को देना नहीं चाहता और जो मैंने दूसरों से बेवर्ती से छीन लिया है। मेरे विषय में इसके सिवा उसका और क्या कथन हो सकता है कि मैं उन मनुष्यों में से हूँ, जो बहुत सी ऐसी चीजों के मालिक बन बैठे हैं कि जो वास्तव में उसके पास होनी चाहियें। और मेरे प्रति, इसके

अतिरिक्त उसकी और माबना हो ही क्या सकती है कि मैंने उससे तथा अन्य लोगों से जो रुपये ले लिये हैं, उनमें से जितने जिस प्रकार हो सकें वह वापस लेने की इच्छा करे ?

मैं उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखना चाहता हूँ और शिकायत करता हूँ कि उसका व्यवहार उतना सधा नहीं है । किन्तु साथ ही मैं उसके विछौने पर बैठने से डरता हूँ कि कहीं कोई छूत का रोग न लग जाय, और उसे अपने कमरे में भी आने देना नहीं चाहता । यदि वह बेचारा अर्धनग्न अवस्था में मुझ से मिलने आता है, तो उसे घंटों इन्तजार करना पड़ता है, और उस समय यदि उसे ह्योटी में स्थान मिल गया तो यह उसका सौभाग्य है, नहीं तो बाहर सर्दी में खड़ा खड़ा ठिठुरा करे ! और फिर मैं कहता हूँ कि यह सब उसका दाप है कि मैं उसके साथ आत्मीयता स्थापित नहीं कर पाता, उसका हृदय साफ नहीं है ।

कठोर से कठोर शिल वाले आदमी भी यदि पाँच प्रकार के पकवानों को लेकर ऐसे मनुष्यों के मध्य में खाने को बैठें कि जो भूखों मर रहे हैं या जिनके पास खाने को सूखी रोटी के सिवा और कुछ नहीं, तो निस्सन्देह किसी का जी खाने को न करेगा जब कि उसके चारों ओर भूखे लोग होठ चाटते हुए खड़े हों। इसलिये आधा पेट भोजन करने वाले लोगों के मध्य में रहकर अच्छी तरह खाने के लिये यह जरूरी है कि हम अपने को उनकी दृष्टि से छुपा लें और इस प्रकार खायें कि जिससे वे देख न सकें और सब से पहले हम यही बात करते भी हैं ।

मैंने निष्पन्न होकर अपने जीवन की गति-विधि का अध्ययन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि गरीब लोगों के साथ हमारे

सम्बन्ध का घनिष्ठ होना जो असम्भव सा हो रहा है वह केवल इच्छाशक्ति की बात नहीं है, बल्कि हम खुद अपने जीवन को ऐसे ढङ्ग पर ढाल रहे हैं कि जिससे हमारा वनका सम्पर्क असम्भव हो जाय। इतना ही नहीं, अपने जीवन को तथा धनी लोगों के जीवन को बाहर से देखने पर मैंने तो समझा कि हम लोग जिसे आनन्द वा सुख समझते हैं वह जहाँ तक हो सके, इन गरीब लोगों से पृथक् होकर दूर रहने ही में है, अथवा किसी न किसी प्रकार इस वाञ्छित पृथक्करण के सम्बन्धित है।

सभी बात यह है कि भोजन, पोशाक, मकान और सफाई से लेकर शिक्षा तक हमारी जीवन-सम्बन्धी सभी बातों का उद्देश्य ही यह मालूम पड़ता है कि हमारे और गरीबों के बीच में दीवार खड़ी कर दी जाय और भेद-भाव तथा पृथक्करण की इस दुर्लभ्य दीवार को खड़ी करने में हम अपने धन का १० हिस्सा खर्च करते हैं।

जब कोई आदमी धनवान् हो जाता है तो सबसे पहला काम वह यह करता है कि वह दूसरों के साथ खाना छोड़ देता है। वह अपने तथा परिवार के लिये खास भोजन बनवाता है, और अलहदा थालियों लगवाता है। वह अपने नौकरों को तो अच्छी तरह भोजन कराता है ताकि उनके मुँह में पानी न भर आये पर स्वयं अलहदा बैठ कर भोजन करता है। पर अकेले खाना अच्छा नहीं लगता इसलिये भोजन में यथासम्भव सुधार होता है और मेज को भी खूब सजाया जाता है। खुद खाने की पद्धति ही अभिमान और गौरव की बात हो जाती है, जैसा कि दिनर पार्टियों में देखने में आता है। उसके भोजन करने की

पद्धति मानो उसे दूसरे लोगों से अलङ्कार करने का एक साधन है। किसी गरीब आदमी को भोज में निमंत्रित करना तो धनी आदमी के लिये बिलकुल अविन्यत बात है। भोज में सम्मिलित होने के लिये महिला को मेज तक पहुँचाने की, सलाम करने की, बैठने की, खाने की हाथ मुँह धोने की समीप तो होनी ही चाहिये और इन बातों को सिर्फ़ अमीर लोग ही ठीक तरह से करना जानते हैं।

पोशाक के सम्बन्ध में भी वही बात है। यदि कोई अमीर आदमी सादी पोशाक पहने तो शरीर को ढकने तथा शीत से सुरक्षित रखने के लिये उसे बहुत ही थोड़े कपड़ों की जरूरत हो; और यदि उसके पास दो कोट हों तो जिसके पास एक भी न हो उस एक कोट दिये बिना उससे रहा ही न जाय। किन्तु अमीर आदमी ऐसी पोशाक पहनना शुरू करता है कि जिसमें बहुत सी चीजें होती हैं, जो विशिष्ट समय पर ही पहिनी जा सकती है और इसलिये वह गरीब आदमी के मतलब की नहीं होती। फैशनबल आदमी के लिये शाम के पहनने के ड्रेस कोट, वेस्टकोट, फ्राककोट, पेटेन्ट लेदर बूट होने ही चाहिये। और उसकी जेब के पास भी ऊँची ऐकी के जूते, शिकारी और खिकरी जाकेट, बॉक्स और फैशन के मुताबिक तरह तरह की कई हिस्सों की बनी हुई पोशाकें अवश्य चाहिये। ये सब चीजें केवल ऊर्ध्व के काम आ सकती हैं कि जो परिद्धता से बहुत दूर है। इस प्रकार हमारा पहराबा भी हमें जुदा करने का एक साधन-हो जाता है। और फैशन तो अमीरों को गरीबों से दूर रखने का एक प्रमुख कारण है ही।

वही बात हमारे मकानों से और भी स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। एक आदमी दस कमरों का उपयोग कर सके इसके लिये हमें ऐसा प्रबन्ध करना पड़ता है कि वह ऐसे लोगों की दृष्टि से दूर रहे कि जो दस दस की संख्या में एक कमरे में रहते हैं। जितना ही अधिक कोई आदमी धनवान् होता है उस तक पहुँचना भी उतना ही कठिन होता है। उतने ही अधिक दरवान गरीब आदिमियों को उसके पास न पहुँचने देने के लिये तैनात होते हैं, और किसी गरीब आदमी का आतिथ्य-सत्कार करना उसे अपनी कालीनों पर चलने फिरने तथा मखमली कुर्सियों पर बैठने देना भी उसके लिये उतना ही अधिक असम्भव हो जाता है।

सड़क में भी यही बात होती है। बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाला वह किसान बड़ा ही कठोर हृदय होगा कि जो राह चलते थके हुए बटोही को अपना गाड़ी में बिठाने से इन्कार कर दे। उसकी गाड़ी में काफी जगह होती है और वह आराम से उसे बिठा सकता है। किन्तु गाड़ी जितनी ही अधिक ठाठदार और अभीराना होगी मालिक के सिवा किसी दूसरे आदमी को उसमें स्थान देना उतना ही अधिक असम्भव होगा। कुछ बहुत ही शानदार गाड़ियों तो इतनी तङ्ग होती हैं कि उन्हें 'एकता' या 'एकवादी' कहा जा सकता है।

स्वच्छता शब्द से हम जिस प्रकार की जीवन-शैली की ओर निर्देश करते हैं, उसके सम्बन्ध में भी वही कहा जा सकता है। स्वच्छता !

उन मनुष्यों को खास कर उन स्त्रियों को कौन नहीं जानता कि जो प्रायः स्वच्छता की दुहाई दिया करते हैं ? स्वच्छता के

के इन विभिन्न रूपों से भी कौन परिचित नहीं है ? इनकी कोई सीमा ही नहीं है जब तक कि वे दूसरों की मेहनत से प्राप्त होते हैं । स्वयं-निर्मित चीजों में ऐसा कौन है जिसने वह अनुभव न किया हो कि अपने को उस स्वच्छता का अभ्यस्त बनाने में कितनी परेशानी और दर्दसरी उठानी पड़ती है, कि जो इस कहावत को चरितार्थ करती है—‘उजले हाथों को दूसरों की मेहनत अच्छी लगती है ।’

आज स्वच्छता इसमें है कि रोज़ कुर्ता बदला जाय, कल दिन में दो बार कुर्ते बदलने होंगे । पहले तो हाथ और मुँह धोना प्रति दिन आवश्यक होता है, फिर पैर भी रोज़ाना धोने होते हैं और फिर सारा शरीर और वह भी खास २ तरीकों से । एक साफ़ मेजपोश दो दिन तक काम देता है, फिर वह रोज़ बदला जाता है, और उसके बाद दिन में दो दो मेजपोश बदले जाते हैं । आज तो इतना ही काफी समझा जाता है कि अर्दली के हाथ साफ़ हों पर कल उसे दस्ताने और सो भी साफ़ दस्ताने पहनने चाहिये और एक साफ़ तश्तरी में रखकर पत्र पेश करने चाहिये । इस स्वच्छता की कोई हद नहीं है और इसके सिवा इससे कोई लाभ नहीं है कि यह हमें दूसरे लोगों से जुड़ा कर दे, हालाँकि इस स्वच्छता के जिये हमें दूसरों ही की मेहनत पर निर्भर रहना पड़ता है ।

इतना ही नहीं, मैंने जब इस बात पर गहरा विचार किया तो मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि हम जिसे शिक्षा कहते हैं वह भी एक ऐसी ही चीज़ है । भाषा धोखा नहीं दे सकती, वह हर एक चीज़ को ठीक नाम से पुकारती है । फैरनेबल पोशाक, अटपटी बातचीत, उजले हाथ और स्वच्छता की कुछ मात्रा,

एक इस्वी को साधारण लोग शिक्षा कहते हैं। दूसरों से मुझ-बला करते हुए जब वे उसकी विशेषता दिखाना चाहते हैं तो कहते हैं कि वह शिक्षित मनुष्य है। इससे कुछ उच्च भेखी के लोगों में भी शिक्षा का वही अर्थ समझा जाता है। किन्तु उनमें ये बातें और जोड़ दी जाती हैं—पियानो बजाना, फ्रांसीसी भाषा का ज्ञान, रूसी भाषा का शुद्ध लेख और स्वच्छता की कुछ अधिक मात्रा। इससे जो ऊँची भेखी में शिक्षा के अन्दर ये सब बातें होती ही हैं और इनके अलावा अंग्रेजी, शिक्षा सम्बन्धी किसी ऊँची संस्था का सर्टीफिकेट और स्वच्छता की और भी अधिक मात्रा, इन बातों का भी समावेश समझा जाता है। किन्तु इन तीनों ही भेखियों में शिक्षा का स्वरूप एकसा ही है।

शिक्षा से मतलब है वह आचार और विभिन्न प्रकार का ज्ञान जो मनुष्य को दूसरे मानव-बन्धुओं से पृथक् करता है। इसका भी वही अर्थ है कि जो स्वच्छता का है। अर्थात् हमें सर्व साधारण लोगों से पृथक् करना जिसे भूखों मरते और शाव से ठिठुरते हुए लोग देख न सकें कि हम किस प्रकार मौख बढाते हैं। किन्तु हमारी ये बातें छिपी नहीं रह सकतीं, भेद खुल ही जाता है।

इस प्रकार मैं यह समझ गया कि हम अमीर लोग जो रारीयों की मदद करने में असमर्थ हैं इसका कारण यह है कि हमारा उनके साथ अनिष्ट सम्बन्ध स्थापित होना अशक्य है, और यह बाधा हम स्वयं अपने धन तथा समस्त जीवन-वर्षों के द्वारा खड़ी करते हैं। मुझे विश्वास हो गया कि हम अमीरों और रारीयों के बीच में हमारे ही द्वारा उठाई हुई शिक्षा और स्वच्छता की एक दीवार

कभी हुई है और उसका आविर्भाव हमारे मन के द्वारा हुआ है ।
 ग्रहीणों को सहायता पहुँचाने के योग्य होने के लिये हमें सब से पहले
 इस दीवार को ही तोड़ना पड़ेगा और ऐसी परिस्थिति पैदा करनी
 होगी कि जिससे सुटेक के बताने हुए प्रस्तावों को क्रियात्मक रूप
 दिया जा सके । अर्थात् ग्रहीणों को हम अपने अपने घरों में ले
 लें । जनता की दृष्टिशा के सम्बन्ध में अपनी विचारकरणी
 के द्वारा मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँचा, एक दूसरे दृष्टि-कोण से भी
 मैं उसी परिस्थान पर आया अर्थात् दृष्टिशा का कारण हमारा
 अनाधिक्य है ।



फिर तीसरी बार और अब की बिलकुल व्यक्तिगत दृष्टि से मैंने इस विषय पर विचार करना शुरू किया। मेरी उस परोक्षकारी प्रवृत्ति के समय एक बात ने मेरे दिल पर बड़ा असर किया, और वह बात मालूम भी बड़ी विचित्र होती है, किन्तु बहुत दिनों तक मैं उसका मतलब नहीं समझ सका।

घर पर या बाहर जब कभी मैंने किसी गरीब आदमी को सबसे किसी प्रकार की बातचीत किये बिना ही उसे दो चार पैसे दिये तो मैंने देखा, या यों कहिये कि मुझे ऐसा मालूम पड़ा, कि उसके मुख पर प्रसन्नता और कृतज्ञता के भाव झलक रहे हैं और इस प्रकार के दान से खुद मुझे भी एक प्रकार के आनन्द का अनुभव होता था। किन्तु जब कभी मैंने उसके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया, और उसके भूत तथा वर्तमान जीवन के सम्बन्ध में थोड़ी बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इसको दो चार या बस बीस पैसे देकर चलाता करना असम्भव है, तब मैं थैली में दाय बालकर देर तक पैसों को टटोलता रहता और यह न समझ कर कि कितना देना ब्यथेष्ट होगा, ऐसे अवसरों पर मैं सदा ही अधिक दिया करता था, किन्तु फिर भी मैं देखता कि वह गरीब असन्तुष्ट होकर मेरे पास से गया है। यदि मैं अधिक घनिष्टतापूर्वक सबसे बातें करने लग जाता तो कितना दान दूँ इस विषय

मैं मेरा सम्बन्ध और भी बढ़ जाता और फिर देखी-हालत में, मैं चाहे कितना ही क्यों न हूँ, उपकृत व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक विपरा और असन्तुष्ट दिखाई पड़ता था ।

यह एक साधारण नियम था कि जब कमी मैंने किसी गरीब आदमी से अच्छी तरह बातचीत कर के तीन रुपये या इससे भी कुछ अधिक दिया तो मैंने सदा ही उसके चेहरे पर, निराशा, असन्तोष और कमी २ कोष के भाव देखे और कुछ अवसरों पर तो मुझ से १० रुपये पाने के बाद भी मुझे घन्बवाह दिये बिना ही वह इस प्रकार मेरे पास से चठकर गया कि जैसे मैंने उसका अपमान किया हो ।

ऐसे अवसरों पर मुझे सदा ही लज्जा और दुःख का अनुभव होता और ऐसा मालूम होता जैसे मैंने पाप किया हो । जब मैंने किसी गरीब आदमी की कुछ हफ्तों, महीनों या वर्षों तक देखभाल की, बातें की, अपने विचार उसके सामने प्रकट किये, और इस प्रकार कुछ घनिष्टता हो गई तो कुछ दिनों में हमारा सम्बन्ध बड़ा दुःखदायी सा हो जाता और मैं देखता कि वह आदमी मुझ से घृणा करने लगा है और अन्तरात्मा में मुझे ऐसा भास होता कि उसका घृणा करना ठीक है । सबक पर जाते हुए कोई भिक्षारी मुझ से एक पैसा माँगे और मैं उसे दे दूँ तो उसकी दृष्टि में मैं भी उन बवालु नेक मनुष्यों में आ जाता हूँ जो अन्य मनुष्यों की तरह एक २ पागा देकर उसके लिये कर्त्तव्य बनवा देते हैं । उस समय वह मुझ से अधिक की धारा जहाँ रखता सिर्फ एक पागा माँगता है और वह जब मैं उसे दे

देता हूँ जो वह इच्छा से आज़ीर्ण करता है। उस समय वह जानता है कि वह किसान है और मैं दूता हूँ।

किन्तु यदि मैं उसके पास ठहर कर बसुण्ड के नाते खर्च खर्च कर उससे बातें करूँ और उसे यह मालूम हो कि मैं बौद्ध हूँ तो चलने वाला साधारण दाता नहीं हूँ, और, यदि जैसा कि अक्सर होता है, अपने दुःख की कहानी बयान करते हुए वह रो उठे तब वह मुझे इतना दान देने वाला आदमी नहीं समझता, बल्कि जैसा कि मैं चाहता हूँ, वह मुझे एक दयालु अदृग्हस्य समझता है और जब मैं दयालु हूँ तो मेरी दयालुता २० पैसे, या दस रुपये या दस हजार रुपये देकर भी खतम नहीं हो सकती। दयालुता की कोई सीमा नहीं।

कल्पना कीजिये कि मैं उसे बहुत सा धन दे देता हूँ। उसके लिये स्थान और वस्त्र का प्रबन्ध कर देता हूँ और उसे इस योग्य बना देता हूँ कि वह आप अपने पैरों खड़ा हो सके; बिना किसी की सहायता के खुद अपनी जीविका उपार्जन कर सके, किन्तु किसी न किसी कारण से दैवी आपत्ति से अथवा अपनी दुर्बलता के कारण मैंने उसे जो कुछ दिया वह सब गँवा बैठता है। न उसके पास रुपया रहता है और न पहिने को कपड़ा, वह भूखों मरता तथा शीत से ठिठुरता है और ऐसी हालत में वह फिर मेरे पास आता है तो मैं सहायता देने से इनकार कैसे करूँ। हाँ, यदि मेरी दयालुता का अर्थ यह होता कि मैं उसे कुछ रुपये दे दूँ और एक कोट बनवा दूँ, तो इतना कर चुकने के बाद मैं निश्चिन्त होकर बैठ सकता हूँ। किन्तु मेरे कार्य का अर्थ तो वह न था। मेरी कामना, मेरी इच्छा से वह भी कि मैं दयालु पुत्र वगैरे

सब में अपनी आत्मा का अनुभव करें। दयालुता का अर्थ सभी देना ही समझते हैं, अन्यथा नहीं।

इसलिये ऐसा आदमी यदि शराब पीने में सब कुछ उड़ा दे, तुम उसे बीस बार दो और बीसों बार वह सब स्वाहा कर डाले और फिर भूखा का भूखा और नंगा वा नंगा रह जाय तो यदि तुम दयालु पुरुष हो तो उसे किर रुपया दिये बिना नहीं रह सकते और तुम अपना हाथ उस समय तक नहीं खींच सकते जब तक कि तुम्हारे पास उससे अधिक सामग्री है। किन्तु यदि तुम हाथ खींच लेते हो तो तुम यह सिद्ध करते हो कि अभी तक तुमने जो सहायता दी वह इसलिये नहीं दी कि वास्तव में तुम दयालु हो बल्कि इसलिये दी कि दूसरे लोगों तथा उस आदमी का दृष्टि में ऐसे मालूम पड़े कि लोग तुम्हें दयालु समझें। और चूंकि ऐसे अवसरों पर मैं हाथ खींच लेता था, सहायता देना बन्द कर देता था और इस प्रकार अपने करे धरे पर पानी फेर देता था इसीलिये मेरे हृदय में पीड़ा-जनक लज्जा की भावना आगृत हो उठती थी।

पर यह भावना थी क्या ?

ल्यापिन गृह तथा गाँव में और जब शरीरों को रुपया वा कोई दूसरी चीज़ में देता था तब मैं इस अनुभूति का अनुभव करता था। शहर के गरीबों को देखने के लिये मैं जब जाता था, तब भी मुझे इसका अनुभव होता था। हाल ही में एक घटना हुई जिसने इस लज्जा की भावना को जोरों के साथ मेरे सामने ला रक्खा और मैं उसका कारण खोज निकालने के लिये उत्सुक हुआ।

यह घटना गाँव में हुई। एक बात्री को देने के लिये मुझे

२० कोपकों (रुसी सिक्का) की जरूरत थी। किसी से माँग लाने के लिये मैंने अपने पुत्र को भेजा। उसने कोपक लाकर उस यात्री को दिये और मुझ से कहा कि रसोइये से वह कोपक वधार लिये हैं। कुछ दिनों बाद दूसरे यात्री आये। मुझे फिर २० कोपक की जरूरत हुई। मेरे पास एक रुबल था। मुझे बाद आया कि रसोइये को बीस कोपक देना है। यह सोच कर कि उसके पास और कोपक होंगे मैं भोजनगृह में गया और उससे कहा—

“मुझे २० कोपक तुमको देने हैं। पहले वह लो एक रुबल।”

मैंने बोलना समाप्त भी न किया कि रसोइये ने अपनी स्त्री को पास के कमरे से बुलाकर कहा—पार्श्व, यह रुबल ले लो।

यह सोच कर कि मेरा मतलब यह समझ गई है मैंने उसे रुबल दे दिया। यहाँ यह कह देना जरूरी है कि रसोइये को हमारे यहाँ रहते हुए एक हफ्ता हो गया था, मैंने उसकी स्त्री को देखा था पर उससे कभी बात नहीं की थी।

बाकी वापस देने के लिये मैं उससे कहना ही चाहता था कि वह जल्दी से मेरे हाथ पर मुकी और यह समझ कर कि मैं यह रुबल उसे इनाम दे रहा हूँ कृतज्ञता प्रकाश करने के लिये वह मेरे हाथ को चूमने को उद्यत हुई। मैं कुछ गड़बड़ा कर रसोई-गृह से निकल आया। मुझे बकी ही लज्जा मालूम हुई। ऐसी लज्जा मैंने बहुत दिनों से अनुभव नहीं की थी। मेरा शरीर उस समय काँप रहा था और मुँह सूख गया था। मानो लज्जा से कराहते हुए मैं वहाँ से आया।

मैं समझता था कि इस भावना के मैं योग्य न था कि जो एकाएक आकर मेरे ऊपर सवार हो गई और जिसने मेरे ऊपर

यह्रा असर किया। सफ़ाकर इ उम्तिने कि बहुत दिनों से मुझे देखी अनुभूति न हुई थी, और इसलिये भी कि मैं समझता था कि मैं, बड़ा आदमी हूँ, और इस प्रकार शक्तिपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे लज्जित होने का कोई कारण ही न था। इस घटना से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपनी स्त्री तथा अपने मित्रों से इसका शिक्र किया, और सभी ने कहा कि यदि यह घटना उनके साथ होती, तो उनका भी ऐसा हो हाज होता। मैं सोचने लगा—आखिर ऐसा हुआ क्यों ?

इसका असर मास्को की एक घटना से मिला जो कुछ दिन पहिले मास्को में मेरे सामने हुई थी। मैंने इसके ऊपर विचार किया और रसोइये की स्त्रीवाली बात पर जो लज्जा मुझे प्रतीत हुई उसका अर्थ मैं समझा। मैं समझा कि क्यों मास्को में परोपकार का कार्य करते हुए लज्जा की लहरें मेरे हृदय में दौड़ जाती थीं, जैसा कि पहले तथा अब भी होता है, जब कभी मैं फ़कीरों तथा यात्रियों को सब साधारण दान में कुछ अधिक देता हूँ कि जिसके देने की मुझे आदत है और जिसे मैं दान नहीं कहता, केवल सभ्यता और कुलीनता समझता हूँ। कोई आदमी दीया जलाने के लिये दीयासलाई मँगि और दिवासलाई तुम्हारे पास हो तो तुम्हें अवश्य ही देनी चाहिये। यदि कोई आदमी २० या २५ कोपक या कुछ रुपये मँगता है और यदि तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें देना ही चाहिये। यह दान-पुण्य नहीं है। यह तो सभ्यता की बात है—शराफत का तकाजा है।

जिसे घटना का मैंने उल्लेख किया है वह यह थी। मैं दो किसानों का शिक्र पीछे कर चुका हूँ जिनके साथ तीन वर्ष पहले मैं

सकड़ियों पीरा करखा था। एक दिन रविवार की आरंभकाल के सुबहुरे में, हम लोग शहर को वापस आ रहे थे। ये लोग अपने आसन्निक के पास अपनी मजदूरी लेने जा रहे थे। डूंगोमिलार पुल पार करने के बाद हमें एक बूढ़ा आदमी मिला। वह मॉंगने लगा। मैंने उसे २० कोपक दे दिये। मैंने ये कोपक यह सोचकर दिये थे कि साइमन पर, जिसके साथ मैं आर्थिक प्रश्नों पर बातें कर रहा था, इसका कितना अच्छा असर पड़ेगा।

साइमन बास्वमीर का रहने वाला किसान था। इसके एक स्त्री और दो बच्चे मास्को में रहते थे। वह भी ठहरा और अंगरखे का बन्द खोल कर जेब में से अपनी थैली उसने निकाली और उस पर नजर डालने के बाद तीन कोपक का एक सिक्का बाहर निकाल कर उस बूढ़े को दिया और दो कोपक वापस मॉंगने लगा ? उस बूढ़े आदमी ने अपना हाथ पसार दिया जिसमें दो तीन-कोपक के सिक्के थे और अडेला एक कोपक। साइमन ने उनकी ओर देखा, और उनमें से एक कोपक उठाना चाहा किन्तु फिर विचार बदल कर अपनी टोपी उतार कर बूढ़े को सलाम किया और फिर प्रार्थना के रूप में हाथ से क्रॉस का चिह्न बना कर, दो कोपक बूढ़े से लिये बिना ही वह चल दिया।

साइमन की आर्थिक अवस्था से मैं खूब परिचित था। उसके पास न तो घर था और न कोई दूसरी आयदाद। जब उसने बूढ़े को तीन कोपक दिये तब उसके पास पाँच दबल और पचास कोपक थे जो उसने बचाकर रक्खे थे और यही उसकी खारी पूँजी थी।

मेरी सम्पत्ति लगभग साठ लाख दबल के होगी। मेरे एक

कमी और दो बच्चे थे, जो साइमन के भी थे। यह मुझ से छोटा था। इसलिये उसके बच्चे संख्या में मुझ से कम थे किन्तु उसके बच्चे छोटे थे और मेरे बच्चों में से दो काफी बड़े थे, काम करने लायक थे और इस प्रकार सम्पत्ति के प्रश्न को छोड़ देने पर हमारी परिवर्तितियों एक सी थीं, हाँला कि इस तरह भी मैं उससे अच्छा था।

उसने तीन कोपक दिये और मैंने बीस। जब देखिये कि हम दोनों के दान में क्या अन्तर था। जितना दान उसने किया था उतना दान करने के लिये मुझे कितना देना चाहिये था ? उसके पास ६०० कोपक थे, इनमें से उसने एक कोपक दिया और फिर दो, और मेरे पास ६०,००,००० रुबल थे। साइमन के बराबर दान करने के लिये मुझे तीन हजार रुबल देने चाहिये थे, और उस आदमी से दो हजार रुबल वापस देने के लिये कहना था। और यदि उसके पास बिस्तर न होता तो यह दो हजार भी उसके पास छोड़ कर फ्रांस बना कर शान्तिपूर्वक वहाँ से चल देता और इस प्रकार की बातें करता जाता कि मिलों और कारखानों में लोग किस प्रकार रहते हैं और स्मालेन्स्क मार्केट में चीजों की क्या कीमत है।

इस विषय पर उस समय मैंने गौर किया किन्तु इस घटना से जो अनिवार्य परिणाम निकलता है वह बहुत देर बाद मेरी सम्झ में आया। यह परिणाम गणित की तरह निस्सन्देह और सुद्ध होते हुए भी इतना असाधारण और विचित्र है कि उसको समझने में समय लगता है। आदमी के हृदय में यह भावना उठती है कि शायद इसमें कहीं कुछ गलती है, पर वास्तव में उसमें गलती है नहीं। यह गलती का जो क्याज हमें आता है इसका कारण यह है, कि हम लोग भ्रम के भयान्तर अन्धकार में रहते हैं।

जब मैं उस परिचय पर पहुँचा और मैंने उसकी अनिवादीता को समझा, तब उस लज्जा का कारण मेरी समझ में आया कि जो रसोइये की स्त्री के समझ तथा दूसरे गरीबों को दान देते समय मुझे मालूम हुआ करती थी, और अब भी होती है अब कभी मैं उस प्रकार का दान देता हूँ। वास्तव में यह रूपया है क्या कि जो मैं गरीबों को देता हूँ और जिसे रसोइये की स्त्री ने समझा था कि मैं उसे दे रहा हूँ ? मैं जो दान देता हूँ वह प्रायः मेरी आय का इतना छोटा हिस्सा होता है कि साइमन तथा रसाइये की स्त्री यह नहीं समझ सकती कि वह मेरी सम्पत्ति का कितना अंश है—बहुधा करोड़वाँ हिस्सा या इसके लगभग होता होगा। मैं जो देता हूँ वह इतना थोड़ा होता है कि मेरा दान, दान या त्याग नहीं कहला सकता। यह तो गोया एक प्रकार का दिलबहलाव है, और जब पूछिये तो रसोइये की स्त्री ने ऐसा ही समझा भी था। यदि राह चलते किसी अजनबी को मैं एक रुबल या २० कोपक दे देता हूँ तो उसे भी एक रुबल क्यों नहीं दे सकता ? उसके लिये रुपये का यह वितरण ऐसा ही है जैसे कोई सद्गृहस्थ लोगों में रेवकियों बँटवावे। यह तो उन लोगों का मनोरंजन है कि जिनके पास बहुत सा मुफ्त का पैसा है। रसोइये की स्त्री की मूल ने मुझे यह बात स्पष्ट रूप से बतला दी कि उसका तथा और गरीब लोगों का मेरे विषय में कैसा क्याल है—वही कि मैं मुफ्त का पैसा लोगों में बाँटता फिरता हूँ अर्थात् वह पैसा कि जिसे मैंने मेहनत करके नहीं कमाया है। और इसीलिये उस दिन मुझे लज्जा महसूस हुई थी।

वास्तव में यह रूपया है क्या और मुझे कैसे मिला है

काम एक हिस्सा तो मैंने जमान के रूप में बना दिया कि जिसे काम करने के लिये बेचारे किसानों को अपनी गाँवों या भेड़ बेचनी पड़ी। मेरे मन का दूसरा हिस्सा मेरी लिखी हुई पुस्तकों के द्वारा मुझे मिला। यदि मेरी पुस्तकें हानिकारक हैं और फिर भी बिक जाती हैं तो इसका कारण यही हो सकता है कि उनके अन्दर कोई दूषित प्रलोभन है, और इसलिये उन पुस्तकों से जो अपना मुझे मिलता है वह नुरे रूप से पैदा किया हुआ रुपया है। किन्तु यदि मेरी पुस्तकें लाभकारी हैं तब तो और भी बुरी बात है। मैं अपनी पुस्तकें लिखकर वह ज्ञान लोगों को दान तो कर नहीं देता बल्कि कहता हूँ—मुझे इतने रुपये दो तो मैं इसे तुम्हारे हाथ बेच दूँगा।

लगान के लिये जैसे किसान को अपनी भेड़-बकरी बेचनी पड़ती है, किताब के लिये गरीब विद्यार्थी तथा शिक्षक का भी पैसा ही करना पड़ता है। प्रत्येक गरीब आदमी को, जो किताब खरीदता है, मुझे रुपया देने के लिये कोई न कोई आवश्यक चीज छोड़ देनी पड़ती है। और जब कि मैंने इतना रुपया कमा लिया है तो मैं इसका क्या करूँ ? मैं उसे शहर में ले जाता हूँ और गरीब आदिमियों को देता हूँ। लेकिन तभी कि जब वे मेरी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और शहर में आकर मेरे फर्श को, लैम्पों और जूतों को साफ करते हैं, मेरे कारखानों में काम करते हैं और इसी प्रकार की अन्य सेवाये। और इन रुपयों के द्वारा जो मैं उन्हें देता हूँ मुझे उनसे जो कुछ मिलता है सब ले लेता हूँ। मैं इस बात की कोशिश में रहता हूँ कि मैं उन्हें दूँ तो कम से कम, किन्तु ले लूँ वह सब। जितना कि लिया जा सकता हो-

देखा करने के बाद, अब, आपानक ही, मैं यह कपवा मुम्बई में ही गरीबों को देना शुरू करता हूँ किन्तु मैं सबको नहीं, जिसकी इच्छा होती है उसीको देता हूँ। तब फिर क्यों न प्रत्येक गरीब आदमी यह आशा करे कि सम्भव है आज मेरी भी बारी आ जाय और मेरी भी उन लोगों में गणना हो कि जिनमें अपना 'मुम्बई का कपवा' बाँट कर मैं अपना दिल बहलाता हूँ ?

बस, हर एक आदमी मुझे ऐसा ही समझता है कि मैं एक दसहरे की स्त्री ने समझा था। किन्तु मैं तो यह समझ रहा था कि मैं जो एक हाथ से हजारों रुपये छीन कर दूसरे हाथ से अपनी पसन्द के लोगों के आगे कुछ कोपक फेंकता रहता हूँ, वह दान है—पुण्य है। तब इसमें क्या आश्चर्य कि मुझे लम्बा आलस हुई ? किन्तु पेरतत इसके कि मैं परोपकार करने के योग्य बनूँ, मुझे इस बुराई को छोड़ देना होगा और अपने को ऐसी स्थिति में रखना होगा, कि जिसमें उस बुराई के पैदा होने का कारण न बनूँ। किन्तु मेरा तो सारा जीवन ही इस बुराई से परिपूर्ण है। यदि मैं १० लाख रुपये भी दे सकूँ, तब भी तो मैं परोपकार करने योग्य अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि फिर भी मेरे पास ५० लाख बाक़ी रह जायेंगे।

बोझासा भी उपकार कर सकने के योग्य मैं अभी होऊँक जब कि मैं अपने पास कुछ भी न रखूँगा। उदाहरण के लिये उस गरीब बेरया को लीजिये कि जिसने तीन दिन तक एक बीमार स्त्री और उसके बच्चे की सेवा-सुभूषा की थी। किन्तु उस समय उसका वह काम मुझे कितना छोटा मालूम पड़ा ? और मैं परोपकार करने की योजनाएँ गढ़ रहा था। उस समय की कल

एक बात धरुव निकली जिसका अनुभव पहले वहल स्वाफिन गृह के बाहर मूले और शीत से ठिठुरते हुए लोगों को देखकर मुझे हुआ था—मर्वात् में ही इस पाप का आशी हैं। और जिस प्रकार का जीवन मैं व्यतीत कर रहा हूँ वह असम्भव, विज्ञकुल असम्भव है ! तब फिर हम क्या करें ? अगर अब भी किसी को इसका उत्तर देने की आवश्यकता है, तो ईश्वर की आका से, विस्तार-पूर्वक मैं उसका उत्तर दूँगा ।

पहले तो इस बात को स्वीकार करना मुझे पड़ा कठिन
 मारूम हो रहा था, किन्तु जब इस सत्य का मुझे विश्वास हो
 गया तब यह सोचकर मैं भयभीत हो उठा कि अभी तक मैं कैसे
 अच्युत भ्रम में पड़ा हुआ था ! मैं खुद घर से लेकर पाँच तक
 दलदल में पॅसा हुआ था । किन्तु फिर भी मैं दूसरों को दलदल से
 निकालने की चेष्टा कर रहा था ।

वास्तव में, मैं चाहता क्या हूँ ? मैं परोपकार करना चाहता
 हूँ । मैं ऐसा उपाय ढूँढ निकालना चाहता हूँ कि कोई मानव-प्राणी
 भूखा और रंगा न रहे । और मनुष्य, मनुष्य की तरह, अपना
 जीवन व्यतीत कर सके । मैं चाहता तो यह हूँ । किन्तु मैं देखता
 हूँ कि जुल्म और जबरदस्ती तथा तरह तरह की तरकीबों द्वारा,
 जिनमें मैं भी भाग लेता हूँ, गरीब मजदूरों से अत्यन्त
 आवश्यकता की चीजें भी छीन ली जा रही हैं, और श्रम न करने
 वाले अमीर लोग, जिनमें मेरी भा गणना है, दूसरों की मेहनत
 पर मौज उड़ाते हैं ।

मैं देखता हूँ कि दूसरे लोगों की मेहनत के फल से लाभ उठाने
 का ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि जो मनुष्य जितना अधिक
 चालाक है, और उसके द्वारा अथवा उसके उन पूर्वजों के द्वारा
 कि जिनसे विरासतमें उसे आयदाद मिली है, जितने ही अधिक
 अल-प्रबंध रहे जायँ, उतना ही अधिक वह दूसरों के श्रम का

मैं देखता हूँ कि आजकल मेहनत मजदूरी करने वालों का जीवन-विशेषतः इस वर्ग के बुद्धों, बालकों और बच्चों का जीवन-दिन प्रति दिन बढ़ती हुई मेहनत और उसके परिमाण में उनको मोलनादि न मिलाने के कारण बिलकुल नष्ट होता जा रहा है। अत्यन्त आवश्यक जीवनोपयोगी चीजें भी तो उन्हें नहीं मिलती हैं। और साथ ही साथ मैं देखता हूँ कि बालस्त्री वर्ग का जीवन, कि जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, प्रतिवर्ष अचिकाधिक वैभव और विलास से परिपूर्ण तथा निश्चिन्त हो रहा है। धनी लोगों के जीवन की निश्चिन्तता तो अब उस अवस्था को पहुँच गई है कि जिसका रूप पुराने जमाने में लोग देव और परियों की कहानियों में देखा करते थे। उनकी दशा उस आदमी की सी है जिसे ऐसी जादू की शैली मिल गई हो, जिसमें धन कभी घटता ही नहीं। जीवन-रक्षा के निमित्त प्रत्येक मनुष्य के लिये श्रम करने का जो स्वाभाविक नियम है, उससे वे एकदम मुक्त हो गये हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बिना श्रम किये जीवन के समस्त सुखों का उपयोग करने में वे समर्थ हैं और अन्त में अपने बच्चों को अथवा जिस किसी को भी चाहे वे 'अक्षय निधि' वाली यह जादू की शैली विरासत में दे जा सकते हैं।

मजदूरों की मेहनत का फल उनके हाथ से निकल कर रोज रोज अचिकाधिक परिमाण में मेहनत न करनेवाले लोगों के हाथ में चला जा रहा है। सामाजिक संगठन के पिरामिड का पुनर्निर्माण कुछ इस ढङ्ग से किया जा रहा है कि अमीतक नींव में जो अत्यन्त ऊँचे वे वे अब खोटी पर पहुँच रहे हैं और इस परिवर्तन का वेम दिन बूना और रात औरान्य होता जा रहा है।

बिचटियों यदि अपने साधारण विषय को मूल कार्य, और कम में से कुछ ऐसा करने लगे कि जिस मिट्टी को ला ला कर बाँधी की नींव बनाई गई थी, उसी नींव की मिट्टी को उठा कर चोटी पर ले जाने लगे, और इस प्रकार नींव अधिकाधिक छोटी बनाते हुए शिखर को बढ़ा बना दें और इस तरीके से नींव की बिचटियों को चोटी पर पहुँचाने की चेष्टा करें तो उस बाँधी का जो हाल होगा, मैं देखता हूँ लगभग वैसा ही कुछ हमारे समाज के अन्दर भी हो रहा है।

मैं देखता हूँ परिश्रमी जीवन के स्थान पर मनुष्यों ने अक्षय निधि वाली येली का आदर्श अब अपने सामने रक्खा है। मैं और मेरे जैसे घनी लोग इस अक्षय निधि को प्राप्त के करने लिये तरह-तरह की तरकीबें करते हैं। और उसका उपयोग करने के लिये हम लोग शहरों में आ बसते हैं जहाँ पैसा कुछ नहीं होता किन्तु सफ़ाया सब चीजों का अवश्य हो जाता है। अमीर लोगों को वह जादू की यली मिल सके इसके लिये गाँव का गरीब आदमी लूटा जाता है और वह गरीब निरुपाय हो कर उनके पीछे दौड़ा हुआ शहर को आता है, और वह भी वैसी ही बालाकियों से काम लेता है, और ऐसा प्रबन्ध करता है जिससे वह काम बढ़ा करता है और मज्जे खूब बढ़ाता है। (और इस प्रकार अन्य काम करने वालों पर काम का और भी अधिक बोझ आ पड़ता है) या इस स्थिति को प्राप्त करने से पहले ही वह अपने को बरबाद कर के चेतनों में रहने वाले नंगे और भूखे लोगों की लगातार तेजी से बढ़ने वाली संख्या में और एक आदमी की अरती करता है।

मैं उन लोगों में से हूँ जो तरह तरह की दरकीयों से सँभल करके बान्नों की आवश्यक जीवनोपयोगी चीजों को इतने लेते हैं और इस प्रकार अपने लिये जादू की अक्षय निधि तैयार करते हैं जो कि फिर परीयों को प्रलीमनों में फँसाने का कारण होती है।

मैं लोगों की सहायता करना चाहता हूँ, इसलिये वह स्पष्ट है कि सब से पहले एक ओर तो मुझे इन लोगों को छूटना बन्द कर देना चाहिये जैसा कि मैं अब तक कर रहा हूँ और दूसरी ओर उन्हें ललचाने वाली बातें न करनी चाहियें। किन्तु सदियों से प्रचलित, अत्यन्त गूढ़, चालाकियों से पूर्ण और दुष्ट तरीकों द्वारा मैं इस अक्षयनिधि का मालिक बन बैठा हूँ। अर्थात् मैंने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि कभी किसी प्रकार का भ्रम किये बिना ही मैं सैकड़ों हजारों मनुष्यों को मेरा क़ब्र करने के लिये मजबूर सकता हूँ, और सभ पूछिये तो अपने इस विचित्र अधिकार का मैं उपभोग भी कर रहा हूँ किन्तु फिर भी मैं सदा वही समझता हूँ कि मैं इन दीन लोगों पर क्या कर के उन्हें सहायता पहुँचाने के लिये उत्सुक हूँ।

मैं एक आदमी की पीठ पर सवार हो गया हूँ और उसे असहाय तथा निर्बल बना कर मजबूर करता हूँ कि वह मुझे आगे ले चले। मैं उसके कन्धों पर बराबर सवार हूँ फिर भी मैं अपने को तथा दूसरों को यह विश्वास दिलाता चाहता हूँ कि इस आदमी की दुर्दशा से मैं बहुत दुःखी हूँ और उसका दुःख दूर करने में मैं भरसक कुछ उठा न. रक्खूँगा—किन्तु उसकी पीठ पर से मैं उतरूँगा नहीं।

पाठ मिलकूल स्पष्ट है। यदि मैं गराबों की मदद करूँ

साहसा हैं अर्थात् चाहता हूँ कि गरीब लोग गरीब बरहें तो मुझे लोगों को गरीब न बनाना चाहिये। फिर भी मैं बिना हूप लोगों को बिना बिचारे ही रुपया दे देता हूँ और जो लोग अभी बिना नहीं हैं उनसे भीसों रुपया छीन लेता हूँ—इस प्रकार मैं लोगों को गरीब तो बनाता ही हूँ साथ ही साथ उन्हें भ्रष्ट भी करता हूँ।

इसकी सीधी और सरल बात होते हुए भी उसका समझना पहले मेरे लिये बड़ा कठिन हो रहा था, और यदि मैं उसे जानता भी तो किसी न किसी रूप में मेरी स्थिति का समर्थन करने वाले कारखाने मुझे अवश्य सूझ जाते। किन्तु जब एक बार मैं अपनी भूल को समझ गया तो पहले जो कुछ मुझे विचित्र, गूढ़, अस्पष्ट और अगम्य मालूम होता था, वही अब बिलकुल सरल और समझ में आने लायक मालूम होने लगा। और खास बात तो यह थी कि यह व्याख्या जिस प्रकार का जीवन बनाने का सङ्केत करती थी वह जीवन अब मुझे एकदम सरल, स्पष्ट और मधुर मालूम होने लगा। पहले की तरह उदात्त मरा, गूढ़ और दुःखदायी न मालूम पड़ता था।

और, लोगों की दसा का सुधार करने की इच्छा रखने वाला मैं हूँ कौन ? मैं दूसरों को सुधारना चाहता हूँ, फिर भी रात भर रोशनी से जगमगाते हुए कमरे में तारा खेकता हूँ, और फिर दो पहर तक पड़ा सोता रहता हूँ। मैं, एक दुर्जन, वीरुपहीन अनुभव, जिसको कुछ अपनी सेवा के लिये सैकड़ों आदमियों की सहायता की जरूरत होती है—वही मैं, दूसरों को सहायता देने निकलता हूँ और सहायता भी उन लोगों को जो मेरे कंधे लींच करे चले हैं, कमीन पर चले हैं, कभी सुखी रोशियाँ खरक पर

जाते हैं और जो जोतना, बीना, लकड़ी काटना, कुल्हाड़ी में ढंका काटना, चोकों को जोतना और कपड़े धोना आदि कार्य करना जानते हैं और जो शक्ति में, दृढ़ता में, कार्य-कुशलता और आत्म-संबन्ध में मुझ से सैकड़ों वर्गें बढ़-चढ़ कर हैं। ऐसे लोगों को सुधारने का भार लिया था मैंने !

ऐसे लोगों के संसर्ग में आकर मैं लज्जित न होता तो और क्या होता ? उनमें सब से अधिक दुर्बल एक शराबी है जो जिनोक भवन में रहता है और जिसे सब लोग 'बहवी' या 'आलसी' कहते हैं। वह भी तो मेरी अपेक्षा कहीं अधिक मेहनती है। मैं लोगों से कितना लेता हूँ और बदले में कितना देता हूँ और वह दूसरों से कितना लेकर उन्हें कितना देता है इस बात की यदि तुलना की जाय तो वह मुझ से हजारों वर्गें अच्छा निकलेगा। वह मेहनत करता है, कमा कर दुनिया को देता है और फिर भी अपने लिये बहुत थोड़ा खर्च करता है और मैं मेहनत तो बिलकुल नहीं करता, मगर दुनिया भर के भोग-विलासों का मैं मजे से उपभोग करता हूँ।

ऐसा होने पर भी मैं गरीबों का सुधार करने का दम भरता हूँ। मगर हम दोनों में अधिक दिन कौन है ? मुझ से अधिक दिन और कोई न होगा। मैं एक अराष्ट्र और नितान्त निकम्मा जीव हूँ जो दूसरों का खून घूसता हूँ और बिलकुल खास खास मेंहालों ही जीवित रह सकता हूँ। जब हजारों आदमी मेहनत करें तभी वह जीवन टिक सकता है कि जो दूसरों के किसी भी मसरफ व मतलब का नहीं। दुष्ट के पत्तों को खा डालने वाला मैं एक कीड़ा हूँ। फिर भी मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ कि मेरे

शाघों उस वृद्ध का रोग दूर हो और वह खुद चले पड़े।

मैं अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता हूँ ? मैं खाता हूँ, बातें करता हूँ, बातें सुनता हूँ। मैं फिर खाता हूँ, निजाता हूँ या पढ़ता हूँ, जो बातें करने तथा सुनने का उपायभर मात्र है। मैं फिर भोजन करने बैठता हूँ और खेतता हूँ, फिर खाता हूँ। बातें करता हूँ, सुनता हूँ और अन्त में खाकर सो जाता हूँ। इसी प्रकार मेरे सारे दिन बीतते हैं। मैं और न खे कुछ करता ही हूँ और न करना जानता हूँ। मैं इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर चूकूँ इसके लिये दरबान चौकीदारों, किसानों, सर्ईशों, कोचमैनों, भोजन बनाने वाले स्त्री-पुरुषों और घोषी-घोषिणियों को सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है, और इन को काम के लिये जिन औजारों की जरूरत होती उन्हें बनाने तथा कुल्हाड़ी, पीपे, अरा, चरतरियाँ, लकड़ी तथा काँच का सामान, जूतों की पालिस, मिट्टी का बेल, घास, लकड़ी और भोजन आदि सामान तैयार करने में जो मेहनत होती है उसका हिसाब ही अलगहवा है। इन सब स्त्री पुरुषों को रात दिन कड़ी मेहनत इसलिये करनी पड़ती है कि मैं मजे से खाऊँ, बातें करूँ और सोऊँ ! और मैं, एक महा निकम्मा आदमी, यह सोच रहा था कि जो लोग मेरी सेवा कर रहे हैं मैं उनका उपकार कर रहा हूँ ! मैं किसी का कोई भला नहीं कर सका और मुझे जन्मित होना पड़ा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो यह है कि ऐसी मूर्ख धारणा मेरे मन में बँध गई कि मैं दूसरे लोगों का उपकार कर रहा हूँ और श्वर भी सकता हूँ।

यह स्त्री जो उस अपरिचित बूढ़े और बीमार आदमी की सेवा

कर रही थी, उसने ज़ातब में उस घृष्ट रोगी की सहायता की।
 किसान की स्त्री को अपने हाथ से पैसा किये हुए माण की रोटी
 में से एक टुकड़ा काट कर भूखे को देती है वही सच्ची सहायक
 है। और छात्रवृत्त ने अपनी मेहनत से कमाये हुए तीन कोफर को
 बाली की किये से वह छात्रका सचा दान था। क्योंकि इन कामों के
 सम्बन्ध विभिन्न परिभ्रम और त्याग की सर्गीय भावना है; किन्तु
 मैंने न तो किसी की सेवा की और न किसी के लिये कोई काम
 किया। और मैं जानता हूँ कि जो रुपया मेरे पास है और जिसमें
 से कुछ मैं दूसरों को दे दिये करता हूँ—वह मेरे परिभ्रम का
 परिचायक नहीं है।

मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि रुपये में जयवा रुपये के मूल्य में
 और उसके इकट्ठा करने में ही कोई दोष है, कोई तुराई है, और
 मैंने समझा कि मैंने जो तुराइयाँ देखी हैं उनका मूल कारण वह
 रुपया ही है और मैं सही रुपये का मालिक हूँ। तब मेरे मनमें
 प्रश्न उठा—वह रुपया है क्या ?



रुपया ! यह रुपया क्या है ?

कहा जाता है, रुपया परिभ्रम का पारिलोचिक है ! मैं देखे शिक्षित लोगों से मिला हूँ जो जोर देकर कहते हैं कि रुपया जिन-
लोगों के पास है वह उनके किये हुए परिभ्रम का प्रतिफल है । मैं स्वीकार करता हूँ कि पहिले मेरी भी ऐसी ही चारखा थी, हाशों कि ठीक तरह स्पष्ट रूप से मैं उसे समझता न था । किन्तु अब तो यह मेरे लिये आवश्यक हो गया कि मैं अच्छी तरह समझ लूँ कि यह रुपया क्या चीज है, और ऐसा करने के लिये मैं अर्ध-शास्त्र की ओर प्रेरित हुआ ।

अर्ध-शास्त्र कहता है कि पैसे में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो अन्वाययुक्त अथवा दोषपूर्ण हो । सामाजिक जीवन का यह एक स्वभाविक परिणाम है और एक तो विनियम की सुगमता के लिये, दूसरे चीजों का मूल निश्चित करने वाले साधन के रूप में, तीसरे संचय के लिये और चौथे जेब देन के लिये अनिवार्य रूप से रुपया आवश्यक है ।

यदि मेरी जेब में मेरी आवश्यकता से अधिक तीन हजार पड़े हों तो किसी भी समय नगर में जाकर जरा सा इस्तेमाल करने का भी डर है कि ऐसे सैकड़ों आदमी मुझे मिल जायेंगे कि जो कम कीमत रुपयों के बदले में चाहें वैसा भरे का भरा, मर्यादित और अयमानजनक कृप्य करने को तैयार हो जायेंगे ।

पर कहा जाता है कि इस विचित्र स्थिति का कारण उपर्युक्त नहीं है। विभिन्न जातियों के आर्थिक जीवन की विषम अवस्था में इसका कारण मिलेगा।

एक आदमी का दूसरे आदमी के ऊपर शासनाधिकार हो, यह बात रुपये से पैदा नहीं होती। बल्कि इसका कारण यह है कि काम करने वाले को अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता है। और परिश्रम का पूरा प्रतिफल न मिलने का कारण पूँजी, मजदूर, किराया, मजदूरी और धन की उत्पत्ति तथा खपत की जो बड़ी ही टेढ़ी और गूढ़ व्यवस्था है—उसमें समाया हुआ है।

चीनी भाषा में यह कहा जा सकता है कि पैसा, बिना पैसे बाजों को अपनी ढँगली पर नचासकता है। किन्तु अर्थशास्त्र कहता है कि यह भ्रम है। प्रत्येक प्रकार की पैदावार में तीन बातें काम में आती हैं—जमीन, संचित श्रम अर्थात् पूँजी और श्रम। जोड़े आदमी बहुतों के ऊपर शासन करें यह बात पैदावार के इन तीनों साधनों के विभिन्न सम्बन्धों से पैदा होती है। क्योंकि पहिले दो साधन, जमीन और पूँजी, काम करने वाले मजदूरों के हाथ में नहीं हैं। इस स्थिति और इस स्थिति के परिणाम स्वरूप जो विभिन्न संयोग उपस्थित होते हैं, उनके कारण बहुत से लोगों को एक विशिष्ट वर्ग की ताबेदारी करनी पड़ती है।

अन्याय और क्रूरता से हम सबको चोँका देने वाली श्रम की यह साम्राज्य-शक्ति आती कहाँ से है? एक वर्ग के लोग दूसरों के ऊपर पैसे की सहायता से किस प्रकार शासन करते हैं? शास्त्र कहता है कि इसका कारण उत्पत्ति के साधनों के

विभाग में तथा उनसे होने वाले विभिन्न बोगों में ही है और इन्हीं को बजह से मजदूरों पर जुल्म होता है।

मुझे यह चकर सुनकर सदा ही आश्चर्य हुआ है। केवल इसी लिये नहीं कि प्रश्न का एक भाग बिलकुल छोड़ ही दिया गया— इस पर विचार ही नहीं किया गया कि परिस्थिति पर ऐसे का कैसा और कितना प्रभाव पड़ता है? बहिक उत्पत्ति के साधनों का जो विभाग किया गया है वह भी मेरे आश्चर्य का विरोध कारण है। और किसी भी निष्पक्ष मनुष्य को यह विभाग कृत्रिम और वास्तविकता से असम्बद्ध प्रतीत होगा।

ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य की उत्पत्ति में तीन साधन काम में आते हैं—जमीन, पूँजी और मजदूरी। और इस बर्गीकरण के सम्बन्ध में यह समझ लिया जाता है कि जो कुछ पैसा होता है वह अब द्रव्यों के रूप में—उसका मूल्य—इन्हीं तीनों साधनों के मालिकों में विभक्त हो जाता है। और वह होता है इस प्रकार—भाड़ा अर्थात् जमीन की कीमत जमीन्दार को, सख पूँजीपति को, और मजदूरी काम करने वाले को मिलती है।

किन्तु क्या यह बात सच है? पहले तो हमें यही देखना है कि क्या उत्पत्ति के सदा तीन ही साधन होते हैं? क्या यह सच है? मैं जब बैठा हुआ यह लिख रहा हूँ तो मेरे चारों ओर घास की पैदावार का काम हो रहा है। इसकी उत्पत्ति में कौन कौन से साधन काम में आते हैं? कहा जाता है कि जिस पर वह घास उगाई गई है वह जमीन और इसको काट कर घर तक लाने में हँसिया, पंजोठी, दाँतियाँ और गाड़ी आदि जिस सामान की आवश्यक होती है वह पूँजी,

और तीसरी मजदूरी—यही तीन साधन काम में आते हैं। किन्तु मैं स्पष्ट देखता हूँ कि यह बात सच नहीं है। जमीन के कानाबा और भी कई बातें काम में आती हैं। सूर्य की गरमी, पानी, सामाजिक व्यवस्था जिससे यह पाच पैरों तले रौंद नहीं डाली जाती, जगहवा ठोरो द्वारा लोग उसे चरा नहीं डालते, मजदूरों की कार्य-कुशलता, भाषा का ज्ञान आदि कई बातें हैं जो पाच की उत्पत्ति में काम आती है। पर कौन जाने किस लिये इन सब बातों की अर्थ-राशी गणना नहीं करते।

प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति के लिये सूर्य का ताप जमीन के समान ही उपयोगी बल्कि उससे ज्यादा जरूरी है। कल्पना कीजिये कि शहर में किसी बर्ग के लोग दीवाल अथवा वृक्षों के द्वारा दूसरे लोगों को सूर्य के प्रकार से बाँधत रखें तो उनकी कैसी स्थिति होगी ? फिर इसको उत्पत्ति के अंगों में क्यों नहीं गिनते ? पानी दूसरा साधन है। यह भी जमीन के ही समान महत्व-पूर्ण है। हवा का भी यही हाल है। एक बर्ग के लोग यदि हवा और पानी का सम्पूर्ण स्वत्वधिकार ले लें तो दूसरे बर्ग के लोगों की हवा पानी के बिना कैसी स्थिति होगी इस की भी कल्पना की जा सकती है। सामाजिक व्यवस्था द्वारा संरक्षण भी एक स्वतंत्र अङ्ग है, मजदूरों के लिये सुराक और कच्चा भी उत्पत्ति के महत्व-पूर्ण साधन हैं। और कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस बात को स्वीकार भी किया है। ग्रिफा अर्थात् बोलने और समझने की शक्ति, जिससे एक काम में से निकल कर दूसरे काम में फूने की सम्पत्ति पैदा होती है, यह भी एक अत्यन्त उत्पत्ति का साधन है।

इस अन्ध उत्पत्ति के साधनों की यदि मैं गणना करने बैठूँ

ती शक पूरी पुस्तक भर जाय । तब फिर शास्त्रज्ञों ने वे तीन ही साधन क्यों पसन्द किये ? और अर्थशास्त्र-मूल सिद्धि के रूप में इन को ही स्वीकार करने का क्या कारण हो सकता है ? सूर्य के प्रकारा और जल को भी जमीन की तरह उत्पत्ति के प्रबन्ध २ साधनों की तरह गिन सकते हैं ? मजदूरों की कुशल और कष्ट, ज्ञान और बोलने की शक्ति यह सभी उत्पत्ति के स्वतन्त्र साधन माने जा सकते हैं । पर इन्हें न मानने का कारण यही है कि सूर्य की कीरणों, वर्षा, भोजन, भाषा और बोलने की शक्ति के उपयोग करने का जो महत्त्व का अधिकार है, उसमें बहुत कम हस्तक्षेप करने का अवसर आता है और जमीन तथा औजारों के लिये समाज में प्रायः मगड़ा होता रहता है ।

इस वर्गीकरण का यही एक आधार है । और उत्पत्ति के साधनों का केवल तीन विभागों में वर्गीकरण भी अनियमित और स्वेच्छा-प्रेरित है और वस्तुस्थिति पर अवलम्बित नहीं है । लेकिन सम्भव है, यह कहा जाय कि यह वर्गीकरण मनुष्य के लिये अनुकूल और सुविधाजनक है । और जहाँ कहीं आर्थिक सम्बन्ध स्थापित होता है, वहाँ तुरन्त ही ये तीनों बातें सामने आ जाती होती हैं । हमें देखना चाहिये कि क्या यह बात वास्तव में सत्य है ?

हमारे सामोप्य में रहने वाले रूखी चरनिवेशकों को ही लीजिये । लाखों की संख्या में वे मुदत से रहते चले आते हैं । वे किसी स्थान को जाते हैं, वहाँ बसते हैं, और काम करना प्रारम्भ कर देते हैं । उस समय वह बात उनके कर्ण में भी नहीं आती कि वह आदिमी जिस जमीन का उपयोग नहीं करता वह कतना अधिकतम सकता है; और जमीन तो वह कटती ही नहीं कि कुछ कर

असुख का अधिकार है। बल्कि उपनिवेशक विवेकतः वह समझते हैं कि जमीन पर सारे समाज का समान अधिकार है और जो कोई वहाँ कहीं भी चाहे जाते और बोये।

खेती-बारी के लिये और इकान आदि बनाने के लिये उपनिवेशक तरह तरह के आवश्यक औजारों को इकट्ठा करते हैं, पर वह वे कभी नहीं सोचते कि यह औजार स्वतः ही मुनाफ़ा देने वाले हो सकते हैं। और ये औजार (अर्थात् पूँजी) कभी यह दावा ही नहीं करते कि हमारा भी कोई अधिकार है। इसके प्रतिकूल उपनिवेशक तो विवेकपूर्वक ऐसा मानते हैं—आपस में एक दूसरे से औजार, अनाज अथवा जो रुपया उधार लिया जाता है उसके लिये सूद लेना अनुचित है।

ये लोग स्वतंत्र जमीन पर अपने निजी औजारों से अथवा बिना-सूदी मॉगे हुए औजारों से काम करते हैं। ये लोग या तो अपना २ अलहदा काम करते हैं, या सब मिलकर सामान्य हित के लिये उद्योग प्रारम्भ करते हैं। ऐसे समाज में लगान या भाड़ा, सूद और मजदूरी का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे समाज का उल्लेख करते समय मैं कार्पनिक बातें नहीं कहता बल्कि उस वास्तुस्थिति का दिग्दर्शन कराता हूँ कि जो न केवल स्वयं उपनिवेशकों से, बल्कि सभी जगह सभी लोगों में मौजूद रहती है जब तक कि मानवी स्वभाव की मौलिक पवित्रता को विगाड़ नहीं दिया जाता ? मैं वह बात कह रहा हूँ कि जो प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक तथा बुद्धिमन्व माल्य होती है। मनुष्य जब किसी जगह बसते हैं तो उनमें से प्रत्येक अपनी २ व्यक्ति

रुबि के अनुसार काम पसन्द कर लेते हैं और आवश्यकताओं को प्राप्त करके अपना २ कार्य प्रारम्भ कर देते हैं ।

यदि इन लोगों को साध मिलकर काम करने में आसानी मालूम होती है तो ये काम करने वालों का एक मयबल बना लेते हैं । किन्तु न तो कौटुम्बिक प्रथा में और न सम्मिलित संस्थाओं में ही उत्पत्ति के ये साधन अलग अलग प्रकट होंगे जब तक कि मनुष्य जबरदस्ती कृत्रिम रूप से उन्हें विभक्त न करे । उस समय केवल मेहनत और उससे सम्बन्ध रखने वाली आवश्यक चीजों की ही जरूरत होती है—गरमी और प्रकाश के लिये सूरज की, साँस लेने के लिये हवा की, पीने के लिये पानी की, जोतने बोलने के लिये प्रमीन की, पहनने के लिये कपड़े की और पेट के लिये भोजन की, तथा काम करने के लिये हल कुवाली आदि औजारों की आवश्यकता होती है । यह स्पष्ट ही है कि न तो सूर्य की किरणों, न तन के कपड़े, न हल कुवाली और सबके बिनासे हर एक आदमी काम करता है और न वे मशीनें बिनासे कि संघ में मिलकर काम किया जाता है उन लोगों के बिना किसी और की हो सकती हैं कि जो सूर्य की किरणों का उपभोग करते हैं, हवा में साँस लेते हैं, शरीर को कपड़ों से ढँकते हैं और हल तथा मशीन आदि से काम करते हैं; क्योंकि इन चीजों की केवल एन्हीं को जरूरत होती है कि जो इनका उपभोग करते हैं ।

मनुष्यों की आरम्भिक आर्थिक परिस्थिति का जब मैं विचार करता हूँ तब मैं यह नहीं मान सकता कि उत्पत्ति के साधनों को तीन श्रेणियों में विभक्त करना सामाजिक है । बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि यह न तो सामाजिक ही है और न विवेक

पूर्व। पर शब्द आदिम मानव समाज में इन तीन विभागों की आवश्यकता न हुई होती थी और जैसे [आमतो बड़की है, और सम्बन्ध का विकास होने लगता है यह विभाग अनिवार्य हो उठते होंगे। और हमें यह बात माननी ही होगी कि यह विभाग बोरो-पियन समाज में मौजूद है।

पर देखें इस बात में कहीं तक सत्य है। यह कहा जाता है कि बोरोपियन समाज में उत्पत्ति के क्षणों का देखा ही कर्त-करख प्रचलित है। अर्थात् एक आदमी जमीन का धार्मिक है, दूसरे के पास काम करने के औजार हैं, और तीसरे के पास न जमीन है और न औजार। हम लोग यह बात सुनने के ऐसे अभ्यस्त हो गये हैं कि हमें अब इसमें कोई विचित्रता ही नहीं आरम्भ होती। किन्तु इस कथन के अन्व ही उसका आन्तरिक कारण मौजूद है। मजदूर शब्द की कल्पना में यह बात का जाता है कि उसके पास जमीन है, जिस पर वह रहता है, और औजार हैं जिनसे वह काम करता है। यदि उसके पास रहनेको जमीन और काम करने के लिये औजार नहीं है तो वह मजदूर ही नहीं हो सकता। जमीन और औजारों से रहित मजदूर न तो आज तक कभी रहा और न कभी रह सकता है। ऐसा कोई भी मोची नहीं हो सकता जिसके पास जमीन पर बना हुआ मकान पानी, हवा और काम करने के औजार न हों।

यदि किसान के पास जमीन, हल बैल, पानी और हँसिया आदिनहीं हैं; यदि मोची के पास मकान, बराही और सुई नहीं है तो इसका क्या अर्थ है कि किसी ने जमीन से उसे हवा दिया है या अन्वदस्ती उसके ज्ञान की है या र उसका मकान, लकीर, सजा

बैल और सुई आदि भी घोखा देकर उससे ले लिये गये हैं। किन्तु इसका यह अर्थ तो कभी हो ही नहीं सकता कि हँसिया रहित किसान या सुई बिना मोची का भी अस्तित्व संसार में हो सकता है।

मछली पकड़ने के सामान के बिना किसी आदमी को जमीन पर खड़े हुए देखकर हम यह नहीं समझ सकते कि यह माही-गीर है, जब तक हमें यह न माखूम हो कि किसी ने उसका जाल आदि छीन लिया है। इसी तरह हम किसी ऐसे मजदूर की कल्पना नहीं कर सकते, कि जिसके पास रहने के लिये मकान और काम करने के लिये औजार न हों, जब तक कि किसी ने उसकी जमीन से उसे मार कर भगा न दिया हो, और औजार उससे छीन या लूट न लिये हों।

ऐसे आदमी हो सकते हैं कि जिनको मारकर एक जगह से दूसरी जगह भगा दिया गया हो, और उनका सामान लूट लिया गया हो। इस प्रकार मजदूर हो कर वे दूसरों के लिये काम करने लगते हैं, और किसी तरह अपना भी गुजारा करते हैं किन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं कि यह पैदाइश का मुख्य लक्षण है। इसका अर्थ सिर्फ यही है कि इस जगह उत्पत्ति की स्वामाधिक स्थिति को नष्ट किया गया है। किन्तु यदि हम उन सब बातों को उत्पत्ति का साधन मानें, जिनसे मजदूर को कबरदस्ती बन्धित किया जा सकता हो तो फिर गुलाम के शरीर पर जो अधिकार का दावा किया जाता है, उसकी भी इन साधनों में गणना क्यों न की जाय ? वर्षा और सूर्य की किरणों पर अधिकार करने के दावे को भी हम क्यों न गिनें ?

एक आदमी ऊँची दीवाना खाड़ी करके अपने पड़ोसी को धूप से वंचित कर सकता है, दूसरा कोई आदमी नदी के बहाव को अपने तालाब की ओर फेर कर उसे जहरीला बना सकता है; और तीसरा कोई किसी मनुष्य को अपनी सम्पत्ति बनाने का दावा कर सकता है। परन्तु बलात्कार पूर्वक यदि कोई ऐसा कर ले तो भी इन बातों के आधार पर उत्पत्ति के साधनों का वर्गीकरण नहीं हो सकता है। जमीन और औजारों के ऊपर लोगों ने जो अपने कृत्रिम अधिकार जमा रखे हैं, उनको उत्पत्ति का स्वतंत्र साधन मानना वैसा ही भ्रमात्मक है, जैसा कि धूप, हवा, पानी और मनुष्य के शरीर पर अधिकार रखने के इन नये निकाले हुए दावों को उत्पत्ति का साधन मानना।

ऐसे आदमी हो सकते हैं कि जो मजदूर की जमीन और औजारों पर अपना अधिकार बतावें, जैसे कि पुराने जमाने में लोग गुलाम के शरीर को अपनी सम्पत्ति समझते थे; या जैसे कि अब कोई नया निकले और सूर्य की किरणों, हवा और पानी पर अपना एकान्त अधिकार बतावे। ऐसे आदमी भी हो सकते हैं जो मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगा दें, उसकी मेहनत से जो पैसावार हुई है उसे ले लें, और उसके काम करने के औजारों को भी छीन लें। फिर तो वह विचारा अपने लिये नहीं बल्कि अपने मालिक के लिये काम करने पर मजबूर होता है जैसा कि कैन्ट्रियों और कारखानों में होता है। यह सब कुछ सम्भव है, किन्तु जमीन और औजार रहित मजदूर की कल्पना करना अब भी एक असम्भव सी बात है, और असम्भव है जैसे ही जैसे कोई मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक किसी दूसरे की जंगम सम्पत्ति

होना स्वीकार कर ले, हालाँकि पीढ़ियों तक दूसरे मनुष्यों को अपनी सम्पत्ति समझने का दावा किया भी गया है।

कोई मनुष्य यदि यह दावा करे कि अमुक मनुष्य का शरीर मेरी सम्पत्ति है, तो इसीसे उसका अङ्गीभूत यह अधिकार तो छिन नहीं जाता कि वह खुद अपने हिताहित का विचार करे और अपने मालिक के लिए नहीं बल्कि अपने हित के लिये जो उचित समझे वह काम करे। वस, इसी तरह, दूसरों की जमीन और औजारों पर जो एकान्त अधिकार का दावा है, वह मनुष्य की हैसियत से, जमीन पर रहने और अपने औजारों से अथवा सुगमता समझे तो समाज के सामान्य औजारों से, जो चाहे जो काम करने का जो मजदूर का स्वयं-सिद्ध अधिकार है, उससे उसे कभी वञ्चित नहीं कर सकता।

वर्तमान आर्थिक समस्या की विवेचना करते हुए अर्थ-शास्त्र केवल इतना ही कह सकता है, कि युरोप में मजदूरों की जमीन और औजारों पर दूसरे लोग अपना अधिकार बताते हैं। इसके परिणाम-स्वरूप कुछ ही मजदूरों के लिये—सब के लिये किसी हालत में नहीं—हाँ, कुछ ही मजदूरों के लिये उत्पत्ति के जो स्वाभाविक साधारण नियम हैं, वे विनष्ट और विकृत हो गये हैं। इसलिये वे जमीन और औजारों से वञ्चित होकर दूसरों के औजारों से काम करने के लिये मजबूर हो गये हैं। किन्तु इससे वह तो किसी हालत में सिद्ध नहीं होता कि उत्पत्ति के सहज साधारण नियमों का वह आकस्मिक उल्लंघन ही वास्तविक और मूल-भूत सच्चा नियम है।

अर्थ-शास्त्री का यह कहना, कि उत्पत्ति के साधनों का यह

त्रिविध वर्गीकरण ही उत्पत्ति का मूल नियम है, ठीक ऐसा ही है जैसा कि कोई प्राणी शास्त्र का अध्ययन करने वाला बहुत से विस-किन नाम के पक्षियों को पींजड़े में बन्द और उनके पंखों को कटा हुआ देखकर, यह कहने लगे कि पक्षियों के जीवन की यह आवश्यक और अनिवार्य स्थिति है, और पक्षी जीवन का निर्माण ही इसी ढङ्ग पर हुआ है।

कितने ही सारे पक्षी पंख काट कर और पींजड़े में बन्द कर के क्यों न रखें गये हों, कोई भी प्राणी-शास्त्री उन्हें देखकर यह नहीं कह सकता कि यह स्थिति, और थोड़िया के ऊपर रखी हुई पानी की छोटी सी रकाबी—यही बातें प्राणी-जीवन की वास्तविक स्थिति की परिचायक हैं। चाहे कितने ही मजदूरों का स्थान छुड़ा कर उनकी पैदा की हुई चीजों को और उनके औजारों तक को छीन लिया जाये मगर फिर भी जमीन पर रहने और अपने औजारों से काम करने का जो उनका स्वभाव-सिद्ध मानवी अधिकार है वह उनके लिये अनिवार्य है, आवश्यक है और सदा ऐसा ही रहेगा।

निःस्पन्देह ऐसे कुछ लोग हैं, जो मजदूरों की जमीन पर और उनके औजारों पर अपना अधिकार बतते हैं, जैसे कि पहिले जमाने में कुछ लोग दूसरों के शरीर को अपनी मिलकियत समझने का दावा करते थे। किन्तु कुछ भी हो, स्वामी और बाध इन दो श्रेणियों में मनुष्य समाज का सच्चा वर्गीकरण हो ही नहीं सकता, जैसा कि प्राचीन काल में लोग इस वर्गीकरण की स्थापना कर देना चाहते थे। उत्पत्ति के साधनों का भी कोई सच्चा वर्गीकरण नहीं हो सकता, जैसा कि धर्म-शास्त्री

जमीन और पूँजी आदि विभाग करके इस प्रकार का बर्गीकरण स्थापित करने को चेष्टा कर रहे हैं।

दूसरों की स्वतंत्रता का अपहरण करने वाले इन अन्यायपूर्ण दावों को अर्थ-शास्त्र 'व्यक्ति के स्वाभाविक साधनों' के नाम से पुकारता है। मानव-समाज के स्वाभाविक गुणों को अपने सिद्धान्तों का आधार बनाने के बजाय, अर्थ-शास्त्र ने एक विशिष्ट स्थिति को देखकर, अपने नियमों की रचना कर डाली; और इस स्थिति को ठीक सिद्ध करने के लिये उसने उस जमीन पर जिसपर कि दूसरे लोग मेहनत करके अपनी रोजी कमाते हैं, और उन औजारों पर कि जिनके द्वारा अन्य लोग काम करते हैं, कुछ खास लोगों का अधिकार मान लिया। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उसने एक ऐसी बात को अधिकार का स्वरूप दे दिया, कि जिसका अस्तित्व कभी था ही नहीं। जो कभी हो ही नहीं सकती और जो स्वयं अपना रखरखन करती है। क्योंकि जो आदमी जमीन का उपयोग नहीं करता उसका उस जमीन पर दावा करने का अर्थ वास्तव में इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि जिस जमीन का वह उपयोग नहीं करता पर उसके उपयोग करने का अधिकार चाहता है; और दूसरे लोगों के औजारों पर भी अपना अधिकार रखने का अर्थ इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि वह उन औजारों से काम लेने का अधिकार प्राप्त करना चाहता है जिन से कि वह स्वयं काम नहीं लेता।

पुराने जमाने में मनुष्यों को नागरिक और दास भेदी में विभक्त करके यह कहा जाता था कि दासता की अस्वाभाविक अवस्था ही जीवन की स्वाभाविक अवस्था है। ठीक इसी तरह

व्यक्ति के साधनों का वर्गीकरण करके अर्थ-शास्त्र कहता है कि प्रत्येक मजदूर की—अर्थात् प्रत्येक मनुष्य की—यदि इस शब्द का सच्चे अर्थ में प्रयोग किया जाय—स्वाभाविक अवस्था उसकी यही वर्तमान अस्वाभाविक अवस्था है जिसमें कि वह रहता है।

वर्तमान अन्याय को ठीक सिद्ध करने के लिये ही अर्थ-शास्त्र ने जिस वर्गीकरण को स्वीकार किया है, और जिसे अपनी समस्त समीक्षा का उसने आधार माना है, वह वर्गीकरण ही इस बात के लिये जिम्मेवार है कि वक्त शास्त्र वर्तमान विचित्र परिस्थिति का खुलासा करने के लिये जी तोड़ कर कोशिश करता है, पर सफल नहीं हो पाता; और सामने आने वाले प्रश्नों का जो बिलकुल सीधा और सरल जवाब है उसे न मानकर ऐसे टेढ़े मंढ़े उत्तर देता है कि जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता।

अर्थ-शास्त्र के सामने यह प्रश्न उपस्थित है—कि धन के द्वारा कुछ लोग ज़मीन और पूँजी पर एक-प्रकार का काल्पनिक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, और जिनके पास धन नहीं है उन्हें वे चाहें तो अपना गुलाम बना सकते हैं। इसका क्या कारण है ? साधारण विवेक को तो इसका उत्तर यही मालूम पड़ता है कि यह धन का परिणाम है, जिसका स्वभाव ही मनुष्यों को गुलाम बनाना है।

परन्तु अर्थ-शास्त्र इस बात से इन्कार करता है और कहता है यह बात धन के कारण नहीं होती बल्कि इसकी वजह यह है कि कुछ लोगों के पास ज़मीन और पूँजी है और कुछ लोगों के पास दोनों में से एक भी नहीं है।

हम पूछते हैं—जिन लोगों के पास ज़मीन और पूँजी है वे

उन लोगों को क्यों सतते हैं कि जिनके पास दो में से एक भी नहीं है। हमें जबाब मिलता है—उनके पास जमीन और पूँजी दोनों हैं।

किन्तु यही तो हमारा प्रश्न था। जमीन और औजारों से किसी को वञ्चित कर देना ही क्या पण्डरवस्ती गुलाम बनाने के समान नहीं है? जीवन यह महत्वपूर्ण प्रश्न बार २ पूछता है, और अर्धशास्त्र भी यह देखता है और उसका जबाब देने की कोशिश करता है, परसफल नहीं हो पाता। क्योंकि अपनी गलत भिषि पर बने हुए सिद्धान्तों से चलकर वह एक ऐसे बाहियात बक्कर में पक जाता है, कि जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है।

इस प्रश्न का सन्तोष-जनक उत्तर देने के लिये यह आवश्यक है, कि उत्पत्ति के साधनों का जो गलत विभाग उसने किया है उसे वह भूल जाये, हमारी विशिष्ट परिस्थिति के जो परिणाम हैं, उन्हें कारण मानना छोड़ दे और जिस विशिष्ट परिस्थिति के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है पहिले उसके समीपस्थ स्पष्ट कारणों की और फिर दूर के कारणों की तलाश करे।

अर्थ-विज्ञान को इस बात का उत्तर देना चाहिये कि ऐसा क्या है कि कुछ भादमी जमीन और औजारों से वञ्चित हैं, और कुछ लोगों के पास ये दोनों ही मौजूब हैं? या, जो लोग जमीन पर मेहनत करते हैं और औजारों से काम करते हैं उनसे जमीन और औजार ले लिये जाते हैं—इसका क्या कारण है?

यदि अर्थ-विज्ञान गम्भीरतापूर्वक इस प्रश्न को अपने सामने रखेगा तो उसके सामने नये विचार आयेंगे, और मजदूर की खराब स्थिति का कारण उसकी खराब स्थिति है ऐसे विधानों की

मूल मुलैबा में फिरने वाले भूटे विज्ञान की पहिली चारछायें सारी की सारी एकदम बदल जायेंगी ।

सरल-चित्त लोगों के लिये इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि कुछ लोग दूसरे आदमियों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं इसका स्पष्ट कारण धन है । पर विज्ञान इसे अस्वीकार करता हुआ कहता है—इसका तो केवल विनियम का साधन है, आदमियों को गुलाम बनाने से उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं ।

अच्छा तो हम लोग देखें कि ऐसा है कि नहीं ।

रूपया अस्तित्व में आया कैसे ? किस स्थिति में जातियाँ हमेशा अपने पास पैसा रखती हैं, और वे कौन सी अवस्थायें हैं कि जिनमें जातियों को पैसे का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती ।

पुराने जमाने में सिथियन और ड्रेबलियन जिस प्रकार रहते थे, वैसे ही आज भी अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया में कुछ जातियाँ रहती हैं । वे पशु पाल कर, तथा खेती बारी करके अपनी गुजर करती हैं । इतिहास की प्रभात में ही हम उनकी चर्चा सुनते । पर इतिहास के कथानक का प्रारम्भ तो आक्रमणकारियों के बल्लेख से ही होता है, और ये आक्रमणकारी सदा एक ही रीति का अनुसरण करते आये हैं । वे विजित लोगों के पास से उनके पशु, अन्न और वस्त्र जो कुछ हाथ लगता है छीन लेते हैं, और वे बहुत से स्त्री-पुरुषों को कैद भी कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं ।

थोड़े दिनों पीछे वे फिर चढ़ाई करते हैं । किन्तु पहिले आक्रमण से अभी यह जाति पनपने नहीं पाती, और इसलिये छूट कर ले जाने लायक उसके पास कुछ भी नहीं होता । अतएव आक्रमणकारी जीती हुई कौम की शक्तियों से लाभ उठानेके लिये, दूसरी सुविधाजमक तरकीबें ढूँढ निकालते हैं ।

ये तरकीबें इतनी सरल होती हैं, कि हर किसी को स्वभावतः

ही मूक्त जाती हैं। पहली तरकीब तो यह है कि जीती हुई जाति के लोग गुलाम बना लिये जाते हैं। किन्तु इस पद्धति में सारा जाति की जाति से काम लेने की व्यवस्था करना और सब को खिलाने पिलाने का प्रबन्ध करना पड़ता है। यह एक बड़ी भारी अड़चन है। इसलिए सहज ही उन्हें एक दूसरी पद्धति सूझ जाती है। वह यह कि विजित जाति को उसकी ज़मीन पर रहने और काम करने देते हैं, पर उस ज़मीन पर अधिकार अपना रखते हैं, और उसे अपने प्रमुख खेनिकों में बाँट देते हैं, ताकि उनके द्वारा इन लोगों की मजदूरी का उपयोग किया जा सके। पर इस पद्धति में भी खराबी तो है ही। विजेता लोगों को विजित जाति की समस्त पैदावार पर टट्टि रखनी पड़ती है। और इसलिये पहली दो पद्धतियों जैसी ही एक तीसरी जंगली पद्धति का अनुसरण किया जाता है। वह यह कि विजेता लोग विजित जाति पर एक प्रकार का अनिवार्य कर लगाते हैं जो उन्हें नियत समय पर अदा करना पड़ता है।

विजेताओं का उद्देश्य यह होता है कि वे विजित जाति से उनकी पैदावार का अधिक से अधिक भाग ले लें। और यह स्पष्ट ही है कि ऐसा करने के लिये विजेता लोग ऐसी ही चीजें ले जायेंगे, जो सबसे अधिक कीमती होंगी और जिन्हें ले जाने और सञ्चय करने में आसानी होगी। इसलिये वह पशुओं की खाल तथा सोना आदि ऐसी ही चीजें ले जाते हैं। इसके लिये वे प्रत्येक कुटुम्ब अथवा जमात पर खाल अथवा सोने का कर लगाते हैं जो निश्चित समय पर उन्हें देना होता है और इस प्रकार सारी जाति की मेहनत से वे सरलतापूर्वक लाभ उठाते हैं।

खाल और सोना जब इस प्रकार उनसे ले लिया जाता है, तब फिर अपने मालिकों को देने के लिये अधिक खाल और सोना प्राप्त करने के लिये उन्हें अपनी अन्य सभी चीजें बेचनी पड़ती हैं और जब जायदाद बेचने को नहीं रहती है तो फिर वे अपने आपको और अपनी मेहनत को बेचने के लिये मजबूर होते हैं।

प्राचीन समय में और मध्य-युग में भी ऐसा ही होता था और अब भी ऐसा ही होता है। पुराने ज़माने में एक जाति का दूसरी जाति पर आक्रमण करना और उसे जीतना प्रायः ही होता रहता था। और चूँकि उस समय इस भाव का अभाव था कि सब मनुष्य समान हैं, इसलिये लोगों को अधिकृत करने के लिये वैयक्तिक दासता की प्रथा को विशेष चलन थी। और इसी परलोग ज्यादा जोर देते थे। मध्य काल में जागीर-पद्धति अर्थात् ज़मीन की मालिकी और उससे सम्बद्ध दूसरों से जबरदस्ती काम कराने की पद्धति कुछ अंशों में 'वैयक्तिक दासता' का स्थान ग्रहण करती है और इस प्रकार मनुष्य के बजाय ज़मीन, जोर और जुल्म का केन्द्र बन जाती है। आधुनिक काल में, अमेरिका की खोज के समय से और व्यापार के विकास तथा सुवर्ण की पैदाइश में वृद्धि होने से जो सारे जगत में विनिमय का साधन माना जाता है, कर आदि रुपये के रूप में लिये जाते हैं और राज्य-शक्ति की वृद्धि के साथ रुपये की किस्त लोगों को गुलामी में फँसाने का प्रमुख साधन बन गई है। और अब मनुष्यों के समस्त आर्थिक सम्बंध इसी के आधार पर चलते हैं।

'लिट्टेरी मिसेलेनी' में प्रोफेसर यान्जल का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें फिजी द्वीप के आधुनिक इतिहास का वर्णन

है। यदि मैं एक ऐसे उदाहरण की खोज में होता कि जो यह बात दिखाता कि किस प्रकार हमारे जमाने में रुपये की किरत-बंदी दूसरे लोगोंको अपना गुलाम बनाने का जबरदस्त साधन बन गई है, तो मैं समझता हूँ कि हाल में होने वाली घटनाओं के विवरण पर बने हुए इस विश्वसनीय इतिहास से बढ़कर प्रभाव-शाली और स्पष्ट किसी दूसरे उदाहरण की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता।

दक्षिण महासागर, के पालिनेशिया-अंतर्गत द्वीपों में फिजी नाम की एक जाति रहती है। जिस स्थान पर ये लोग रहते हैं वह छोटे छोटे टापुओं का बना हुआ है, और उसका कुल क्षेत्रफल लगभग चालीस वर्गमील है। सिर्फ आधा ही मुल्क बसा हुआ है और उस में १५०००० मूल निवासी और १५०० गांरे हैं। इन लोगों को जङ्गली अबस्था छोड़कर सुघरे हुए बहुत दिन हो गये हैं और पालिनेशिया के अन्य निवासियों की अपेक्षा दिमागी ताकत में बढ़ चढ़कर हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनमें काम करने की शक्ति और विकास की योग्यता है। क्योंकि थोड़े ही दिनों में कृषि और पशुपालन में उन्होंने अपनी दक्षता सिद्ध कर दिखाई है।

यह लोग खूब खुशहाल थे किंतु सन् १८५९ ई० में इनकी स्थिति बड़ी ही क्लिष्ट और निराशा-जनक हो गयी। फिजी जाति और उसके मुखिया ककोबा को रुपये की जरूरत पड़ी। अमेरिका का संयुक्त राज्य ४५००० डालर मुआविजे के रूपमें ककोबा से माँगता था। क्योंकि उसका कहना था कि फिजी लोगों ने अमेरिकन नागरिकों पर जुल्म किया है। यह रुपया बसूल करने के लिये अमेरिकनों

ने एक दल रवाना किया जिसने जमानत के बहाने, अचानक ही, कुछ उत्तमोत्तम टापुओं पर दृज्जा कर लिया और यह धमकी दी कि यदि एक निश्चित तिथि तक मुआविले की रकम अदा न कर दी जायगी तो उनके नगरों को गोले बारूद से उड़ा दिया जायगा।

मिशनरियों को लेकर अमेरिकन लोग फिजी द्वीप में बहुत पहले आकर बस गये थे। उस समय तक बहुत थोड़े ही उबनिवेशक वहाँ आ बसे थे। इन लोगों ने किसी न किसी बहाने से द्वीप की अच्छी से अच्छी जमीन अपने अधिकार में ले ली और कॉफी और कपास की खेती शुरू कर दी। इन्होंने ढेर के ढेर मूल निवासियों को अपने यहाँ नौकर रख लिया और ऐसी शर्तों में उन्हें बाँध लिया कि जो इन अर्ध-सभ्य लोगों को एकदम अज्ञात थी। इसके अलावा वे अपना काम ऐसे ठेकेदारों के द्वारा चलाते थे कि जो मनुष्यों की खरीद फरोख्त का व्यापार करते थे।

इन मालिकों और मूल-निवासियों में, कि जिन्हें वे एक तरह से अपना गुलाम ही समझते थे, अनबन होना स्वाभाविक ही था। और किसी ऐसे ही ऋगड़े को उन्होंने फिजी लोगों से मुवाविजा मॉगने का बहाना बना लिया।

सुशाहाल होते हुए भी फिजी लोगों ने उस समय तक अपने यहाँ उसी स्वाभाविक विनिमय प्रथा को बनाये रक्खा, जो योरोप के अंदर मध्ययुग में प्रचलित थी। इन लोगों के अंदर सिक्के का चलन तो यों समझिये कि बिलकुल था ही नहीं। इनका सारा आधार वस्तु-विनिमय पद्धति पर चलता था—एक चीज देकर बदले में दूसरी चीज ले लेते थे। और जो थोड़े से सामाजिक और राज्य-कर देने पड़ते थे उन्हें वे स्थानीय पैदावार के द्वारा अदा

करते थे। मला फिजी लोग और उनका राजा ककोबो क्या कर सकता था जब कि अमेरिकन लोग ४५ हजार डालर माँग रहे थे और उन्हें बेतरह धमका रहे थे? इतने सारे डालर उन्होंने कभी देखे भी न थे। सिक्के तो क्या, यह संख्या ही उनके लिये कल्पनातीत थी। अन्य सामन्तों से परामर्श करने के बाद ककोबो ने पहले तो यह निर्णय किया कि इंग्लैण्ड की रानी से इन द्वीपों को अपनी संरक्षकता में ले लेने के लिये प्रार्थना की जाये। किंतु बाद को द्वीपों को अपने राज्य में मिला लेने के लिये इंग्लैण्ड से अनुरोध करने का उन्होंने निश्चय किया।

किंतु इस अर्ध-सभ्य राजा को उसकी मुसीबत के समय सहायता पहुँचाने की इंग्लैण्ड को ऐसी कोई उतावली तो थी ही नहीं इसलिये उसने इस प्रार्थना पर अत्यन्त सावधानी के साथ विचार करना शुरू किया। सीधा उत्तर देने के बजाय उन्होंने १८६० में फिजी द्वीप के सम्बंध में तहकीकात करने के लिये एक खास कमीशन भेजा, ताकि वह यह निश्चय कर सके कि फिजी द्वीप को इंग्लैण्ड में मिलाने और अमेरिकनों को सन्तुष्ट करने के लिये इतनी बड़ी रकम देने से कोई लाभ भी होगा कि नहीं।

इस दरमियान में अमेरिकन सरकार रुपयों के लिये बराबर तकाजा करती रही और उसने जमानत के तौर पर उसने द्वीप के कुछ उत्तमोत्तम भाग अपने कब्जे में ले लिये; और फिजी जाति की सम्पत्ति का ठीक हाल मालूम होने पर उन्होंने मुआबिजे की रकम बढ़ा कर ९०,००० डालर कर दी। साथ ही यह धमकी भी दी कि यदि रुपया फौरन ही अंश न किया गया तो वह रकम और भी बढ़ा दी जायेगी। बेचारा ककोबो चारों और आपसियों से घिरा

हुआ था। लेनदेन के व्यवहार की योरोपीय पद्धति से वह बिलकुल ही अपरिचित था। इसलिये गोरे उपनिवेशकों की सलाह से उसने मेलबोर्न के व्यापारियों से पैसे लेने की चेष्टा की। यहाँ तक कि पैसे के लिये वह अपना राज्य तक प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंपने को तैयार हो गया।

ककोबो की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप मेलबोर्न में एक व्यापारिक मंडल की स्थापना हुई। 'पालीनेशियन कम्पनी' नामक इस मण्डल ने किजी के सरदारों से बहुत ही लाभदायक शर्तें ठहरा कर एक दस्तावेज तैयार किया। कई किरतों में रुपया अदा कर देने का वादा करके कम्पनी ने कर्जा अपने ऊपर ले लिया। पहली सन्धि के अनुसार कम्पनी को पहले एक और दो हजार एकड़ बढ़िया जमीन प्राप्त हुई; सदा सर्वदा के लिये सब प्रकार के कर माफ हो गये और किजी में बैंक स्थापित करने का उन्हें एकान्त स्वत्व तथा अमर्यादित संख्या में नोट बनाने का विशिष्ट अधिकार भी मिल गया।

यह सन्धि सन् १८६८ में निश्चित रूप से तब हो गई और तब से ककोबो की स्थानीय सरकार के साथ ही साथ एक दूसरी शक्ति का आविर्भाव हुआ। यह शक्ति उसी व्यापारिक मण्डल की थी, कि जिसके पास द्वीप भर में फैली हुई बहुत बड़ी जायदाद थी, और जिसका गवर्नमेंट पर काफी जोर और जबरदस्त असर था।

अभी तक तो ककोबो की गवर्नमेंट का काम स्थानीय पैदावार में से मिलने वाले अंश और थोड़े से आबात कर से चल जाता था किंतु सन्धि और प्रभावशाली पालीनेशियन कम्पनी

के निर्माण से उसकी आर्थिक स्थिति में अन्तर पड़ा। द्वीप समूह की बहुत सी उत्तमोत्तम जमीन कम्पनी के हाथ में चली जाने से राज्य की आय कम हो गई। उधर कम्पनी को आने वाले तथा जाने वाले माल पर कर न देने की आज्ञा मिल गई थी। इसलिये माल की जकात की आमदनी भी बहुत घट गई। मूल निवासियों की ओर से तो जकात की आय बैसे ही बहुत कम थी। क्यों कि निन्थानबे फी सदी ये लोग कपड़ा और घातु की बनी हुई कुछ चीजों के अलावा बाहर से आयी हुई शायद ही किसी चीज का व्यवहार करते थे। किंतु कम्पनी के सब प्रकार के कर माफ हो जाने से और लोगों के मँगाये हुए माल के द्वारा जो जकात की आय हाँसी थी वह एक दम बन्द हो गई। कफोबो को अब यह चिन्ता हुई कि आय में वृद्धि किस प्रकार की जाय ?

इस मुश्किल को हल करने के लिये फिजी के राजाने अपने गोरे मित्रों से सलाह पूरी। उन्होंने उस देश में पहिले पहल सीधा कर लगाने की राय दी, और कर-प्राप्ति की भ्रंशट को यथा-सम्भव कम करने के लिये उन्होंने यह सलाह दी कि इस कर के सम्बन्ध में 'रोकड़ पैसा' वसूल किया जाय। यह कर समस्त राज्य में प्रत्येक मनुष्य पर लगाया गया। प्रत्येक पुरुष को एक पौंड और प्रत्येक स्त्री को चार शिलिङ्ग भरना पड़ते थे।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, फिजी के लोगों में अभी तक वस्तु विनिमय अर्थात् आपस में चीजें बदलने की पद्धति जारी है। शायद ही किसी मूल निवासी के पास कोई सिक्का हो। कच्चा माल और पशु ही उनका धन है, रुपया पैसा नहीं। किंतु प्रत्येक मनुष्य के हिसाब से इस नये कर को नियमित समय

कर चुकाने के लिये उनको बहुत से रुपयों की जरूरत महसूस होने लगी ।

अभी तक लोगों को व्यक्तिगत रूप से सरकार का भार बहन करने का अभ्यास न था, हॉ, उसके लिये मेहनत मजदूरी कर देते थे । सरकार को जो कर देने होते थे वे सब उस गाँव अथवा जाति के द्वारा अदा किये जाते थे कि जिससे उसका संबंध होता था । दार्शनिक सामान्य खेतों की पैदावार में से ही ये कर भरे जाते थे और लोगों की खास आमदनी भी इन्हीं खेतों के द्वारा होती थी । अब उनके लिये केवल एक ही मार्ग था और वह यह कि योरोपियन उपनिवेशकों से रुपया उधार लिया जाय अर्थात् या तो योरोपीय व्यापारी से रुपया माँगे अथवा योरोपीय कृषक प्राँटर से ।

व्यापारियों के हाथ उन्हें अपनी चीज उन्हीं की शर्तों पर बेच देनी पड़ती और कभी २ तो नियत समय पर कर अदा करने के लिये उन्हें अपनी आगामी फसल भी गिरवै रख देनी पड़ती थी और इससे व्यापारी लोग खूब मनमाना सूझ बसूझ करते थे । दूसरी सूरत यह थी कि वे प्राँटरों से रुपया लेते थे और अपनी मेहनत उनके हाथ बेच देते थे । इस तरह वे कृषक न रह कर उनके नौकर हो जाते थे । फिजी द्वीप में मजदूरी भी बहुत ही कम थी और वह शायद इसलिये कि वहाँ आदमी काफी से ज्यादा मिलते थे । प्रत्येक बयस्क को प्रति सप्ताह एक शिलिङ्ग अथवा दो पौन्ड बारह शिलिङ्ग प्रति वर्ष से अधिक नहीं मिलते थे । परियाम यह हुआ कि कुटुम्ब का भार तो अलगाव रहा, अपना व्यक्तिगत कर चुकाने के लिये फिजी लोगों को अपना घर बार और

अपनी जमीन छोड़ कर कमी २ बहुत दूर किसी दूसरे टापू में कम से कम ६ मास तक प्लान्टर को गुलामी करने के लिये जाना पड़ता था। और फिर कुटुम्ब के लोगों का कर अदा करने के लिये उसे दूसरे उपायों की शरय लेनी पड़ती थी।

इस स्थिति का परियाम क्या हो सकता है इसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। १५०००० की आबादी में से कबोबो कुल ६००० पौन्ड इकट्ठा कर सक्ष। अभी तक सख्ती और जुल्म से लोग अपरिचित थे किन्तु कर बसूल करने के लिये तरह २ का अत्याचार उन लोगों पर किया जाने लगा।

स्थानीय शासन जो अभी तक बिगड़ने न पाया था अब शीघ्र ही योरोपियन प्लान्टरों के साथ मिल गया और प्लान्टर लोग खूब अपना महलब साधने लगे। कर न अदा कर सकने के अपराध में किसी लोगों को अदालत में पठद बुजाया जाता था और उन्हें केवल खर्चा ही नहीं देना पड़ता था बल्कि जेलखाने भी जाना पड़ता था और वह भी ६ महीने से कम के लिये नहीं। यह जेल क्या था गोरे लोगों के लिये मजदूर प्राप्त करने का साधन था। जो गोरा सब से पहिले मुकद्दमे का खर्चा और अपराधी का कर अदा कर देता था वही उसको अपने काम पर लगाने का हकदार हो जाता। इस तरह गोरे प्रवासियों को मजदूरी बहुत हाँ सस्ती पड़ती।

पहिले तो इस अनिचार्य मजदूरी का अवधि ६ महीने से अधिक न होती थी पर पीछे से जज लोग रिश्तत ले लेकर १८ महीनों तक की सजा देने लगे और कमी कमी तो बाद को भी सजा बढ़ा देते।

बड़ी ही जल्दी, केवल थोड़े ही वर्षों में फिजी लोगों की सामाजिक अवस्था बिलकुल बदल गई। खिले के खिले जो पहिले लुब हरे मरे और आबाद थे अब बिलकुल कंगाल हो गये और उनकी आबादी भी आधी रह गई। बुढ़ों और बीमारों को छोड़ कर जितने मर्द थे सभी, कर अदा करने के लिये रुपये की खातिर अथवा अदाजती फैसले के परिणाम स्वरूप घर से दूर, प्लान्टरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे। फिजी की स्त्रियों को खेतों में काम करने का अभ्यास न था इसलिये पुरुषों की अनुपस्थिति में घर की खेती बाकी का काम एकदम बन्द हो गया। कुछ ही सालों के अन्दर फिजी की आधी आबादी उपनिवेशकों की गुलाम बन गई।

अपनी इस दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिये उन्होंने एक बार फिर इंग्लैण्ड से प्रार्थना की। एक नया प्रार्थना पत्र तैयार किया जिसमें बहुत से मुखिया लोगों तथा सरदारों ने हस्ताक्षर किये। यह दस्तावेज जिसमें फिजी द्वीप को इंग्लैण्ड में मिला लेने की प्रार्थना की गई था, अङ्गरेजी राजदूत के हाथ में सौंप दिया गया। इस बीच में इंग्लैण्ड ने अपने भेजे हुए कमीशन द्वारा फिजी द्वीप की वर्तमान अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढङ्ग से उसने इन द्वीपों का निरीक्षण और उनकी पैमाइश भी करायी और दुनिशों के एक कोने में पड़े हुए इस सुन्दर द्वीप समूह की प्रकृति-प्रदत्त सम्पत्ति को लुब पसन्द किया।

इन सब बातों के कारण फिजी लोगों को इस बार अपने उद्योग में पूर्ण सफलता मिली और सन १८७४ में इंग्लैण्ड ने

सरकारी तौर पर फिजी द्वीप को अपने अधिकार में लेकर अपने उपनिवेशों में मिला लिया, जिससे अमेरिकन प्रान्तरों को बड़ा असंतोष हुआ। ककोबो का देहान्त हो गया। उसके उत्तराधिकारियों को थोड़ी सी पेंशन दे दी गई और उन द्वीपों का शासन न्यूसाउथ वेल्स के गवर्नर सर हरक्यूलीज राबिन्सन के हाथ में सौंप दिया गया। इंग्लैण्ड से सम्बन्धित होने के प्रथम वर्ष फिजी में स्वायत्त शासन न था बल्कि यह लोग सर हरक्यूलीज रोबिन्सन के द्वारा नियुक्त किये हुए शासक के अधीन थे।

द्वीप समूह को अपने हाथ में ले लेने के बाद, उनसे जो आशायें की गईं थीं उन्हें पूरा करने का कठिन कार्य अब अङ्गरेज सरकार को करने के लिये तैयार होना पड़ा। फिजी लोगों की तो स्वभावतः ही सब से पहिली इच्छा यह थी कि बहु घृणित मनुष्य कर हटा दिया जाये, और उपनिवेशकों का एक भाग अर्थात् अमेरिकन लोग अङ्गरेजी शासन को संदेह की दृष्टि से देखते थे; और दूसरा भाग अर्थात् अङ्गरेज जाति के लोग यह चाहते थे कि फिजी लोगों के ऊपर उनकी जो सत्ता और जो अधिकार हैं, उन सब को नियमित मान लिया जाये और जमीन पर कब्जा करने की आज्ञा उन्हें मिल जाये। किंतु अङ्गरेज सरकार इन सब बाधाओं का मुकाबिला करने में समर्थ निकली और उसने सबसे पहिला काम यह किया कि 'उस मनुष्य कर को सदा के लिये हटा दिया कि जिसके कारण कुछ उपनिवेशकों के लाभ के लिये फिजी लोगों में गुलामी की जड़ पड़ गई थी।

किन्तु इस कार्य में सर राबिन्सन को एक बड़े भारी अस

मंजस का सामना करना पड़ा। जिस मनुष्य-कर को दूर करने के लिये फिजी लोगों ने अङ्गरेजों की सहायता माँगी थी उसको वो दूर करना ही था पर साथ ही साथ अङ्गरेजी औपनिवेशिक नीति के अनुसार उन्हें स्वावलम्बी बन कर अपने शासन का खर्चा आप निकालना चाहिये था। मनुष्य-कर हटा देने के बाद फिजी लोगों से जो आय हो सकती थी वह सब मिला कर ६ हजार पौण्ड से अधिक न थी और शासन खर्च के लिये प्रति वर्ष कम से कम ७० हजार पौण्ड की आवश्यकता थी।

रुपया का कर हटा कर सर राबिन्सन ने मजदूरी का कर लगाने की तरकीब सोची पर कर्मचारियों का भरण पोषण करने लायक आमदनी इससे भी न हुई। गार्डन नाम कानया गवर्नर जब तक न आया तब तक यह स्थिति नहीं सुधरी। गार्डन ने आते ही यह निश्चय किया कि फिजी में जब तक रुपये का काफ़ी चलन न हो जायेगा तब तक वह रुपया न माँग कर फिजीवासियों से उनकी पैदावार की चीजें ले लेगा और उन्हें अपने प्रबन्ध से बेचेगा।

फिजी लोगों के जीवन का यह कष्टमय प्रसङ्ग स्पष्ट और उत्तम रीति से यह बताता है कि वास्तव में पैसा क्या चीज है और उसका असर कहीं तक पहुँच सकता है। इस उदाहरण में सभी आवश्यक अङ्गों का दिग्दर्शन हो जाता है—गुलामी की पहिली और मुख्य शर्त—बन्दूक, धमकियें, हत्यायें, और छूट पाट और अन्तिम चीज रुपया, जिसने लोगों को गुलाम बनाने के अन्य सब साधनों का स्थान ले लिया है। राष्ट्रों के आर्थिक विकास का इतिहास पढ़ कर, शताब्दियों तक की बटनायों का क्रमानुसार अध्ययन करने के बाद हम जो बात मालूम कर पाते हैं वह

इस घटना में है कि जिसमें जैसे के सभी प्रकार के अन्यायों और अत्याचारों का खूब खुल कर खेल हुआ है—इस ही वर्ष के अन्दर ही अच्छी तरह प्रस्फुटित होती हुई देखते हैं ।

नाटक इस प्रकार आरम्भ होता है—अमेरिकन सरकार फिजी द्वीप के लोगों को अपने अधीन करने के लिये बन्दूकों से भरे हुए जहाज भेजती है । बहाना है रुपया बसूल करने का पर वह कहता प्रसङ्ग आरम्भ इस प्रकार होता है कि फिजी के समस्त अधिवासियों के ऊपर तोपें लगायी जाती हैं और इनमें स्त्री, बच्चे बूढ़े और जबान सभी तरह के लोग हैं और प्रायः सभी निर्दोष । 'रुपया दो या जिन्दगी से हाथ धोओ'—४५ हजार डालर और फिर ९० हजार अथवा कल्ल आम । परन्तु ९० हजार डालर उन्हें मिलते नहीं और यहीं से आरम्भ होता है दृश्य नम्बर दो । इसमें उस भयङ्कर खूनी और क्रूर स्थायी पद्धति के स्थान पर एक नवीन यातना का आविष्कार होता है जो इतनी स्पष्ट तो दिखाई नहीं पड़ती पर उसका असर सब लोगों तक पहुँचता है और देर तक रहता है । फिजी के मूल निवासी नरहत्या के स्थान पर रुपये की गुलामी स्वीकार करते हैं । रुपया उधार लेते ही वह पद्धति शिक्षित सेना की तरह अपना काम आरम्भ कर देती है । पाँच वर्ष के अन्दर काम पूर्ण हो जाता है—मनुष्यों ने अपनी जमीन और जायदाद के उपयोग करने का अधिकार ही नहीं छो दिया बल्कि अपनी स्वतंत्रता भी खो बैठे—बस एक दम गुलाम बन गये ।

अब तृतीय दृश्य आरम्भ होता है । स्थिति बड़ी ही दुःख जनक है । इन अभागों को सलाह दी जाती है कि वह मासिक

बदल कर दूसरे के गुलाम हो जावें। रुपये द्वारा गुलामी से मुक्त होने का उनके दिमाग में खयाल तक नहीं। यह लोग एक दूसरे मालिक को बुलाते हैं और उससे अपनी स्थिति को सुधारने की प्रार्थना करके अपने को उसके हाथों में सौंप देते हैं। अङ्गरेज जांग आकर देखते हैं कि इन लोगों पर शासनाधिकार मिल जाने से वह अपनी जाति के आवश्यकता से अधिक बढ़े हुए निकम्मे जीवों के भयान्क बोधका प्रबन्ध कर सकेंगे और इसलिये वह इन द्वीपों और उनके निवासियों को अपने अधिकार में ले लेते हैं।

किन्तु इंग्लैण्ड उन्हें गुलामों के रूप में नहीं लेता, उनकी जमीन को भी वह अपने कर्मचारियों में बाँट नहीं देता। इन पुरानी पद्धतियों की अब जरूरत नहीं, अब केवल एक बात की जरूरत है—टैक्स लगाने चाहिये और ऐसे परिचायत परिमाण में कि एक ओर तो वह किसानों को व्यावहारिक दासता के पारा से मुक्त न होने दें और दूसरी ओर बहुत से निकम्मे जीवों के लिये मजे से जीवन व्यतीत करने का प्रबन्ध किया जा सके। फिजी निवासियों को प्रति वर्ष सत्तर हजार पाँच अड़ा करने चाहिये—यह खास शर्त है जिस पर इंग्लैण्ड फिजी निवासियों को अमेरिकन अत्याचार से बचाने के लिये राजी होता है और फिजी के लोगों को पूर्ण रूप से दासता के पारा में आबद्ध करने के लिये बस एक इसी बात की कमी रह गई थी। किन्तु स्थिति कुछ ऐसी है कि फिजी द्वीप वाले यह सत्तर हजार पाँच किसी हालत में नहीं दे सकते, उनके लिये यह माँग बहुत बड़ी है।

अंगरेज कुछ काल के लिये अपनी माँग पर जोर न देकर

प्राकृतिक उपज का ही कुछ अंश लेकर चुप रहते हैं ताकि जब रुपये का चलन हो जाय तो वह पूरी रकम वसूल कर सकें। वह पहिली कम्पनी की तरह व्यवहार नहीं करते—उस कम्पनी के व्यवहार को किसी देश में जंगली आक्रमण कारियों के प्रथम आगमन के समान कहा जा सकता है जब उनका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो कुछ मिले वह छुट कर चलते बनें। परंतु इंग्लैंड का व्यवहार दूरदर्शी गुलाम बनाने वाले आदमों का सा होता है, वह सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी को एक बार ही मार नहीं डालता बल्कि वह उसे पालता है ताकि वह बराबर अण्डे देती रहे। इंग्लैंड पहिले अपने मतलब को ढोला छोड़ देता है ताकि वह बराबर अण्डे देती रहे। इंग्लैंड पहिले अपने मतलब को ढोला छोड़ देता है ताकि बाद को इन लोगों से खुब कस कर काम निकाल ले। इस प्रकार बेचारे फिजी के लोगों को उसकी गुलामी के उस फन्दे में ला फँसाया कि जिसमें सबसेस्त योरोपियन जाति इस समय फँसी हुई है और जिसमें सं उनके निकलने की कोई सुरत भी नहीं दिखाई देती।

यही बात अमेरिका, चीन और मध्य एशिया में होती है और सभी बिजित जातियों के इतिहास में ऐसी ही घटना पाई जाती है। रुपया बिनिमय का एक निर्दोष साधन है किन्तु उसी हालत में कि जब उसे वसूल करने के लिए निरीह निःशस्त्र लोगों के ऊपर तोपें नहीं लगाई जाती। किन्तु ज्योंही रुपया इकट्ठा करने के लिये तोपों और बन्दूकों का प्रयोग किया जायगा तो जो कुछ फिजी में हुआ वह अनिवार्य रूप से होकर रहेगा और ऐसी ही सवा सर्वत्र हुआ है।

जो लोग यह समझते हैं कि दूसरों के श्रम का उपभोग करना उनका उचित अधिकार है वह बलपूर्वक रुपया माँग कर अपना मतलब बनायेंगे और रुपये की इस माँग के द्वारा ही अत्याचारी लोग बिचारे दीन लोगों को गुलाम बनने के लिये मजबूर करते हैं। इसके अलावा आततायी लोग जितना रुपया जमा हो सकता है उससे सदा ही अधिक माँगेंगे जैसा कि इंग्लैण्ड और फ्रिजी के सम्बन्ध में हुआ और यह अधिक रुपया इसलिये माँग जाता है जिससे गुलाम बनाने की क्रिया जल्दी ही पूरी हो जाय। रुपये की माँग को उस समय तक अवश्य सीमा के अन्दर रक्खा जाता है जब तक कि उनके पास पर्याप्त धन और नैतिक भाव रहता है, जब इस नैतिक भाव का हास हो जायेगा अथवा रुपयों की जरूरत होगी तो फिर इस सीमाकी पर्वह न की जायेगी रही गवर्न्मेंटों की बात, तो यह तो सदा ही सीमा के अधिक माँग करती हैं क्योंकि एक तो गवर्न्मेंटों के लिये न्याय अन्वयाय जैसी कोई नैतिक भावना ही नहीं होती, और दूसरे जैसा कि सभी जानते हैं युद्धों के कारण तथा मित्रों को देने के लिये उन्हें रुपयों की सदा ही जरूरत रहती है। सभी सरकारें बीबालिया होती हैं और अठारवीं शताब्दी के एक रूसी राजनीतिज्ञ की इस कथन के अनुसार ही व्यवहार करती है—“किसान की ऊन को काट हो लेना चाहिये ताकि कहीं वह बहुत ज्यादा २ न बढ़ जाय।” सभी हुकूमतें बुरी तरह कर्जदार होती हैं और प्रायः कर्ज की यह रफ्तार भयंकर गति से बढ़ रही है। इसी तरह बजट अर्थात् न्ययसूची भी बढ़ जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि दूसरे आतताइयों से भगदने और अपने आतताइयों को पारितोषिक देने

की विशेष आवश्यकता होती है और इसके कारण जमीन के लगान में वृद्धि होती है ।

मजदूरी में वृद्धि नहीं होती है और वह लगान के कानून के कारण नहीं बल्कि जबरदस्ती वसूल किये जाने वाले करों के कारण जिनका अस्तित्व ही केवल इसलिये होता है कि मनुष्यों के पास कुछ रहने न पावे ताकि मालिकों को सन्तुष्ट करने के लिये वह अपने को मेहनत करने के लिये बेंच डालने पर मजबूर हों—टैक्सों के लगाने का उद्देश्य यह होता है कि मजदूरों की मजदूरी का उपभोग किया जा सके ।

मजदूरों की मजदूरी का उपभोग उसी हालत में किया जा सकता है कि साधारणतः जो कर लगाये जायें वह इतने बड़े होने चाहिये कि मजदूर अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उन्हें प्रदान कर पायें । यदि मजदूरी में वृद्धि हो तो मजदूर के आगे चल कर दास बन जाने की सम्भावना ही नहीं रहती इसलिये जब तक जबरदस्ती का दौर दौरा रहेगा तब तक मजदूरी में वृद्धि कभी हो ही नहीं सकती । कुछ लोग जो दूसरे लोगों के साथ स्पष्ट खुले ढँग से जो अन्याय करते हैं उसे अर्थशास्त्रज्ञ लोहे के नियम के नाम से पुकारते हैं तथा जिस औजार के द्वारा अन्याय किया जाता है उसे यह लोग विनिमय साधन कहते हैं और यह निर्दोष विनिमय साधन जो मनुष्यों के पारस्परिक व्यापार के लिये आवश्यक है और कुछ नहीं रुपया ही है ।

तब फिर ऐसा क्यों है कि जहाँ जबरदस्ती लगान रुपयों में वसूल नहीं किया जाता वहाँ रुपया अपने वास्तविक अर्थ में कभी

होता ही नहीं और न कभी हो ही सकता है बल्कि या तो भेड़, अनाज, खाल आदि वस्तुओं का परस्पर विनिमय होता है या सीप, घोंचे जैसे किसी भी चीज को समयानुसार मूल्य निर्णायक मान लेते हैं जैसा कि फिजी निवासियों में, फिनीशियनों में, किराबियों में होता है और जैसा कि प्रायः उन लोगों में होता है कि जो अफ्रीकनों की तरह टैक्स ही नहीं देते ।

जहाँ कहीं भी किसी निश्चित प्रकार का सिक्का प्रचलित होता है तो वह विनिमय का साधन नहीं रहता बल्कि ज़बरदस्ती से पिंढ छुड़ाने का उपाय बन जाता है और उस सिक्के का प्रचार लोगों में तभी होता है जब कि सभी से किसी नियमित परिमाण में वह वसूल किया जाता है । तभी सब लोग एक सौ उसको प्राप्त करने के लिये उत्सुक होते हैं और तभी उसकी कोई क़दर और कीमत होती है ।

एक बात यह भी है कि विनिमय के लिये जो सरल और उपयोगी चीज़ है उसी को विनिमय की शक्ति अथवा मूल्य प्राप्त नहीं हो जाता बल्कि विनिमय का साधन वही पदार्थ बनता है और उसी को विनिमय शक्ति प्राप्त होती है कि जिसे गवर्नमेन्ट चाहती है । यदि सोने की माँग होती है तो सोना कीमती होता है और यदि घुटने की इच्छियेँ माँगी जाने लगें तो वह मूल्यवान बन जायें । यदि यह बात नहीं है तो विनिमय के साधनों को सरकार सदा अपनी ही ओर से जारी रखने का अधिकार क्यों रखती है ? उदाहरणार्थ फिजी निवासियों ने अपना एक निज का विनिमय साधन निश्चित कर लिया है, वह जिस तरह चाहते हैं उस तरह विनिमय करने की स्वतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिये और

तुम लोग जो बल या अत्याचार करने के साधन रखते हो उनके विनिमय में हस्तक्षेप न करो। किन्तु इसके बजाय तुम खुद सिक्के बनाते हो, किसी दूसरे को ऐसा करने नहीं देते या जैसा कि हम लोगों के यहाँ है, तुम लोग केवल कुछ नोट छापते हो उस पर जार का सर बना कर एक विशिष्ट प्रकार का हस्ताक्षर कर देते हो और धमकी देते हो कि यदि कोई जाली नोट बनायेगा तो सख्त सजा पायेगा। इसके बाद अपने कर्मचारियों में तुम उन्हें वितरित कर देते हो और यह चाहते हो कि प्रत्येक आदमी लगान और मालगुजारी आदि के रूप में तुम्हें इस प्रकार के सिक्के अथवा नोट दे जिस पर एक विशिष्ट प्रकार के हस्ताक्षर हों और वह इतनी संख्या में दिये जायें कि इन सिक्कों अथवा नोटों को प्राप्त करने के लिये वह अपनी सारी मेहनत और मजदूरी को बेचने पर मजबूर हो जाये और यह सब करने के बाद तुम हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हो कि रुपया विनिमय साधन के रूप में हमारे लिये आवश्यक है।

समाज के सब लोग सुखी और स्वतंत्र हैं, कोई किसी का न सताता और न किसी को गुलामी में रखता है। किन्तु समाज में रुपये का आविर्भाव होता है और तुरन्त ही लोहे का सा कड़ा नियम बनता है जिसके परिणाम स्वरूप लगान की वृद्धि होती है और मजदूरी यथा सम्भव कम हो जाती है। रूस के आधे बलिष्ठ आधे से अधिक किसान तरह तरह के कर अदा करने के लिये स्वेच्छापूर्वक अपने को जमीन्दारों अथवा कारखाने वालों के हाथ बेच डालते हैं क्योंकि मनुष्य का तथा अन्य प्रकार के करों को चुकाने के लिये उन्हें मजबूर होकर उन लोगों के पास

जाना पड़ता है कि जिनके पास रुपया है और उनकी आज्ञानुसार उन्हें उनकी गुलामी करनी पड़ती है। यही इस रुपये का खेल है।

जब गुलामी की प्रथा बन्द नहीं हुई थी तो मैं आइवन को कोई भी काम करने के लिये मजबूर कर सकता था और उसके इन्कार करने पर उसे पुलिस के हवाले कर देता जहाँ वह मार कर ठीक कर दिया जाता किन्तु यदि मैं आइवन से शक्ति से अधिक काम कराता और उसे बख्त या भोजन न देता तो यह मामला अधिकारियों के पास जाता और मुझे उसके लिये जवाब देना पड़ता।

किन्तु अब जब कि गुलामी उठ गई है मैं आइवन, पीटर वा साइडर से कोई भी काम करा सकता हूँ और यदि वह इन्कार करें तो मैं लगान अदा करने के लिये उन्हें रुपया नहीं देता और तब उन पर कोड़े पड़ते हैं। इस प्रकार वह मेरी बात मानने को बाध्य होते हैं। इसके अतिरिक्त मैं जर्मन, फ्रान्सीसी, चीनी तथा हिन्दुस्तानी का भी इसी साधन के द्वारा अपना काम करने के लिये मजबूर कर सकता हूँ, यदि वह राजा नहीं होते तो मैं जमीन किराये पर लेने के लिये या भोजन खरीदने के लिये उन्हें रुपया नहीं दूँगा और चूँकि उनके पास जमीन और भोजन कुछ भी नहीं है उन्हें मजबूर होकर मेरे पास आना पड़ेगा। और यदि मैं उनसे शक्ति से अधिक काम कराऊँ यहाँ तक कि अधिक काम ले ले कर मैं उन्हें मार भी डालूँ तब भी कोई मुझसे एक शब्द भी नहीं कह सकता और जो कहीं मैंने पोलिटिकल अर्थ शास्त्र की किताबें पढ़ली हैं तब तो फिर मुझे पूर्ण विश्वास हो

जाता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं और रुपया गुलामी का कारण नहीं है।

हमारे किसान बहुत दिनों से जानते हैं कि मनुष्य लकड़ी की अपेक्षा रुपये से अधिक घोट पहुँचा सकता है। यह तो अर्थ-शास्त्र के घुरन्धर ज्ञाता लोग ही हैं कि जो इस बात को नहीं समझते।

रुपया गुलामी पैदा नहीं करता, यह कहना ऐसा ही है कि जैसे पचास वर्ष पहिले कोई यह दावा करता कि 'सर्फला' गुलामों का कायदा-गुलामी का बिलकुल ही कारण न था। अर्थ-शास्त्री कहते हैं कि रुपया विनिमय का एक निर्दोष साधन है हालाँकि वह देखते हैं कि रुपया होने से मनुष्य दूसरे को अपने बश में कर लेता है, उसे गुलाम बना सकता है। यही क्यों ? अर्थशास्त्रि पहिले इसी तरह, क्या यह नहीं कहा जाता था गुलामी बजाते खुद तो पारस्परिक सेवा का एक निर्दोष प्रबन्ध है। गुलामी के कायदे के अनुसार कोई भी मनुष्य किसी को अपना गुलाम बना ले तो क्या हुआ ! यह तो एक पारस्परिक समझौता है। कुछ लोग शारीरिक श्रम करते हैं और दूसरे लोग अर्थात् मालिक अपने गुलामों के शारीरिक तथा मानसिक हितों का खयाल रखते हैं और उनके काम का निरीक्षण करते हैं। और क्या ताज्जुब किसी ने ऐसा कहा भी हो।

बदि अन्य क्रान्ती विज्ञानों की तरह अर्थ-शास्त्र का भी यह उद्देश्य न होता कि समाज में होने वाले अन्याय अत्याचार का समर्थन किया जाये तो वह अर्थ-शास्त्र यह देखे बिना न रहता कि द्रव्य का वितरण, कुछ लोगों को जमीन और पूँजी से वञ्चित कर देना, और कुछ लोगों का दूसरों को अपना गुलाम बना लेना—यह सब विचित्र बातें पैसे ही की वजह से होती हैं और पैसे ही के द्वारा कुछ लोग दूसरे लोगों की मेहनत का उपभोग करते हैं—उन्हें गुलाम बनाते हैं ।

मैं फिर दोहराता हूँ जिसके पास पैसा है वह धारा अनाज खरीद कर अपने स्वत्वाधिकार में ला सकता है और चाहे तो अन्य लोगों को तरसा तरसा कर भूखों मार सकता है जैसा कि बड़े परिमाण में प्रायः हमारी आँवों के आगे होता है । यह देख कर किसी के भा मन में यह भावना उठ सकती है कि इन विचित्र घटनाओं के साथ पैसों का क्या सम्बन्ध है इसे खोजना चाहिये किन्तु अर्थ-शास्त्र पूर्ण विश्वास के साथ यह घोषित करता है कि इस मामले में पैसों का किसी प्रकार का कोई भी सम्बन्ध नहीं है ।

अर्थ-विज्ञान कहता है—पैसा भी अन्य चीजों की तरह एक प्रकार का माल है जिसका मूल्य पैदावार पर निर्भर रहता है अन्तर केवल इतना है कि मूल्य निर्धारित करने, सञ्चित करने और दूसरी चीजों की कीमत चुकाने के लिये सरल और अनु-

कूल साधन होने के कारण इसे ही विनिमय साधन के रूप में पसन्द किया गया है। एक आदमी जूते बनाता है, दूसरा अन्न पैदा करता है, तीसरा भेड़ बकरियों पालता है और यह सब लोग अपनी चीजों को सरलता पूर्वक बदला बदली करने के लिये रुपया पैसा जारी करते हैं जो परिश्रम के पारितोषिक के रूप में महसूस किया जाता है, और इस विनिमय साधन द्वारा वह जूतों को भौंस के टुकड़े से अथवा दल संर आटे से बढल सकते हैं।

इस काल्पनिक विज्ञान के अनुयायी अपने समस्त ऐसी अवस्था को चित्रित करने के अभ्यस्त और उत्सुक हैं किन्तु संसार में ऐसी अवस्था कभी हुई ही नहीं। समाज की अवस्था की यह कल्पना दार्शनिकों के उस आदिम अज्ञात् मानव समाज की कल्पना के समान है कि जहाँ वह मनुष्य को परिपक्व परिपूर्ण दोष भ्रुति हीन अवस्था को प्राप्त हुआ मानते हैं। किन्तु ऐसी अवस्था का कभी अस्तित्व नहीं था।

मानव-समाज में जहाँ कहीं भी रुपये का चलन हुआ है वहाँ सशक्त और सशस्त्र लोगों ने दुर्बल और निःस्वहाय लोगों को सताया भी है और जहाँ कहीं भी अन्याय और अत्याचार हुआ है वहाँ मजदूरी या माज के मूल्य स्वरूप पैसा अथवा पशु, खाल, धातु, आदि जो कुछ भी रहा हो वह वस्तु विनिमय का साधन न रह कर दूसरों के बलात्कार से अपने को बचाने का साधन बन जाता है, उस पैसे अथवा पदार्थ का प्रायः यही उपयोग होता है कि उसे देकर अत्यचारी के हाथ से किसी प्रकार अपनी जान बचाई जाती है।

इसमें सन्देह नहीं कि विज्ञान पैसे में जिन निर्दोष गुणों का समावेश करता है, वह उसके अन्दर मौजूद है किन्तु वह गुण वहीं कायम रह सकते हैं जहाँ जोर जुल्म और बलात्कार न हो—जहाँ एक आदर्श समाज की स्थापना हो। किन्तु ऐसे आदर्श समाज में मूल्य निर्णायक के रूप में पैसे का अस्तित्व ही न होगा क्योंकि जहाँ सर्व साधारण पर राज्य की ओर से अत्याचार नहीं होता वहाँ न तो पहिले कभी पैसे का अस्तित्व था और न अब हो सकता है। पैसे का मुख्य उद्देश्य वस्तु विनिमय का नियत साधन बनना नहीं बल्कि अन्याय और अत्याचार को आश्रय देना मात्र है। जहाँ अन्याय और अत्याचार है वहाँ विनिमय के नियत साधन के रूप में पैसे का उपयोग नहीं हो सकता। क्योंकि वह मजदूरी या माल की कीमत का ठीक एवज नहीं बन सकता। और कीमत का एवज न बन सकने का कारण यह है कि जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मेहनत को जबरदस्ती छीन सकता है तो फिर मूल्य-निर्णायक जैसी कोई वस्तु ही नहीं रह सकती।

किसी आदमी के पाले हुए घोड़े, बाघ अथवा अन्य पशु दूसरे आदमियों द्वारा छीन लिये जायें और वह बाजार में बेचने के लिये लाये जायें और इन चुराये हुए घोड़े गाय आदि के मुकाबले में दूसरे घोड़े और गाय आदि पशु भी बराबर मूल्य पर बेचे जायें तो यह स्पष्ट है कि इनका मूल्य इन पशुओं के पालने की मेहनत के बराबर कभी नहीं होगा। और इस परिवर्तन के साथ ही दूसरी चीजों के मूल्य पर भी असर पड़ेगा और उनमें भी परिवर्तन हुए बिना न रहेगा और इस प्रकार पैसा मूल्यों का निर्णायक न कर सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई आदमी गाव

या घोड़े को जबरदस्ती छीन सकता है तो वह खुद रुपये को भी इसी प्रकार बलपूर्वक प्राप्त कर सकता है और इस रुपये के द्वारा वह सभी चीजों को खरीद सकता है। और जब रुपया खुद बलपूर्वक प्राप्त किया जाता है और वह चीजें खरीदने के काम में आता है तो उसमें विनिमय साधन का कोई गुण ही नहीं रहता।

जो अत्याचारी रुपया छीन कर दूसरों की मेहनत से पैदा की हुई चीजों के बदले में उसे देता है, वह तो बदले में कुछ देता ही नहीं—वह जो कुछ चाहता है मेहनत करनेवालों से उसे मिल जाता है।

अच्छा थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि इस प्रकार की असम्भव और काल्पनिक अवस्था का वास्तव में कहीं पर अस्तित्व है कि जहाँ बलात्कार नहीं है और रुपये का चलन है। खोने अथवा चोरी का मूल्य निर्णायक तथा विनिमय साधन के रूप में प्रयोग होता है। इस समाज में जो कुछ बचत होती है वह रुपये के रूप में रहती है। विजेता के रूप में किसी अत्याचारी का समाज में प्रवेश होता है। मान लीजिये यह अत्याचारी विजेता लोगों के घोड़ों, कैंपियों मकानों और गो-धन पर अपना अधिकार बताता है किन्तु चूँकि इन सब चीजों को लेकर अपने पास रखना असुविधाजनक है इसलिये स्वभावतः वह उस रुपये जैसे को लेने की इच्छा करता है कि जो इन लोगों के सब प्रकार के मूल्यों का प्रतिनिधि समझा जाता है और जिसके द्वारा सब प्रकार की चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसा होते ही इस समाज में विजेता और उसके सहकारियों के लिये रुपया एक दूसरे ही अर्थ का बोधक हो जाता है और अभी तक वस्तु विनिमय के साधन की सी ओ साक्षियत्व उसमें भी वह एकदम जाती रहती है।

किस चीज का कितना मूल्य होना चाहिये इसका निर्णय सदा शक्तिशाली अत्याचारी को इच्छा पर निर्भर रहता है। जिन चीजों की उसे सब से ज्यादा आवश्यकता होती है और जिनके लिये वह अधिक रुपया देता है वही अधिक मूल्यवान समझी जाती हैं और जिनकी जरूरत उसे नहीं होती वह कम मूल्य की गिनी जाती है। जिस समाज में अत्याचार का प्रभाव हो जाता है वहाँ रुपये का वास्तविक अर्थ तुरन्त ही व्यक्त हो जाता है अर्थात् वह अत्याचार करने और अत्याचार से बचने का साधन बन जाता है और अत्याचार पीड़ित विजित लोगों में रुपया विनिमय का साधन उसी हद तक रहता है कि जहाँ तक अत्याचारी को उसे देना बनाये रखने में सरलता और सुविधा होती है।

कल्पना कीजिये—किसान लोग अपने जमीन्दार को कपड़ा, मुर्गी, मुर्गे, भेड़, बकरियों, लाकर देते हैं और उनके लिये रोज मेहनत मजदूरी करते हैं। जमीन्दार इन चीजों के बजाय रुपया लेना स्वीकार करते हैं और चीजों का मूल्य निर्धारित कर देते हैं। जिन लोगों के पास कपड़ा, अनाज, पशु देने को नहीं हैं या जो शारीरिक सेवा नहीं कर सकते हैं वह एक निश्चित रकम अदा कर सकते हैं।

यह स्पष्ट है कि इस जमानदार के कृषक समाज में विविध वस्तुओं का मूल्य जमीन्दार की इच्छा पर ही निर्भर रहेगा। उसकी आवश्यकतानुसार चीजों का मूल्य कम या अधिक होगा। यदि उसे नाज की जरूरत है तो वह उसका मूल्य अधिक रखेगा और कपड़े, पशु या शारीरिक सेवा का कम। इसलिये जिनके पास

नाज नहीं होगा वह नाज खरीद कर ज़मींदार को देने के लिये अपना भ्रम, रुपया और पशु दूसरों के हाथ बेच डालेंगे ।

यदि सभी चीजों के बढ़ते ज़मीन्दार रुपया लेना पसन्द करे तब भी चीजों का मूल्य मेहनत को देखकर निश्चित न होगा बल्कि उसका निश्चय निर्भर रहेगा एक तो ज़मीन्दार द्वारा माँगी हुई रकम पर और दूसरे किसान द्वारा पैदा किये हुए उन पदार्थों पर जिनकी ज़मींदार को व्यादा जरूरत होगी और जिनके लिये वह अधिक मूल्य देने को तैयार है ।

ज़मींदार किसानों से जो रुपया माँगता है उसका असर चीजों की कीमत पर उसी हालत में नहीं पड़ेगा कि जब इस ज़मींदार के किसान दुनिया के दूसरे लोगों से एकदम अलहदा होकर रहें और उनका दूसरे लोगों से कोई सम्बन्ध न हो और दूसरे उस हालत में जब ज़मींदार रुपये से अपने गाँव में नहीं दूसरी जगह चीजें खरीदे । इन्हीं दो अवस्थाओं में चीजों की कीमत वस्तुतः अपरिवर्तित रह सकेगी । और रुपया मूल्य निर्णायक और विनिमय-साधन बन जायेगा ।

किन्तु यदि इन किसानों का पड़ोस के गाँव वालों से कोई व्यापार सम्बन्ध होगा तो अपने पड़ोस के गाँव वालों के हाथ बेची जाने वाली चीजों का मूल्य उस गाँव के ज़मींदार द्वारा माँगी हुई रकम के अनुसार होगा । यदि पड़ोस के गाँव के लोगों का अपने ज़मींदार को इस गाँव के लोगों की अपेक्षा कम रकम देनी होती है तो इस गाँव की पैदावार दूसरे गाँव की पैदावार की अपेक्षा सस्ती बिकेगी और यदि दूसरे गाँव वालों को व्यादा रकम देनी पड़ती है तो इस गाँव की पैदावार वहाँ महँगी बिकेगी ।

चीजों की कीमत पर ज़मीन्दार की रुपये की मॉँग का अक्षर भी उखी हालत में नहीं पड़ेगा कि जब जमा की हुई रकम अपनी असाधियों की चीजें खरीदने में खर्च न हो। यदि वह अपने कृषकों से खरीदेगा तो यह स्पष्ट है कि भिन्न पदार्थों का मूल्य बराबर बढ़ता रहेगा। ज़मीन्दार जिस चीज़ को ब्यादा चाहेगा और खरीदेगा उसी का मूल्य अधिक बढ़ जायगा।

एक ज़मीन्दार ने अपने गाँव के लोगों पर भारी मनुष्य-कर लगाया है और उसके पड़ोसी ने बहुत हल्का। यह स्वाभाविक है कि पहिले ज़मीन्दार की जागीर में दूसरे के गाँव की अपेक्षा प्रत्येक चीज़ सस्ती होगी क्योंकि यहाँ लोगों को रुपये की बहुत जरूरत होती है और दोनों ही रियासतों में मनुष्य-कर की वृद्धि। अथवा कमी के ऊपर चीजों की कीमत निर्भर रहेगी। बलात्कार अथवा जबरदस्ती का चीजों के मूल्य पर एक यह अक्षर पड़ता है।

पहिले के परिणाम स्वरूप एक दूसरा अक्षर भी होता है और वह चीजों के सापेक्ष मूल्य से सम्बन्ध रखता है। फर्ज कीजिये एक ज़मीन्दार घोड़ों का शौकीन है और उनके लिये बड़ी बड़ी कीमतेँ देता है, दूसरे को तैलियों अगोछों का शौक है, और वह अँगोछों के लिये अच्छा मूल्य देता है। अब यह तो स्पष्ट ही है कि इन दोनों रियासतों में घोड़े और अँगोछे महँगे होंगे और उनका मूल्य निश्चयन गाय अथवा नाज के मूल्य से कहीं ब्यादा होगा। यदि कल अँगोछों का शौकीन ज़मीन्दार मर जाये और उसके उत्तराधिकारियों को मुर्गे मुर्गियों का शौक हो तो यह स्पष्ट है कि अँगोछों की कीमत कम हो जायेगी और मुर्गे मुर्गियों की बढ़ जायेगी।

समाज में जहाँ एक मनुष्य दूसरे के ऊपर बलात्कार करता है वहाँ पैसा माल या मेहनत के मूल्य-स्वरूप कितने अंशों तक रहेगा यह एकदम अत्याचारी की इच्छा के ऊपर निर्भर रहता है; और विनिमय का साधन बनने की इसकी योग्यता नष्ट होकर दूसरों की मेहनत से लाभ उठाने का एक अत्यन्त अनुकूल और सुविधा-जनक साधन हो जाता है। अत्याचारी को पैसे की न तो विनिमय के लिये जरूरत पड़ती है—क्योंकि वह जो चाहता है बदले में कुछ दिये बिनाही ले लेता है—और न चीजों के मूल्य निर्णय के रूप में उसे पैसे की आवश्यकता है—क्योंकि वह स्वयं ही प्रत्येक पदार्थ का मूल्य निर्धारित करता है—उसे पैसे की जरूरत होती है केवल इसलिये कि दूसरों पर अत्याचार करने का बड़ा ही अच्छा सुविधा-जनक साधन बन जाता है और यह सुविधा इस बात में है कि रुपया पैसा खूब इकट्ठा किया जा सकता है और इसके द्वारा अधिकांश मानव-समाज को गुलाम बनाकर रक्खा जा सकता है।

अपने को जिस समय जितने छोड़े, गाय, भेड़ चाहिये उतने उसी समय मिल सकें इसके लिये इन सभी जानवरों को लेकर अपने पास रखना सुविधा-जनक नहीं है क्योंकि उन्हें चारा देना पड़ता है, नाज में भी यही बात है क्योंकि उसके सड़-गल जाने की सम्भावना है, गुलामों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है, किसी समय मनुष्य को हज़ारों की जरूरत हो सकती है और किसी समय एक की भी नहीं। किन्तु जिनके पास रुपया नहीं है उनसे रुपया मँगाने से यह सब असुविधाएँ दूर हो जाती हैं और जिस चीज की जरूरत हो वह भी मिल सकती है इसीलिये

अत्याचारी रूपया माँगता है। इसके अतिरिक्त रूपया माँगने में एक यह भी सुविधा है कि दूसरे मनुष्यों के परिश्रम से लाभ उठाने का उसका अधिकार कुछ थोड़े से मनुष्यों तक ही परिमित नहीं रहता बल्कि जिस किसी को भी रूपये की जरूरत हो उन सभी तक व्याप्त हो सकता है।

जब रूपये का चलन न था तो प्रत्येक जमींदार केवल अपने ही असामियों की मेहनत का लाभ ले सकता था किन्तु जब वह मिल कर किसानों से रूपया माँगने लगे जो उनके पास नहीं था तब बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के सभी राज्यों के आसमियों के परिश्रम का उपभोग करने में समर्थ बन गये। इस प्रकार लोगों की मजदूरी के फल को रूपये के रूप में लेने से उन्हें बड़ी सुविधा होती है और केवल इसीलिये रूपया चाहा जाता है।

जिन गरीब दुःखी लोगों से रूपया लिया जाता है उनके लिये वह न तो विनिमय में काम आता है—क्योंकि वह तो बिना पैसे के ही चीजों को बदला बदली कर लेता है जैसा कि राज्य-सत्ता की स्थापना के पहिले सभी जातियें करती थीं; न चीजों का मूल्य निर्धारित करने के काम में—क्योंकि यह निर्णय तो उससे पूछे बिना ही कर दिया जाता है; न संचय के काम में—क्योंकि जिसकी पैदावार छीन ली जाती है उसके पास संचय करने को कुछ रह ही नहीं जाता और न लेन देन के काम में—क्योंकि अत्याचार-पीड़ित को लेने की अपेक्षा सदा देना ही अधिक पड़ता है; और यदि उसे कुछ मिलता भी है तो वह रूपये के रूप में नहीं बल्कि उसे कच्चा माल ही मिलता है। यदि मजदूर अपनी मेहनत के बदले में अपने मालिक की दूकान से चीजें लेता है तब तो

उसे रुपया न मिल कर माल मिलता ही है और यदि वह अपने कमाई से जीवन की आवश्यक सामग्री दूसरी दुकान पर खरीदने जाता है तो उससे फौरन ही रुपया माँगा जाता है और उसे धमकी दी जाती है कि यदि रुपया अदा न करोगे तो न तुम्हें खमीन ही जायेगी और न अन्न दिया जायगा। या फिर तुम्हारी गाथ या घोड़ा छीन लेंगे, या तुमसे जबरदस्ती काम करायेंगे और फिर तुम्हें जेल भेज देंगे। इस आफत से वह अपनी पैदावार और अपनी तथा अपने बच्चों की मेहनत बेच कर ही छुटकारा पा सकता है और यह भी साधारण विनिमय के निश्चित मूल्य पर नहीं बल्कि पैसा माँगने वाली सत्ता द्वारा निश्चय किये हुए मूल्य पर उसे बेचना पड़ेगी।

इस स्थिति में कि जब लगान और कर का प्रभाव चीजों के मूल्य पर पड़ता है, और जैसा कि सभी जगह होता है, जमीन्दारों के यहाँ छोटे पैमाने पर और राज्य में बड़े पैमाने पर। और राज्यों में जो मूल्य में हेर फेर होते हैं उनके कारण तो हमें इतने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं कि जैसे मदारी को पदों के पीछे खड़ा देख कर कठपुतलियों के चलने फिरने का कारण हर कोई समझ जाता है—तब फिर ऐसी स्थिति में, यदि कोई दावा करे कि रुपया विनिमय का साधन और मूल्य निर्णायक है तो यह और कुछ नहीं तो कम से कम आश्चर्यजनक तो है ही !

सब प्रकार की दासता का एक मात्र कारण यही है कि एक आदमी दूसरे आदमी की जान ले सकता है और जान लेने की धमकी देकर उसे अपनी इच्छानुसार काम करने पर मजबूर कर सकता है। हम निश्चयात्मक रूपसे यह देख सकते हैं कि जब कोई आदमी इच्छा के विरुद्ध दूसरे आदमी की इच्छानुसार ऐसा काम करता है जो उसी की रुचि के प्रतिकूल है तो खोजने पर हमें मालूम होगा कि इसका मूल कारण और कहीं नहीं किसी न किसी रूपमें इसी धमकी के अन्दर से उद्दीयमान होता है। यदि एक आदमी अपनी सारी कमाई दूसरे को दे देता है, उसके पास खाने तक को नहीं रहता, अपने बच्चों को सकत मेहनत करने के लिये भेजता है, खेतों को बिना जोते पड़ा रहने देता है और अपना सारा जीवन घृणित अनावश्यक काम करने में व्यतीत करता है जैसा कि दुनियाँ में हमारी आँखों के आगे ही होता है—इस दुनियाँ में जिसे हम सभ्य कहते हैं सिर्फ इसलिये कि हम उसमें रहते हैं—तब हम यह सब देखकर निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वह यह सब काम इसीलिये करता है कि इन कामों को न करना जान से हाथ धोने के समान होगा।

हमारे इस सभ्य संसार में, जहाँ अधिकांश लोग कठोर से कठोर कष्ट सहकर भी ऐसे काम करते हैं जो उन्हें पसन्द नहीं और जिनकी उनको जरूरत नहीं, एक प्रकार की मयंकर दासता

प्रचलित है जिसका आभार लोगों का अस्तित्व मिटा डालने की धमकी है। अच्छा तो, यह दासता आई कहीं से ? इस धमकी की शक्ति कहीं छिपी हुई है ?

पुराने जमाने में लोगों को पद दलित करने के साधन और उन्हें मार डालने की धमकी—यह सब लोगों के लिये बिलकुल स्पष्ट और अविच्छिन्न रूप से प्रकट थे। लोगों को गुलाम बनाने का आदिम साधन सीधी सारी भाषा में तलवार से मार डालने की धमकी देना था।

एक सशस्त्र मनुष्य निहत्थे आदमी से कहता है देख, जैसे मैंने तेरे भाई को मार डाला वैसे मैं तुम्हें भी मार डाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं तेरी जान बख्शता हूँ—एक तो इसलिये कि तुम्हें मारना मुझे अच्छा नहीं लगता दूसरे तेरे और मेरे दोनों के लिये यही बेहतर होगा कि मैं तुम्हें मार डालूँ इसके बजाय तू मेरा काम किया करे। इसलिये मैं जो कुछ कहूँ उसे चुपचाप कर, नहीं तो, याद रख मैं तुम्हें जीता न छोड़ूँगा।

इस प्रकार बिचारा दुर्बल मनुष्य सबल मनुष्य की बात मानने को मजबूर हुआ और उसका बिनम्र आज़ा-पालक बन गया। निहत्था आदमी मजदूरी करता था और सशस्त्र खड़ा होकर धमकी देता था। यही वह व्यक्ति-गत दासता थी जो पहले पहल सभी जातियों में अस्तित्व में आई और जो अब भी जङ्गली जातियों में पाई जाती है।

दासता का प्रारम्भ तो इसी प्रकार की धमकी से होता है किन्तु जीवन जैसे जटिल होता जाता है, दासता का यह साधन

भी परिवर्तित होता जाता है। जीवन की जटिलता के कारण यह तरीका अत्याचारी के लिये अमुबिधा-जनक हो उठता है। गुलामों से काम लेने के लिये उन्हें खिलाना पिलाना पड़ता है, कपड़े देने पड़ते हैं और उनके काम की निगरानी करनी पड़ती है और इस-लिये उनकी संख्या थोड़ी ही रह जाती है। इसके अलावा ऐसा करने से मालिक को बराबर गुलामों के साथ रहना पड़ता है और मार डालने की धमकी दे दे कर उनसे काम कराना होता है और इसलिये लोगों को गुलाम बनाने की एक नई रीति निकाली गई।

पाँच हजार वर्ष पूर्व बाइबिल के अनुसार लोगों को अपनी सुट्टी में करने का यह नवीन मुबिधा-जनक और चतुरता-पूर्ण-साधन "सौन्दर्य-प्रतिमा" यूसुफ ने खोजकर निकाला था। आज कल पशुशालाओं में जङ्गली जानवरों और अकम्बड़ घोड़े को सघाने में जो तरकीब काम आती है वह उससे मिलती जुलती है।

यह तरकीब भूखों मारने की है।

बाइबिल (उत्पत्ति प्रकरण ४१ वद ४८-५७) में इस तर-कीब का इस प्रकार वर्णन है:—

४८ और यूसुफ ने सातों वर्ष का मिश्र देश का नाज इकट्ठा किया और वह सारा नाज शहरों में जमा कर रक्खा, शहरों के चारोंओर के खेतों का जो नाज था वह भी शहरों में भर लिया।

४९ यूसुफ ने समुद्र की रेती की तरह नाज इकट्ठा किया, अन्त में उसने गिनती करना भी छोड़ा क्योंकि वह बेशुमार था।

५३ इसके बाद मिश्र देश के मुकाल के सात वर्ष समाप्त हुए।

५४ और यूसुफ के कथनानुसार सात वर्ष का दुष्काल पड़ा।

सभी देशों में दुष्काल था पर मिश्र भर में खाने को मौजूद था ।

५५ फिर जब सारे मिश्र देश में खाने की कमी हुई तब लोगों ने फ़ैरोआ के पास जाकर भोजन के लिये बिलाना शुरु किया, फ़ैरोआ ने सब मिश्र निवासियों से कहा—यूसुफ़ के पास जाओ, वह जैसा कहै, वैसा करो ।

सारी पृथ्वी भर में दुष्काल का जोर था, यूसुफ़ ने अपने सब कोठार खोल दिये और मिश्र वासियों को नाज बेचने लगा, मिश्र देश में दुष्काल का खूब जोर था ।

सभी देश के लोग मिश्र में यूसुफ़ के पास नाज खरीदने को दौड़े क्योंकि सभी देशों में मयानक दुष्काल था ।

तलवार की घमकी से लोगों को गुलाम बनाने की आदिम रीति का उपयोग करके दुष्काल के समय के लिये यूसुफ़ ने मुकाल में नाज इकट्ठा किया । फ़ैरोआ के स्वप्न के अतिरिक्त सब लोग भी जानते हैं कि अच्छे सालों के बाद प्रायः ही दुष्काल पड़ता है । इस प्रकार भूख के द्वारा मिश्र के आस पास के देशों के लोगों को यूसुफ़ ने सरलता पूर्वक और निश्चित रूप से अपने ताबे में कर लिया फिर जब लोग भूखों मरने लगे तब उसने ऐसी तरकीब की जिससे लोग सदा के लिये उसके कब्जे में रहें । (प्रकरण ४७ पद १३-२६ में इसका नाचे लिखे अनुसार वर्णन है ।)

पीछे सारे देश में खाने को न रहा क्योंकि दुष्काल भयंकर था । मिश्र तथा कनधौं भर में मुर्दनी सी छा गई ।

यूसुफ़ ने जो नाज बेचा था उसके बदले में मिश्र तथा कनधौं में अरिना रुपया था सब इकट्ठा कर लिया और यह सारा धन सुफ़ ने फ़ैरोआ के घर में लाकर रक्खा ।

जब मिश्र तथा कनधों में रुपया न रहा तो सब मिश्र-वासियों ने यूसुफ के पास आकर कहा—हमें खाने को दो । हमारे पास रुपया नहीं है, पर तुम्हारे होते हुए क्या हम भूखों मरेंगे ?

यूसुफ ने कहा—तो तुम अपने पशु लाओ, द्रव्य नहीं रहा है तो तुम्हारे पशु लेकर तुम्हें अनाज देंगे ।

तब लोग यूसुफ के पास अपने पशु ले गये और यूसुफ ने उनके घोड़े, गाय, बैल, मेढ़े बकरे और गधे लेकर बदले में उन्हें अनाज दिया । और उनके सब पशु लेकर एक साल तक उन्हें अन्न दिया ।

बषे समाप्त होने पर दूसरे वर्ष वह लोग यूसुफ के पास आये और कहने लगे—महाराज ! हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते हमारा द्रव्य समाप्त हो गया है हमारे पशु भा बिक गये हैं । आप जानते हैं कि अब हमारे पास हमारे शरीर और हमारी जमीन के सिवाय और कुछ भी बाकी नहीं रहा ।

तो क्या हम लोग तुम्हारी आँखों के सामने अपनी जमीन के साथ खत्म हो जायेंगे। हमें और हमारी जमीन को अब के बदले में ले लो, हम और हमारी जमीन फेरोआ के ताबे में रहेगी । हमें बीज दो जिससे हम जीवित रहें और जमीन उजाड़ न हो जाये ।

यूसुफ ने मिश्र की सारी जमीन फैरोआ के लिये खरीद ली । मिश्रवासियों में से हर एक ने अपने खेत बेच डाले । क्योंकि वह अकाल से पीड़ित हो रहे थे । इस सारी जमीन फैरोआ की मिल्किबत हो गई ।

आदिमियों के लिये उसने यह किया कि मिश्र के एक छोर से

लेकर दूसरे छोर तक के सब लोगों को शहरों में ला कर बसाया ।

खिर्क पुरोहितों की जमीन यूसुफ ने नहीं खरीदी, क्योंकि वह फैरोआ की ओर से वृत्ति के रूप में दी गई थी और उसी से वह अपनी गुजर करते थे, इसलिये वन्होंने अपनी जमीन बेचा नहीं ।

तब यूसुफ ने लोगों से कहा—देखा, आज हमने तुम्हें और तुम्हारी भूमि को फैरोआ के दिये खरीद लिया है, अब तो यह बीज और जमीन जोतो बोओ ।

पर जब नाज पके तो फसल का पाँचवाँ भाग फैरोआ को देना और शेष चार भाग तुम्हारे रहेंगे । इसमें से तुम बीज के लिये रख छोड़ना और अपना, अपने कुटुम्ब का और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करना ।

लोगों ने कहा—तुमने हमें जीवन दान दिया है । महाराज ! हम पर कृपा-दृष्टि रखो, हम फरोआ के सेवक होकर रहेंगे ।

और युसुफ का बनाया हुआ नियम मिश्र देश में आज तक जारी है कि जमीन की पैदावार का पाँचवाँ भाग फैरोआ को मिलता है केवल पुरोहितों की जमीन इस नियम से मुक्त है । क्योंकि वह फैरोआ ने खरीदी नहीं थी ।

इससे पहिले लोगों की मजदूरी में लाभ उठाने के लिये फैरोआ का उनपर अत्याचार और बलात्कार द्वारा काम करना पड़ता था पर अब तो जमीन और फसलें सभी पर फैरोआ का अधिकार होने से केवल नाज के भण्डार को बल पूर्वक अपने अधीन रखने की जरूरत थी और फिर भूख उनसे सब काम करा लेती ।

सारे जमीन फैरोआ की हो गई और लोगों से बसूल किया

दुष्मा नाज का भयवार भी उसी के अधीन था इसलिए प्रत्येक मनुष्य से तलवार के भय से काम करवाने के बदले उसे केवल नाज की बल पूर्वक अपने कब्जे में रखना था, और लोग तलवार से नहीं बरन् भूख से उसके गुलाम बनने लगे।

किसी वर्ष अकाल पड़े तो समो लोगों को कैरोभा बाहे तो भूखों मार सकता है और सुकाल में भी जिसके पास किसी आकस्मिक घटना के कारण अन्न न हो वह भी भूखों मारा जा सकता है।

इस प्रकार गुलाम बनाने की दूसरी रीति स्थापित हुई। वह सीधे तलवार के बल पर नहीं क्योंकि उसमें तो निर्बल को मौत का डर बता कर अपने लिये काम करने को बाध्य करना है। इस रीति में बलवान मनुष्य सारा नाज अपने अधिकार में ले लेता है और उस पर सशस्त्र बहारा रख कर निर्बल मनुष्यों को भी अन्न प्राप्ति के लिये काम करने को मजबूर करता है।

यूसुफ ने भूखे लोगों से कहा—मेरे पास अन्न है इसलिये मैं तुमको भूखों मार सकता हूँ। पर मैं तुमको इस शर्त पर बचा सकता हूँ कि मैं तुम्हें जो भोजन दूँ उसके बदले में तुम हमारा काम करो।

गुलाम बनाने की पहिली पद्धति में सत्ताधारी मनुष्य के पास केवल सशस्त्र सिपाहियों ही की जरूरत होती है जो गाँव के लोगों पर अपना रोब जमा कर और मौत का डर बता कर अपने मालिक की आज्ञा का लोगों से पालन कराते हैं।

पहिली पद्धति में केवल अपने सैनिकों को ही दूसरों से अपहरण की हुई सम्पत्ति में से भाग देना पड़ता है किन्तु दूसरी

पद्धति में अनाज के भण्डारों की तथा जमीन की भुखमरों से रक्षा करने वाले सिपाहियों के अतिरिक्त अत्याचारी को अन्य प्रकार की मदद देने वाले तथा अनाज को इकट्ठा करने तथा बेचने का काम करने वाले अनेक छोटे मोटे युसुफों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये अन्यायी को अपनी उपज में से कुछ भाग इन लोगों को भी देना पड़ता है; यूसुफ का सुन्दर वस्त्र, सोने की अँगूठी नौकर चाकर तथा अनाज और उसका माइयों तथा सगे सम्बन्धियों को खोना चाँदी प्रदान करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त दूसरी पद्धति में यह भी है कि केवल व्यवस्थापक तथा नौकर चाकर ही उसमें भागीदार नहीं होते बल्कि स्थिति ही ऐसी होती है कि जिस किसी के पास भी अनाज का भण्डार होता है वह सब अन्न विहीन भूखे लोगों पर अन्याय करने में सम्मिलित हो जाते हैं। पहिली पद्धति में जो नितान्त बल पर अबलम्बित है प्रत्येक शस्त्रधारी मनुष्य निर्बलों और निःशस्त्र लोगों पर अन्याय करने में हिस्सा लेने लगता है। ठीक इसी तरह दूसरी पद्धति में जो भूखों मारने की नीति पर अबलम्बित है, प्रत्येक मनुष्य जिसके पास नाज भरा हुआ है इस अन्याय व्यापार में भागीदार बन जाता है और जिनके पास नाज नहीं होता उन पर हुकूमत करता है।

पहिली पद्धति की अपेक्षा इस पद्धति में जुलम करने वालों को यह लाभ है:— (१) मजदूरों से अपनी इच्छानुसार काम करा लेने में विशेष श्रम नहीं करना पड़ता। मजदूर स्वयं ही आते हैं और अपने को उसके हाथों बेच डालते हैं (२) पहिली पद्धति की अपेक्षा बहुत थोड़े मनुष्य उसके अन्याय पारा से बच सकते

हैं। इस दूसरी पद्धति में अत्याचारी की हानि सिर्फ इतनी ही है कि पहिली पद्धति की अपेक्षा इसमें अधिक लोगों को भाग देना पड़ता है।

इस दूसरी पद्धति में पीड़ित लोगों को लाभ यह है कि उन्हें सदा निरे पशु-बल के अधीन रहना नहीं पड़ता, इससे वे निश्चिन्त रहते हैं और दलित अवस्था में से निकलकर स्वयं अत्याचारी वर्ग में सम्मिलित होने की आशा वे कर सकते हैं। अनुकूल अवस्था मिलने पर वे इस स्थिति को प्राप्त भी कर लेते हैं। उनके लिये खराबो यह है कि अन्याय में भाग लेने से वे कभी बच नहीं सकते, दरिद्र अवस्था में वे अन्याय-पीड़ित होंगे तो समृद्ध अवस्था में वे स्वयं दूसरों पर अन्याय करने लगेंगे।

गुलाम बनाने की यह नई पद्धति प्रायः पुरानी पशु-बलवाली नीति के साथ ही साथ काम में आती है। जैसी जैसी जरूरत होती है वैसे वैसे बलवान मनुष्य पहिली पद्धति को संकुचित करता जाता है और दूसरी पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग करता जाता है। किन्तु सत्ताधारी को इस पद्धति से भी पूरा पूरा सन्तोष नहीं होता, क्योंकि वह तो चाहता है कि अधिक से अधिक मजदूरों की मेहनत से जितना अधिक सम्भव हो, लाभ उठाया जाय और जितने अधिक लोग बन सकें उन्हें गुलाम बनाया जाय। इसलिये एक तीसरी पद्धति का आविर्भाव होता है।

यह नई तीसरी पद्धति कर लगाने की है। दूसरी पद्धति के अनुसार यह भी भूखों मारने की नीति पर अवलम्बित है, परन्तु मनुष्यों से उनकी रोटी छीन लेने के बाद उन्हें गुलाम बनाने के लिये जीवन-सम्बन्धी दूसरी आवश्यकतायें भी अपहरण कर ली-

जाती हैं। बलवान मनुष्य अपने ही द्वारा बनाये हुए सिक्कों को इतनी बड़ी संख्या में बसूल करता है कि इन सिक्कों को प्राप्त करने के लिये गुलामों को यूसफ़ द्वारा निश्चित पंचमांश अनाज की अपेक्षा कहीं अधिक नाज बेचना पड़ता है और केवल इतना ही नहीं, बल्कि अपनी खास ज़रूरत की चीजें मॉस, चमड़ा, ऊन, कपड़ा, बरतन और मकान तक बेच डालने पड़ते हैं। इस प्रकार अत्याचारी केवल भूख के डर से ही नहीं बल्कि शीत, प्यास तथा अन्य प्रकार की आपत्तियों का डर दिखाकर अपने गुलामों को सदा अपने कब्जे में रख सकता है।

इस ढङ्ग से तीसरी तरह की गुलामी—पैसे की गुलामी अस्तित्व में आती है। इसमें सबल मनुष्य निर्बल से कहता है—

तुम में से प्रत्येक मनुष्य के साथ मैं चाहुँ जैसा व्यवहार कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बन्दूक से मार सकता हूँ, अथवा तुम्हारी आजीविका की देने वाली तुम्हारी जमीन छीन कर तुम्हें नष्ट कर सकता हूँ अथवा इसी रुपये से जो तुम मुझे दोगे, मैं तुम्हारे खाने का सारा नाज खरीद कर और दूसरे लोगों के हाथ बेचकर तुम्हें भूखों मार सकता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चाभूषण, तुम्हारा घर-बार गर्जे कि तुम्हारे पास जो कुछ है, वह सभी मैं छीन ले सकता हूँ। पर यह मेरे लिये अनुकूल नहीं है और ऐसा करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, इसीलिये मैं तुम्हें इस बात की स्वतंत्रता देता हूँ कि तुम जो चाहो काम करो, परन्तु, तुम्हें इतना करना होगा कि मैं मनुष्य-कर के रूप में, अथवा तुम्हारी जमीन के हिस्से से या तुम्हारे खाने पीने की चीजों अथवा बच्चाभूषणों या मकानों के लिहाज से मैं जितना रुपिया माँगूँ, वह

तुम मुझे दे दो। तुम यह रकम अदा कर दो और फिर आपस में जैसे चाहो रहो, जो चाहो सो करो, पर इस बात को समझ लो कि मैं न तो अनाथ विधवाओं की रक्षा करूँगा, न बीमार और बूढ़े लोगों की और न ऐसे लोगों की, जिनका घरबार भाग से जल गया है। मैं तो सिर्फ इस बात की व्यवस्था करूँगा कि रुपये का लेन-देन ठीक तरह चलता रहे। जो लोग निश्चित रूप से निश्चित रकम मुझे देते रहेंगे, उनकी ही रक्षा करने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग इस रुपये को कहाँ से और किस प्रकार लाते हैं।

अपनी माँग की स्वीकृति-स्वरूप अन्यायी बलवान मनुष्य अपने बनाये हुए सिक्के लोगों में वितरण कर देता है।

गुलाम बनाने की दूसरी पद्धति ऐसी थी कि फ़ैरोआ लोगों से फसल का पाँचवाँ भाग लेकर कोठों में भर रखता और तलवार द्वारा प्राप्त हुई अङ्ग-दासता के अतिरिक्त अपने व्यवस्थापकों की सहायता से अकाल पड़ने के समय सभी मजदूरों पर और आकस्मिक आपत्ति पड़ने पर विपन्न लोगों पर, अपना शासन चलाता।

तीसरी पद्धति यह थी, फ़ैरोआ लोगों से लिये जाने वाले अनाज के पंचमांश के मूल्य से अधिक रुपया माँगता है और इस प्रकार अपने व्यवस्थापकों की सहायता से अकाल अथवा आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय ही नहीं, बल्कि हमेशा के लिये मजदूर वर्ग पर अपना शासन चलाने का एक नया साधन पैदा करता है।

दूसरी पद्धति में लोग कुछ नाज बचा सकते हैं जा अकाल

अथवा आकस्मिक विपत्ति के समय उनकी सहायता करता है और उन्हें गुलामों के जाल में फँसने से बचा लेता है। तीसरी पद्धति में कर की रकम भारी हो तो सारा अनाज और साव ही खीचनोपयोगी अन्य आवश्यक चीजें भी बेचनी पड़ती हैं और इस कारण जरा सा सङ्कट पड़ने पर मजदूरों को पैसे वालों का गुलाम बनना पड़ता है, क्योंकि इनके पास न तो अनाज रह जाता है और न ऐसी कोई चीज ही शेष रहती है जिसके बदले में अनाज प्राप्त किया जा सके।

पहिली पद्धति में अत्याचारी को केवल सैनिकों की ही आवश्यकता होती है और उनको ही भाग देना पड़ता है। दूसरी पद्धति में अनाज के भण्डार के रक्षकों के अलावा अनाज को इकट्ठा करने और बेचने का प्रबन्ध करने के लिये कर्मचारियों को भी रखना पड़ता है। तीसरी पद्धति में जमीन और जायदाद की रक्षा के लिये सिपाहियों को रखने के अतिरिक्त, कर उगाहने वालों, मनुष्य-कर का प्रबन्ध करने वालों, निरीक्षकों, जकात का हिसाब रखने वालों, रुपये बनाने और उसकी व्यवस्था करने वाले कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है।

दूसरी पद्धति की अपेक्षा तीसरी पद्धति में व्यवस्था रखने का काम कहीं अधिक जटिल है। दूसरी पद्धति में तो नाज उगाहने का काम ठेके पर दिया जा सकता है जैसा पुराने ज़माने में होता था और जैसा अब भी तुर्किस्तान में होता है। किन्तु लोगों के ऊपर कर लगाने से तो कर लगाने योग्य मनुष्यों की, और कोई मनुष्य अथवा कोई उद्योग कर लगाने से बच न जाय इस बात की, बड़ी भारी व्यवस्था रखनी पड़ती है और इसीलिये

इस पद्धति में अत्याचारियों को दूसरी पद्धति की अपेक्षा अधिक मनुष्यों को अपनी आय का भाग देना पड़ता है। इस पद्धति में स्थिति कुछ ऐसी होती है कि जिनके पास पैसा है वे सभी लोग अन्यायी के भागीदार बन सकते हैं, फिर चाहे वे देशी हों अथवा विदेशी, पहिली और दूसरी पद्धति की अपेक्षा अन्यायी को तीसरी पद्धति में ये लाभ विशेष होते हैं:—

पहिली बात तो यह है कि यूसुफ की तरह इस पद्धति में अकाल की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, बल्कि परिस्थिति ऐसी बनावी जाती है कि सदा ही दुष्काल बना रहता है। दूसरी पद्धति में किसानों से फसल की पैदावार के अनुसार ही लगान आदि वसूल किया जा सकता है, इच्छानुसार बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि यदि उनके पास अधिक नाज नहीं है तो उनसे अधिक प्राप्ति की कोई सूरत ही नहीं रहती किन्तु इस नवीन द्रव्य-पद्धति में तो जितना चाहो उतना वसूल कर लो, क्योंकि बेचारे किसान को श्रम चुकाने के लिये अपने पशु, वस्त्र और मकान तक बेचने पड़ते हैं। अन्यायी को इसमें मुख्य लाभ यह है कि वह दूसरों के परिश्रम का अधिक से अधिक फल अत्यन्त सुविधा और सरलता के साथ छीन ले सकता है क्योंकि लांहे के पेंच की तरह द्रव्य-कर को सरलतापूर्वक अन्तिम सीमा तक पहुँचाया जा सकता है और सुनहले अंडे प्राप्त किये जा सकते हैं। मले ही अंडे देने वाली मुर्गी मृत्यु-कूल पर ही जा पहुँचे।

दूसरा लाभ यह है कि इस पद्धति में जिनके पास जमीन नहीं होती है उन पर भी अन्यायी अपना हाथ फेर सकता है। पहिले तो ये लोग अपनी मेहनत का थोड़ा सा भाग अत्याचारी

को लेकर उसके अन्याय से छुटकारा पा जाते थे। अब तो अनाज के बक्ले में मजदूरी का जो भाग देते थे, उसे देने के बाद भी कर के रूप में मजदूरी का और भी बहुत सा हिस्सा देना पड़ता है।

अत्याचारी को इसमें हानि यह है कि बहुत सारे लोगों को अपनी आय का भाग देना पड़ता है। अपने व्यवस्थापकों तथा कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि उन सब को हिस्सा देना पड़ता है कि जिनके पास रुपया होता है और वह देशी तथा विदेशी दोनों ही तरह के लोग हो सकते हैं।

दूसरी पद्धति की अपेक्षा इस तीसरी पद्धति में पीड़ित लोगों को लाभ इतना ही है कि इसमें कुछ अधिक स्वतंत्रता रहती है, वे जहाँ चाहें रहें, जो चाहें करें, वे खेत बोयें या न बोयें, किसी को उन्हें हिस्सा देने की जरूरत नहीं, और यदि उनके पास द्रव्य है तो वे अपने को एकदम स्वतंत्र भी समझ सकते हैं और यदि उनके पास कुछ फाजिल रुपया हो तो वे केवल स्वतंत्र ही नहीं, बल्कि खुद अत्याचारी का पद प्राप्त करने की भी आशा कर सकते हैं, और थोड़े समय के लिये वे उस स्थिति को पहुँच भी जाते हैं।

अन्याय पीड़ित लोगों को इसमें हानि यह है कि औसतन उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उनकी कमाई का अधिकांश भाग उनसे ले लिया जाता है, क्योंकि उनकी मेहनत पर बड़े उड़ाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है और इसलिये उनके भरण-पोषण का भार बचे हुए थोड़े लोगों पर पड़ता है।

गुलाम बनाने की यह तीसरी पद्धति भी बहुत पुरानी है।

पहिली दोनों पद्धतियों को एक दम ही परित्यक्त किये बिना उनके साथ साथ अमल में आती है। मनुष्यों को गुलाम बनाने की यह तीनों पद्धतियाँ सदा ही अमल में आती रही हैं।

इन तीनों पद्धतियों को पेचदार कीलों से भिखाल दी जा सकती है जो मजदूरों को दवाने वाले तख्ते में लगी हुई हों। बीच का पेच, जिस पर सब का दारोमदार है और जिसके बिना दूसरे पेच बेकाम हैं, जो सब से पहिले कसा जाता है और कमी दीला नहीं किया जाता है—अङ्ग-दासता का पेच है जिसमें मार डालने की धमकी देकर कुछ लोग दूसरे लोगों को अपना गुलाम बनाते हैं, लोगों की जमीन तथा अनाज छीन कर उन्हें गुलाम बनाना, यह दूसरा पेच है। पहिले पेच के बाद यह पेच कसा जाता है। इसमें भी मौत का डर दिखाकर ही जमीन और अनाज पर कब्जा कायम रक्खा जाता है। लोगों के पास जो रुपये नहीं होता है, उसे कर के रूप में लोगों से माँग कर गुलाम बनाना तीसरा पेच है और इसमें भी जो रुपये की माँग होती है, उसके पीछे भी हत्या की धमकी तो रहती ही है।

यह तीनों पेच कस दिये जाते हैं और ढीले उसी हालत में किये जाते हैं जब इनमें से एक और भी अधिक जोर के साथ, कस दिया जाता है। अम-जीवियों को पूर्ण-रूप से गुलाम बनाने के लिये यह तीनों ही जरूरी हैं और हमारे समाज में इन तीनों का प्रयोग हो रहा है। तलवार से मार डालने की धमकी देकर लोगों को गुलाम बनाने की पहिली पद्धति नष्ट तो कमी हुई ही नहीं और न होगी जब तक अत्याचार का अस्तित्व रहेगा। क्योंकि यह धमकी ही सभी प्रकार के अत्याचारों का आधार है।

हम लोग निश्चित रूप से समझते हैं कि हमारे सभ्य संसार से गुलामी बिलकुल नष्ट कर दी गई है और उसके अन्तिम अवशेष भी अमेरिका तथा रूस में भस्मीभूत हो गये। हमें समझते हैं कि अब कुछ जंगली जातियों में ही यह प्रथा पायी जाती है, हमारे अन्दर तो अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। किन्तु जब हम यह सोचते हैं, तो एक छोटी सी बात भूल जाते हैं—उन लाखों सशस्त्र सैनिकों को हम भूल जाते हैं कि जो प्रत्येक राज्य में पाये जाते हैं और जिनके बिना कोई भी राज्य टिक नहीं सकता। यह लाखों सैनिक अपने शासकों के गुलाम नहीं तो और क्या हैं ? क्या ये लोग मृत्यु और यातना की धमकी के कारण जो धमकी कभी २ अमल में भी आती है, अपने सेनानायकों की आज्ञा पालन करने के लिये मजबूर नहीं होते ? अन्तर केवल इतना ही है कि इन गुलामों की ताबेदारी को गुलामगीरी नहीं, अनुशासन कहते हैं और दूसरे गुलाम मरणपर्यन्त गुलामी करते हैं। किन्तु ये सैनिक, नौकरी कहलाने वाले जमाने में ही, गुलामी करते हैं।

अपने सभ्य संसार में गुलामी नष्ट नहीं हुई इतना ही नहीं, बल्कि अनिवार्य सैनिक-सेवा के कारण कुछ समय से तो वह और भी बढ़ हो गई है। पहिले ही की तरह गुलामी अब भी चली आती है, केवल उसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। और जब तक एक आदमी दूसरे को किसी प्रकार की गुलामी में रखने का उद्योग करेगा तब तक तो यह व्यक्तिगत दासता भी जारी रहेगी कि जिसमें तलवार के जोर से जमीन पर अधिकार जमाने और कर बसूल करने का काम होता है।

देश की रक्षा और गौरव-वृद्धि के लिये, जैसा कि कहा जाता है, सम्भव है कि यह सैनिक-दासता जरूरी हो किन्तु यह जरूरत भी है अत्यन्त सन्देहास्पद । क्योंकि हम देखते हैं कि युद्ध में पराजय होने के बाद प्रायः यही सेना देश की शासता और आपकीर्ति का कारण बन उठती है । किन्तु इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि जमीन और कर सम्बन्धी गुलामी को प्रथम रखने के लिये यह सैनिक-दासता आवश्यक और अत्यन्त उपयोगी है ।

यदि आयरिश या रूसी किसान जमीन्दारों की जमीन पर अधिकार कर लें, तो तुरन्त ही उन्हें अधिकार-व्युत् करने के लिये सेना भेजी जायेगी । यदि कोई शराब की मट्टी, बनाये और व्यापकारी टैक्स अदा न करे तो उसे बन्द कर देने के लिये फौरन ही सैनिक आ पहुँचेंगे । लगान देने से किसी ने इन्कार किया कि फिर वही बात हुई ।

लोगों की जमीन और उनकी भोजन-सामग्री छीन कर मनुष्यों को गुलाम बनाने की पद्धति—यह दूसरा पंच है । यह पद्धति भी जहाँ कहीं मनुष्यों पर जबर्दस्ती हुई है, वहाँ अवश्य ही मौजूद रही है और चाहे बितने ही परिवर्तन इसमें क्यों न हुए हों, वह अब भी सभी जगह मौजूद है ।

कहीं कहीं, तुर्किस्तान की तरह, भूमि का मालिक राजा होता है और फसल का दसवाँ हिस्सा राज्य को दिया जाता है । कहीं भूमि का कुछ भाग राजा का होता है और उस पर लगान वसूल किया जाता है । कहीं सारी भूमि इंग्लैण्ड की तरह कुछ चुने

हुए लोगों के हाथ में होती है और वह लगान पर उठा दी जाती है। कभी रूस, जर्मनी और फ्रांस की तरह थोड़े या अधिक परिमाण में भूमि का अधिकांश भाग जमीन्दारों के आधिपत्य में होता है। किन्तु जहाँ कहीं भी गुलामी का अस्तित्व होता है, वहाँ अत्याचारी जमीन का अधिकारी भी जरूर बन बैठता है और गुलाम बनाने का यह दूसरा पेश, अन्य पेशों को देखकर ही कसब अथवा ढीला किया जाता है।

रूस में जब अधिकांश श्रम-जीवी व्यक्तिगत दासता में जकड़े हुए थे तब भूमि-दासता की जरूरत न थी किन्तु व्यक्तिगत दासता का पेश ढीला उसी हालत में किया गया जब भूमि और कर-दासता के पेश कस दिये गये। सरकार ने जब भूमि को अपने अधिकार में कर लिया और उसे अपने प्रिय-पात्रों में बाँट दिया और रुपया जारी करके द्रव्य-कर की स्थापना कर दी तभी कहीं जाकर अपने किसानों को व्यक्तिगत दासता से मुक्ति प्रदान की। ईंग्लैंड में आजकल भूमि-दासता का दौरदौरा है और भूमि के राष्ट्रीय-करण का जो प्रश्न उठ रहा है, उसका अर्थ यही है कि कर—सम्बन्धी पेश को कस दिया जाय ताकि भूमि-दासता का पेश ढीला किया जा सके।

कर द्वारा लोगों को गुलाम बनाने की तीसरी पद्धति भी इसी तरह सदा ही रही है और आजकल हमारे जमाने में सिककों के मूल्य के एकीकरण तथा राब्याधिकारों की अभिवृद्धि के कारण इस पद्धति का बहुत जबरदस्त प्रभाव हो गया है, और यह पद्धति आजकल इतनी विकसित हो गई है कि धीरे धीरे यह

गुलाम बनाने की दूसरी पद्धति अर्थात् भूमि-दासता का स्थान लेने जा रही है। समस्त योरप की आर्थिक स्थिति को देखने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि इस तीसरे पंच को कबने ही से भूमि-दासता का पंच डीला किया जा रहा है।

हमने अपने ही जीवन-काल में रूस के अन्दर दासता के दो स्वरूपों को परिवर्तित होते देखा है। जब गुलामों को आजाद किया गया और भूमि के अधिकांश भाग पर जमींदारों का अधिकार बना रहा तब जमींदारों को यह चिन्ता हुई कि किसानों पर जो उनके अधिकार हैं, वह कहीं हाथ से निकल न जायें किन्तु अनुभव ने सिखा दिया कि व्यक्ति-गत दासता की पुरानी जखीर को डीला करके, एक दूसरी-भूमि-दासता की जखीर को खींचने ही की जरूरत है। किसान के पास नाज की कमी हुई, उसके पास खाने को न रहा। जमीन्दार के पास जमीन थी और था अन्न का भण्डार। वस किसान वही गुलाम का गुलाम ही बना रहा।

गुलामी का दूसरा परिवर्तन उस समय देखने में आया जब सरकार ने कर-सम्बन्धी पंच खूब जोरों से कस दिया। अधिकांश अमजीवियों को जमींदारों के हाथ अथवा कारखानों में काम करने के लिये बिक जाना पड़ा। इस नवीन गुलामी की पद्धति ने तो लोगों को और भी जकड़ दिया यहाँ तक कि फी सपी ९० रूसी मजदूर अब भी उन करों के भरने के निमित्त अपने जमीन्दारों के यहाँ अथवा कारखानों में काम कर रहे हैं। यह इतना स्पष्ट है कि सरकार यदि केवल एक साल के लिए यह कर

लेना बन्द कर दे, तो जमीन्दारों के खेतों में और कारखानोंमें जो काम होते हैं, वे सब बन्द हो जायें। रूस के ९० फी सदी लोग कर उगाहने के समय और उससे कुछ समय पहिले कर अदा करने के लिये रुपया जमा करने की खातिर अपने को बेंच कर मजदूरी करने पर मजबूर होते हैं।

गुलाम बनाने की यह तीनों पद्धतियों सदा प्रचलित रही हैं और आज भी मौजूद हैं, पर लोग या तो उनकी पर्वाह ही नहीं करते या उनकी आवश्यकता और अनिवार्यता को सिद्ध करने के लिये नये नये बहाने खोज निकालते हैं और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस पर अन्य सभी बातों का आधार रहता है, जो पेच सबसे अधिक कसा होता है और जिसके अधीन समाज की सभी बातें रहती हैं, वही हमें दिखाई नहीं पड़ता।

प्राचीन काल में जब समस्त समाज-तंत्र व्यक्ति-गत दासता पर निर्भर था तब बड़े से बड़े दिमागों को भी यह बात न दीख पड़ी। ग्रीको, जेनोफन, अरस्तू और रोमन लोग तो समझते थे कि इससे विपरीत तो कुछ हो ही नहीं सकता। दासता तो युद्ध का स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम है और इसके बिना मानव-समाज के अस्तित्व की कल्पना ही असम्भव है। इसी प्रकार मध्य-युग में लोग भूमि-स्वामित्व के अर्थ को नहीं समझ पाये कि जिस पर उनके समय के समस्त आर्थिक तंत्र की रचना थी।

ठीक इसी तरह आज कल हमारे जमाने में कोई नहीं

देखता और शायद कोई देखना भी नहीं चाहता कि इस समय के अधिकांश लोगों की दासता का कारण, वह कर है, जिन्हें सरकार, इन्हीं करों के द्वारा पालित-पोषित अपने माली तथा फौजी विभागों द्वारा, उन लोगों से वसूल करती है जिन्हें भूमि के द्वारा उसने अपना गुलाम बना रक्खा है ।

कोई आश्चर्य नहीं कि सदा से गुलामी के पारा में जकड़े हुए गुलाम खुद भी अपनी स्थिति को नहीं समझते हैं, और बिना अवस्था में वे सदा से रहते चले आये हैं, उसी को वे मानव-जीवन की स्वाभाविक स्थिति मानते हैं और जब उनकी दासता के स्वरूप में कुछ परिवर्तन होता है तो वे उसी छोटे मोटे सुधार को अपने सन्तोष का कारण मान बैठते हैं। इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इन गुलामों के मालिक भी वास्तव में यह समझते हैं कि वह एक पेच को ढीला करके अपने गुलामों को कुछ स्वतंत्रता दे रहे हैं हालाँकि दूसरे पेच के आवरणकता से अधिक कस जाने के कारण ही वे ऐसा करने को बाध्य होते हैं।

गुलाम और मालिक दोनों ही अपनी अपनी स्थिति के अभ्यस्त हो जाते हैं; गुलाम तो यह जानते ही नहीं कि आखिरी क्या चीज़ है, वह तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उनकी स्थिति में कुछ सुधार अथवा उनकी अवस्था में कुछ परिवर्तन हो जाय और मालिक अपने अन्याय-अत्याचार को छिपाने के लिये उत्सुक रहते हैं और प्राचीन पद्धति के स्थान पर दासता के जिन नवीन रूपों की वे स्थापना करते हैं, उनका एक विशिष्ट प्रकार का अर्थ लगाने की चेष्टा करते हैं।

किन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि एक स्वतंत्र शास

समझ जाने वाला अर्थ-शास्त्र लोगों की आर्थिक स्थिति का विचार करते समय उस बात को देखना कैसे भूल जाता है कि जो लोगों की साम्प्रतिक अवस्था का आधार-स्तम्भ है। यह कहा जा सकता है कि शास्त्र का काम है मुख्य घटनाओं का सम्बन्ध ढूँढ़ निकालने की कोशिश करना और बहुत सी घटनाओं के सामान्य कारणों की खोज करना। किन्तु आधुनिक सम्प्रति-शास्त्र के अधिकांश कर्णधार बिलकुल इससे उस्ता कार्य कर रहे हैं। घटनाओं के भीतरी रहस्यों और संबन्धों को वे कलेजे की तरह छिपाना चाहते हैं और बिलकुल सीधे सादे महत्व-पूर्ण सबालों को चालाकी और सफाई के साथ ढाल देते हैं।

आधुनिक अर्थ-शास्त्र का यह व्यवहार अद्विजल टट्टू की भाँति है जो उतार की जगह पर जहाँ बोझ नहीं खींचना पड़ता है, सरलतापूर्वक चलता रहता है किन्तु जहाँ बोझ खींचने का अवसर आया, तुरन्त ही, जैसे दूसरी तरफ उसे कोई काम हो, वह दूसरे रास्ते की ओर मुड़ जाता है। अर्थ-शास्त्र के समस्त जब कोई आवश्यक और गम्भीर प्रश्न आता है तो वह ऐसे २ प्रश्नों का वैज्ञानिक अन्वेषण करने में तल्लीन हो जाता है जिनका उस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं होता। ऐसा करने का एक ही कारण है और वह यह कि लोगों का ध्यान उन बातों की ओर से हटा दिया जाय। अधिकांश आदमी दूसरे व्यक्ति को आज्ञा के बिना न तो काम कर सकते हैं और न भोजन ही कर सकते हैं। इस अस्वाभाविक, राक्षसी, कभी समझ में न आने वाली और अनुपयुक्त ही नहीं हानिकारक स्थिति का क्या कारण है ? यदि आप अर्थ-शास्त्र से इसका उत्तर

मोंगेंगे तो वह गम्भीर मुद्रा बनाकर कहेगा—ऐसा होने का केवल यही कारण है कि कुछ आदमी दूसरे मनुष्यों की मेहनत और भरख-पोषण का प्रबन्ध और निरीक्षण करते हैं। उत्पादन का नियम ही ऐसा है।

तुम पूछोगे—यह कैसा स्वामित्व का अधिकार है जो वह आदमी देता है कि एक श्रेणी के मनुष्य दूसरी श्रेणी के मनुष्यों की जमीन, लुराक और मेहनत का अपहरण करें ? तुम्हें गम्भीरतापूर्वक फिर उत्तर मिलेगा—“ इस अधिकार की रचना परिश्रम के संरक्षण के तर्क पर की गयी है। ”—अर्थात् कुछ लोगों के परिश्रम का संरक्षण दूसरे लोगों के परिश्रम का अपहरण करके किया जाता है।

“वह रूपया क्या चीज है जिसे सरकार स्थान २ पर अपने अधिकारियों द्वारा ढ़जवाती है, और जो श्रमिकों के पास से बहुत बड़ी संख्या में वसूल किया जाता है तथा राष्ट्रीय कर्जे के रूप में भी इसका भार मजदूरों के बेचारे भावी वंशजों पर डाला जाता है ? ” जब तुम ऐसा सवाल करोगे और साथ ही यह भी पूछोगे कि—“यह रूपया लोगों के पास से जिस हद तक निकाला जा सकता है निकाला जाता है तो क्या इतने भारी करों का परिणाम कर-दाताओं की आर्थिक दशा पर कुछ भी नहीं पड़ता ? ” तो तुम्हें पूर्ण निश्चयात्मक रूप से उत्तर मिलेगा—“रूपया भी शकर और कपड़े की तरह एक प्रकार का व्यापारी पदार्थ है। अन्तर केवल इतना ही है कि शकर और कपड़े से भी, विनिमय करने में, यह अधिक सुविधाजनक है। लेकिन करों के कारण रियाया की माली हालत पर कुछ भी असर पड़ेगा

कि नहीं यह सवाल ही दूसरा है—घनोपार्जन, विनिमय तथा वितरण एक वस्तु है और कर बिल्कुल ही दूसरी चीज ।

तुम पूछोगे कि सरकार अपनी इच्छा के अनुसार भाव घटाती-बढ़ाती है और जिन २ के पास ज़मीन होती है उन सब को, कर वृद्धि कर, गुलाम बनाती है तो क्या इसका भी लोगों की आर्थिक अवस्था पर कुछ भी असर नहीं पड़ता ? अत्यन्त हड़तापूर्वक अर्थ-शास्त्र जवाब देगा “बिल्कुल नहीं ! पैशावर, विनिमय और क्रय-विक्रय एक अलग विषय है; अर्थ-शास्त्र में इसका समावेश कतई नहीं है ।

अन्त में तुम पूछोगे—सरकार ने सारे राष्ट्र को गुलामी में जकड़ दिया है, वह अपनी इच्छानुसार सब लोगों को फंश बना सकती है, उन्हें सैनिक गुलामी में फंसाकर उनकी अधिकारता आमदनी को वह उनसे छीन लेती है । क्या इन सबका जनता की साम्प्रतिक अवस्था पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ? तो संक्षेप में इसका तुम्हें जवाब मिलेगा—यह सारा सवाल ही दूसरा है; यह तो राजनीति का विषय है ।

जिसका प्रत्येक कार्य और प्रवृत्ति अत्याचारियों की इच्छा पर निर्भर है, उस जनता के साम्प्रतिक जीवन के नियमों का अर्थ-शास्त्र संजीदगी से प्रथकरण करता है और जालिमों के इस अधिकार को वह राष्ट्र की स्वाभाविक समानता बताता है । गुलामों के जीवन पर मालिक की मनोवृत्ति का कितना असर पड़ता है; मालिक अपनी इच्छानुसार हर तरह का काम किस प्रकार गुलामों से करवाता है; एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह उन्हें खींच ले जाता है और अपनी मर्जी के मुआविक

उन्हें भोजन देता है अथवा भूखों मारता है, उन्हें मार डालता है अथवा जीवित रखता है—जॉच करने वाला, इन सब बातों का विचार किये बिना ही, खेती का काम करनेवाले गुलामों की आर्थिक स्थिति का अन्दाज कैसे लगा सकता है ? अर्थ-शास्त्र ही सिर्फ ऐसा कर सकता है ।

कितने ही आदमी इस बात से यह समझेंगे कि शास्त्र मूर्खता के कारण ऐसा करता है । किन्तु शास्त्र के विधानों का प्रथमकरण करके उनका विश्लेषण करें तो निश्चयात्मक रूप से समाधान हो जायगा कि मूर्खता नहीं प्रत्युत बड़ी विचक्षणता है ।

इस शास्त्र का एक निश्चित हेतु है और यह उसको बराबर निभाता रहता है । लोगों को सन्देह एवं भ्रम में रखना और मानव जाति को सत्य अथवा कल्याण की ओर प्रगति करने से रोकना, यही इसका ध्येय है । एक वादियात अन्धविश्वास बहुत दिनों से लोगों में चला आता है और वह अभी तक कायम है; और इस अन्ध-विश्वास ने भयंकर से भयंकर धार्मिक अन्ध-विश्वासों से भी बढ़कर हानि पहुँचायी है । इसी बहम को अर्थ-शास्त्र अपनी पूरी ताकत के साथ टिकाये हुए है ।

यह बहम भी दूसरे धार्मिक अन्ध-विश्वासों जैसा ही है । एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति जो कर्तव्य है, उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एक काल्पनिक स्वयं के प्रति है; इस बात का यह शास्त्र प्रतिपादन करता है । धर्म-शास्त्र में यह काल्पनिक व्यक्ति ईश्वर है और राजनीति-शास्त्र में यह स्वयं है । काल्पनिक व्यक्ति को बलिदान देना चाहिये, यहाँ तक कि कितनी ही बार मनुष्य जीवन तक का बलिदान दे डालना

चाहिये; और यह बलिदान हर तरह से यहाँ तक कि पबरवस्ती भी लोगों से कराये जा सकते हैं और कराये जाने चाहिये—वे बातें धार्मिक अन्ध-विश्वास में सम्मिलित हैं। राजकीय बहाने हैं—मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो कर्तव्य है उससे भी बहुत अधिक महत्व-पूर्ण कर्तव्य एक काल्पनिक व्यक्ति—राज्य—के लिये हमें भदा करने हैं। राज्य के लिये जो बलिदान दिये जाते हैं—और वे भी कितनी ही बार मनुष्य की खिन्दगी तक के देने पड़ते हैं, वह सब आवश्यक हैं और मनुष्य के पास से, किसी भी तरह से, चाहे बलात्कार से ही सही ऐसे बलिदान लेने में कोई हानि नहीं है। पहले तो मित्र २ सम्प्रदाय के पुरोहितों ने इस भ्रम को टिकाये रक्खा और आज अर्थ-शास्त्र नामधारी वस्तु उसे बचाए हुए है। मनुष्यों को, प्राचीन काल की किसी भी दृष्टता से अधिक खराब और अधिक भयङ्कर गुलामी में जकड़ा जा रहा है; फिर भी शास्त्र, लोगों को इस बात के समझाने की चेष्टा करता है कि इस भ्रम की जरूरत है—वह अनिवार्य है।

लोक-कल्याण के लिये राज्य की अत्यन्त आवश्यकता है और उसे अपना फर्ज भदा करना पड़ता है—जनता को व्यवस्थित रखना होता है और शत्रुओं से उसकी रक्षा करनी पड़ती है और ऐसा करने के लिये राज्य को फौज तथा रुपये की आवश्यकता होती है। राज्यके अधिकारों नागरिक मिलकर इस रकमको पूरा भी कर देते हैं। इसलिये मनुष्यों के सारे पारस्परिक सम्बन्धों का विचार राज्य के अस्तित्व को ध्यान में रखकर करना चाहिये।

एक साधारण और अपद मनुष्य कहता है—“मुझे मेरे पिता को खेती के काम में सहायता पहुँचानी है, मुझे शाही

करनी है मगर बजाय इसके, मुझे पकड़ कर छः वर्ष की सैनिक-शिक्षा के लिये कैम्प में भेज देते हैं। मैं सिपाहीगिरी छोड़ कर खेती तथा अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण करना चाहता हूँ। किन्तु आस-न्यास सौ मील तक मैं रुपये न दूँ तो मुझे खेती करने की आज्ञा ही न मिले, और पैसा तो मेरे पास एक भी नहीं है। और फिर मैं जिसको रुपये दूँगा उसे खेती का बिस्कुल ज्ञान नहीं है और वह इतने अधिक दाम माँगता है कि मुझे जमीन की खातिर अपनी अधिकांश मेहनत उसकी भेंट कर देनी पड़ती है। मैं कुछ कमाने की फिक्र करता हूँ और अपने व्यव के अतिरिक्त बचे हुए पैसे अपने बाल-बच्चों को दे देना चाहता हूँ, लेकिन गाँव का एक सिपाही आता है और जो कुछ मेरे पास बचा था, टैक्सों के नाम पर चठा ले जाता है। मैं फिर कमाता हूँ और वह फिर आकर छीन ले जाता है। मेरी सारी—तिल-तिल मात्र—आर्थिक दशा सरकारी माँग पर आश्रित है। मैं समझता हूँ अब तो राज्य के बन्धनों से मुक्त होने पर ही मेरी और मेरे बन्धुओं की स्थिति सुधर सकती है।”

किन्तु शास्त्र कहता है “तुम मूर्खता के कारण ऐसा सोचते हो। सम्पत्ति की उत्पात्ति, हेरफेर और खरोद-फरोस्त का अभ्य-चन करो और आर्थिक प्रश्नों को राज्यके मसलोंमें मत मिलाओ। तुम जिस विशेष परिस्थिति को-ओर सङ्केत करते हो वह तुम्हारे लिये अंकुश रूप नहीं है वरन् यही वे कुर्बानियाँ हैं जो अन्य लोगों के साथ तुम्हें अपनी स्वतन्त्रता और कल्याण के लिये करनी होंगी।”

इस पर उपरोक्त भोजा भाला आदमी फिर कहता है—

किन्तु इन लोगों ने मेरे लड़के को मुझ से छीन लिया है और मेरे दूमेरे लड़के को भी, जैसे २ वह बड़ा होता जाता है, छीन ले जान के लिये कह रहे हैं। वे बलात्कार उन्हें, मेरे पास से, छीन ले जाते हैं और शत्रुओं की गोलियों के सामने, लड़ने के लिये, दूसरे देश को भेज देते हैं जिस देश का कि मेरे लड़कों ने नाम तक नहीं सुना था। हमें यह भी नहीं मालूम हो पाता है कि वह युद्ध किस लिये हो रहा है। लेकिन जो जमीन हमें जोतने को नहीं दी जाती है तथा जिसके अभाव में हमें भूखों मरना पड़ता है वह किसी ऐसे शासक ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखी है कि जिसे हमने कभी नहीं देखी और न उसके अस्तित्व की उपयोगिता ही हमारी समझ में आती है। जिन करों के कारण, मेरे लड़के से, सरकारी सिपाही मेरी गाय छीन ले गया है वह कर, मुझे पक्का विश्वास है, मरदाना अधिकारी और मंत्री-मण्डल के अनेक समासदों के पास जायेगा जिन्हें न तो मैं पहचानता हूँ और न मुझे यह मालूम है कि उनसे मुझे कुछ फायदा होगा। तब फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि इस उपादितियों के द्वारा मेरी स्वतंत्रता की रक्षा होगी और इन तमाम बुराइयों से मेरा भला होगा ?

मनुष्य को गुलाम बना डालना सरल है। उससे वह काम करा लेना जिसे वह नापसन्द करे, वह भी सम्भव है। किन्तु जिस समय वह अत्याचारों को सहन कर रहा हो उससे वह कबूल करा लेना असम्भव है कि ये बातें तो उसकी स्वतंत्रता की द्योतक हैं। यह विस्फुल असम्भव है कि वह दुष्टता का अनुभव होने पर भी उसे कल्याणकारी वस्तु के नाम से पुकारे।

इतना सब कुछ होने पर भी वर्तमान समय का शास्त्र ऐसा मानने को बाध्य करता है।

सरकार—जुस्म पर आश्रित राजघारी सत्ता—जोगों पर अत्याचार करती है। वह पहिले ही से यह निश्चय कर लेता है कि उन लोगों से वह क्या चाहती है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने फिन्सी के लोगों के साथ किया उसी प्रकार सरकार पहले से ही अन्वेषण लगा लेती है कि मजदूरों से काम लेने में उसे कितने सहायकों की आवश्यकता है। अपने इन मजदूरों का वह सैनिकों, जमींदारों तथा कर बसूल करने वाले लोगों में विभाजित कर देती है। गुलाम अपनी मजदूरी देते हैं। वे यह भी मानते हैं कि मालिकों की खातिर नहीं, बरन् अपनी स्वतन्त्रता और कल्याण के लिये उन्हें 'राज्य' नामक देवता की पूजा करने और उसके आगे रक्त का बलिदान करने की आवश्यकता है। उनको विश्वास है कि इस देवता को सन्तुष्ट कर लेने के बाद फिर उनकी छुट्टी है। इन भ्रान्तियों के फैलने का कारण सिर्फ यही है कि प्राचीन समय के सम्प्रदाय और पुरोहित, धर्म के नाम पर ऐसी ही बातें करते थे और आज भी भिन्न २ विद्वान् और पण्डित-गण विद्वान् और शास्त्र के नाम पर यही बात कहते हैं। अपने को धर्माचार्य और पण्डित कहलाने वाले इन लोगों पर से अपनी अन्धश्रद्धा उठा ला तो ऐसे विधानों की निस्सारता अपने आप प्रकट हो जायगी। जो लोग दृष्टियों पर जुस्म करते हैं वे कहते हैं कि राज्य-व्यवस्था के लिये ऐसे जुस्मों की आवश्यकता है। लोगों का शान्ति और कल्याण के लिये राज्य-व्यवस्था को जरूरत है। इसका अर्थ यह हुआ कि अत्याचारों जनता पर जो स्वेच्छ-

चार करते हैं वे लोगों की स्वतंत्रता के लिये हैं और उनके साथ जबरदस्ती की जाती है वह उनके कल्याण के लिये किन्तु लोगों को बुद्धि इसलिये मिली है कि वह अपना हिताहित समझें और जिसे अच्छा समझें, स्वेच्छापूर्वक उसका आचरण करें।

लेकिन लोगों का कल्याण उन कामों से नहीं हो सकता जिनको उपयोगिता उनकी समझ में नहीं आती और जो उन से बलपूर्वक कराये जाते हैं। बुद्धिमान आदमी अपने मन को उपयोगी जँचनेवाले कार्यों को ही अच्छा समझते हैं। यदि कोई आदमी आवेश अथवा अज्ञान में कोई बुरा कार्य करने पर उतारू हो जाता है, तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वह अधिक से अधिक यही कर सकते हैं कि उस मनुष्य को उसके कार्य का दोष समझा दें और बतला दें कि उसकी भलाई किस बात में है। लोगों को यह बात समझाना कठिन नहीं कि तुम अधिक संख्या में सैनिक बनाये जाओगे, अपनी जमीन खो बैठोगे और कर स्वरूप अपनी अधिकांश मेहनत दे देगो तो उसमें तुम्हारा अधिक लाभ होगा। मगर तब तक इस बात को लोगों के सामान्य कल्याण की संज्ञा नहीं दी जा सकती जब तक वे इस बात में अपना कल्याण अनुभव नहीं करते अथवा प्रसन्नता पूर्वक इस बात को करने के लिये तय्यार नहीं होते।

अधिकांश लोग स्वेच्छापूर्वक उसे करने लग जायें—किसी भी कार्य के कल्याणकारी होने का यह प्रमाण है। मनुष्यों के जीवन ऐसे कार्यों से भरे पड़े हैं। दस मजदूर अपने काम लायक औजार अपने पास रखते हैं और इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा करते हुए वे अपना भला करते जाते हैं। लेकिन जहाँ ये लोग

किसी ग्यारहवें मजदूर को जबर्दस्ती अपने में सम्मिलित करने के लिये मजदूरन काम करावें और उससे कहें कि उनके सामूहिक कल्याण में उसका भी कल्याण है तो यह कल्याण नहीं कहा जा सकता ।

कितने ही मनुष्य एकत्र हो कर अपने किसी मित्र को भोज देते हैं, इसमें भी वही बात चरितार्थ होती है । किसी आदमी से उसकी मर्जी के खिलाफ १०—१५ रुपये ले लेना और उसे कहना कि इस दावत में उसका फायदा है, सरासर अन्याय है । ऐसा ही उदाहरण अपने स्वार्थ के लिये तालाब खोदने वाले किसानों का दिया जा सकता है । जो किसान तालाब की उपयोगिता को उसके खोदने के परिश्रम से अधिक लाभदायक समझते हैं, उनके लिये यह तालाब फायदेमन्द चीज साबित हो सकती है । लेकिन वे लोग जो कि खेत जोतने से तालाब खोदने का मूल्य कम समझते हैं इसे हानिकार ही समझेंगे और वास्तव में वह उनके लिये अनुपयोगी सिद्ध भी होगा । सड़कों, गिर्जाघरों, अजाबबघरों और अनेक दूसरे ऐसे सामाजिक और राजनैतिक कार्यों के लिये भी यही बात लागू होती है । जिन चीजों को उपयोगी मानकर स्वेच्छा से परिश्रम किया जाय वे ही वस्तुएँ कल्याणकारी हो सकती हैं । जिन कामों के करने के लिये लोगों को जबर्दस्ती डकेला जाता है वे सब काम, इस बलात्कार के कारण, न तो उपयोगी माने जा सकते हैं और न कल्याणकारी ही ।

यह सब इतना स्पष्ट और सरल है कि यदि लोगों को इतने अधिक समय तक धोका न दिया गया होता तो इसे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ती ।

कल्पना करो कि हम किसी ग्राम में रहते हैं। वहाँ के अधिकांश लोग एक ऐसे गड्ढे पर पुल बान्धना चाहते हैं जिन्होंने लोगों के डूब जाने का खतरा है। इसके लिये तय किया गया कि प्रत्येक किसान इतने पैसे, लकड़ी अथवा अमुक दिन की मजदूरी दे देवे। हम सब ने यह निश्चय इसलिये किया कि पुल पर जो खर्च किया जायगा उससे पुल हमारे लिये अधिक उपयोगी है। लेकिन हम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुल को आवश्यक नहीं समझते हैं और उसके लिये खर्च नहीं करना चाहते। क्या ऐसे लोगों पर पुल बाँधने के लिये सक्ती करना उनके लिये लाभदायक होगा ? हर्गिज नहीं। कारण कि जो लोग पुल बान्धने में स्वेच्छापूर्वक भाग लेना बेकार समझते हैं यदि उन्हें ऐसा करने को विवश किया जाय तो उल्टा वे इस कार्य को और अधिक हानिकर समझने लगेंगे। अब धोचो कि हमने बिना किसी अपवाद के पुल बाँधने का निश्चय कर डाला और प्रत्येक आदमी ने निश्चित पैसे अथवा मेहनत दे देने का बचन दे दिया। लेकिन बीच में ऐसा हो गया कि जिन्होंने ऐसे बचन दिये थे उनमें से कितने ही उसे न निभा सके। क्योंकि उनकी परिस्थिति में कुछ अन्तर पड़ गया इसलिये वे पुल पर पैसा खर्च करने की अपेक्षा बिना पुल के काम चलाना ही अच्छा समझने लगे या इस सम्बन्ध में उनके कुछ विचार-परिवर्तित हो गये अथवा उन्होंने यह सोचा कि उनकी मदद के बिना ही दूसरे लोग पुल बाँध लेंगे; और उन्हें उससे फायदा उठाने को तो मिल ही जायगा। क्या इन लोगों के साथ जबरदस्ती करने से वह यह समझने लगेंगे कि पुल बाँधने के काम में जो हम से जबरदस्ती मदद ली

जा रही है वह हमारे अपने लाभ के लिये ही है ? भिस्कुल नहीं। क्योंकि इन लोगों की अवस्था बदल गयी है जिसके कारण पुल बान्धने में सहायता करना इसके लिये मुश्किल हो गया है और इसीलिये वे अपना वचन नहीं निभा सकते।

ऐसी दशा में उन्हें भाग लेने के लिये विवश करना तो और भी बुरा है। किन्तु जो लोग पुल बाँधने में मदद देने से इन्कार करते हैं उनका इच्छा यदि यह हो कि वह दूसरों की मेहनत से लाभ उठाना चाहते हैं तब इस हालत में भी उन्हें भाग लेने के लिये मजबूर करना मानो एक प्रत्यक्ष कल्पित विचार के लिये दखल देना है। इन दोनों ही हालतों में अनिच्छा पूर्वक लोगों से काम कराना उनके लिये लाभदायक नहीं कहा जा सकता।

गठ्ठे पर पुल बान्धने जैसे निर्विवाद, आवश्यक और सर्वोपयोगी कार्य में भी ऐसी स्थिति आ बनती है। फिर सैनिक प्रतिबन्ध और करों जैसी चीजों जिनका कि आशय मस्तिष्क में समता ही नहीं, अस्पष्ट है और कितनी ही बार तो भयङ्कर रूप से हानिकार भी है। इन बातों के लिये लाखों लोगों पर अत्याचार करना ताकि वे इनके लिये त्याग करें, कितना घोर मूर्खतापूर्ण और अन्याययुक्त कार्य है ? लेकिन जो सब को बुरा मालूम होता है उसके ही लिये शास्त्र कहता है कि वह वास्तव में सर्वोपयोगी है।

शास्त्र के अनुसार तो कहा जा सकता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सार्वजनिक हित किस बात में छुपा हुआ है। दूसरे अधिकोश लोग इस सार्वजनिक हित को भले ही अद्विष्ट समझें फिर भी थोड़े से लोग दूसरों लोगों को वह काम करने के लिये विवश कर सकते हैं कि जिसे वह सार्वजनिक हित कहते हैं।

सत्त्व और कस्यास्य की ओर जाने वाली मानव जाति का प्रगति को रोकने वाला बहम और धोकेबाजी इसी एक बात में लुपी हुई है। इस भ्रम और चालाकी को क्यों की क्यों बनाये रखने के लिये राज्य से सम्बन्ध रखने वाले सभी शास्त्र और कायकर अर्थ-शास्त्र खड़गहस्त हैं। लोगों की परतन्त्रता और गुलाम अवस्था को उनसे छुपाये रखना यही इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह तरह-२ के साधन ढूँढ़ता है। जुल्म को, जो सम्पूर्ण दासता का मूलस्रोत है, यह स्वाभाविक और अनिवार्य बताता है। इस प्रकार यह लोगों को भयंकर धोखा देता है और उनकी दुर्दशा के वास्तविक कारणों की ओर सं भालें बन्द कर लेता है।

गुलामी को मिटे बहुत समय हो गया। यूरोप से यह उठा दी गयी। अमेरिका और रूस में भा यह नष्ट कर दी गयी। किन्तु केवल राष्ट्रों को ही नष्ट किया गया है—व्यवहार में वह क्यों की क्यों मौजूद है।

गुलामी का अर्थ क्या है ? मनुष्यों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जिस मेहनत की आवश्यकता है वह दूसरों को खींच दी जाय और स्वयं उसका लाभ न लें। मनुष्य जब मेहनत नहीं करता है—इसलिये नहीं कि दूसरे आदमी उसके लिये प्रेम-पूर्वक कार्य करते हैं बल्कि इसलिये कि स्वयं मेहनत किये बिना ही दूसरों का अपने लिये मेहनत करने को बाध्य कर सकता है—बस यही गुलामी है। तमाम यूरोपियन देशों में जहाँ ऐसे २ आदमी पड़े हुए हैं जाँ बल पूर्वक दूसरे हजारों मनुष्यों के परिश्रम का अपने लिये उपयोग करते हैं और ऐसा करना बे-

अपना अधिकार समझते हैं अथवा जहाँ ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं जो जुल्म के शिकार होते हैं और जो ऐसा करना अपना कर्तव्य समझते हैं—वहाँ गुलामी अपने भयङ्कर रूप में विराजमान है ।

गुलामी मौजूद तो है ही । लेकिन यह है कहाँ और किस में ? यह गुलामी वहीं है जहाँ वह सदासे रहती चली आई है । वह जबर्दस्त और हथियारबन्द मनुष्यों के द्वारा निर्बल और निरस्त्र मनुष्यों पर होने वाले जुल्मों में छुपी रहती है ।

शारीरिक अत्याचार की तीन मुख्य पद्धतियाँ ये हैं—सैनिक जुल्म, सैनिक-सहायता पर अवलम्बित ज़मीन केलगान की पद्धति और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लोगों से लिये जाने वाले कर । इनका अस्तित्व सैनिक बल पर आश्रित है । इन तीनों बातों ही के बल पर दासता अब भी अपने उसी घृणित रूप में विराजमान है । हम लोगों को यह दिखायी नहीं देनी इसका केवल एक ही कारण है । गुलामी के इन तीनों स्वरूपों का नये २ ढंग से समर्थन होने के कारण इसका वास्तविक रूप हम नहीं देख पाते । देश के संरक्षण का नाम ले ले कर सशस्त्र मनुष्य निरस्त्र मनुष्यों पर अनन्त जुल्म करते हैं । देश के संरक्षण का नाम लेना केवल काल्पनिक है । वास्तव में इस तर्क के गर्भ में भी वे ही पुरानी बातें छुपी हुई हैं कि अत्याचारी बेकसों को रबावें । जिस ज़मीन पर मनुष्य काम करता है उससे उसका ज़मीन का एक जबर्दस्ती छीन लिया जाता है । इसकी सफाई में कहा जाता है कि ज़मीन छीननेवाले ने समाज के हित (अर्थात् काल्पनिक) का अमुक कार्य किया है जिसके फल स्वरूप उसे यह उपहार

खिलावा ही चाहिये, वह अवश्य जमीन्दार बनाया जाना चाहिये । जहाँ एक बार उसे ऐसा अधिकार मिला कि वह उसके वंश का नैसर्गिक हक हो जाता है । सैनिक बल के द्वारा लोगों को गुलाम बनाना और मेहनत करने वालों से जमीन पर का उनका स्वत्व छान लेना—निष्पक्ष भाव से देखने पर ये दोनों बातें समान हैं । थिछली तरह के जुल्म का, धन अथवा कर का, जो इस ज़माने में बहुत अवर्द्धत और महत्वपूर्ण हो गया है, बच्चाव बहुत विचित्र रूप से किया जाता है । ऐसी २ दलीलें दी जाती हैं—लोगों के पास से उनकी सम्पत्ति और स्वतंत्रता तथा उनके तमाम अधिकार सार्वजनिक हित के लिये छिने जा सकते हैं । वास्तव में यह भी पूर्ण रूप से गुलामी है । अन्तर केवल इतना ही है कि अब वह व्यक्तिगत रूप में नहीं है, सामूहिक है ।

जहाँ अत्याचारों को लाभों के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ दस्रता मौजूद मिलेगी । इन जुल्मों का रूप भिन्न हो सकता है । या तो राजा क्षत्रियों तथा नन्हे बच्चों की हत्या करते अथवा गाँवों को उजाड़ते हुए सेना सहित चढ़ाई करें, या गुलामों के मालिक जमीन के लिये गुलामों के पास से मेहनत अथवा मूल्य लें और कुछ बाकी रह जाय तो उसकी बसुली के लिये शास्यधारी सैनिकों का सहायता लें, या कुछ निश्चित व्यक्ति गाँव २ फिर कर, कर बसूल करें, या मन्त्री-मण्डल प्रान्तों और खिलाधिकारियों द्वारा जमान लेवें और देने में आनाकानी करें तो सैनिक टुकड़ियों भेज दें—इनमें से किसी भी तरह लोगों पर अत्याचार किये जाय किन्तु संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि जब तक तोप और तलवार के बल पर अत्याचार का अस्तित्व है तब तक सम्पत्ति का

बनिमय मली प्रकार नहीं हो सकता, प्रत्युत सारी सम्पत्ति स्वेच्छा-चारियों के हाथ में अवश्य चली जायगी।

हेनरी जार्ज की, तमाम ज़मीन के राष्ट्रीयकरण की योजना इस सत्य को पुष्ट करने का प्रबल प्रमाण है। हेनरी जार्ज का कहना है कि सारी ज़मीन को राज्य की सम्पत्ति बना खालनी चाहिये। इसके पश्चात् तमाम प्रत्यक्ष और परोक्ष कर निःकाल खालने चाहिये और उसके बदले केवल जमीन का लगान अर्थात् जो आदमी जितनी ज़मीन का उपयोग करे उस ज़मीन के लगान की जितनी रकम हो सरकार को दे दे।

ऐसा करने का क्या परिणाम होगा ? राज्य में से ज़मीन की गुलामी उठ जायगी अर्थात् ज़मीन राज्य की गिनी जायगी। इंग्लैण्ड के अधिकार में इंग्लैण्ड की ज़मीन होगी, अमेरिका के अधिकार में उसकी स्वयं की ज़मीन होगी और ऐसा ही दूसरे देशों के लिये भी होगा। इसका फल यह होगा कि प्रत्येक राज्य के पास स्वयं फायदा उठाने जितनी ज़मीन होगी, उसी परिमाण में गुलामी रहेगी।

इस योजना से कदाचित् ज़मीन पर निर्वाह करने वाले मजदूरों में से कुछ की स्थिति सुधर जायगी किन्तु जब तक लगान के बदले भारी कर जिये जायेंगे तब तक गुलामी अवरुध बनी रहेगी। फसल खराब होने पर यदि कृषक के पास करों को अदा करने के लिये रुपया नहीं है जो कि सबसे जबरदस्ती वसूल किने जाते हैं तो वह अपने को उन लोगों के हाथ बिचरा होकर बेच देता है, जिनके कि पास रुपया है ताकि उसकी ज़मीन और उसका खर्बत्त छीन न लिया जाये।

यदि किसी बर्तन में से पानी टपकता हो तो उसमें छेद का होना अनिवार्य है। जब हम बर्तन का पेंधा देखेंगे तो हमें बहुत से सूराखों में से पानी टपकता हुआ दिखायी देगा। इन काल्पनिक सूराखों को बन्द करने का हम चाहे जितना प्रयत्न करें फिर भी पानी टपकता ही रहेगा। पानी टपकना बन्द करने के लिये तो जिस स्थान से पानी जाता हो वह ढूँढ़ निकालने और मिला जाने पर अन्दर से उस सूराख को बन्द करने की ज़रूरत है। लोगों की सम्पत्ति का अनियमितरूप से जो वितरण हो रहा है उसका अन्त करने का भी वही तरीका है—उन सूराखों को बन्द कर दिया जाय कि जिनमें से होकर वह वह निकलती है।

यह कहा जाता है कि मजदूर-मजदूर का निर्माण करा, तमाम धन को सार्वजनिक सम्पत्ति बनाओ और सारी ज़मीन को भी सार्वजनिक सम्पत्ति बना डालो। ये सब बातें, जिन सूराखों में से पानी टपकता हुआ सा हमें दिखाई पड़ता है, उनको बाहर की ओर से बन्द करने के समान हैं। यदि हमें मजदूरों की सम्पत्ति को दूसरों के हाथों में जाने देने से रोकना मंजूर है तो हमें अन्दर से उस सूराख को ढूँढ़ निकालने की ज़रूरत है कि जहाँ से वास्तव में पानी टपकता है। और यह सूराख है—सशस्त्र मनुष्य का निरक्षर पर अत्याचार करना; मेहनत करने वाले को सैनिक सत्ता के द्वारा उसकी मेहनत के लाभ से वञ्चित कर देना और उसकी ज़मीन छीन लेना तथा पैदावार छूट लेना। 'दूसरों के मार डालने का मुझे अधिकार है'—ऐसा कहने वाला अब तक एक भी हथियार बन्द आदमी इस संसार में रहेगा,

तब तक फिर चाहे वह कोई हो, गुलामी और सम्पत्ति का अनियमित वितरण बराबर बना रहेगा ।

'मैं दूसरों को मदद कर सकता हूँ'—इस भ्रम में जो मैं पक गया इसका कारण यही है कि अपना और सेमियन का द्रव्य मैंने एक सा समझा । किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है ।

यह एक साधारण धारणा है कि रुपया सम्पत्ति का प्रतिनिधि है । किन्तु चूँकि सम्पत्ति मेहनत का फल है इसलिये रुपया भी मेहनत का परिणाम है । यह तर्क इतना ही सच्चा है जितना सच्चा यह कि प्रत्येक राज्य-तन्त्र समझौते (सामाजिक कौल-कार) का परिणाम है ।

सब लोग यह मानते हैं कि पैसा एक मात्र मेहनत के विनिमय करने का साधन है । मैंने कुछ जूते तैयार किये, तुमने कुछ रोटियों पकाई और उसने कुछ भेड़े पाली । अब, हमारी बीजों का सुगमतापूर्वक हेर-फेर हो सके इसलिये, हमने अपने बीच में रुपये का प्रवेश किया । प्रत्येक आदमी के परिश्रम की नाप उस रुपये से होती है । इस प्रकार हम एक जोड़े जूते के बदले कुछ मांस और पाँच सेर आटे का विनिमय कर सकते हैं ।

हम अपनी चीजों का विनिमय धन के द्वारा करते हैं और इस प्रकार जो धन हम में से प्रत्येक के पास होता है वह अपनी २ मजदूरी का प्रमाण होता है । यह बात है भी बिल्कुल सचित । लेकिन यह तभी तक सम्भव और लाभदायक है जब तक एक मनुष्य दूसरे पर ज़बर्दस्ती न करे । दूसरे के परिश्रम को छूटने की ही ज़बर्दस्ती नहीं, जैसा कि लड़ाई और गुलामी में होता है, वरन् अपने परिश्रम की रक्षा के लिये भी दूसरे पर

ज्यादती न की जाय वही समाज में यह बात सम्भव हो सकती है। जिस समाज के मनुष्य, ईसा के उपदेशों का पूर्ण रूप से पालन करें, अर्थात् जिस वस्तु की जिसे आवश्यकता हो, वह उसे मिल जाया करे और कोई व्यक्ति किसी के पास से कोई वस्तु छीन ले तो भी लोग उससे न मोंगें; वही ऐसा होना सम्भव है। किन्तु जहाँ समाज में किञ्चित भी ज्यादती का समावेश हुआ कि 'धन उसके मालिक के परिश्रम का परिणाम है'—इस सिद्धान्त का कोई मतलब नहीं रह जाता। और न यह बात ही रह जाती है कि अमुक अधिकार मेहनत के द्वारा मिले हैं। वास्तव में वे तो ज्यादती से लिये गये हैं।

किसी जगह युद्ध हुआ और एक आदमी ने दूसरे के पास से जो मन में आया छीन लिया। जिस जगह ऐसा हुआ वहाँ तुरन्त इस सिद्धान्त का लोप हुआ समझो कि 'धन मेहनत का प्रतिनिधि है।' लूट में मिजा हुआ माल बेच कर सैनिक को धन-संग्रह करता है, अथवा सेनापति को जो दौलत मिलती है, उसका मतलब परिश्रम का परिणाम ही नहीं है। जूने बनाने में की गयी मेहनत के बदले में मिलने वाली और इस प्रकार मिलने वाली सम्पत्ति में जमीन आसमान का फर्क है। एक एक गुलाम और मालिक का अस्तित्व रहेगा जैसा कि संसार में सदा ही रहा है, तब तक 'पैसा परिश्रम का फल है' यह कहना असम्भव है। किसी स्त्री ने कुछ कपड़े सा कर उन्हें बेचे और उनके बदले में कुछ पैसे ले लिये; एक गुलाम भी अपने सेठ (मालिक) को कपड़े बना कर देता है और मालिक उन्हें बेच कर पैसे लेता है। दोनों प्रकार के पैसे एक ही हैं। किन्तु पहली तरह के पैसे मेह-

नत के फल हैं, इसके विपरीत दूसरी तरह के पैसों जुल्म के बदले में मिले हैं। कल्पना करो कि कोई अनजान आदमी अथवा मेरा पिता मुझे धन देता है, और जब वह मुझे देने लगता है; तो मैं अथवा हर एक आदमी जानता है कि उन्हें मेरे पास से कोई नहीं छीन सकता। यदि कोई मेरे पास से छीनने की कोशिश करे या उधार ले जाय और नियत समय पर वापस न दे जाय तो सरकार मेरा पक्ष लेगी और उसे मेरे जैसे लौटाने पर बाध्य करेगी, यह भी सब जानते हैं। तब इस बात में कुछ भी तथ्य नहीं रह जाता कि यह रुपया सेमियन को लकड़ी काटने में मिले हुए जैसे की तरह ही परिश्रम का परिणाम है।

इस प्रकार जिस समाज में जरा भी ज्यादाती का उपयोग किया जाता हो जिसके कारण दूसरे लोगों के पैसे छीन लिये जाते हैं, अथवा दूसरों के पैसों को बचाने के लिये जबर्दस्ती रुपयों का संरक्षण किया जाय, वहाँ पैसा कभी परिश्रम का फल नहीं कहा जा सकता। ऐसी जगह में पैसा कभी तो मेहनत के बदले में मिलता है और कभी ज्यादाती के फल स्वरूप।

सारा व्यवहार स्वतन्त्र होने पर भी जहाँ, एक आदमी का दूसरे पर जुल्म करने का एक भी, उदाहरण हो, वहाँ इस सिद्धान्त की हत्या हो जाती है। लेकिन आज तो अनेक प्रकार के अत्याचारों द्वारा धन इकट्ठा करते २ सदियों गुजर गयीं हैं। समय २ पर इन जुल्मों के रङ्ग-रूप में फर्क अवश्य पड़ा, विन्तु इनका अस्तित्व कभी लोप नहीं हुआ। जैसा कि सब स्वीकार करते हैं, एकत्रित होनेवाली सम्पत्ति ही जुल्म का कारण है। जब परिश्रम के बदले में मिले हुए पैसे के प्रमाण की अपेक्षा, हर तरह

की ज़बर्दस्ती से मिले हुए पैसों के प्रमाण बहुत संख्यक रूप में हमारे सामने हैं, तब यह कहना कि जिसके पास धन है, वह उसके पसीने की कमाई है, निरी भूल और सफेद मूठ है। कोई कहेगा ऐसा होना ही चाहिये, कोई कहेगा यही वाञ्छनीय है; लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि ऐसा ही होता भी है।

धन परिश्रम का प्रतिनिधि है। हाँ, धन परिश्रम का प्रतिनिधि है। किन्तु किस की मेहनत का ? हमारे समाज में तो इस बात का एक भी उदाहरण मिलना दुर्लभ है कि इपया उसके मालिक के परिश्रम का फल है। अधिकांश में तो यह सब जगह दूसरे आदमियों की मेहनत का परिणाम होता है—मनुष्यों की भूतकाल और भविष्य की मेहनत का फल होता है। दूसरे लोगों से ज़बर्दस्ती काम कराने की जो पद्धति चल रही है, यह उसी का प्रतिनिधि है।

सम्पत्ति की यदि बिल्कुल ठीक और सीधीसादी व्याख्या करें तो यह एक सांकेतिक शब्द है जो दूसरे लोगों की मेहनत को अपने स्वार्थ के लिये उपयोग करने का हक, और अधिक सच्चाई के साथ कहा जाय तो शक्ति, देता है। आदर्श अर्थ में तो यह अधिकार अथवा शक्ति उसे ही मिलनी चाहिये कि जिसे धन परिश्रम के फलस्वरूप मिला हो। जिस समाज में किसी भी प्रकार की जोर-ज़बर्दस्ती न हो, उसी में पैसा परिश्रम का फल हो सकता है। परन्तु जिस समय समाज में जुल्म का तत्त्व प्रवेश करता है, अथवा मेहनत किये बिना ही दूसरे के परिश्रम पर मौज उठाने की कुछ भी शक्ति आने लगती है, उसी क्षण, जिस पर जुल्म किया जाता है, उसकी सम्पत्ति के बिना ही, उसकी

मेहनत का नाजायज़ फ़ायदा बटाने की शक्ति पैसे से पैदा हो जाती है।

जमींदार अपने गुलाम कृषकों पर निश्चित संख्या में क़ुच कपड़े, अनाज या ढोर देने अथवा चतनी क्रीमत का रुपया देने का कर लगाता है। एक क़ुचक ढोर तो दे देता है किन्तु कपड़े के बदले में पैसे देता है। जमींदार भी पैसे ले लेता है क्योंकि वह भली भाँति जानता है कि इस रुपये से चतना कपड़ा अवश्य मिल जायगा। (साधारणतः वह पहिले ही से सावधान रह कर इतना अधिक रुपया रखता है कि जिससे निश्चित कपड़े खरीद सके।) जमींदार के इस पैसे के कारण, उसके पास, इसी पैसे के लिये काम करने वाले दूसरे आदमी भी बन्दन में पड़ जाते हैं।

क़ुचक, जमींदार को जो धन देता है, उसके कारण कितने ही दूसरे अनजान आदमियों पर भी जमींदार अधिकार कर सकता है क्योंकि पैसे लेकर कपड़े तय्यार करना कितने ही आदमी खुशी से मंजूर कर लेते हैं। कपड़े बनाने वाले आदमियों के मिल जाने का कारण यही है कि किसी को भेड़ें पालने में सफलता नहीं मिली और उसे और भेड़ ख़रीदने के लिए रुपये की ज़रूरत हुई। वह रुपये लेकर कपड़े बन देता है। इधर पैसे लेकर क़ुचक भेड़ें देने को राजी हो जाता है, कारण कि इस वर्ष अनाज अच्छा नहीं पका और उसे और नाज ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। सारे संसार के तमाम देशों में यही पद्धति चल रही है।

मनुष्य अपनी भूत, भविष्य और वर्तमान मेहनत की पैदावार, कभी २ काय पदाथं सहित, बेच देता है। वह इसलिये नहीं बेचता है कि रुपया विनिमय का बहुत सरल साधन है—क्योंकि

विनिमय तो वह रुपये के अतिरिक्त भी कर सकता है—प्रत्युत इसलिये कि उसके पास से ज़बर्दस्ती रुपया बसूल किया जाता है; और वही रुपया उसकी मजदूरी छीन लेने और अधिकार प्रदान करने का कारण होता है ।

जब मिस्र के राजा ने अपने गुलामों के पास से मेहनत माँगी तो गुलामों ने वही समय अपनी मेहनत उसे दे दी । किन्तु उन्होंने केवल अपने भूत और वर्तमान काल की मजदूरी ली थी—वे अपने भविष्य काल की मजदूरी न दे सकें । लेकिन रुपये के प्रचार और उसके कारण शुरू होने वाली स्पर्धा को लेकर भविष्य की मेहनत के बदले धन देना सम्भव हुआ ।

जब समाज में जोर-ज़बर्दस्ती का अस्तित्व होता है, तब धन एक नये प्रकार की अव्यक्त गुलामी का कारण बन जाता है । प्राचीन दासता का स्थान यह परिवर्द्धित नयी गुलामी ले लेती है । एक गुलामों का मालिक यह समझता है कि पोटर, आइबन और सिद्धोर की मेहनत पर मेरा अधिकार है । लेकिन जहाँ प्रत्येक मनुष्य के पास से पैसे की माँग की जाती है, वहाँ जिस आदमी के पास धन होता है वह उन सब आदमियों की मेहनत अपने हस्तगत कर लेता है, जिन्हें रुपये की ज़रूरत होती है । 'मालिक को अपने गुलामों पर पूर्ण अधिकार है'—दासता के इस महान् निर्दय और दुःख भरे स्वरूप को यह रुपया छुपा देता है । साथ ही रुपये की इस नयी व्यवस्था में मालिक और गुलामों के बीच रहने वाले वे मानवीय सम्बन्ध जिनके कारण व्यक्तिगत गुलामी की कठोरता कितने ही अंशों में कम हो जाती है, कहीं नाम को भी नहीं रह जाते हैं ।

मैं इस समय यह बहस नहीं करता कि यह स्थिति मनुष्य की जाति के विकास के लिये; प्रगति के लिये, अथवा कदाचित ऐसी ही किसी वस्तु के लिये आवश्यक है कि नहीं। मैं केवल अपने मन में धन का अर्थ स्पष्ट करने और धन का जो मैं 'परिश्रम का फल' समझता था, मेरा इस भूल को सुधारने के लिये, इतना विश्लेषण किया है। अब अनुभव ने मेरा समाधान कर दिया है कि धन परिश्रम का प्रतिनिधि नहीं है, प्रत्युत अधिकांश में अत्याचार अथवा जुल्म पर अवस्थित हानि कर योजनाओं का प्रतिनिधि है।

'पैसा परिश्रम का प्रतिनिधि है'—पैसों का ऐसा वाञ्छनीय स्वरूप अब इस जमाने में नहीं रह गया है। कहीं कहीं अपवाद रूप में ही पैसा परिश्रम के फल स्वरूप दिखाई देता है। साधारणतः पैसा दूसरों के श्रम का उपभोग करने का साधन बन गया है।

धन और स्पृद्धा के बढ़ते हुए प्रचार के कारण, धन का यह अर्थ अधिकाधिक नष्ट होता जा रहा है। पैसों का मजलब दुसरे के परिश्रम का लाभ छीन लेने का अधिकार अथवा शक्ति है।

पैसा एक नये प्रकार की गुलामी है। प्राचीन और इस नवीन गुलामी में फर्क सिर्फ इतनाही है कि यह अन्यक्त दासता है—इस गुलामी में गुलाम के साथ के सब मानवी सम्बन्ध छूट जाते हैं।

रुपया रुपया है। उसका मूल्य उसके ही समान है जो हथोरा एक समान और कानून से निर्धारित होता है। और फिर गन्नामी

जिस प्रकार अनैतिक गिनी जाती है, उस प्रकार ऐसे का उपयोग अमानुषिक भी नहीं गिना जाता ।

मेरी युवावस्था में क्लबों में 'लॉट्टो' नामक खेल खेलने की फैशन चल पड़ी थी । हरेक आदमी को यह खेल खेलने की बात लगी । कहा जाता है कि हजारों आदमी इस में अपनी सम्पत्ति गँवा बैठे, सैकड़ों कुटुम्ब नष्ट हो गये और कितने ही लोग अपनी परम्परागत मिलि ध्यत खो बैठे । कितने ही आदमियों ने तो आत्म-हत्या तक कर ली । इसलिये इस खेल को रोक दिया गया, और वह रोक अब तक कायम है ।

मुझे याद है कि मैं पुराने अनुभवों से मिला, तब उन्होंने कहा कि यह खेल विशेष रूप से आकर्षक है, क्योंकि दूसरे खेलों की तरह, इस खेल में यह मालूम नहीं पड़ता कि हारना किसको है । इस खेल में लोग रुपये के बदले लकड़ी के टुकड़े तक दौब पर लगते । प्रत्येक आदमी बहुत थोड़ी रकम हारता था, और इसलिये उसे बहुत दुःख नहीं होता था । यही हाल 'राउलेट' खेल का था और हर जगह इसकी भी विचार पूर्वक रोक की गई ।

ऐसे के लिये भी यकी बान लागू होती है मेरे पास जादू का सदा बना रहने वाला रुपया है । मैंने एक चेक फाड़ कर दिया और दुनिया के तमाम भ्रमों से छुटकारा पा गया । मैं किसे नुकसान पहुँचाता हूँ ? मैं तो बहुत शान्त और दयालु व्यक्ति हूँ । लेकिन वह भी लॉट्टो और राउलेट की तरह का खेल है कि जिसमें हम यह नहीं देख सकते कि किसने हार कर आत्म-हत्या कर ली और किसने हमारे लिये इन चेकों का आयोजन किया

है। मुझे तो रुपया मिलता जाता है और मैं सावधानी पूर्वक चेक फाड़ कर खर्च किया करता हूँ।

चेक फाड़ने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं करता। न कुछ कर सकता हूँ और न कुछ ऊँहूँगा ही। इतना होने पर भी मुझे पक्का विश्वास है कि रुपया मेहनत का फल है। यह कितना महान् आश्चर्य है ! लोग पागलों की बातें कहते हैं; किन्तु इनमें बढ़ कर भी पागलों की बातें हो सकती हैं ? चतुर और विद्वान् मनुष्य जिनका चित्त दूसरी सब अवस्थाओं में ठीक रहता है, यहाँ आकर 'किरुर्त्तव्य विमूढ़' हो जाते हैं। उनके विचारों में स्थिरता लाने के लिये सिर्फ एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने की आवश्यकता है। किन्तु अपने दिमाग को जरा भी धक्का न लगाने देने के लिये, वे इस शब्द ही को दृष्टिकोण से बाहर निकाल डालते हैं, और अपने को ठीक रास्ते पर समझते हैं ! चेक परिश्रम के प्रतिनिधि हैं ! परिश्रम के ! हाँ, लेकिन किसकी मेहनत के ? उनके परिश्रम के नहीं जिनके पास वे हैं; प्रत्युत वास्तव में तो, जो मेहनत करते हैं, उनके परिश्रम के प्रतिनिधि हैं।

पैसा और गुलामी एक ही वस्तु है—इसके उद्देश्य एक हैं और इसके परिणाम भी एक से हैं। मजदूर-पेशा लोगों की ओर से के एक समर्थ लेखक ने वास्तव में बहुत ही ठीक कहा है कि घन का उद्देश्य मनुष्यों को मूल नियम से मुक्त कर देना है। वह मूल नियम जीवन का नैसर्गिक नियम है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रत्येक आदमी को शारीरिक परिश्रम करना चाहिये। पैसे का भी मालिकों पर वही प्रभाव पड़ा है जो गुलामगिरी में पदा था—नयी और असंख्य नयी आवश्यक-

कटाएँ, कभी तृप्त न होने वाली अनगिनत नयी खरूरतें, रोष हुईं अनचाही जाती हैं और उनका पोषण किया जाना है। बीमत्स लम्पटता, विषय-भोग और राक्ति-हीनता की वृद्धि होती है। गुलामी पर इसका यह असर होता है कि उनकी मनुष्यता कुचल दी जाती है और उन्हें पशु बना डाला जाता है।

रुपया गुलामी का नया और भयङ्कर स्वरूप है और पुरानी व्यक्तिगत दासता की भोंति यह गुलाम और मालिक दोनों को पतित और भ्रष्ट बना देता है। इतनाही क्यों ? यह वससे अधिक बुरा है क्योंकि गुलामी में दास और स्वामी के बीच मानव सम्बन्ध की स्तिग्धता रहती है, वह उसे भी एक दम ही नष्ट कर देता है।

“सिद्धान्त की दृष्टि से तो यह सब ठीक है, लेकिन व्यवहार में क्या होगा ?” लोगों के मुँह से इन शब्दों को सुनकर मुझे सदा ही आश्चर्य होता है। जैय कि सिद्धान्त तो बातें करने के लिये सुन्दर शब्द मात्र है, वह कार्य में परिणित करने की चीज ही नहीं है। हमारे जीवन के सारे कार्य अनिवार्यतः सिद्धान्तों पर जैसे निर्भर ही न हों ! जो ऐसा ही विचित्र खयाल प्रचलित होता तब तो दुनिया में ढेर के ढेर मूर्खता पूर्ण सिद्धान्तों का रचना हुई होती। हम जानते हैं कि सिद्धान्त उस निष्कर्ष को कहते हैं कि जो किसी विषय पर विचार करके मनुष्य निकालता है और व्यवहार वह है, जिसे मनुष्य कार्य रूप में परिणित करता है। तब फिर कोई मनुष्य सोचे तो यह, कि अमुक कार्य अमुक रीति पर करना चाहिये, पर करे उससे बलटा—यह कैसे हो सकता है ? जो रोटी बनाने का सिद्धान्त यह हो कि पहिले आँटा गूँदा जाये और फिर खमीर ठठाने के लिये उसे रख छोड़ा जाय तो कोई बेबकूफ हो हागा जो इसके विपरीत आचरण करेगा। पर हम लोगों में तो ऐसा कहने का रिवाज सा हो गया है कि सिद्धान्त तो यह ठीक है, पर व्यवहार में यह कैसा रहेगा ?

मैंने तो जो काम किये हैं, सभी में सिद्धान्तानुसार ही मेरा व्यवहार हुआ है और वह इसलिये नहीं कि मैं अपने सिद्धान्त

को ठीक सिद्ध करना चाहता था, बल्कि इसलिये कि उसके प्रतिकूल व्यवहार मुझ से हो ही नहीं सकता था। मैंने जिस विषय पर विचार किया है, उसे मैं यदि अच्छी तरह समझ गया हूँ, तब फिर मैं जिस तरह उसे समझा हूँ उसके प्रतिकूल मैं व्यवहार कर ही कैसे सकता हूँ ?

मेरे पास धन था। यह धन परिश्रम का पारितोषिक है, अथवा सामान्यतः अच्छी चीज़ है और इसका मालिक होना कानूनन जायज़ है—इससर्व साधारण में फैले हुए बहम का मैं भी कायल था। इस धन से मैंने गरीबों की मदद करने का विचार किया। परन्तु ज्यों ही मैंने पैसा देना शुरू किया त्यों ही मुझे मालूम हुआ कि यह तो गरीबों के ऊपर लिखो हुई हुई धड़िये मैंने इच्छा कर रखी थी और वही मैं उन्हें दे रहा हूँ। मैंने देखा कि मेरा यह काम वैसाही है जैसा कि पुराने ज़माने में ज़र्मीदार लोग अपने कुछ गुलामों को दूसरे गुलामों के लिये काम करने को मजबूर करने थे। मैंने देखा कि पैसा का कैसा भी उपयोग करो, चाहे उससे कोई चीज़ खरीदा, अथवा उसे मुझ में ही किसी को दे दो। इसका अर्थ यही होता है कि तुम गरीबों के नाम हुंडी लिख कर भेजत हा अथवा दूसरों को देते हो जिससे वह गरीबों के पास जाकर हुंडी खिचवा ले। इसलिये मैं स्पष्ट रूप से समझ गया कि गरीबों से पैसा छान कर उससे उनको मदद करना नितान्त मूर्खाना पूर्ण है।

मैं यह भी समझ गया कि कृपया अच्छी चीज़ नहीं है; इन्ना ही नहीं वह स्पष्टतः अनिष्टकर है क्योंकि वह गरीबों को उनकी मेहनत से वंचित करदेता है और इस मेहनत में ही उनका मुख्य श्रेय

समाया हुआ है, और यह श्रेय मैं किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं इससे वञ्चित हूँ। मैं न तो स्वयं मेहनत करता हूँ और न अपनी मेहनत का मज्जा चखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है।

रायब्र कोई पूछे—रुपये की इतनी सूक्ष्म विवेचना करने में ऐसा मीन सा बड़ा भारी लाभ है ? किन्तु मैं जो रुपये की यह व्याख्या करने बैठता हूँ, वह केवल व्याख्या के लिये नहीं है, बल्कि उस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर पाने के लिये है कि जिसने मुझे इतना परेशान कर रक्खा है और जिस पर मेरा जीवन अबलम्बित है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है ?

जिस समय मुझे मालूम हो गया कि धन क्या है, रुपया क्या है, उसी समय यह स्पष्ट हो गया कि मुझे क्या करना चाहिये और अन्य सब लोगों को भी क्या करना चाहिये और अन्त में सब को जो अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा वह भी मुझे स्पष्ट और निस्सन्दिग्ध रूप से सीख पड़ा। सच तो यह है कि जो बात मैं बहुत दिनों से जानता था, उससे कोई नई बात मुझे नहीं सूझी। सत्य का यह उपदेश तो पुरातन काल से मानव जाति को दिया जाता रहा है। बहुत ही प्राचीन काल में भगवान बुद्ध तथा ईसैया, लाओट्से तथा सुकरात ने इस सत्य की घोषणा मानवजाति के समस्त की थी, और उसके बाद यूरोप में ईसा मसीह तथा उनके पूर्व-गामी जान बैपटिस्ट ने तो अत्यन्त स्पष्ट और निस्सन्दिग्ध भाषा में, उसी सत्य का उपदेश दिया।

लोगों ने जब जान से पूछा कि, 'अब हम क्या करें ?' तो उसने सूक्ष्म और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया था—'जिसके पास दो कोट हैं, वह एक कोट उस आदमी को देदे, जिसके पास एक भी

नहां और जिसके पास भोजन है, वह भा ऐजा ही करे । (स्यूक
अ० तीन पद १०-११)

यही बात और अधिक स्पष्टता के साथ धनिकों को शाप
तथा गरीबों को आशीर्वाद देते हुए, ईसा मसीह ने कही है। उन्होंने
कहा कि हम ब्रह्म और माया दोनों के होकर नहीं रह सकते ।
उन्होंने अपने शिष्यों को कंबल धन लेने ही के लिये मना नहीं
किया था, परन्तु अरने पास द्वा कोट न रखने का भी आदेश
दिया था । धनी नवयुवक से उन्होंने कहा था कि धनिक हाने
के कारण तुम ईश्वर के दरबार में नहीं जा सकते । और वह भी
कहा कि सुई के नकुप में से ऊँट का निकल जाना तो सम्भव है,
पर अमोर आदमी का स्वर्ग में प्रवेश करना असम्भव है ।

उन्होंने कहा कि मेरा अनुसरण करने के लिये जो अपना घर-
बार, बाल-बच्चे, खेती-बारी तथा अपना सर्वस्व त्यागने के लिये तैयार
नहीं है, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता । उन्होंने एक धनी की
कहानी सुनाई । उसने आजकल के धनी लोगों की तरह कोई
बुरा काम तो किया नहीं था, केवल खूब आनन्द से खाता-पीता
और अच्छे कपड़े पहिनता था । वह इसी से आत्मा को खो बैठा ।
लकारस नाम का एक भिखारी भी था, जिसने कोई बिरोध अच्छा
काम न करके भी अपनी गरीबी और भिक्षुक जीवन के कारण
ही अपनी आत्मा का कत्याय कर लिया ।

मैं इस सत्य से बहुत पहिले ही से परिचित था किन्तु
दुनिया का झूठा शिक्षा ने उसे ऐसी चालाकी से ढँक लिया था
कि वह केवल एक सिद्धान्त भर रह गया था—अर्थात् वह शुद्ध
कल्पना मात्र था, क्योंकि लोग प्रायः सिद्धान्त शब्द का वही अर्थ

करते हैं। किन्तु ज्यों ही दुनिया को झूठी शिक्षा का पर्दा मेरे मन से उठा त्यों ही सिद्धान्त और व्यवहार में मुझे एकात्मिकता दिखाई देने लगी और उसके परिणाम-स्वरूप अपने तथा अन्य समस्त मनुष्यों के जीवन का सच्चा अर्थ मैंने समझा।

मैंने समझा कि मनुष्य को अपने कल्याण के साथ ही दूसरे मनुष्यों के कल्याण के लिये भी उद्योग करना चाहिये, और यदि हमें पशु-जीवन से ही दृष्टान्त लेना हो, जैसा कि जीवन-संघर्ष के नियमों की भित्ति पर हिंसा और कलह को आवश्यक और उपादेय सिद्ध करने के लिये लोगों को पशु-जीवन से खोज कर उदाहरण देने का शौक होता है, तो हमें दृष्टान्त देना चाहिये कि मधु मक्खी जैसे सामाजिक जीवों की जिन्दगी का। अपने पड़ोसी से प्रेम करने और उसकी सेवा करने का तो मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य है ही, इसके अलावा बुद्धि और मनुष्य-स्वभाव का यह तकाजा है कि मनुष्य अपने भाइयों की सेवा करे और मानव-जाति के सामुदायिक हित के लिये उद्योग करे।

मैंने समझा कि मनुष्य के लिये यही नैसर्गिक नियम है जिसका पालन करके ही, वह अपने जीवनोद्देश्य को सफल बना कर सुखी हो सकता है। मैंने यह भी समझा कि इस सुन्दर नियम का उल्लंघन किया गया है और अब भी किया जा रहा है, क्योंकि लुटेरी मधु मक्खियों की तरह कुछ लोग अपने बल का दुरुपयोग करके मेहनत-मजदूरी के कामों से बच निकलते हैं, और दूसरों की मेहनत से लाभ उठाते हैं और दूसरों के परिश्रम का उपयोग वह सार्वजनिक हित के लिये करते हों; वह भी नहीं, बल्कि अपनी दिन दिन बढ़ती हुई वासनाओं की वृत्ति के लिये ही, उसका

व्ययोग करते हैं और परिणाम-स्वरूप छुटेरी मधु-मक्खियों ही की तरह वे नष्ट हो जाते हैं ।

मैंने समझा कि वर्ग के लोग दूसरे मनुष्यों को गुलाम बनाते हैं, वही मनुष्यों के दुःखों का कारण है और मैं यह भी समझ गया कि इस समय हमारे जमाने में जो गुलामी प्रचलित है, उसके आधार-भूत ये तीन कारण हैं—सैनिक-हिंसा, भूमि-स्वामित्व और विभिन्न करों के रूप में रुपया वसूल करना । और आधुनिक काल की दासता के इन तीनों कारणों के अर्थ को समझने के बाद उनसे छुटकारा पाने की इच्छा और चेष्टा किये बिना मुझ से रहा ही नहीं गया ।

सर्फ-पद्धति के जमाने में मैं भी जमीन्दार था, और मेरे अधीन भी बहुत से सर्फ थे । जब मुझे मालूम हुआ कि यह स्थिति पापमय है तो अन्य समान-विचार वाले लोगों के साथ मैंने इसमें से निकलने का यत्न किया और इस पाप-पट्ट से मैंने अपने को इस प्रकार छुड़ाया । मैं यह समझता था कि यह स्थिति पापमय है, इस लिये जब तक मैं उससे पूर्ण रूप से मुक्त न हो जाऊँ, तब तक मैंने अपने जमीन्दारी अधिकारों का जहाँ तक बन सके कम से कम उपयोग करने का निश्चय किया, और जैसे मेरे कोई अधिकार हैं ही नहीं, इस प्रकार मैं रहने लगा ।

वर्तमान दासता के सम्बन्ध में भी मुझे ऐसा ही कहना है अर्थात् जब तक मैं इन पापिष्ठ अधिकारों से अपने को एक दम मुक्त नहीं कर लेता कि जो मुझे भूमि-स्वामित्व और सैनिक-बल के द्वारा लोगों से जबरदस्ती रुपया वसूल करने की शक्ति प्रदान करते हैं, तब तक मुझे जहाँ तक ही इन अधिकारों का न्यूनाति-

न्यून उपभोग करना चाहिये और साथ ही साथ दूसरे लोगों को इन कल्पित स्वार्थों की अनीतिमत्ता और अमानुषिकता के विषय में समझना चाहिये ।

गुलामी में भाग लेने के अर्थ क्या हैं ? यही न, कि गुलामों का मालिक दूसरे लोगों की मेहनत का उपभोग करता है । जो ऐसा करता है, वह दासता-रूपी पाप का भागीदार है, फिर वह दासता चाहे पहले प्रकार की हो, जिसमें मनुष्य के शरीर पर दावा किया जाता है, अथवा दूसरे प्रकार की जिसमें ज़मीन का अपने कब्जे में कर लिया जाता है या तीसरे प्रकार की जिसमें विभिन्न करों के रूप में रुपया वसूल करके मनुष्य को जीवनोपयोगी आवश्यक सामग्री से वंचित किया जाता है । अतएव मनुष्य यदि वस्तुतः गुलामी को नापसन्द करता है, और उसमें भाग लेना नहीं चाहता है तो उसे सबसे पहला काम जो करना चाहिये, वह यह है कि उसे दूसरे मनुष्यों की मेहनत का उपभोग नहीं करना चाहिये—न तो सरकारी नौकरी द्वारा, न भूमि पर ऋज्जा कर के और न रुपयों के बल से सरकारी नौकरी, भूमि-स्वामि व और रुपयः—इन तीनों से मनुष्य को बचना चाहिये, यही गुलामी के कारण हैं । इन्हीं के द्वारा ज़बर्दस्ती दूसरे के परिश्रम का उपभोग किया जाता है ।

दूसरे मनुष्यों के परिश्रम के फल का उपभोग करने के समस्त साधनों का इस्तेमाल न करने का यदि कोई मनुष्य निश्चय करे तो उसे अवश्य ही एक ओर तो अपनी आवश्यकताओं को कम करना पड़ेगा, और दूसरी ओर अभी तक अपना जो काम दूसरों से कराया जाता था, वह खुद हाथ से करना अपना कर्तव्य ही चापगा ।

यह सीधी-सादी बात मेरे दिल में पैठ गई और उसने मेरे जीवन को एक दम ही बदल दिया। मनुष्यों के दुःखों को देख कर जो हार्दिक वेदना मुझे होती थी उससे इस परिवर्तनके कारण अब मैं मुक्त हो गया। गरीबों के मदद करने की मेरी योजना की असफलता के जो तीन कारण थे—उन्हें मैं अब स्पष्ट रूप से समझ गया।

पहला कारण यह था कि लोग शहरों में जाकर एकत्रित हो जाते हैं और गाँव का धन भी खिंच कर वहीं चला जाता है बस, ज़रूरत इस बात की है कि सरकारी नौकरी करके, अथवा भूमि-स्वामित्व द्वारा या रुपये के ज़रिये दूसरे लोगों की मजदूरी का लाभ उठाने की प्रवृत्ति दूर कर दी जाय और अपनी आवश्यकताओं को यथा-शक्ति अपने ही हाथों पूरा करने का यत्न किया जाय।

तब फिर गाँव छोड़ कर शहर में रहने का किसी को ख्याल भी न आवेगा क्योंकि गाँव में रह कर अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को स्वयं अपने ही हाथों जुटाना शहर की अपेक्षा बहुत सरल है, क्योंकि वहाँ नगर में सभी चीजें दूसरों के परिश्रम द्वारा उपार्जित की हुई हैं और बाहर से लाई गई हैं। गाँव में हाजत-मन्द की सहायता आसानी से की जा सकती है और वहाँ रह कर मनुष्य यह कभी अनुभव न करेगा कि वह बिलकुल व्यर्थ और नाबीज है जैसा कि मुझे उस समय अनुभव हुआ था कि जब मैं अपने नगर के दरिद्र लोगों को अपने रुपये से नहीं, बल्कि दूसरों के परिश्रम-जनित धन से सहायता करने की आयोजना कर रहा था।

दूसरा कारण अमीरों और गरीबों के बीच का भेद-भाव था । मनुष्य सरकारी नौकरी करके अथवा भूमि और रुपये का मालिक बन कर दूसरों के परिश्रम का उपभोग करने की इच्छा न करे तो उसे मजदूर होकर अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति खुद अपने हाथों करनी पड़ेगी । और तब स्वभावतः बिना किसी प्रकार का सद्व्योग किए ही, उसके और गरीब आदिमियों के मध्य जो अन्तर है, वह दूर हो जायगा और वह कन्धे से कन्धा मिला कर उनके साथ खड़ा होगा और उनको सहायता पहुँचाने में भी समर्थ बनेगा ।

तीसरा कारण मेरी लज्जा थी । जिस पैसे के द्वारा मैं गरीबों की मदद करना चाहता था, उस पैसे का मालिक होना पाप है; यह ज्ञान ही मेरी उस लज्जा का कारण था । मनुष्य सरकारी नौकरी द्वारा अथवा भूमि और धन के स्वामित्व द्वारा दूसरों के परिश्रम-जनित फलों का उपभोग करना छोड़ दे तो उसके पास यह 'सुप्त का पैसा' कमी रहे ही नहीं । यह पैसा देख कर ही तो लोग मुझमें सहायता की याचना करने आते थे, जिसे पूरा न कर सकने के कारण मेरे मन में ग्लानि उठती थी और मेरे जीवन की अनीति-सत्ता नग्न रूप में मेरी आँखों के आगे आ खड़ी होती थी ।

(प्रथम खण्ड समाप्त)

दूसरा भाग छप रहा है—जून सन् १९२७ तक छप जायगा—
पृष्ठ लगभग इतने ही होंगे और मूल्य भी यही होगा ।

टिप्पणी

१. इसैया—हजरत मूसा ने यहूदी लोगों में जिस धर्म का प्रचार किया था उसमें जब शिथिलता आई तो उसको दूर करने के लिए कई सन्तों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने अपनी प्रभावोत्पादक वक्तृत्व-शक्ति तथा धर्म-प्रियता के द्वारा यहूदियों में धर्म-भाव को फिर से जागृत कर के उसे सतेज और जाव्वल्यमान बनाया। इन सन्त जनों में इसैया की विशेष महत्ता है। लोग उसे बहुत मानते हैं। उस समय भी उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी; राजा लोग भी उसका सम्मान करते थे। अपनी अनुपम वक्तृत्व-शक्ति के द्वारा उसने सदाचार, पवित्रता और भक्ति का खूब प्रचार किया।

२. लाओ-टले—ईसा से ५०० वर्ष पूर्व इस महान ज्ञानी तथा योगी का चीन देश में जन्म हुआ। इनका उपदेश 'ताओ के सिद्धान्त' के नामसे प्रसिद्ध है। 'ताओ' का अर्थ है—ब्रह्म अर्थात् प्रकृति में समाया हुआ गूढ़ तत्व, इसका अर्थ मार्ग भी होता है। जिसने 'ताओ' का साक्षात्कार किया है, वह सब प्रकार के विधिनियमों को पार करके सदा आत्म-तुष्ट की भाँति निर्द्वन्द्व और निर्लेप होकर रहता है—ऐसा निवृत्ति-मार्गी वेदान्त से मिलता जुलता 'ताओ' का सिद्धान्त है। चीन देश का प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस, कहते हैं, जिस समय, यह उपदेश देता था—'उपकार के बदले उपकार और अपकार के बदले अपकार करो' उसी

समय लाओ-टले ने जनता के सामने यह महान उपदेश रक्खा था—‘उपकार के बदले में जिस तरह उपकार किया जाता है, वैसे ही अपकार के बदले में भी उपकार ही करना चाहिये ।’

३. सुक्रात—यह यूनान देश का जगत्प्रसिद्ध तत्ववेत्ता हुआ है । अपने अन्तिम जीवन में यूनान की राजधानी, अथेन्स में उसने सद्ज्ञान और सदाचार का उपदेश देना शुरु किया । नवयुवकों पर उसके उपदेशों का बड़ा प्रभाव पड़ता था । यह स्वयं एक जबरदस्त तार्किक था और विवाद करने की एक बड़ी ही रोचक और प्रभावशाली शैली का आविष्कारक हुआ है । प्रश्न पर प्रश्न करके वह प्रतिपक्षी से ही अपने मन की बात कहलाता था । लोग उसको दिग्गन्त-विजयिनी प्रतिभा से घबड़ा कर कहने लगी—यह तो जादू कर देता है । उस पर नवयुवकों को बहकाने और देवी-देवताओं को गालियों देने का आरोप लगा कर एक बड़ा ही मजेदार मुकदमा चलाया गया जो संसार के साहित्य की एक अमर चीज बन गया है । अथेन्स के सिनेटरों ने उसकी प्रतिभा से परेशान होकर उसे मृत्यु-दण्ड की आज्ञा दी । सुक्रात का अनुयायी और मित्र क्रैटो उससे जेल में से भाग निकलने का अनुरोध करता है, पर वह उसे अस्वीकार करते हुए कहता है— मैं जिन नियमों को अभी तक मानता आया हूँ, अब विपत्ति पड़ने पर यदि मैं उन्हें छोड़ पहुँचाऊँगा तो इनके भाई जो स्वर्ग में हैं, वे मुझे कभी क्षमा न करेंगे । अपने अत्याचारियों के प्रति मन में जरा भी वैर-भाव न रखकर निर्भय निर्द्वन्द्व रूप से प्रसन्नता पूर्वक जहर का प्याला पीकर अत्यन्त शान्त और सस्मित मुद्रा के साथ जीवन के अन्तिम क्षणों में अपने अनुयायियों को उपदेश

देते हुए जब हम उसे देखते हैं तो अनायास ही एक मृत्युञ्जय आर्य योगी की कल्पना मन में जागृत होती है और संसार का मस्तक श्रद्धा और भक्ति के साथ उसके चरणों में फुल जाता है ।

४. जॉन दि बैटिस्ट—ईसा मसीह के कुछ पहिले यह आचार्य हुआ था । कहा जाता है, इसने यह भविष्य-वाणी की थी—“मुझ से अधिक समयें उपदेशक मेरे बाद आयेगा । मैं तो उसके जूतों के फीते खोलने लायक भी नहीं हूँ” । लोगों का विश्वास है कि यह इशारा ईसा मसीह की ओर था और क्राइस्ट ही वह उपदेशक है जिसका जॉन दि बैटिस्ट ने जिक्र किया था । वह कहता था कि स्वर्ग राज्य की स्थापना का समय हो गया है इसलिये कोई पाप न करना चाहिये और सब के साथ प्रेम-पूर्ण समान व्यवहार करना चाहिये । जिन यहूदियों ने उसके उपदेश को ग्रहण किया, उन्हें जार्डन नाम की नदी में स्नान करा कर दीक्षा दी । इसी दीक्षा—बप्तिस्मा के कारण उसका नाम जान दि बैटिस्ट प्रसिद्ध हुआ । ईसा के जन्म से २८ वर्ष पूर्व उसे फौसों पर चढ़ाकर मार डाला ।

५. लज़ारस—यह एक गरीब फकीर था जिसके शरीर में कुष्ठ के घाव थे । वह एक अमीर आदमी के द्वार पर पड़ा रहता था, कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते । वह अमीर बड़ी शान से रहता, खूब खाता-पीता और मौज करता । लज़ारस उसके झूठे टुकड़े खाकर ही किसी तरह गुज़ारा करता था । किन्तु जब यह मरा तो हज़रत इब्राहीम ने प्रेम-पूर्वक उसे अपनी गोद में लिटा लिया । वह घनी मरने पर कब्र में दफ़ना दिया गया और उसे नरक मिला । जब उसकी आँख खुली तो वह असह्य

नारकीय पीड़ा से व्यथित हो उठा और देखा कि वह नाचीस गरीब लज़ारस—जो उसके द्वार पर पड़ा रहता और उसकी जूठन खाकर जीता था—आनन्द से इब्राहीम की गोद में लेटा हुआ है। उसने चिल्लाकर कहा—पिता ! दया करके ज़रालज़ारस को भेज दो ताकि वह मेरे मुँह में पानी की दो बूंदें डाल जाये। मैं तो इस भाग में फुलसा जाता हूँ। पर इब्राहीम ने कहा—पुत्र ! यह नहीं हो सकता ! तू ने अपने जीवन में आनन्द किया और वह यहाँ आनन्द कर रहा है। दूसरे हमारे बीच में एक बड़ा खड़ा है जिसे पार करके कोई आ जा नहीं सकता। उस धनिक ने तब प्रार्थना की कि लज़ारस को दुनिया में उसके बाप के घर भेज दिया जाये ताकि उसके जो चार भाई हैं, वह सबक़ सीखें और इस यातना से बचें। इब्राहीम ने उत्तर दिया कि दुनिया में हज़रत मूसा और अन्य पैग़म्बर हैं। जो लोग उनकी बातें नहीं सुनेंगे, वह मरकर फिर जिन्दा हो जाने वाले लज़ारस की बात की भी पर्वाह न करेंगे।

इस आख्यायिका में यह दिखलाया गया है कि मनुष्य धन के कारण भोग-विलास में पड़कर अपनी आत्मा को खो बैठता है और गरीब आत्म-चिन्तन और सरल जीवन के द्वारा अपना कल्याण करता है। इसमें धनिकों को चेतावनी है कि वह धन के मोह में पड़कर आत्मा को न भूल जायें और ग़रीबों को आश्वासन है कि वह संसारी विपत्तियों से दुःखित न हों, वह इन्हीं के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं।

लागत मूल्य पर हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित करनेवाली

एक मात्र सार्वजनिक संस्था

सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, अजमेर

उद्देश्य—हिन्दी-साहित्य-संसार में उच्च और शुद्ध साहित्य के प्रचार के उद्देश्य से इस मण्डल का जन्म हुआ है। विविध विषयों पर सुव्यवधारण और सिद्धित-समुदाय, की और बालक सबके लिए उपयोगी, अच्छी और सस्ती पुस्तकें इस मण्डल के द्वारा प्रकाशित होंगी।

विषय—धर्म (रामायण, महाभारत, दर्शन, वेदान्तादि) राजनीति, विज्ञान, कलाकौशल, शिल्प, स्वास्थ्य, समाजशास्त्र, इतिहास, शिक्षाप्रद उपन्यास, नाटक, जीवनचरित्र, खिलोपयोगी और बालोपयोगी आदि विषयों की पुस्तकें तथा स्वामी रामतीर्थ, विवेकानन्द, टाकसुदाय, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, विहारी, भूपण आदि की रचनाएँ प्रकाशित होंगी।

इस मण्डल के सदुद्देश्य, महत्व और भविष्य का अन्दाज़ पाठकों को होने के लिए हम सिर्फ़ उसके संस्थापकों के नाम यहाँ दे देते हैं—

मंडल के संस्थापक—(१) सेठ जमनाकाकजी बजात्र, वर्षा (२) सेठ धनश्यामदासजी विद्या कककता (समापति) (३) स्वामी आनन्दानंदजी (४) बाबू महाश्वर प्रसादजी पोद्दार (५) डा० अम्बालाकजी दधीच (६) पं० हरिनाथ उपाध्याय (७) श्री जीतमल लुगिया, अजमेर (मन्त्री)

पुस्तकों का मूल्य—अगम्य लागतमात्र रहेगा। अर्थात् बाजार में जिन पुस्तकों का मूल्य व्यापाराना ढंग से १) रखा जाता है उनका मूल्य हमारे यहाँ केवल २) या ३) रहेगा। इस तरह से हमारे यहाँ १) में ५०० से ६०० पृष्ठ तक की पुस्तकें तो अवश्य ही ही जावेंगी। सवित्र पुस्तकों में खर्च अधिक होने से मूल्य अधिक रहेगा। यह मूल्य स्थायी ग्राहकों के लिए है। सर्व साधारण के लिये थोड़ा सा मूल्य अधिक रहेगा।

हिन्दी-प्रेमियों का स्पष्ट कर्तव्य

यदि आप चाहते हैं कि हिन्दी का—यह 'सस्ता मण्डल' कूड़े-कूके तो आपका कर्तव्य है कि आजही न केवल आपही इसके ग्राहक बनें, बल्कि अपने परिचित मित्रों को भी बसाकर इसकी सहायता करें।

**हमारे यहाँ से निकलनेवाली दो मालायें और
स्थायी ग्राहक होने के दो नियम
खुब ध्यान से सब नियमों को पढ़ लीजिये**

(1) हमारे यहाँ से 'सस्ती विविध पुस्तक-माला' नामक माला निकलती है जिसमें वर्ष भर में ३२०० पृष्ठों की कोई अठारह बीस पुस्तकें निकलती हैं और वार्षिक मूल्य पोस्ट खर्च सहित केवल ८) है। अर्थात् छः रुपया ३२०० पृष्ठों का मूल्य और २) डाकखर्च। इस विविध पुस्तक-माला के दो विभाग हैं। एक 'सस्ती-साहित्य-माला' और दूसरी 'सस्ती-प्रकीर्ण पुस्तकमाला'। दो विभाग इसलिये कर दिये गये हैं कि जो सत्रजन वर्ष भर में आठ रुपया खर्च न कर सकें, वे एक ही माला के ग्राहक बन जावें। प्रत्येक माला में १६०० पृष्ठों की पुस्तकें निकलती हैं और पोस्ट खर्च सहित ४) वार्षिक मूल्य है। माला से ज्यों ज्यों पुस्तकें निकलती जावेंगी, वैसे वैसे पुस्तकें वार्षिक ग्राहकों के पास मण्डल अपना पोस्टेज लगाकर पहुँचाता जायगा। जब १६०० या ३२०० पृष्ठों की पुस्तकें ग्राहकों के पास पहुँच जावेंगी, तब उनका वार्षिक मूल्य समाप्त हो जायगा।

(२) वार्षिक ग्राहकों को उस वर्ष की-जिस वर्ष में वे ग्राहक बनें-सब पुस्तकें लेनी होती हैं। यदि उन्होंने उस वर्ष की कुछ पुस्तकें पहले से ले रखी हों तो अगले वर्ष की ग्राहक-श्रेणी का पूरा रुपया यानि ४) या ८) दे देने पर या कम से कम १) या २) जमा करा देने तथा अगला वर्ष शुरू होने पर शेष मूल्य भेज देने का बचन देने पर, पिछले वर्षों की पुस्तकें जो वे चाहें, एक एक कापी लागत मूल्य पर ले सकते हैं।

(३) दूसरा नियम—प्रत्येक माला की आठ आना प्रवेश फीस या दोनों मालाओं की १) प्रवेश फीस देकर भी आप ग्राहक बन सकते हैं। इस तरह जैसे जैसे पुस्तकें निकलती जावगी, उनका लागत मूल्य और पोस्ट खर्च जोड़ कर बी. पी. से भेज दी जाया करेगी। प्रत्येक बी. पी में ३) रजिस्ट्री खर्च व ३) पी. पी. खर्च तथा पोस्टेज खर्च अलग लगता है। इस तरह वर्ष भर में प्रवेश फीसवाले ग्राहकों को प्रति माला पीछेकीबे टाई रुपया पोस्टेज पढ़ जाता है। वार्षिक ग्राहकों को केवल १) ही पोस्ट खर्च लगता है।

हमारी सलाह है कि आप वार्षिक ग्राहक ही बनें

क्योंकि इससे आपको पोस्ट खर्च में भी किफायत रहेगी और प्रवेश फीस के ॥) या १) भी आपसे नहीं लिये जावेंगे।

(४) दोनों तरह के ग्राहकों को—एक एक कापी ही लागत मूल्य पर मिलती है। अधिक प्रतिर्था मँगाने पर सर्वसाधारण के मूल्य पर दो आना रुपया कमीशन काट कर भेजी जाती हैं। हाँ, बीस रुपये से ऊपर की पुस्तकें मँगाने पर २५) सँकड़ा कमीशन काट कर भेजी जा सकती है। किसी एक माला के ग्राहक होने पर यदि वे दूसरी माला की पुस्तकें या मंडक से निकलने वाली फुटकर पुस्तकें मँगावेंगे तो दो आना रुपया कमीशन काट कर भेजी जावेंगी। पर अपना ग्राहक नंबर ज़रूर लिखना चाहिये।

(५) दोनों मालाओं का वर्ष—सस्ता साहित्य-माला का वर्ष जनवरी मास से शुरू होकर दिसम्बर मास में समाप्त होता है और प्रकीर्ण-माला का वर्ष अप्रैल मास से शुरू होकर दूसरे वर्ष के अप्रैल मास में समाप्त होता है। मालाओं की पुस्तकें दूसरे तीसरे महीने इकट्ठी निकलती हैं और तब ग्राहकों के पास भेज दी जाती हैं। इस तरह वर्ष भर में कुल १६०० या ३२०० पृष्ठों की पुस्तकें ग्राहकों के पास पहुँचा दी जाती हैं।

(६) जो वार्षिक ग्राहक माला की सब पुस्तकें सजिल्द मँगाना चाहें, उन्हें प्रत्येक माला के पीछे दो रुपया अधिक भेजना चाहिये, अर्थात् साहित्य माला के ६) वार्षिक और इसी तरह प्रकीर्ण माला के ६) वार्षिक भेजना चाहिये।

हमारे यहाँ से निकलनेवाली फुटकर पुस्तकें

उपरोक्त दोनों मालाओं के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें भी हमारे यहाँ से निकलती हैं। परन्तु जैसे दोनों मालाओं में वर्ष भर में ३२०० पृष्ठों की पुस्तकें निकालने का निश्चित नियम है वैसे इनका कोई खास नियम नहीं है। सुविधा और आवश्यकतानुसार पुस्तकें निकलती हैं।

स्थायी ग्राहकों के जानने योग्य बातें

(१) जो ग्राहक जिस माला के ग्राहक बनते हैं, उन्हें उसी माला की एक एक पुस्तक लागत मूल्य पर मिल सकती है। अन्य पुस्तकें मँगाने के लिये उन्हें आर्डर भेजना चाहिये। जिन पर उपरोक्त नियमानुसार कमीशन काट कर बी० पी० द्वारा पुस्तकें भेज दी जावेंगी।

(२) ग्राहकों का पत्र देते समय अपना ग्राहक नम्बर जरूर लिखना चाहिये। इसमें भूल न रहे।

(३) मंडल से निकलने वाली फुटकर पुस्तकों के भी यदि आप स्थाई ग्राहक बनना चाहें तो ॥) प्रवेश फ्रीस भेज कर बन सकते हैं। जब जब पुस्तकें निकलेंगी उनको कागत मूल्य से बी० पी० करके भेज दी जावेगी।

सस्ती-साहित्य-माला की पुस्तकें (प्रथम वर्ष)

दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह—प्रथम भाग (ले०—महात्मा गांधी)

(१) पृष्ठ सं० २७२, मूल्य स्थायी ग्राहकों से ॥) सर्वसाधारण से ॥।)

म० गांधीजी लिखते हैं—“बहुत समय से मैं सोच रहा था कि इस सत्याग्रह-संग्राम का इतिहास लिखूँ, क्योंकि इसका कितना ही अंश मैं ही लिख सकता हूँ। कौनसी बात किस हेतु से की गई है, यह तो बुद्ध का सचालक ही जान सकता है। सत्याग्रह के सिद्धांत का सच्चा ज्ञान लोगों में हो, इसलिये यह पुस्तक लिखी गई है।” सरस्वती, कर्म-वीर, प्रताप आदि पत्रों ने इस पुस्तक के दिव्य विचारों की प्रशंसा की है।

(२) शिवाजी की योग्यता—(ले० गोपाल दामोदर ताम्बकर एम० ए०, एल० टी०) पृष्ठ-संख्या १३२, मूल्य स्थायी ग्राहकों से केवल १) सर्वसाधारण से ॥) प्रत्येक इतिहास प्रेमी को इसे पढ़ना चाहिए।

(३) दिव्य जीवन—अर्थात् उत्तम विचारों का जीवन पर प्रभाव। संसार प्रसिद्ध स्विट् मार्सडन के The Miracles of Right Thoughts का हिंदी अनुवाद। पृष्ठ-संख्या १३६, मूल्य स्थायी ग्राहकों से १) सर्व साधारण से ॥) चौथी बार छपी है।

(४) भारतके स्त्री-रत्न—(पंच भाग) इस ग्रंथ में वैदिक काल से लगाकर आजतक की प्रायः सब धर्मों की आदर्श, पातिश्रय परायण, विद्वान् और भक्त कोई ५०० स्त्रियों का जीवन-वृत्तान्त होगा। हिंदी में इतना बड़ा ग्रन्थ आज तक नहीं निकला। प्रथम भाग पृष्ठ ४१० मूल्य स्थायी ग्राहकों से केवल ॥) सर्वसाधारण से १) भाग के भाग छीन लेंगे।

(५) व्यावहारिक सन्न्यता—यह पुस्तक बालक, युवा, पुरुष, स्त्री

सभी को उपयोगी है, परस्पर बढ़ों व छोटों के प्रति तथा संसार में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ऐसे ही अनेक उपयोगी उपदेश भरे हुए हैं। पृष्ठ १०८, मुख्य स्थायी ग्राहकों से ३) सर्वसाधारण से।) दूसरी बार छपी है

(६) आत्मोपदेश—(ज्ञान के प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानो महात्मा एसिप के विचार) पृष्ठ १०४, मुख्य स्थायी ग्राहकों से ३) सर्वसाधारण से।)

(७) क्या करें ?—(ले०—महात्मा टास्सटाप) इसमें मनुष्य जाति के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक प्रश्नों पर बहुत ही सुंदर और मार्मिक विवेचन किया गया है। महात्मा गांधी जी लिखते हैं—“इस पुस्तक ने मेरे मन पर बड़ी गहरी छाप डाली है। विश्व-प्रेम मनुष्य को कहाँ तक ले जा सकता है, यह मैं अधिकाधिक समझने लगा” प्रथम भाग पृष्ठ २१६ मूल्य केवल ॥२) स्थाई ग्राहकों से ३) दूसरा भाग भी छप रहा है उसका मूल्य भी लगभग यही रहेगा।

(८) कलघार की करतूत—(ले०—महात्मा टास्सटाप) इस नाटक में शराब पीने के दुष्परिणाम बड़ी सुंदर रीति से दिखलाये गये हैं। पृष्ठ ४० मूल्य १)।।। स्थाई ग्राहकों से १)।

(९) जीवन-साहित्य—म० गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के प्रसिद्ध विचारक और लेखक काका कालेकर के धार्मिक, सामाजिक और राज-नैतिक विषयों पर मौलिक और मननीय लेख—प्रथम भाग पृष्ठ २०० मूल्य ॥) स्थाई ग्राहकों से १२) इसका दूसरा भाग भी छप रहा है।

इस प्रकार उपरोक्त नौ पुस्तकें १६६८ पृष्ठों की इस माला के प्रथम वर्ष में प्रकाशित हुई हैं अब दूसरे वर्ष अर्थात् सन् १९२७ में जो जो पुस्तकें प्रकाशित होंगी उनका भोटेस कवर के चौथे पृष्ठ पर छपा है।

सस्ती-प्रकीर्ण माला की पुस्तकें (प्रथम वर्ष)

(१) कर्मयोग—(ले० अभ्यास योगी श्री अग्निनीकुमार दत्त । इसमें निष्काम कर्म किस प्रकार किये जाते हैं—सच्चा कर्मवीर कैसे कहते हैं—आदि बातें बड़ी खुशी से बताई गई हैं। पृष्ठ सं० १५२, मूल्य केवल ॥२) स्थायी ग्राहकों से १)

(२) सीताजी की अग्नि-परीक्षा—सीता जी की ‘अग्नि-परीक्षा’

इतिहास से, विज्ञान से तथा अनेक विदेशी उदाहरणों द्वारा सिद्ध की गई है। पृष्ठ सं० १२४, मूल्य १-) स्थायी ग्राहकों से ॥॥

(३) कन्या-शिक्षा—सास, ससुर आदि कुटुंबी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये, घर की व्यवस्था कैसी करनी चाहिये आदि बातें, कथारूप में बतलाई गई हैं। पृष्ठ सं० ९४, मूल्य केवल १) स्थायी ग्राहकों से ॥

(४) यथार्थ आदर्श जीवन—हमारा प्राचीन जीवन कैसा उच्च था, पर अब पाश्चात्य आदर्शमय जीवन की मकल कर हमारी अवस्था कैसी षोचनीय हो गई है। अब हम फिर किस प्रकार उच्च बन सकते हैं—आदि बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं। पृष्ठ सं० २६४, मूल्य केवल ॥-१) स्थायी ग्राहकों से ॥=॥

(५) स्वाधीनता के सिद्धान्त—प्रसिद्ध आयरिश वीर टैरेंस मेक्सवीनीकी Principles of Freedom का अनुवाद—प्रत्येक स्वतंत्रता-प्रेमी को इसे पढ़ना चाहिये। पृष्ठ सं० २०८ मूल्य ॥), स्थायी ग्राहकों से १-॥

(६) तरंगित हृदय—(ले० पं० देवशर्मा विशालंकार) भू० ले० पद्म सिंहजी शर्मा—इसमें अनेक ग्रन्थों को मनन करके एकांत हृदय के सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक विषयों पर बड़े ही सुन्दर, हृदयस्पर्शी मौलिक विचार लिखे गये हैं। किसी का अनुवाद नहीं है। पृष्ठ सं० १०६, मूल्य ॥=) स्थायी ग्राहकों से १-)

(७) गंगा गोविंदसिंह—(ले० बंगाल के प्रसिद्ध लेखक श्री जण्डीशरण सेन) इस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन-काल में भारत के लोगों पर अंग्रेजों ने कैसे कैसे भीषण अत्याचार किये और वहाँ का व्यापार नष्ट किया उसका रोमांचकारी वर्णन तथा कुछ देश-भक्तों ने किस प्रकार मुर्खावत सहकर इनका मुक़ाबला किया उसका गौरव-पूर्ण इतिहास वर्णित है। रोचक इतना है कि शुरू करने पर समाप्त किये बिना नहीं रहा जा सकता। पृष्ठ २८० मूल्य केवल ॥=) स्थायी ग्राहकों से ॥=॥

(८) यूरोप का इतिहास—(प्रथम भाग) छप रहा है। पृष्ठ लगभग ३५० मार्च सन् १९२७ तक छप जायगा। इस माता में एकाध पुस्तक और निकलेगी तब वर्ष समाप्त हो जायगा।

हमारे यहाँ हिंदी की सब प्रकार की उत्तम पुस्तकें भी मिलती हैं—बड़ा सूचीपत्र मँगाकर देखिये।

पता—सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, अजमेर।

